

भारतीय समाज

[Indian Society]

जगदीश प्रसाद मिश्र
सुधा मिश्रा

भारतीय समाज

एक समाजशास्त्रीय विवेचना

तृतीय सशोधित एव परिवर्द्धित संस्करण

लेखक

जगदीश प्रसाद मिश्र ए

प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग व

श्री जय नारायण डिग्री कालेज म

लखनऊ

लेखिका

सुधा मिश्रा

शैक्षिकपरामर्शदात्री

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

मुक्त विश्वविद्यालय

लखनऊ

GIFTED BY
Raja Rammohun Roy Library
Foundation Calcutta

भारत प्रकाशन

लखनऊ

प्रकाशक

भारत प्रकाशन
17 अशोक मार्ग
लखनऊ-226001

तृतीय संस्करण 2001

ISBN . 81-7678-78-6

मूल्य 150 00 रुपये

लेजर टाइप सेटिंग

एच आई कम्प्यूटर
५०४/३८ बरौलिया डालीगज
लखनऊ-२२६०२०

मुद्रक

नादर्न आफसेट
टिकैत राय तालाब,
लखनऊ

भूमिका : तृतीय सस्करण

विज्ञ पाठको द्वारा पुस्तक के द्वितीय सस्करण का आशानुकूल स्वागत हुआ और शीघ्र ही तृतीय सस्करण की माँग होने लगी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण नया सस्करण जल्दी निकाला न जा सका। पाठको को हमारी इस विवशता के कारण जो धैर्य रखना पडा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

पुस्तक मे चार नवीन अध्यायो (१ २ ७ १३) को जोडा गया है तथा अन्य अध्यायो मे आवश्यकतानुसार नवीन सामग्री का समावेश भी किया गया हे। विद्वानो तथा पाठको के सुझावो का प्रस्तुत सस्करण मे हमने यथा सम्भव समावेश किया है। आशा है अपने नवीन रूप मे पुस्तक सभी स्तर के पाठको के लिए अधिक लाभकर सिद्ध होगी।

अपने सभी सहयोगियो का आभार मानते हुए उनसे पूर्ववत मार्ग दर्शा की आशा करता हूँ। वीरेन्द्र कुमार बाहरी के विशेष अनुग्रह से पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका। इनका मैं अत्यधिक आभारी हूँ।

कृष्ण जन्माष्टमी
सन २००१

—जगदीश प्रसाद मिश्र
—सुश्री सुधा मिश्र

विषय सूची

	पृष्ठ
1 परम्परागत भारतीय समाज व्यवस्था के आधार भूत तत्त्व	1
2 भारतीय समाज की प्रजातीय एवं सांस्कृतिक रचना	9
3 वर्ण व्यवस्था	22
4 आश्रम व्यवस्था	35
5 कर्म—सिद्धान्त	49
6 धर्म की अवधारणा	57
7 पुरुषार्थ की धारणा	64
8 जाति व्यवस्था	69
9 जाति व्यवस्था की उत्पत्ति	76
10 जाति व्यवस्था में परिवर्तन	88
11 हिन्दू संस्कार	96
12 विवाह संस्कार	108
13 हिन्दू विवाह की समस्याएँ	128
14 हिन्दू परिवार	136
15 वर्तमान सामाजिक विधान	155
16 मुस्लिम सामाजिक संस्थाएँ	167
17 ईसाई सामाजिक संस्थाएँ	184
18 जनजातीय संस्कृति	193
19 पर—संस्कृति—ग्रहण की अवधारणा	200
20 जाति और प्रजातंत्र	205



अध्याय 1

परम्परागत भारतीय समाज व्यवस्था के आधारभूत तत्त्व

(Basic features of the traditional Indian social system)

यह एक तथ्य है कि प्रत्येक समाज के अपने मौलिक गुण अथवा अपनी निजी विशिष्टताएँ होती हैं जो अन्य समाजों में नहीं मिलती और इन्हीं के आधार पर हम एक समाज का दूसरे से अलग कर सकते हैं। भारतीय समाज शायद एक ऐसा समाज है जो सबसे अधिक विलक्षण है। इसकी सबसे बड़ी और प्रथम विलक्षणता है हिन्दुत्व (Hinduism)।

1- हिन्दुत्व — हिन्दुत्व अति पुरातन (जिसके उदय की तिथि का पता नहीं है) और श्रद्धा अथवा भक्ति वाला एक रेलीजन है जो प्रवासी (बाहर से आये हुए) समुदायों को छोड़कर सारे भारत को स्पर्श करता है। फ्रान्स काथलिक धर्म नहीं है क्योंकि फ्रान्स के अलावा भी अन्य काथलिक देश हैं पाकिस्तान इस्लाम नहीं है क्योंकि और भी अनेक मुस्लिम राज्य हैं भारत हिन्दुत्व है (India is Hinduism)। यहाँ आये हुए पर्यटक के लिए अनिवार्य रूप से यह भारत का रेलीजन है जो भारत को सबसे पहले और सदा के लिए सब देशों से अलग करता है। हिन्दुत्व भारत की हर ध्वनि और दृष्टि में वैसे ही फैला हुआ है जैसे सर्वव्यापक सूर्य का प्रकाश। दूसरे शब्दों में शरीर से जो खून का सम्बन्ध है वही भारत का हिन्दुत्व से सम्बन्ध है। हिन्दुत्व भारत देश के जीवन की गति अथवा बहाव² है। बाजार की प्रकृति ग्रामीण श्रम विभाजन, गाँव और राज्य की सरकार जन्म विवाह और मृत्यु की औपचारिकताएँ—ये सभी हिन्दुत्व के रूप हैं। हिन्दुत्व व्यक्ति का उसके समाज से सम्बन्ध उसके ढेर से अधिकार और कर्तव्यों का विधान करके तय करता है। यह व्यक्ति का उसकी पत्नी उसके माता—पिता उसके बच्चों और सर्वाधिक स्वयं उसी से जो सम्बन्ध है उसे बता देता है। एक भारतीय क्या करता है कैसे सोचता है क्या विश्वास करता है कैसे अनुभव करता है आदि सबको हिन्दुत्व प्रभावित करता है। प्रश्न है यह हिन्दुत्व क्या है? हिन्दुत्व की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। बहुत से लोगों के लिए यह एक ऐसा नाम हो सकता है जिसकी कोई अन्तर्वस्तु नहीं है। क्या हिन्दुत्व विश्वासों का एक सग्रहालय है अनुष्ठानों का एक सम्मिश्रण है या

1 रोनाल्ड सेगेल दि फ्राइसिस ऑव इण्डिया पृष्ठ-15

2 सेगेल वही पृष्ठ-15

केवल एक मेप हे एक भौगोलिक अभिव्यक्ति हे ? इसकी अन्तर्वस्तु यदि कोई हे तो वह युग-युग म और एक समुदाय स दूसरे समुदाय मे बदलती रही हे।¹ हिन्दुत्व पर प्रकाश डालते हुए सर्वपल्ली डा राधाकृष्णन अपनी धर्म और समाज नामक कृति मे लिखत हे हिन्दुत्व किसी जातीय तथ्य पर आधारित नही हे यद्यपि हिन्दू सभ्यता का मूल वैदिक आर्यों के आध्यात्मिक जीवन मे हे और उसके मूल के चिह्न अभी तक लुप्त नही हुए हे फिर भी इसन द्रविणो तथा यहाँ के अन्य निवासियो क सामाजिक जीवन से इतना कुछ ग्रहण किया है कि आधुनिक हिन्दुत्व मे से वैदिक और वैदिक-भिन्न तत्त्वो को सुलझाकर अलग कर पाना कठिन है। भारत एक परम्परा एक भावना एक प्रकाश है। उसकी भौतिक और आत्मिक सीमाएँ एक नही पृथक-पृथक है। भारत आध्यात्मिक मान्यताआ को अन्य मान्यताओ की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता है।¹ डा राधाकृष्णन ने हिन्दुत्व के व्यावहारिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। आपका कथन हे कि व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दुत्व विचारो के एक स्वरूप से कही अडि क एक जीवन प्रणाली हे। जहाँ विचार जगत मे यह पूर्ण स्वच्छन्दता प्रदान करता है वही एक कठोर आचरण की सहिता को भी लागू करता है। आस्तिक और नास्तिक सदेही और अज्ञेयवादी सभी हिन्दू हो सकते है यदि वे सरकृत और जीवन की हिन्दू प्रणाली को स्वीकार करते है। हिन्दुत्व मे धार्मिक अनुरूपता पर उतना जोर नही हे जितना जीवन मे आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण पर। हमारे चाहे जो भी ईश्वर-परक विश्वास अथवा तात्विक मत हो हम सभी इसमे समहत है कि हमे दयालु और ईमानदार कृतज्ञ (उपकार करने वालो के आभारी) और दीन दुखी के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। हिन्दू नैतिक जीवन पर बल देता है और उन सभी से भाईचारा अथवा ससर्ग मानता हे जो नैतिक नियमो के दावो से अपने को बँधा हुआ मानते है। हिन्दुत्व कोई पथ अथवा सम्प्रदाय नही है बल्कि उन लोगो का भाईचारा है जो न्याय को स्वीकार करते हैं और सत्य की खोज करते है।⁵

2- रेलीजन, गरीबी और कर्मकाण्डीय शुचिता — सेगेल महोदय भारतीय समाज की सम्पूर्ण सरचना रेलीजन और गरीबी नामक दो तत्त्वो से बनी हुई स्वीकार करत है। आप यहाँ के रेलीजन को विलक्षण मानते हैं साथ ही यहाँ की गरीबी को भी विलक्षण मानते है। हिन्दू भारतीय समाज का अधिकाश जीवन कर्मकाण्डीय पवित्रता से अनुशासित है। कर्मकाण्डीय अशुद्धता से बचने का ख्याल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र मे अनेक वर्जनाओ का सर्जक रहा है। जाति प्रथा के प्रतिबन्धो मे यह ख्याल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिन्दू समाज मे छुआछूत के विचार कर्मकाण्डीय शुद्धता बनाये रखने के लिए पनपे होगे।

3- उदारता अथवा सहिष्णुता — अपनी उदारता अथवा सहिष्णुता

3 सर्वपल्ली, राधाकृष्णन दि हिन्दू व्यू ऑव लाइफ पृ 111

4 सर्वपल्ली राधाकृष्णन धर्म और समाज पृ 117-18।

5 डा० राधाकृष्णन हिन्दू व्यू ऑव लाइफ पृ 55।

के लिए हिन्दू भारतीय समाज सदा से प्रसिद्ध है। भारतीय समाज ऐसा है जहाँ जीवन के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं भिन्न—भिन्न भतावलम्बी रहत है भिन्न सामाजिक रीति—रिवाज मान्यताओं और विचारधाराओं के पोषक लोग एक साथ रहते हैं। मुसलमान पारसी यहूदी ईसाई आदि सभी अपने भिन्न सामाजिक और धार्मिक विचारों को अपनाये हुए भारतीय हैं अथवा भारतीय समाज का अंग है। हिन्दू विवाद और झगड़े में पड़ना अच्छा नहीं समझते और वे प्रतिरोध से बचना चाहते थे और इन्हीं नीतियों के कारण भारत की वरदा भूमि में जो भी लोग आते गये उन्हें शरण मिलती रही और उन्हें अपना लिया गया। भारत की सहिष्णुता की परम्परा के कारण ही धर्म—निरपेक्षता के विचार को यहाँ प्रश्रय मिल पाया। सम्पूर्ण हिन्दू समाज ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता को प्रदर्शित किया है। यदि यह सहिष्णुता न होती तो मूल रूप से पर्सिया से आये हुए पारसियों को भारत में समृद्धशाली समुदाय के रूप में शांति से रहने न दिया गया होता क्योंकि मृतक को ठिकान लगान के इनके तरीके विचित्र हैं जो अधिकांश हिन्दुओं के लिए विरोधी आरंभ गृणित हैं। भारतीय सहिष्णुता वह सामग्री है जिससे भारतीय चरित्र का निर्माण हुआ है' (Tolerance is of the very material from which the Indian character is formed)। इस सहिष्णुता का जन्म कहाँ और कैसे हुआ ? क्या भारत वर्ष की जलवायु ऐसी है जिसने सहिष्णुता को उत्पन्न किया बिना किसी विरोध के अन्य लोगों के जीवन को स्वीकृति प्रदान की ? यदि भारतीय त्याग और सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं तो ये आत्म सुरक्षा के सुनिश्चित लक्षण हैं।⁷

4— विविधता — सहिष्णुता के कारण भारतीय समाज में अनेकता या विविधता का लक्षण विद्यमान है। भारतीय समाज का कोई भी निरीक्षक आसानी से यहाँ अनेक प्रकार के लोगों भाषाओं परम्पराओं, व्यवहार नियमों आदि को खोज सकता है। भारत अनेक प्रकार के धर्मों का गढ़ है, अनेक प्रकार की संस्कृतियों और प्रजातियों का सगम स्थल है। परिवार विवाह रहन—सहन वेशभूषा आदि सभी में भिन्नता है। देवी देवताओं की अनेकता है लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि भारत में आधारभूत सांस्कृतिक एकता का अभाव है। उदाहरण के लिए बिहारी (बिहार प्रान्त का निवासी) और तमिल प्रदेशी एक दूसरे से असमान हो सकते हैं लेकिन भारत की रीति से बाहर होने पर वे सबसे अधिक समान हैं क्योंकि जो कुछ भी उन्हें पृथक् करता है भिन्न बनाता है हिन्दुत्व उस पर पानी फेर देता है और उन्हें एकता प्रदान करता है।

5— वर्ण — भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए उसके संरचनात्मक तत्त्वों की जानकारी अपेक्षित है। वर्णाश्रम धर्म हिन्दू भारतीय समाज का प्राण है। वर्ण और आश्रम नामक दोना व्यवस्थाएँ क्रम से भारतीय समाज और व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। प्रत्येक समाज स्तरों या श्रेणियों में बँटा

6 सेगेल रोनाल्ड वही पृ 33

7 सेगेल वही पृ 33

होता है। परम्परागत भारतीय समाज वर्णों में विभाजित है। वर्ण काय विभाजन की आदर्श व्यवस्था है। कैसे ? चार प्रकार के कार्य किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और वे निम्नलिखित हैं -

- (1) धर्मकोष की रक्षा या ज्ञान प्रदान करने का कार्य
- (2) सुरक्षा का कार्य
- (3) आर्थिक क्रियाओं के सम्पादन का कार्य और
- (4) सेवा का कार्य।

हमारे यहाँ जो चार वर्ण हैं वे क्रमशः उक्त चार प्रकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म कोष की रक्षा में पटु ब्राह्मणों को यह कार्य दिया गया। सुरक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले क्षत्रियों को सुरक्षा का कार्य दे दिया गया। व्यापार कृषि एवं वणिज्य वृत्ति में पारंगत वैश्यों को आर्थिक क्रियाएँ सम्पन्न करने का कार्य सौंप दिया गया। सेवा के लिए शूद्रों को सर्वाधिक उपयुक्त मानकर यह कार्य उनके जिम्मे किया गया। इस कार्य विभाजन को कुछ लोग आदर्श श्रम विभाजन की सजा देते हैं और इसलिए वे वर्ण व्यवस्था को आदर्श श्रम-विभाजन मानते हैं।

6— आश्रम — व्यक्ति के जीवन से संबंधित योजना आश्रम व्यवस्था है। जीवन की सफलता अथवा कामयाबी जीवन की सुविचारित योजना पर निर्भर है। हिन्दुओं ने जीवन की योजना तैयार की। जीवन का एक महान तीर्थ यात्रा के रूप में स्वीकार कर उसका उद्देश्य मोक्ष निर्धारित किया और फिर जीवन को चार भागों में बाँट दिया। ये भाग आश्रम की सजा पा गये। प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम नाम पा गया जिसमें शिक्षा की सम्यक् व्यवस्था कर दी गई जिससे व्यक्ति का मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास समुचित मात्रा में हो सके और उसमें उचित अनुचित का विवेक जाग्रत हो जाय तब वह आगामी जीवन के कर्तव्यों को निर्बाध रूप से पूरा कर सके। दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम कहलाया। तीसरा भाग वानप्रस्थ और चतुर्थ भाग सन्यास नाम से पुकारा गया। आश्रम योजना जीवन की आदर्श एवं सुन्दर योजना प्रतीत होती है फिर भी हिन्दुओं में यह अव्यावहारिक रही क्योंकि इसमें कुछ आधारभूत कमियाँ थीं। इसके योजनाकार मानव स्वभाव की सीमाओं का सही मूल्यांकन करने में असफल रहे या यो कहे कि उन्होंने मानव स्वभाव की अवहेलना की और यही प्रबल कारण है कि आश्रम व्यवस्था अव्यवहृत रही। कुछ भी हो जीवन की कोई योजना आवश्यक है चाहे समाज अपने सदस्यों के लिए जीवन योजना बनावे या समाज के सदस्य अपने-अपने जीवन की अलग-अलग योजनाएँ बनाये। अनियमित और अनियोजित जीवन बिताना दुःखद है। जो लोग अनियमित और योजनाविहीन जीवन बिताते हैं उनके जीवन का उत्तरी भाग दुःखमय रहता है। नियमहीन जीवन व्यतीत करने वालों के व्यवहारों में अनिश्चितता रहती है और इसलिए उनके व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। साथ

ही उनके व्यवहारो मे स्थिरता का तत्त्व भी नहीं रहता है। वर्ण और आश्रम नामक व्यवस्थाएँ यह बतलाती हैं कि हिन्दू भारतीय किस प्रकार के समूहो मे रहते रहे और उनकी प्रणाली कैसी है।

7— ऋण, यज्ञ और सस्कार — ऋण सबधी मान्यता हिन्दू भारतीय समाज व्यवस्था का आधार है। हिन्दुओ की एक मान्यता यह भी है कि कुछ ऋण जन्मते ही प्रत्येक हिन्दू पर लद जाते हैं और उनके भार से वह बोझिल रहता है। ये ऋण इस प्रकार हैं— (1) ऋषि ऋण (2) देव ऋण (3) पितृ ऋण और (4) मनुष्य ऋण। ऋषियो, देवताओ, पितरो और मनुष्यो ने कुछ उपकार किए हैं इसलिए प्रत्येक हिन्दू के इनके प्रति कुछ कर्त्तव्य हो जाते हैं। इन कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिए (समस्त ऋणो को चुकाने के लिए) पञ्चमहायज्ञो का विधान हिन्दू मनीषियो ने किया है। ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ पाँच महायज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ से ऋषि ऋण चुकता है। देव यज्ञ से देव ऋण पितृ यज्ञ से पितृ ऋण और मनुष्य यज्ञ से मनुष्य ऋण का निपटारा होता है। यज्ञ सबधी विचार जहाँ एक आर सामान्य कल्याण (सबकी भलाई) से सबधित है वही दूसरी तरफ इसने पवित्रता को जन्म दिया। पवित्रता और शुद्धता के विचारो ने सस्कारो के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सस्कारो के माध्यम से व्यक्ति को पवित्र निर्मल कलुषहीन और शुद्ध तथा परिष्कृत किया जाने लगा। परिष्कृत और सस्कृत होकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बन पाया। बालक जब से गर्भ मे स्थित होता है तब से लेकर जीवन भर तथा मरने के बाद तक उसे सस्कारो के दौर से गुजरना पडता है जिससे जीवन मे वह प्रत्येक कदम पर अच्छाइया को सीखता है और बुराइयो को त्यागता चलता है। सस्कारो का उद्देश्य व्यक्ति मे गुणो को भरना एव अवगुणो को निकालना है। अध्ययन की सुविधा के लिए सस्कारो को तीन कोटियो मे रखा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं— (1) प्राग् जन्म सस्कार (2) बचपन के सस्कार और (3) यौवन काल के सस्कार। प्राग् जन्म सस्कारो मे गर्भाधान पुरावन और सीमन्तोन्नयन प्रमुख हैं जबकि जातकर्म नामधेय अन्नप्राशन और चूडाकरण बचपन के सस्कार हैं। उपनयन समावर्तन और विवाह की गणना यौवन काल के सस्कारो मे की जा सकती है।

8 — जाति — भारतीय समाज मे जातियो का पाया जाना इसकी एक विलक्षणता है क्योंकि जातियो केवल भारतवर्ष मे ही पाई जाती है और कही नहीं। जाति के एकाध तत्त्व भले ही विश्व मे किन्ही—किन्ही समूहो अथवा सस्थाआ मे देखने को मिले परन्तु हूबहू जाति जैसी सस्था भारतीय समाज के अलावा और कही नहीं मिलती है। जातियो को ऐसे समूह अथवा वर्ग के रूप में समझा जा सकता है जिसकी सदस्यता जन्म से मिलती है और जीवन भर के लिए मिलती है जिसके सदस्य एक कठोर नियम द्वारा जाति से बाहर विवाह करने के लिए मना किए जाते है, जिसमे पेशे चुनने की आपत्ति नहीं है और

जिसमें खाने-पीने के बारे में प्रतिबन्धों की एक व्यवस्था है और जिसके सदस्य सामाजिक स्पर्श मिलन जुलन सबधी नियमों द्वारा अपने सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। जातियों का जीवन के हर भाग में प्रवेश है। जाति तय करती है कि कैसे और कब और क्या तथा कहाँ एक व्यक्ति खाता है बाल करता है और प्रार्थना करता है। किससे भोजन जल तथा पात्र स्वीकार कर सकता है। आभूषणों का प्रकार अन्त्येष्टि का रूप यौन क्रिया की आवृत्ति आदि सब कुछ जाति द्वारा निर्धारित होता है। भारतीय गणतंत्र के धर्म-निरपेक्ष वायदे के बावजूद भी जाति राष्ट्रीय प्रादेशिक और ग्रामीण चुनावों में अपने अभ्यर्थी का चयन करती है और वोटों का निर्धारण करती है। जातियों के ही कारण विजताओं की टुकड़ी के बीच हिन्दू प्रतिमान को सुरक्षित रखा जा सका।

9— कुल व्यवस्था — परिवार किसी भी समाज की उप-सामाजिक व्यवस्था होता है। अन्य शब्दों में परिवार समाज का लघु रूप है। परिवार के रूप एवं आदर्शों से भारतीय समाज की प्रकृति भलीभाँति जानी जा सकती है। भारत की कुल व्यवस्था अथवा परिवार प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो अन्यत्र पाये जाने वाले परिवारों में नहीं प्राप्त होती हैं। हिन्दू परिवारों की प्रकृति सयुक्त है सम्मिलित है। परिवार का एक मुखिया होता है। इसी मुखिया या कर्ता के अधीन सभी सदस्य रहते हैं। परिवार के निर्णयों में मुखिया का निर्णय सर्वोपरि होता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी-अपनी आय इसी के पास जमा करते हैं और वह इसी एकत्र आय से परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी करता है। अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर्ता आवश्यकता को महत्त्व देता है और सम्पत्ति के सम्बर्द्धन में किसने कितना योगदान किया है इसका कोई लिहाज नहीं रखता है। एक ही पाकशाला में सभी का खाना बनता है। पारिवारिक उत्सवों में सामान्य रूप से सभी भागीदार बनते हैं। सभी सदस्य एक घर में रहते हैं। व्यक्ति के लिए कर्तव्य निर्धारण में कुल अथवा परिवार का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। हिन्दू परिवार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्तिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। हिन्दू परिवारों में समाजवाद का पूरा-पूरा पोषण होता था। आजकल नवीन सभ्यता (औद्योगिक नगरीय और पाश्चात्य सभ्यता) नवीन विचारों और नवीन आर्थिक प्रणाली ने हिन्दू परिवार की नींव को हिला दिया है।

10— कर्म और धर्म — कर्म और धर्म हिन्दू भारतीय समाज की दो जुड़वा अनिवार्यताएँ हैं। कर्म इस तथ्य की घोषणा करता है कि एक हिन्दू एक जाति विशेष में अपने अतीत के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है और धर्म इस बात की माँग करता है कि वह बिना किसी विरोध के अपनी स्थिति को स्वीकार कर ले और इस स्थिति के उपयुक्त कार्यों को जितनी खूबी के साथ पूर्ण कर सके पूरा करे। ~~संस्कृत~~ धर्म शब्द का अर्थ प्राकृतिक गुण है। नदी का धर्म बहना है तालाब का धर्म शान्त रहना है साधु का धर्म क्षमा करना है। जैसे तालाब

नदी और साधु का अपना-अपना धर्म है जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। चर्मकार का धर्म जूता बनाना है। बहेलिया का धर्म शिकार करना है। जल्लाद का धर्म फासी पर किसी को लटकाना है। सिपाही का धर्म लडना है। श्रीमद्भगवद्गीता जो शायद समस्त हिन्दू धर्म ग्रन्थो मे सबसे मूल्यवान है और जिसे स्वयं गांधी जी ने सर्वोत्कृष्ट माना साफ शब्दो मे स्वधर्म पालन का संकेत करती है। अर्जुन जब स्वजनो के नाश के भय से युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त करते है तो उनके सारथी कृष्ण (ईश्वर के अवतार) उन्हें लडने के लिए समझाते हैं क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है और योद्धा का धर्म लडना है।

धर्मशास्त्रो की घोषणा के अनुसार यदि एक मनुष्य अपने धर्म के अनुरूप अच्छे कर्मो को करता है तो वह पुन ऊँची जाति मे पैदा होगा लेकिन अगर वह बुरे कर्म करता है और अपने धर्म की उपेक्षा करता है तो पशु के रूप मे अथवा निम्न जाति के सदस्य के रूप मे पुन जन्म लेगा।

एक व्यक्ति के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है कि वह केवल अपने धर्म का अनुसरण कर बल्कि निरस्सग भाव से बिना किसी इच्छा या महत्वाकांक्षा के अपना कर्त्तव्य समझकर अपने धर्म का पालन करे यह आशा उससे की जाती थी। वस्तुतः निम्न जाति की अपेक्षा ऊँची जाति मे जन्म लेना उत्तम है लेकिन बिलकुल ही जन्म न लेना सर्वोत्तम है। कर्म के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक मानव क्रिया का सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य है और मृत्यु के सर्वदा सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यो की सचित पूँजी होती है। आत्मा इन दोनो प्रकार के मूल्यो की कीमत चुकाता है। अतएव एक ही प्राणी कुछ समय के लिए अपने अच्छे कर्म के आधार पर स्वर्ग मे रह सकता है और बुरे कर्म के आधार पर कुछ समय के लिए नरक मे रह सकता है और मानव प्राणी के रूप मे जन्म लेकर फिर से लेखा जोखा प्रारम्भ कर सकता है।¹⁸ स्वर्ग और नरक का पुरस्कार अन्तिम नहीं है। खाता बन्द नहीं हुआ है। लेजर का केवल एक पृष्ठ पलटा गया है और जमा तथा खर्च का शेष दूसरे जन्म मे ले जाया जाता है।

11— **पुरुषार्थ** — पुरुषार्थ परम्परागत भारतीय समाज व्यवस्था का एक आधारभूत तत्त्व है। पुरुषार्थ का अर्थ है— मनुष्य का इष्ट अथवा उसका प्राप्य। अन्य शब्दो मे, मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है एव जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उस सबकी अभिव्यक्ति पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का सिद्धांत मनुष्य का प्राप्य दिलाने मे उसे गन्तव्य तक पहुँचाने मे सहायक है। परम्परागत भारतीय चिंतन आध्यात्मिकता एव लौकिकता (सासारिकता) के समन्वय पर केन्द्रित है और इसी समन्वय की स्थापना पुरुषार्थो द्वारा की गयी है। जहाँ मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है वही पुरुषार्थ का सिद्धांत स्पष्ट रूप से इस तथ्य की तरफ संकेत करता है कि सासारिक कर्त्तव्यो को बिना पूरा किये मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं। अतः सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना हिन्दू जीवन का लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम को मनु ने 'त्रिवर्ग' कहा है। धर्मानुकूल अर्थ

और काम सेवन से सासारिक समृद्धि सम्भव है। मोक्ष पारलौकिक समृद्धि का सूचक है। हिन्दू लौकिक और पारलौकिक समृद्धि की कामना करता है। इस तरह हिन्दू ससार—उन्मुख और ससार—विमुख दोनों हैं। पश्चिमी विचारक उसे केवल ससार—विमुख मानने की भूल करते हैं और इसीलिये उस पर पलायनवाद का आरोप लगाते हैं लेकिन पुरुषार्थ सिद्धान्त के उक्त विवेचन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह ससार—प्रवृत्त पहले है और ससार—प्रवृत्त होने के बाद ससार—विमुख उसे इसलिये होना पड़ता है क्योंकि वह उस परम सत्ता में विलीन होने की आकांक्षा रखता है जिसका कि वह एक अश मात्र है। इस आकांक्षा के रहते हुए भी वह ससार को असार नहीं मानता। ससार की सत्ता में उसे पूरा—पूरा भरोसा है। ससार और ब्रह्म की तुलना में वह ब्रह्म को ऊँचा स्थान देने का हिमायती अवश्य है और दोनों में वह ब्रह्म प्राप्ति को वरेण्य अवश्य समझता है। ससार की सत्ता को उसने गौण स्थान दिया है। उक्त दार्शनिक मान्यता समस्त हिन्दू चिंतन में व्याप्त है और हिन्दुओं का सब कुछ इस मान्यता से प्रभावित है। हिन्दुओं की जीवन योजना (आश्रम व्यवस्था) पर इस चिंतन की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। हिन्दू का सर्वांगीण विकास लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के सन्तुलन पर निर्भर है। किसी एक पक्ष पर अधिक बल देने से सन्तुलन बिगड़ सकता है। पुरुषार्थ सिद्धान्त द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है।



अध्याय 2

भारतीय समाज की प्रजातीय एव

सांस्कृतिक रचना

(Racial and Cultural Composition of Indian Society)

आज जब प्रजाति एव सांस्कृति का अध्ययन समाजशास्त्र का महत्त्वपूर्ण एव रोचक भाग है भारतीय समाज का विवेचन यदि प्रजाति और सांस्कृति की दृष्टि से नहीं किया जाता तो जो चित्र उपस्थित होगा वह सही व पूर्ण न होगा। भारतीय समाज की प्रजातीय एव सांस्कृतिक बनावट विलक्षणता से युक्त है। भारत के विषय में बहुचर्चित तथ्य यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत अनेक सांस्कृतियों तथा प्रजाति-समूहों का घर है। इस कथन की सत्यता की परख इस अध्याय में करनी है।

प्रजातीय विश्लेषण (Racial Analysis)

भारत में विद्यमान प्रजातियों का विश्लेषण करने के पूर्व प्रजाति की सही धारणा को स्पष्ट करना अच्छा रहेगा।

प्रजाति की धारणा—साहित्य और समाज विज्ञानों में प्रजाति (Race) शब्द का प्रयोग निश्चित अर्थों में न होने के कारण इस शब्द के अर्थ के विषय में भ्रान्तियाँ फैली हैं। इस शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रगट करने के लिए किया गया है। उदाहरणार्थ मानव प्रजाति को लीजिए। यहाँ प्रजाति शब्द का प्रयोग समस्त मानवता को सूचित करने के लिए किया गया है। इससे सभी लोग सहमत होंगे कि मानवता प्रजाति का पर्यायवाची नहीं है। यदि प्रजाति से मानवता का बोध होने लगे तो जितने मनुष्य हैं उन सबको एक प्रजाति का मानना पड़ेगा। यह निराशंका होकर कहा जा सकता है कि सभी मनुष्यों की प्रजाति एक नहीं है। हमारे भारत देश में कई प्रजाति के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजाति शब्द का प्रयोग कभी किसी भाषायी-समूह के अर्थ में कभी राष्ट्र के अर्थ में और कभी सांस्कृतिक दृष्टि से समान गुणधर्मी समूह के अर्थ में किया गया है। रिजले ने भारत में प्रजाति तत्त्व का वर्गीकरण करते समय द्रविडियन प्रजाति का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मजूमदार के मतानुसार 'द्रविडियन शब्द भाषायी समूह का द्योतक है'। सर आर्थर कीथ राष्ट्र

1 Risley's 'Dravidian' like the term Aryan is a linguistic group and not racial

और प्रजाति को पर्यायवाची मानते हैं और दोनों में कोई भेद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ डा. पिडिङ्गटन और एच. जी. वेल्स दोनों को पृथक्-पृथक् कोटियों (Categories) मानते हैं। मजूमदार जी ने राष्ट्र को प्रजाति से भिन्न माना है और ठीक भी है क्योंकि राष्ट्र एक क्षेत्रीय कल्पना है। राष्ट्र एक कृत्रिम रचना है। राष्ट्र के बन्धन राष्ट्र तक सीमित हैं। प्रजाति एक जैविक प्रत्यय है।

उक्त भ्रान्तियों के कारण ही प्रजाति की सही धारणा लोगों के मन पर अंकित नहीं हो पाती है। विद्वानों ने प्रजाति शब्द का वारतविक अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उन्हें काफी हद तक इस कार्य में सफलता भी मिली है। एक प्रजाति के लोग अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं से पहचाने जाते हैं। ये शारीरिक लक्षण आनुवंशिक होते हैं, इन पर जलवायु अथवा पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शारीरिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहते हैं। कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण भी होते हैं जो पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। इनका प्रजाति निर्धारण में विशेष महत्त्व नहीं रहता है। मानवशास्त्री प्रजाति शब्द का प्राणि वैज्ञानिक (Zoological) अर्थ लगाते हैं। वे लोग एक प्रजाति का निर्माण करते हैं जो समान शारीरिक लक्षणों से पहचाने जाते हैं।

डा. डी. एन. मजूमदार प्रजाति की परिभाषा निम्न प्रकार से करते हैं—

यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक् पहचाना जा सके तो इस जैविकीय समूह के सदस्य चाहे जितने बिखरे क्यों न हों वे एक प्रजाति हैं। प्रजातीय अन्तर वातावरण के प्रभावों से अप्रभावित विशेष आनुवंशिक गुणों पर आधारित होना चाहिए²। अपनी पुस्तक 'मानव और संस्कृति' में डा. श्यामाचरण दुबे ने प्रजाति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि—

प्रजाति हम मानव जाति के उस विभाजन को कह सकते हैं जिसकी अपनी निजी शारीरिक विशेषताएँ होती हैं जो एक के बाद एक हर पीढ़ी में प्रायः उसी रूप में स्थिर बनी रहती हैं³।

ऊपर दी गई भारतीय विद्वानों की प्रजाति की दोनों परिभाषाएँ प्रजाति के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालती हैं। शब्दों के हेर-फेर के साथ दोनों विद्वानों ने एक ही बात कही है। दोनों विद्वान प्रजाति का निश्चय करने में शारीरिक लक्षणों पर बल देते हैं और साथ ही इन शारीरिक लक्षणों का आनुवंशिक होना अनिवार्य मानते हैं। डा. मजूमदार के अनुसार एक प्रजाति के लोगों का एक

2 'If a group of people can by their possession of a number of common physical traits be distinguished from others even if the members of this biological group are widely scattered they form a race. The racial differences must be based on significant 'hereditary traits not affected by any environmental influences.'

Majumdar D N Ibid p-44

3 दुबे श्यामाचरण मानव और संस्कृति पृ 52।

स्थान पर बसा होना प्रजाति का अनिवार्य लक्षण नहीं है।

प्रजाति और जाति में अन्तर — दोनों शब्द मानव समूहों का बोध कराते हैं परन्तु फिर भी इनमें अनेक बातों में भिन्नता है।

(1) प्रजाति की धारणा जैविक है आनुवंशिक है जबकि जाति सामाजिक सांस्कृतिक समूह है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें अन्तर्विवाह और भोजन तथा व्यावसायिक प्रतिबन्ध जैसी सांस्कृतिक विशेषताएँ मिलती हैं।

(2) जाति का निश्चय जन्म से होता है जबकि प्रजातियों का निश्चय वशागत शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है।

(3) प्रजाति पर्यावरण द्वारा अप्रभावित रहती है जबकि पर्यावरण में परिवर्तन होने से जाति में अनेक परिवर्तन आ गये हैं। उदाहरणार्थ परम्परागत पौतुक व्यवसाय खानपान और स्पर्श प्रतिबन्ध सबधी जाति के लक्षण नष्ट हो रहे हैं।

(4) प्रजाति की रक्षा के लिए प्रजाति का अपना कोई संगठन नहीं है लेकिन जाति में नियमों की रक्षा के लिए जाति पचायत नाम का संगठन पाया जाता है।

(5) जातियों ने जातिवाद के सकीर्ण विचार को जन्म दिया है और प्रजातियों ने प्रजातिवाद नामक सकीर्ण भावना को जन्म दिया। प्रजातिवाद का शिकार कई देश हैं लेकिन जातिवाद का शिकार केवल भारत देश है।

(6) प्रजातियों सारे विश्व में फैली हैं जबकि जातियों केवल भारत की ही देन हैं।

(7) जातियों में प्रजाति तत्त्व है। कुछ विद्वान जाति की प्रजातीय उत्पत्ति में विश्वास रखते हैं। प्रजाति की जातीय उत्पत्ति की बात कोई नहीं करता है। प्रजातीय मिश्रण और कुलीनता के आधार पर जाति बनने की बात की जाती है।

(8) आज निम्न जातियों अपना प्राचीन स्वरूप बदल रही हैं पर प्रजाति का स्वरूप अपरिवर्तित है। प्रजातीय मिश्रण से कोई प्रजाति अपना शुद्ध रूप खो सकती है और नवीन प्रजाति को जन्म दे सकती है लेकिन एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का रूप धारण नहीं कर सकती। निम्न जातियों सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा अपना प्राचीन स्वरूप बदल रही हैं।

(9) जातियों में पवित्रता और अपवित्रता के विचार से जनित श्रेष्ठता व हीनता की भावना मिलती है जबकि प्रजातियों में रंग अथवा अन्य वशागत शारीरिक लक्षणों के आधार पर श्रेष्ठता व हीनता सबधी विचार पाये जाते हैं।

(10) यदि व्यक्ति जाति के नियमों को तोड़ता है तो उसे जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है। ध्यान रहे प्रजाति में बहिष्कार के लिए स्थान नहीं है।

भारत की प्रजातीय रचना — भारत की जनसंख्या में कौन-कौन सी प्रजातियों उपस्थित हैं और उनका फैलाव कहाँ-कहाँ है ? इसका उत्तर देना

थोडा कठिन अवश्य है। कठिनाई यह है कि भारतवर्ष में समय-समय पर अनेक प्रजातियाँ आती रही हैं और उनमें मिश्रण भी हुआ है जिससे यहाँ किरासी भी प्रजाति का शुद्ध स्वरूप नहीं मिल पाता। यहाँ पर सब प्रजातियों ने अपना स्वतंत्र और सही रूप खो दिया है। फिर भी नीचे कुछ उन प्रजातियों का परिचय और फैलाव प्रस्तुत किया जा रहा है जो भारत की जनसंख्या का आधार हैं।

(1) **द्रविड (Dravidian)**- कद छोटा और रंग काला होता है। बाल लहरदार तथा अधिक होते हैं। नाक चौड़ी सिर लम्बा और आँखें गहरी काली होती हैं। इनका फैलाव लका से गंगा घाटी तक है। ये हैदराबाद मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग मद्रास और छोटा नागपुर में बसे हुए हैं।

(2) **मंगोलायड (Mongoloid)**- सिर चौड़ा त्वचा का रंग पीला या भूरा, नाक छोटी कद छोटा होठ साधारणतया मोटे और ठोड़ी गोल आदि मंगोल प्रजाति के लक्षण हैं। भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रजाति का फैलाव है।

(3) **इण्डो-आर्यन**- लम्बा कद रंग साफ आँखें काली सिर नाक पतली और ऊँची होठ पतले चेहरे पर घने बाल आदि से पहचाने जाते हैं। नार्डिक प्रजाति के जो लोग भारत आये उन्हें इण्डो-आर्यन कहा जाता है। ये मुख्यतः पंजाब कश्मीर और राजपूताना में पाये जाते हैं।

(4) **नीग्रिटो**- मजूमदार के अनुसार ऊँचा सिर खड़ा माथा छोटा और चौड़ा मुख होठ मोटे कंधे तग धड़ छोटा कटि प्रदेश ऊँचा टोंगे छोटी लम्बी भुजाएँ शरीर का रंग गन्दा पीला आदि इनकी प्रजातीय विशेषताएँ हैं। बौनापन इनकी प्रधान विशेषता है। अण्डमान द्वीप इनका प्रमुख निवास स्थान है। डा बी एस गुहा ने मध्य तथा दक्षिण भारत की आदिम जातियों में इस तत्त्व की प्रमुखता स्वीकार की है।

(5) **भूमध्य सागरीय (Mediterranean)**- इस प्रजाति के लोगों का कद बहुत लम्बा नहीं होता। सर लम्बा होठ पतले और मुँह चौड़ा होता है। सर के बाल घुंघराले तथा रंग में हलके भूरे होते हैं। त्वचा का रंग हलका भूरा होता है। भारत के उत्तरी भाग में मिलते हैं।

(6) **अल्पाइन (Alpine)** चौड़ा सर इस प्रजाति का प्रमुख लक्षण है। सर आकार में गोल और माथा ऊँचा होता है। नाक छोटी परन्तु ऊँची होती है। इनकी खाल पीलापन लिए हुए भूरे रंग की होती है। शरीर का कद मझोला होता है।

(7) **प्रोटो आस्ट्रोलायड (Proto-austroloid)**- सर लम्बा कद छोटा बाल घुंघराले त्वचा का रंग चमकलेटी नाक चौड़ी तथा जड़ पर दबी हुई और होठ मोटे इनकी पहचान है। आँखों का रंग काला-भूरा होता है। ये विन्ध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं।

भारत में प्रजाति वर्गीकरण — भारतवर्ष में प्रजाति तत्त्व की खोज करने वालों में रिजले महोदय का नाम प्रथम है। प्रजातियों का कोई लिखित

इतिहास उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने मानवमिति (Anthropometry) का आश्रय लिया और भारत की प्रजातियों का अधोलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आपने भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों को तीन वर्गों में रखा है। (1) द्रविडियन (2) इण्डो-आर्यन और (3) मंगोलियन। इन तीनों के मिश्रण के आधार पर तीन मिश्रित प्रजातियों का उल्लेख भी आपने किया है।

(1) मंगोलो-द्रविडियन (Mongolo-Dravidian)

(2) आर्यो-द्रविडियन (Aryo-Dravidian)

(3) सीथो-द्रविडियन (Scytho-Dravidian)

आजकल उत्तर प्रदेश में आर्यो-द्रविडियन बंगाल में मंगोलो-द्रविडियन और महाराष्ट्र में सीथो-द्रविडियन मिश्रित प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

रिजले के बाद हैडन हटन एव गुहा ने भी इस दिशा में सराहनीय एव महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। हैडन कृत वर्गीकरण इस प्रकार है।

(1) प्राग-द्रविड (2) द्रविड (3) इण्डो-आर्यन (4) इण्डो-अल्पाइन और (5) मंगोलायड ।

हटन के अनुसार यहाँ निम्नलिखित प्रजातीय तत्त्व पाये जाते हैं।

(1) नीग्रिटो (2) प्रोटो-आस्ट्रोलायड (3) मेडिटेरानियन (4) अल्पाइन प्रजाति के आर्मीनायड (5) मंगोलायड और (6) इण्डो-आर्यन ।

गुहा के अनुसार भारत में निम्नलिखित प्रजातियाँ हैं—

(1) नीग्रिटो (2) प्रोटोआस्ट्रोलायड (3) मंगोलायड

(अ) प्राचीन मंगोलायड

(1) लम्बे सर

(11) चौड़े सर

(ब) तिब्बती मंगोलायड (4) मेडिटेरानियन

(5) पश्चिमी चौड़े सर वाले (Western Brachycephals)

(क) अल्पाइन (ख) डिनारिक (Dinaric)

(ग) आर्मीनायड

(6) नार्डिक अथवा इण्डो आर्यन ।

उक्त प्रजातीय विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ किन-किन प्रजातियों के लोग कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं और इन प्रजातियों के लक्षण क्या हैं? इसके साथ ही यह भी जानकारी हो जाती है कि यहाँ प्रजातियों का मिश्रण अधिक हुआ है जिसके कारण किसी भी प्रजाति का अपने विशुद्ध रूप में मिल सकना यहाँ कठिन है।

सांस्कृतिक विश्लेषण

संस्कृति की धारणा (Concept of culture)—मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास संस्कृति होती है । मानवोत्तर प्राणियों में संस्कृति नहीं

होती। इसका अभिप्राय यह है कि सस्कृति मानव-निर्मित है। अन्य शब्दों में सस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है¹। पहले मनुष्य प्रकृति का दास था प्राकृतिक घटनाओं के अत्यधिक अधीन था। धीरे-धीरे वह इन प्रकृति के तत्त्वों पर विजय पाने में समर्थ हुआ और अब वह प्रकृति का उत्तरोत्तर स्वामी बनता जा रहा है। अब वह पहाड़ों के बीच सुरंग बनाकर रास्ता निकाल सकता है। बड़ी-बड़ी नदियों को पार करने के लिए उसने पुल बनाना सीख लिया है। बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए बाँध की व्यवस्था कर ली है। मनुष्य बाँध पर पहुँच चुका है। प्रकृति पर विजय पाने के अपने प्रयत्नों द्वारा मनुष्य ने अपनी सस्कृति का विस्तार किया है।

मनुष्य घर (मकान) बनाकर रहता है। पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। बहुत से जन्तु जमीन के अन्दर बिल बनाकर रहते हैं। मनुष्येतर जीवों में बिल बनाने अथवा घोंसला बनाने का गुण जन्मजात है जबकि मनुष्यों में घर बनाने की योग्यता जन्मजात न होकर सीखी हुई है। जब तक मनुष्य घर बनाने की कला सीखता नहीं है तब तक वह घर बनाने में असमर्थ रहता है लेकिन बया पक्षी जो सबसे सुन्दर घोंसला बनाता है घोंसला बनाना किसी से सीखता नहीं है। यह गुण उसमें सहज होता है। पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना सस्कृति का अंग नहीं है क्योंकि यह गुण उनमें जन्म से ही है जबकि मनुष्यों की घर बनाने की योग्यता सीखी हुई होने के कारण और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की क्षमता के कारण सस्कृति का अंग है। हाबेल राबर्ट वीरस्टेड जार्ज पीटर मरडाक आदि विद्वान इसीलिए सस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार मानते हैं। सस्कृति न तो जैविकीय विरासत का परिणाम है और न ही इसमें जैविकीय विरासत सम्मिलित है।

सस्कृति के प्रत्यय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मानवशास्त्रियों तथा समाज वैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाएँ उद्धृत की जा रही हैं।

मानवशास्त्रीय परिभाषाएँ

ई बी टायलर के अनुसार सस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अन्तर्गत ज्ञान विश्वास कला नैतिक आचरण कानून प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताएँ और आदत सम्मिलित रहती हैं जिन्हें समाज के सदस्यों के नाते मनुष्य ग्रहण करता है²।

हाबेल के अनुसार सस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो समाज के सदस्यों की विशेषताओं को प्रकट करता है और इस प्रकार

1- Culture is the man-made part of the environment - M J Heiskovits, Man and His works, p-17

2 Culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society -E B Tylor, Primitive Culture, p-1

जैविकीय विरासत का परिणाम नहीं होती'।

समाजशास्त्रीय परिभाषाएँ

रारबर्ट बीरस्टेड के अनुसार सस्कृति एक जटिल सम्पूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं कार्य करते हैं और समाज के सदस्य के नाते अपने पास रखते हैं⁴।

मैकाइवर और पेज के अनुसार सस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला में साहित्य में धर्म में मनोरंजन तथा आमोद—प्रमोद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है⁵।

उक्त परिभाषाओं में हाबेल और बीरस्टेड की परिभाषाएँ सत्य के अधिक निकट हैं सस्कृति की सही धारणा स्पष्ट करने में सहायक हैं। बीरस्टेड की परिभाषा में सस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों का समावेश है। हाबेल की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में यह संकेत करती है कि सस्कृति जन्मजात न होकर सीखा हुआ व्यवहार है। सीखा हुआ व्यवहार होने के कारण सस्कृति मनुष्य निर्मित है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होने का गुण भी इसमें है। यह सामूहिक भी है। सस्कृति की उक्त अनिवार्य विशेषताएँ हाबेल की परिभाषा में हैं अतः यह परिभाषा अच्छी है। टायलर की परिभाषा का दोष यह है कि इसमें सस्कृति के भौतिक पक्ष का समावेश नहीं है। मैकाइवर और पेज की परिभाषा में दो तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। (1) सस्कृति एव व्यक्तित्व में गहरा संबंध है। (2) जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति सस्कृति की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

उद्धृत परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सस्कृति वह समग्रता है जिसमें साहित्य भाषा विज्ञान कला नैतिकता धर्म विश्वास, कानून प्रथाएँ जनरीतियाँ परम्पराएँ रूढ़ियाँ तथा समस्त भौतिक उपकरण जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है आदि सब सम्मिलित हैं।

3 "Culture is the sum total of integrated learned behaviour patterns which are characteristic of the members of a society and which are therefore not the result of biological inheritance

E A Hoebel Man in the Primitive World P-7

4 'Culture is the complex whole that consists of everything we think and do and have as member of society '

Robert Bierstedt The Social order, p-129

5 'Culture is the expression of our nature in our modes of living and of thinking, in our every day intercourse in art in literature in religion, in recreation and in enjoyment '

Maciver and page society

(1) **अनेकता**—जलवायु वातावरण आवश्यकताओं सोचने विचारने के ढंगो व्यवहार विधियों आदि में भिन्नता के कारण प्रत्येक देश की संस्कृति भिन्न होती है। भारत की संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में विशिष्ट स्थान रखती है। विविधता इस संस्कृति की विशेषता है। यहाँ की संस्कृति में भिन्न भारतीय तत्त्वों का प्रवेश भी है। इसका कारण समय—समय पर यहाँ विदेशियों का बराबर आना जाना है। भारत को विविध समाज (Plural Society) कहा जाता है। इसी विविधता के कारण कोई भी विदेशी भारतीय समाज को जब तक वह गहराई में नहीं जाता है एक समाज न मानकर समाजों का समूह मानने की भूल कर बैठता है। जाति प्रजाति भाषा धर्म ईश्वरपरक विश्वास खान—पान विवाह रहन—सहन वशाभूषा आदि की भिन्नता यहाँ पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है।

(2) **अनेकता में एकता**—अनेकता में एकता के प्रत्यय द्वारा भारतीय समाज में उपस्थित भिन्नता के मध्य एकता एव सगठन की स्थिति का बोध कराया जाता है। यहाँ व्याप्त विविधता का यह अर्थ नहीं है कि भारतीय समाज असंगठित है एकीकृत नहीं है। भेदों के रहते हुए भी अभेद की स्थिति है। जो भी अन्तर अथवा भेद है उन भेदों को मिटाकर एकता प्रदान करने वाले (सबको एकसूत्र में बाँधने वाले) तत्त्व भी यहाँ उपस्थित हैं। एकता प्रदान करने वाला पहला तत्त्व है हिन्दुत्व अथवा भारतीयत्व । बाहरी आक्रमण के समय भिन्न—भिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न विचारधाराओं एव विश्वासों के पोषक व्यक्ति समस्त भेदों को भूलकर एक हो जाते हैं सगठित अथवा एक होकर बाहरी आक्रमण का मुकाबला करते हैं । पाकिस्तान एव चीन से हुए युद्ध के समय हमने इस एकता का परिचय दिया है। प्रथम अध्याय में तमिल प्रदेशी और बिहार प्रान्त के निवासी का उदाहरण देकर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि तमिल प्रदेशी और बिहारी सामाजिक सांस्कृतिक बातों में काफी असमान हैं फिर भी भारत की सीमा के बाहर जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो समस्त अन्तरो को भूल जाते हैं और इस आधार पर वे एक हो जाते हैं कि वे हिन्दू हैं अथवा भारतीय हैं। उदारता नामक तत्त्व भिन्न—भिन्न लोगों को अपनी भिन्नताओं के सहित साथ—साथ रहने देने का अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार भिन्न—भिन्न धाराओं में बहने वाले लोगों में एकता बनाए रखता है। समन्वय की भावना का जनक उदारभाव है। भारतीय समाज की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास आगे किया जायेगा कि किस तरह भारतीयों ने समन्वय द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कर्म के सिद्धान्त पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सामान्य तत्त्वों के आधार पर भी सभी हिन्दू एक हैं। बौद्ध और जैन लोग भी जो नास्तिक हैं कर्म पुनर्जन्म एव मोक्ष में विश्वास रखते हैं। आस्तिक हिन्दू भी उक्त बातों को मानते हैं। अस्तु कर्म मोक्ष तथा पुनर्जन्म की धारणाएँ सभी हिन्दुओं को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करती हैं। यहाँ अनेकता में एकता वैसे ही है जैसे सूत्र में परोएँ मूँगे अलग—अलग

अस्तित्व रखते हुए भी अलग नहीं है।

(3) **समन्वयात्मकता**— भारतीय समाज में समन्वय का अदभुत गुण उपस्थित है। सबको एक में समेटने का अच्छा प्रयास यहाँ देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि भारतीय सघर्ष से बचने का प्रयत्न करता है। सघर्ष की स्थिति न आने देने के लिए हिन्दू सदा प्रयत्नशील रहा है। यदि उसने सघर्ष का रास्ता अपनाया होता तो जैसे विश्व की अनेक संस्कृतियाँ उदय होकर अस्त हो गईं भारतीय संस्कृति भी उन्हीं की तरह नष्ट हो जाती। हमारी संस्कृति हजारों वर्षों से गुजरने के बाद भी बनी हुई है इसका रहस्य सघर्ष के स्थान पर प्रेम आत्मीयता एवं भाईचारे जैसे तत्वों को अपनाने में छिपा है। भिन्न एवं विरोधी तत्वों को एक सूत्र में बाँधने में बिखराव का डर बना रहता है। कभी-कभी असंगठन की स्थिति भी उभर सकती है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी हिन्दुओं को सर्वसमावेशन के कार्य में काफी सफलता मिली। एकहि साधे सब सधै, सब साधे सब जाएँ इस उक्ति में भी वल है। जहाँ समन्वय से हमें फायदा हुआ है वही इसके नुकसानों को भी हम झेलना पड़ा है। नीचे हिन्दुओं की समन्वयात्मक प्रवृत्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

आर्य अनाय संस्कृति के संगम से समन्वय का आरम्भ हुआ। अनाय संस्कृति की बहुत सी बातों को आर्यों ने अपनी संस्कृति में लेपट लिया। अनायों को शूद्र बनाकर अपना बना लिया। इस पर भी जो शेष रह गये उन्हें पंचम वर्ण में स्थान देकर अपना लिया। पहले तीन पुरुषार्थ एवं तीन आश्रम थे। इसका कारण यह था कि आर्य वैराग्य पथी नहीं थे। प्रागार्यों बौद्ध एवं जैनियों की वैराग्य वृत्ति को आर्य संस्कृति में स्थान देने के लिए मोक्ष को चौथा पुरुषार्थ और संन्यास को चौथा आश्रम बना लिया। शकर जो प्रागार्य देवता कहे जाते हैं उन्हें अपने देवगण में सम्मिलित ही नहीं किया वरन् उन्हें देवाधिदेव के रूप में प्रतिष्ठित किया। आर्यों में जो वृक्षों और जन्तुओं की पूजा होती है, लगता है इसे आर्यों ने अनायों से ग्रहण किया है। सर्पों की पूजा के लिए हिन्दुओं में नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। पीपल एवं बरगद पूजने की प्रथा आज भी हिन्दुओं में विद्यमान है। जादू—टोना और पूजा—पाठ जैसे अनाय तत्वों को आर्यों ने स्वीकार कर लिया। प्रागार्य टोटमिक समूह जिन पशुओं जन्तुओं और पक्षियों को पूज्य समझते थे आर्यों ने अपनी संस्कृति में मिलाने के लिए उन्हें अपने देवताओं के वाहन के रूप में स्थान दिया। बैल शकर का वाहन है। चूहा गणेश जी की सवारी है। गरुण पक्षी विष्णु का वाहन बनाया गया। भैंसा को यमराज की सवारी घोषित किया गया। हंस सरस्वती जी का वाहन है। शेर की काली जी के वाहन के रूप में प्रतिष्ठा है।

मुसलमानों के आने से पहले भारत देश में धार्मिक—सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कार्य होते थे उन्हें हिन्दू कार्य माना जाता था। मुसलमान और ईसाई जब यहाँ आये तो जिस तरह अनायों से समन्वय और समझौता का प्रयास हिन्दुओं ने

किया था उसी तरह मुसलमानों एव ईसाइयों के साथ भी समझौता करने की कोशिश की और अपनी उदार भावना से उन्हें प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास किया। परन्तु खेद है कि हिन्दुओं को इस प्रयास में अधिक सफलता नहीं मिल पाई। इस असफलता का प्रथम कारण यह था कि मुसलमानों और ईसाइयों का धार्मिक सगठन सबल था। दूसरे वे लोग शासक थे। उक्त दोनों कारणों से जो कुछ भी समन्वय हुआ भी वह समन्वय न होकर मिश्रण मात्र रह गया और मुसलमानों तथा ईसाइयों की धार्मिक सांस्कृतिक बातों को पचाने में हिन्दू असमर्थ रहे। हिन्दुओं की उदारता का प्रभाव कुछ मुसलमानों पर अवश्य पड़ा जिससे वे हिन्दू देवी-देवताओं की भक्ति में कविता रचने लग जैसे रसखान रहीम आदि।

हिन्दू धर्म के विरोधी धर्म के रूप में जैन धर्म एव बौद्ध धर्म की ख्याति है क्योंकि जैन और बौद्ध लोग पूर्णतया अनीश्वरवादी हैं। इस विरोध के बावजूद भी हिन्दुओं ने इन धर्मों को अपने में समेटने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध को भगवान् विष्णु के चौबीस अवतारों में स्थान दिया गया।

(4) आध्यात्मिकता—आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। आध्यात्मिकता का सबंध परलोक से है। हिन्दू इस ससार से बाह्य एव परे सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करता है। इस सर्वोच्च सत्ता को हिन्दू ब्रह्म कहता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान त्रिकालज्ञ सर्वव्यापक सर्वाधार एव सर्वभूत नियता है। इस ब्रह्म को प्राप्त करने अथवा उसमें विलीन होने पर हिन्दू की निगाह टिकी रहती है क्योंकि वही उसका वास्तविक घर है। वही (ब्रह्म) पूर्ण है और मनुष्य जो उसका अंश है अपूर्ण है। अपूर्ण मनुष्य उसमें (ब्रह्म में) विलीन होने पर पूर्णता को प्राप्त होगा। मनुष्य रूपी अपूर्णता के ईश्वर रूपी पूर्णता में विलीन होने की स्थिति मोक्ष है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक नहीं है कि जहाँ हिन्दू आध्यात्मिकता पर बल देता है वही सांसारिक सत्ता (जगत्) के अस्तित्व को नकारता नहीं है। ससार को कालिक एव असीम (temporal and finite) मानता है तो ईश्वर को शाश्वत एव असीम (Eternal and infinite)। जगत् की वास्तविकता ब्रह्म से सबधित होने पर है। ब्रह्म से पृथक् होने पर जगत् अर्थहीन है। सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ब्रह्म साक्षात्कार का विधान यहाँ है।

(5) नैतिकता—नैतिक आचरण भारतीय संस्कृति की एक अन्य मौलिक विशेषता है। हिन्दू नैतिक नियमबद्ध अनुशासनबद्ध जीवन का हिमायती है। अहिंसा नैतिक जीवन का प्रथम एव महत्त्वपूर्ण पहलू है। जियो और जीने दो अहिंसा का मूलमंत्र है। अहिंसा संघर्ष पथ से दूर रहने की सलाह मनुष्य को देती है। यदि मनुष्य समाज और राष्ट्र के विकास के पथ अहिंसा के हो तो मनुष्य और मनुष्य समाज और समाज, मनुष्य और समाज राष्ट्र और राष्ट्र के बीच संघर्ष का प्रश्न ही न उठे और ये एक दूसरे के विकास में बाधक बनने के

बजाय साधक बने। डा राजेन्द्र प्रसाद के मतानुसार अहिंसा भारतीय संस्कृति का मूलधार है। अहिंसा परमो धर्म का आशय भी यही है। डा राजेन्द्र प्रसाद जी लिखते हैं कि जहाँ—जहाँ हमारे नैतिक सिद्धान्तों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा सकल्प त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। अपनी अहिंसा अथवा त्यागमयी भावना के कारण यहाँ भिन्न—भिन्न धर्म सम्प्रदाय एवं विचारधाराएँ अपने—अपने रास्ते बिना रोकटोक के बहते हुए पनपते रहे। हमने इसी कारण भिन्न संस्कृतियों को अपने में मिलाया और उनमें अपने को मिलने दिया।

यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज अन्याय एवं शोषण के दुर्गुणों से मुक्त रहे तो हमें नैतिक चेतना का आश्रय लेना पड़ेगा जिसमें वैयक्तिक लाभ एवं भोग की भावना गौण है और वैयक्तिक त्याग तथा सामाजिक कल्याण की भावना मुख्य है। वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा भाव पर जोर देने से व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की निर्बाध सिद्धि होगी इसमें जरा भी संशय का स्थान नहीं है। किसी कार्य करने के पीछे निहित भावना का बड़ा असर हुआ करता है और बड़े परिणाम भी होते हैं। जब व्यक्ति सब कुछ अपने—अपने लिए करते हैं तो उसमें संघर्ष का भय सदा बना रहता है और जब वह परोपकार की भावना से (दूसरों के ख्याल से) सब कुछ कर रहा है तो संघर्ष नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और जो कुछ कर रहा है वह दूसरों के लिए।

(6) धर्म अथवा आचार संहिता— सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था अथवा आचरण के नियम—समूहों को धर्म की सजा दी गयी। भारतीय संस्कृति का प्राण धर्म है। धर्म कर्तव्यों की एक व्यवस्था भी है। धर्म करणीय कार्य है। यह भारतीय संस्कृति के मूलधारों में सबसे प्रबल और प्रभावक तत्त्व है। धर्म के माध्यम से मनुष्य के कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मनुष्य के लिए निर्धारित कर्तव्यों का नाम मानव धर्म रखा गया। मनुष्य—मनुष्य है इसलिए मनुष्य होने के नाते उसे कुछ कर्तव्य करने हैं। परन्तु हर मनुष्य समाज में अलग—अलग पदों और ओहदों पर है। इन आहदों से संबंधित कार्य विशिष्ट धर्म की कोटि में स्थान पा गये। विशिष्ट धर्म को गीता में स्वधर्म कहा गया है। गीता ने व्यक्ति को स्वधर्म पालन की शिक्षा दी है (स्वधर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयावह)। धर्म व्यवस्था कर्तव्य विभाजन की व्यवस्था है।

(7) पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धान्त— पुनर्जन्म में विश्वास हमारी संस्कृति का प्रमुख तत्त्व है। पुनर्जन्म इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जीवन श्रृंखलामय है। यह जीवन सब कुछ नहीं है। इसके पहले न जाने कितने जीवन आए होंगे और न जाने कितने बाद में होंगे। इसकी कड़ियाँ अनन्त हैं। पता नहीं कब से हम कर्म करते चले आ रहे हैं और न जाने कब तक कर्म करते रहेंगे।

श्रृंखला का अन्त तभी होगा जब हम ऐसे कार्य करेंगे जा अनासक्त होंगे। काम्य कर्मों से हम कर्म बन्धन में बँधते रहेंगे और बार-बार जन्म (पुनर्जन्म) लेते रहेंगे और जीवन श्रृंखला की कड़ियों को बढ़ाते चले जायेंगे। जीवन श्रृंखला की कड़ियाँ यदि कट सकती हैं तो निष्काम कर्मों से क्योंकि निष्काम कर्म ब्रह्म से सक्षात्कार कराने वाले माने जाते हैं।

(8) गतिशीलता— गतिशीलता के गुण के कारण भारतीय संस्कृति नष्ट होने से बची रही। हमारी संस्कृति स्थिर नहीं है। हमारी संस्कृति के आन्तरिक तत्त्व अत्यधिक प्रभावित नहीं हुए लेकिन इसके बहुत से बाहरी तत्त्व विदेशी संस्कृतियों के सम्पर्क में आने से रूपान्तरित हो गये जैसे पारिवारिक आदर्श एव मूल्य वैवाहिक एव जातिगत मान्यताएँ पहनावा रहन-सहन भोजन सबधी रीति-रिवाज जनरीतियाँ प्रथाएँ अन्धविश्वास एव धर्मगत कट्टरता आदि। उत्तर वैदिक महाकाव्य एव स्मृतिकाल में वैदिक संस्कृति अपने मौलिक रूप से भिन्न हो गई। मनु ने जिस ब्राह्मण सांस्कृतिक प्रतिमान को प्रस्तुत किया वह भी रूपान्तरित हुआ। ग्रीक वेक्टोरियन कुशाण शक हूण गुर्जर मुसलमान पुर्तगाली फ्रांसीसी और अंग्रेज आदि विदेशी इस देश में आये हैं। इनकी संस्कृति का प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा है। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने हिन्दू धर्म को स्वीकार किया और अपने योगदान द्वारा हिन्दू संस्कृति को प्रभूत मात्रा में प्रभावित किया। ईसाई और इस्लाम संस्कृतियों ने हमारी संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है, फिर भी इनके प्रभाव से हमारी संस्कृति के मूल तत्त्व अप्रभावित रहे। हमने इनके कुछ सांस्कृतिक तत्त्वों को अपनी संस्कृति में अनुग्रहण कर लिया। भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृतियों के जिन तत्त्वों को अपनाया उन्हें अपने तरीके से तोड़-मरोड़कर ग्रहण किया और अपनी मौलिक विशेषताओं को इनके प्रभाव से लगभग मुक्त रखा। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी अपने गौरव के साथ जीवित है।

गुप्तकाल में हमारी संस्कृति अधिक समुन्नत हुई। कला एव साहित्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई। संस्कृति भाषा को पुनः आदर मिला। बुद्ध सूर्य आदि की मूर्तियाँ और अजन्ता की गुफाओं में बने चित्र इस युग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। गणित ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए। वेदान्त पर अपने भाष्य द्वारा शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया और चारों दिशाओं में हिन्दू धर्म का झंडा फहराया। धार्मिक सहिष्णुता गुप्त युग की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिन्दू धर्म में मत-मतान्तरों की बाढ़ आ गई जिनकी प्रतिक्रिया आगामी युग में हिन्दू संस्कृति के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। खजुराहो तथा कोणार्क के मन्दिरों की काम प्रदीप्त करने वाली मूर्तिकला के रूप में यौन विकार अपने शिखर पर पहुँच गया। सन्यास के उपदेश द्वारा यौन विकृति के विकास के विरुद्ध चेतावनी दी गई।

इस्लाम की विजय से यहाँ मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई जिससे हिन्दू

धर्म एव सांस्कृति को गहरा आघात पहुँचा। हिन्दुआ को जबरन मुसलमान बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। कुछ हिन्दू मुसलमान बन गये लेकिन हिन्दुआ ने मुसलमानों की इस प्रवृत्ति का डटकर यहाँ तक कि जीवन मूल्य चुकाकर विरोध किया। जिन लोगों को मुसलमान बनाया जाता था उन्हें हिन्दू धर्म में वापस नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण सांस्कृति का रुख निम्न जातियों के प्रति इतना खराब था कि वे इस्लाम धर्म अंगीकार करने को विवश हो चुकी थी। इस्लाम धर्म में हिन्दुओं के दीक्षित होने की प्रक्रिया का असर यह हुआ कि हिन्दू धर्म एव सांस्कृति रूढ़िवादी हो चली। राजाराम माहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती महादेव गोविन्द राणाडे रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द रवीन्द्र नाथ ठाकुर स्वामी रामतीर्थ और श्रीमती एनी बेसेंट आदि समाज-सुधारकों एव धर्म-सुधारकों के उपदेशों एव प्रयत्नों के फलस्वरूप भारतीय सांस्कृति की आत्मा एक बार पुनः जागी। इन महात्माओं ने भारतीय सांस्कृति का पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार के फलस्वरूप हिन्दू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता अन्धविश्वास आदि समाप्त हो गये। साथ ही मुसलमानों और ईसाई बने लोगों को यदि वे चाहें तो हिन्दू धर्म में फिर से लौट आने देने की व्यवस्था का सूत्रपात हुआ।

उक्त विशेषताओं से यह भ्रम निर्मूल सिद्ध हो जाता है कि भारतीय सांस्कृति मिली-जुली सांस्कृति है अथवा इस सांस्कृति में अपना कुछ नहीं है। अन्य सांस्कृतियों के लगातार सम्पर्क में रहने पर भी यह अपने मौलिक लक्षणों से युक्त है। इसके आधार एव सिद्धान्त नहीं बदले हैं केवल बाहरी तत्वों में थोड़ा बहुत हेर-फेर हुआ है।



अध्याय 3

वर्ण व्यवस्था

The Fourfold varna hierarchy

हिन्दू व्यवस्थाकारो ने समाज और व्यक्ति के जीवन की व्यवस्थाओ का नेर्माण करते समय सामाजिक विकास और वैयक्तिक विकास पर अधिक ध्यान देया। वर्ण व्यवस्था का सबध सामाजिक विकास से है। आश्रम योजना व्यक्ति के विकास से सबधित है। व्यक्ति और समाज के विकास मे कही पर भी सघर्ष न हो इसका ध्यान रखा गया। द्वन्द्व एव सघर्ष से बचने के लिए ही कर्त्तव्य विभाजन के आधार पर समाज का चार वर्णों मे विभाजन मिलता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सभी मनुष्यो की रुचि सभी कामो मे नही होती है। रुचि और स्वभाव के अनुकूल कर्म विभाजन की व्यवस्था वर्णों मे मिलती है। सबका काम बँटा होने पर भी समाज का सचालन सबके सम्मिलित कार्य पर आधारित है। कार्य दृष्टि से सभी वर्ण एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के सहायक हैं। किसी का भी मूल्य दूसरे से कम नही है। यहाँ आचार एव कर्म को महत्त्व दिया गया है।

वर्ण एव वर्ण व्यवस्था का अर्थ— वर्ण शब्द वृ धातु से बना है जिसका अर्थ है वरण करना चुनना चयन करना आदि। अत वर्ण का सम्बन्ध पेशो के चयन से है। कुछ विद्वान वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों और अनार्यों के मध्य अन्तर करने के लिए हुआ ऐसा मत व्यक्त करते है। वर्ण से रग का भी आशय लिया जाता है। हिन्दू समाज व्यवस्था मे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्गों को समझने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। इन चारो के कर्त्तव्य और स्थान निश्चित करने वाली व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया है।

वर्ण की उत्पत्ति

वैदिक मत— वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सबधी विचार हिन्दू ग्रन्थो मे मिलते है। हिन्दू साहित्य पर विचार करते ही सर्वप्रथम ध्यान वैदिक साहित्य की ओर जाता है। सबसे पुरातन वेद ऋग्वेद मे वर्ण की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पुरुष सूक्त मे उद्धृत एक मन्त्र मे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रो की उत्पत्ति क्रमश विराट पुरुष के मुख बाहु जघा और पैर से हुई ऐसा उल्लिखित है। शरीर व्यवस्था में मुख, बाहु जघा और पैर के कार्य व स्थान

1 ब्राह्मणाऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य कृत ।

ऊरु तदस्य वद्वैश्य पदभ्या शूद्रोऽजायत ॥ ऋग्वेद 10/90/12

भिन्न-भिन्न है। इसी तरह समाज व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का कार्य व स्थान भिन्न-भिन्न हैं। मुख का स्थान सर्वोपरि है। समाज व्यवस्था में ब्राह्मण शीर्षस्थ है। मुख बोलने का स्थान है अर्थात् मुख से बोलने का कार्य सम्पन्न होता है। समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों के कार्य मुख-कार्य के सदृश हैं। ब्राह्मणों के मुख्य कार्य पढ़ाना और यज्ञ कराना है। जैसे मुख के पश्चात् स्थान बाहुओं का आता है और बाहु का कार्य शक्ति प्रदर्शित करने और शरीर की रक्षा करने का है वैसे ही समाज में क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मण से निम्न है और समाज की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। बाहु के पश्चात् जघा का स्थान है। जघाओं का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ पेट (उदर) से लिया गया है। पेट का कार्य खायी हुई सामग्री को पचाकर रक्तादि में परिवर्तित कर समस्त शरीर को पोषित करना है। समाज में वैश्यों का स्थान क्षत्रियों के पश्चात् आता है और उनका कार्य समाज के पोषण से संबंधित है। इसलिए गोपालन कृषि और व्यापार वैश्य के कर्म ठहराय गया। शरीर में पैरों का स्थान सबसे निम्न है। पैरों से उत्पन्न शूद्रों का स्थान भी वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न है। पैर बिना किसी ईर्ष्या अथवा द्वेष के समस्त शरीर की सेवा करते हैं। उदाहरणार्थ नाटक देखने अथवा भाषण सुनने के लिए पैर आँख और कान को इनके वांछित स्थान तक ले जाते हैं। नाटक देखने और भाषण श्रवण करने का आनन्द पैरों को न मिलकर क्रमशः आँख और कान को मिलता है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य (इन तीनों वर्णों) की सेवा सुश्रूषा करना बताया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के स्थान व कार्य शरीर के जिन अंगों से वे उत्पन्न हुए हैं उनके तुल्य हैं।

उपनिषदों का मत—उत्तर वैदिक साहित्य में भी वर्णात्पत्ति विषयक विचार उपलब्ध हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में उल्लेख है कि आरम्भ में एक ब्रह्म ही था। पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था। वह ब्रह्म क्षत्रियादि पालन कर्त्ता से शून्य होने के कारण विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने श्रौयो रूप क्षत्र (अर्थात् क्षत्रिय जाति) की रचना की। अर्थात् देवताओं में जो इन्द्र वरुण सोम रुद्र यम मृत्यु और ईशानादि हैं उन्हें उत्पन्न किया। वह ब्रह्म फिर भी विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। अतः उसने वैश्य जाति की रचना की। अर्थात् वसु रुद्र, आदित्य विश्वेदेव और मरुत् इत्यादि को उत्पन्न किया। फिर भी वह विभूतियुक्त कार्य करने में समर्थ नहीं हुआ तो उसने शूद्र वर्ण की रचना की। इसके बाद भी जब वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ तब उसने अतिशय श्रेयोरूप धर्म को रचा। यह जो धर्म है क्षत्रिय का भी नियंता है अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार दैवी वर्णों से मृत्युलोक (पार्थिव ससार) के इन वर्णों की उत्पत्ति हुई।²

2 'The earthly varnas are in the opinion of Brihadaranyakopanishad thus created out of these divine varnas'
P. H. Prabhu, Hindu Social Organization, Popular Prakashan, Bombay 1963, Page-292

महाभारत का मत— महाभारत महाकाव्य के शान्तिपर्व में भृगु और भरद्वाज के सम्वाद द्वारा वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। प्रारम्भ में इस विश्व में केवल एक वर्ण था। कर्म—क्रिया के विभेद के आधार पर वर्ण—चतुष्टय की सृष्टि हुई। ब्राह्मणों का रंग सफेद था। क्षत्रियों का लोहित वैश्यों का पीत (पीला) और शुद्रों का रंग असित (काला) था। भरद्वाज जी ने कहा कि संसार में बहुत से प्राणी हैं और उनके रंग भी विविध हैं। फिर इन चार प्रकार के रंगों की कोटियों में तो इन नाना प्रकार के रंग वाले मनुष्यों को रखना बहुत मुश्किल कार्य रहा होगा। इसका उत्तर भृगु इस प्रकार देते हैं। पहले वर्णों में कोई अन्तर नहीं था। समस्त विश्व ब्राह्मणमय था। बाद को कर्म भेद से द्विजों (ब्राह्मण) में वर्ण भेद हो गया³। जो द्विज ब्राह्मणोचित कर्मों का त्यागकर विषय भोग में आसक्ति रखने लगे तीखे स्वभाव, क्रोध और साहस आदि से युक्त थे जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए। वे द्विज जिहान पशुपालन खेती आदि की वृत्ति अपना ली तथा जिनके रंग पीले पड़ गये थे और जिन्होंने ब्राह्मणों के लिये निर्धारित धर्म को छोड़ दिया था वे वैश्वभाव को प्राप्त हुए। पुनः वे ब्राह्मण जो असत्य बोलने लगे शौच परिश्रुष्ट हो गये भक्ष्याभक्ष्य का विचार छोड़ दिया लोभी बन गये जीविका के लिए सभी प्रकार के निन्द्य साधनों को अपनाया काले रंग से युक्त हो जाने के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो गये। इस प्रकार ये चार वर्ण हुए।

सृष्टा के अगो से भिन्न—भिन्न वर्णों के उत्पन्न होने का विचार महाभारत द्वारा भी पुष्ट किया गया है। अतः महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण दोनो भुजाओं से क्षत्रिय तथा दोनो ऊरुओं से वैश्य की सृष्टि हुई। इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के दोनो पैरों से शूद्र वर्ण की सृष्टि हुई।⁴ पृथ्वी पर धर्म काष की रक्षा शासन और दण्ड धारण धनधान्य द्वारा तीनों वर्णों के पोषण और तीनों वर्णों की सेवा के लिए क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि हुई⁵।

मनुस्मृति का मत— मनुस्मृति में भी शब्दान्तर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के क्रमशः सृष्टा के मुख बाहु ऊरु और पैरों से उत्पन्न होने के भाव की आवृत्ति हुई है⁶।

गीता का मत— श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यह बताया कि गुण—कर्म के भेद के आधार पर चारों वर्णों की सृष्टि मेरे

3 न विशेषादेस्ति वर्णान् सखे ब्राह्ममिद जगत्।

ब्राह्मणा पूर्व सृष्ट हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्॥ शान्ति पर्व 188/10

4 शा0 पर्व 72/45

5 शा0 पर्व 72/6-8

6 मनुस्मृति 1/31

7 अनेके सत्य वचन सविभाग क्षमा तथा।

प्रकृतं सदैव कारेणु सैकमद्रोह एव च॥

आर्जव भूत्यभरणं नवैते सार्ववर्णिका । शा0 पर्व 60/7-8

द्वारा ही की गई है (सातुवण्य मया सृष्ट गुण—कर्म विभागश)।

वर्ण धर्म— सारकृत भाषा का धर्म शब्द अनेकार्थी है। परन्तु यहाँ पर धर्म का आशय कम कर्तव्य अथवा करणीय कार्य है। कुछ धर्म सभी वर्णों के लिए है। इन्हे हम सामान्य धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। सामान्य कर्मों के अतिरिक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अलग-अलग विशेष धर्मों का भी उल्लेख धर्म ग्रन्थों में किया गया है। इन्हे विशिष्ट धर्म कहा जाता है।

सामान्य धर्म— सामान्य धर्म की कोई निश्चित सूची उपलब्ध नहीं है और न बनाई ही जा सकती है। फिर भी कतिपय सामान्य धर्मों का उल्लेख करना आवश्यक है। महाभारत में क्रोधाभाव सत्यवादन सविभाग (न्याय) क्षमा शौच (भीतर बाहर की शुद्धि) शत्रुता का अभाव (अद्रोह) स्व स्त्री से सतान उत्पन्न करना आर्जव (सरलता) आश्रित जनो का भरण—पोषण—ये नौ धर्म सभी वर्णों के लिए बताए गए हैं⁷। अहिंसा सच बोलना अस्तेय (बिना मागे किसी की वस्तु न लेना) शौच और इन्द्रिय—निग्रह आदि ये पाँच कर्म सभी वर्णों के लिए है ऐसा उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है।

ब्राह्मण के धर्म—पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना दान देना और दान लेना ये छ कर्म मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए निश्चित किए गए हैं।

अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा ।

दान प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु01 / 88

शान्त रहना, दमन तपस्या शौच क्षान्ति आर्जव (सरलता) ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य भाव से युक्त होना— ये ब्राह्मणों के स्वभावजनित कर्म हैं (गीता18 / 42)

क्षत्रिय—धर्म— प्रजा की रक्षा करना अध्ययन करना दान देना, यज्ञ करना और विषय भोगों से दूर रहना क्षत्रियों का कर्तव्य है (मनुस्मृति1 / 89)। शौर्य, बृद्धता और कौशल प्रदर्शित करना, तेज से युक्त होना युद्ध से न भागना दान देना और ईश्वर—भाव से सम्पन्न होना क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है (गीता18 / 43)।

वैश्य—धर्म— पशु पालन (गोपालन) यज्ञ करना, पढ़ना दान देना व्यापार करना सूद पर रुपया बँटना और कृषि करना वैश्य का काम है (मनुस्मृति1 / 90)। वाणिज्य, कृषि और गोपालन वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं (श्रीमद्भगवद् गीता18 / 44)।

शूद्र—धर्म— मनुस्मृति⁸ और गीता⁹ दोनों ग्रन्थों में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की परिचर्या (सेवा) करना शूद्र का एकमात्र कर्तव्य बताया गया है।

8 एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म सभादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां सुश्रुषामनसूयया ॥ मनुस्मृति1 / 91

9 परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।

वर्ण का आधार—कर्म या जन्म ?

कर्म से वर्ण—निश्चय— वर्ण का आधार क्या था ? अथवा किसी व्यक्ति के वर्ण का निश्चय किस आधार पर होता था ? यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था स सबधित ज्ञान प्रदान करने वाले हिन्दुओं के सभी ग्रन्थों में लगभग यह विचार व्यक्त किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के वर्ण को उसके कर्मों से जाना जा सकता है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण—कर्म विभागश — गीता के इस वाक्य से तो स्पष्ट है कि वर्ण का आधार गुण और कर्म हैं। एक वर्णमिद पूर्व विश्वमासीद् युधिष्ठिर। कर्म—क्रिया विभेदन चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठितम् ।। - महाभारत का यह श्लोक भी इसी बात की पुष्टि करता है कि वर्ण का आधार कर्म है। जन्मना जायते शूद्र सस्काराद् द्विज उच्यते - इससे भी यही प्रमाणित होता है कि सस्कार (कर्मों) से व्यक्ति को वर्ण प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्ण—परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वर्ण का आधार कर्म है जन्म नहीं। क्योंकि यदि वर्ण का आधार जन्म होता तो वर्ण परिवर्तन संभव न होता। जहाँ कहीं समूह या वर्ग की सदस्यता जन्मजात होती है वहाँ पर व्यक्ति उस समूह या वर्ग का सदस्य जीवन पर्यन्त रहता है। उसकी सदस्यता सदकर्मों या व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर बदली नहीं जा सकती है। वर्णों में परस्पर आन जाने पर रोक न लगने के कारण वर्ण परिवर्तन संभव हुआ। हिन्दू धर्मग्रन्थों में वर्ण—परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन वे अपने अच्छे कर्मों से ब्राह्मण बन गये। द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा आदि जो कौरव की सेना के सेनापति थे जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन अपने-अपने कर्मों से क्षत्रिय कहलाये। मुदगल क्षत्रिय से उत्पन्न मुदगत्य परिवार के लोग ब्राह्मण बन गये¹⁰। इन उपरोक्त उदाहरणों से यही संकेत प्राप्त होता है कि वर्ण का आधार कर्म था।

कर्म को आधार मानने में कठिनाइयों— ध्यान रहे कर्म को वर्ण का आधार मानने पर अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं। अगर कर्म वर्ण का आधार है तो सर्वप्रथम कठिनाई तो यह उत्पन्न होती है कि कर्मों का मापदण्ड क्या हो ? इसके अलावा इसका निर्धारण कौन करेगा कि किसके कर्म ब्राह्मण वर्ण में जाने के लायक हैं और किसके शूद्र वर्ण में जाने के लायक। गुण—कर्मों की परीक्षा के लिए एक समाज सम्मत कमेटी बना कर कर्म—निर्णय की समस्या का हल किया जा सकता है। परन्तु इस कमेटी द्वारा दिये गये कर्म—निर्णय को सभी व्यक्ति मानेंगे ही यह भी कम संभव है। क्योंकि कमेटी के लोग जिसे शूद्र वर्ण प्रदान करेंगे उसे उस कमेटी के विरोधी लोग उसे क्षत्रिय मानेंगे और कुछ लटस्थ जन उसे ब्राह्मण कहे। ऐसी स्थिति में तो एक ही व्यक्ति को कुछ लोग ब्राह्मण कहेंगे और कुछ शूद्र। यह स्थिति तो समाज के लिए हानिकारक है। फिर इसकी भी सम्भावना लेशमात्र है कि कर्म—निर्णायक—जन भय और लोभ

से विचलित नहीं होंगे। अतः जब कमेटी के लोग भय और लोभ से असपृक्त नहीं रह पायेंगे तो यह लगभग निश्चित ही है कि उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त वर्ण नहीं मिलेगा। और यह सर्वथा अवांछनीय है कि सही व्यक्ति को सही वर्ण न मिले। हिन्दू इतिहास में इसका कोई प्रमाण अथवा संकेत नहीं मिलता है कि बड़े पैमाने पर किरसी कमेटी द्वारा गुण कर्मों की परीक्षा करके व्यक्तियों को वर्ण दिये जाते रहे हों। इससे यही सिद्ध होता है कि वर्ण का आधार कर्म नहीं था।

प्रारम्भ मे शील, प्रतिभा एवं वैयक्तिक उपलब्धि से वर्ण निर्धारण— फिर वर्ण का आधार क्या हो ? इस प्रश्न के उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भ मे अपने वर्ण का निर्धारण व्यक्ति स्वयं अपने शील और व्यक्तिगत उपलब्धियों तथा प्रतिभा के आधार पर कर लेते थे लेकिन बाद मे वर्ण का आधार जन्म बन गया। प्रायः मनुष्यों मे यह साधारण प्रवृत्ति पाई जाती है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वे व्याकुल नहीं होते हैं जो अधिक मात्रा मे उपलब्ध हो अथवा जिसका महत्त्व उनकी दृष्टि मे न हो। प्रारम्भ मे इसी प्रवृत्ति के आधार पर वर्ण—निर्धारण हुआ होगा। जो लोग विद्वान और प्रतिभा सम्पन्न थे और जिनकी वेदो मे रुचि थी वे ब्राह्मण बन गये। जो साहसी थे शक्तिशाली थे और रण—कौशल मे दक्ष थे वे क्षत्रिय बन गये। जो लोग शेष रह गये वे वैश्य बन गये। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन आर्य वर्ण हैं। चौथा वर्ण अनार्यों का है। **जन्म से वर्ण निर्धारण—** प्रारम्भ मे इन तीनों वर्णों के लोग मेल से रहते रहे होंगे। कुछ काल के पश्चात् जब ब्राह्मण और क्षत्रियों का सम्मान समाज मे बढ़ा होगा तब सभी लोगों का ध्यान इन्हीं वर्णों को प्राप्त करने पर केन्द्रित हो गया होगा। ऐसी स्थिति मे ब्राह्मणो ने क्षत्रियों से सौँठ—गौँठ करके यह नियम बनाया होगा कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वही हो सकते हैं जो ब्राह्मण या क्षत्रिय माता—पिता से उत्पन्न हुए हों। क्षत्रियों के लिए ब्राह्मणो ने इस नियम को शिथिल कर दिया होगा अर्थात् क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाते रहे होंगे। कुछ काल तक तो ऐसी स्थिति रही होगी कि एक भाई क्षत्रिय हो और दूसरा भाई ब्राह्मण। परन्तु वैश्यों और शूद्रों के लिए नियम मे कोई शिथिलता नहीं की होगी। कालान्तर मे जब शास्त्र की भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न हो गई तो ब्राह्मणो ने क्षत्रियों से भी विभेद रच लिया और यह कठोर नियम बना दिया कि वर्ण का निर्धारण जन्म से होगा। कर्म को आधार मानने में जो कठिनाइयों उत्पन्न होती है जन्म को आधार मानने पर उनका निराकरण हो जाता है।

जन्म ही वर्ण—निश्चय का सही आधार— जन्म को आधार मानने से इसकी संभावना बढ़ जाती है कि योग्य व्यक्ति को ऊँचा वर्ण मिले और अयोग्य को निम्न वर्ण मिले। मनुष्य को बनाने मे उसके पर्यावरण और वशानुक्रमण का अभूतपूर्व योग होता है। इस बात की सम्भाना अधिक है कि ब्राह्मण की सतान में ब्राह्मणोचित गुण हो और फिर जब ब्राह्मण माता—पिता के साथ वह सतान रहे

तो ब्राह्मणोचित गुणों के पल्लवित और पुष्पित होने का अनुकूल पर्यावरण भी मिल जाता है। अतः जन्म का आधार पर ही वर्ण निश्चय होने पर सही व्यक्ति को सही वर्ण मिल पायेगा।

जन्म से वर्ण—निश्चय होने पर भी वर्णोचित सम्मान हेतु कर्म आवश्यक—अब प्रश्न यह है कि क्या ब्राह्मण कहलाने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले ले ? नहीं ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लेने से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसा सम्मान नहीं पा सकेगा। ब्राह्मणोचित सम्मान तो उसे तभी मिल पावेगा जब उन कर्मों को करे जो ब्राह्मणों के लिए निश्चित किये गये हों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के लिए निश्चित कर्म निम्न—लिखित हैं—

ब्राह्मण— जो वेदों के स्वाध्याय में लगा हुआ है शौच एवं सदाचार का पालन करता है यज्ञ स बच्चे हुए अन्न का भोजन करता है गुरु के प्रति भक्ति रखता है सत्य में तत्पर है वह ब्राह्मण है और जिसमें सत्य दान द्रोह न करने का भाव क्रूरता का अभाव लज्जा दया और तप के गुण दिखाई दे वह ब्राह्मण है।

क्षत्रिय— जो क्षत्रियोचित युद्ध आदि में रुचि रखे वेदाध्ययन करे ब्राह्मण को दान दे और प्रजा से कर वसूल कर उसकी रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है।

वैश्य— जो वेदाध्ययन के साथ—साथ व्यापार पशु—पालन और खेती का काम करके अन्न संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है वह वैश्य कहलाता है।

शूद्र— वेद और सदाचार का परित्याग कर सब कुछ खाने में अनुरक्त रहने वाला सभी प्रकार के कर्म करने वाला बाहर—भीतर से अपवित्र रहने वाला शूद्र है।

उपरोक्त कर्म और गुण क्रमशः अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में अनुपस्थित हों तो उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं माना जायेगा¹¹।

अतः अगर ब्राह्मण के लक्षण शूद्र में दिखायी दें और ब्राह्मण में न हों तो ऐसा ब्राह्मण न तो ब्राह्मण है और न ऐसा शूद्र शूद्र है। वह शूद्र जिसमें ब्राह्मणोचित लक्षण हों द्विजवत सेव्य है।

वर्ण और जाति में अन्तर

वर्ण और जाति नामक पदों को प्रायः लोग भ्रमवश एक समझते हैं और इनमें अन्तर नहीं करते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियादि वर्ण भी हैं और जातियाँ भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नाम के चार वर्णों में से प्रत्येक जातियों के समूह का द्योतन करता है¹²। इसलिए आज

11 शूद्रे चैतद्भवेत्लक्ष्य द्विजे जच्च न विद्यते।

न वै शूद्रा भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण ॥ शा पर्व 189/8

12 "As a matter of fact none of the four terms for varna now represents anything but groups of castes" - J H Hutton Caste in India P-66

का ब्राह्मण एक जाति है यह कथन सत्य है। ब्राह्मण वास्तव में एक जाति न होकर जातियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अस्तु ब्राह्मण क्षत्रियादि नामों के आधार पर वर्ण और जाति को एक समझना निरी अज्ञानता है। हटन जैसे विद्वान जाति और वर्ण को दो भिन्न प्रत्ययों के रूप में स्वीकार करते हैं। आप वर्ण और जाति में भेद करते हैं¹³। जाति और वर्ण के भेद को निम्नांकित बिन्दुओं में रखा जा सकता है।

(1) **शाब्दिक भेद**— जाति और वर्ण दो अलग-अलग शब्द हैं। वर्ण शब्द रग का द्योतक है लेकिन जाति से रग का आशय कभी नहीं लगाया जाता। वर्ण का अर्थ वरण करना अथवा चुनना भी है पर जाति का सबध जन्म से है।

(2) **सख्या भेद**— वर्ण चार हैं परन्तु जातियाँ तीन हजार के लगभग हैं।

(3) **समय-भेद**— वर्णों का उदय हिन्दू समाज में पहले हुआ और जातियाँ बाद में अस्तित्व में आईं। हालांकि यह बता पाना कठिन है कि वर्णों से कब जातियाँ बनीं फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि महाकाव्यकाल और स्मृति काल में वर्णों से जातियाँ बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी।

(4) **मुक्ता और अमुक्ता का भेद**— वैदिक कालीन वर्णों में खुलापन था क्योंकि उस समय वर्ण की सदस्यता का निर्धारण कठोरता के साथ जन्म के आधार पर नहीं होता था। वर्ण अपने आरम्भिक काल में मुक्त वर्ग थे लेकिन जातियाँ सदैव बन्द वर्ग रही और उनमें कभी खुलापन नहीं था। उनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव था क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर प्राप्त होती है।

(5) **अस्तित्व और अभाव का भेद**— वर्ण व्यवस्था आज मृत है लेकिन जातियाँ अपने जीर्ण शीर्ण रूप में आज भी विद्यमान हैं।

(6) **छुआछूत का भेद**— छुआछूत सबधी भेद जातियों में मुख्य रूप से मिलता है लेकिन वर्णों में इस प्रकार का भेद नहीं दीखता। इस छुआछूत की धारणा के कारण जातियों में भोजन व विवाह सबधी निषेधों के लिए स्थान है। एक जाति के लोग रोटी-बेटी का सबध सबसे नहीं करते हैं। वर्णों में भोजन सबधी निषेधों का वर्णन नहीं मिलता है और न ही विवाह के सबध में जाति जैसा कठोर प्रतिबध है।

(7) **वर्ण के नियम लचीले एवं जाति के कठोर हैं**— जाति के नियम कठोर हैं जिससे इन नियमों का उल्लंघन और अन्य जातीय मामलों का निपटारा करने के लिए जाति पचायतों की व्यवस्था है। वर्ण के नियम लचीले थे अतः वर्ण व्यवस्था में वर्ण पचायत जैसी कोई संस्था नहीं है।

निष्कर्ष— उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ण और जाति दो भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं जिनका जन्म भिन्न-भिन्न कालों में हुआ जिनकी मान्यताएँ विशेषताएँ एवं अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी भी सम्भावना हो सकती है कि वैदिक काल के वर्ण जातियाँ न हो वरन् वर्ग हो और वैदिक काल के बाद के विद्वानों ने वेदों से

जाति व्यवस्था का प्रमाण जुटाने के लिए वर्ण की प्रकृति की व्याख्या जाति व्यवस्था के रूप में कर डाली हो क्योंकि वे जाति व्यवस्था से परिचित थे। आज का वर्ण किसी भी कीमत पर एक जाति नहीं है। आज का एक वर्ण कई जातियों का समुच्चय है। हटन महोदय के शब्दों में जाति एवं वर्ण का अन्तर निम्नलिखित है—

" In short' varna like caste is a somewhat indeterminate expression, and persons belonging to one varna in one locality may be otherwise classified in another. It is wider and vauger than caste like which it is a variable social unit!'"

वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्त्व

कोई भी सामाजिक व्यवस्था कितनी महत्त्वपूर्ण है इसका अनुमान उस व्यवस्था की अच्छाइयों एवं उसकी उपयोगिता से लगाया जा सकता है। अच्छाइयों व्यवस्थाकार की गहरी सूझबूझ से आती है। परम्परागत भारतीय समाज में मनु जैसे व्यवस्थाकार हुए हैं जिनकी प्रतिभा सूझबूझ एवं तुलना का व्यवस्थाकार मिलना दुर्लभ है। हिन्दू व्यवस्थापकों ने भारतीय समाज को वर्णों के रूप में व्यवस्थित किया है। समाज का वर्णों में विभाजन कार्य (श्रम) के आधार पर हुआ। वर्ण कार्यों का आवटन प्राकृतिक क्षमता योग्यता एवं रुचि के आधार पर किया गया। किसी भी कार्य को कम महत्त्वपूर्ण नहीं ठहराया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र सभी के कार्य अपनी-अपनी जगह महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु स्मरण रहे कि कार्य की गुरुता के आधार पर श्रेणीकरण अबश्य हुआ। कार्यों में पारस्पर्य का सम्बन्ध स्थापित करने से एकता एवं सगठन बने रहे। अपनी रुचि एवं प्राकृतिक गुणों के आधार पर सलग्न कोई भी वर्ण अपना कर्त्तव्य (धर्म) समझकर अपना कार्य पूर्ण करता था। यदि सभी तरह के कार्य एक व्यक्ति समूह अथवा वर्ण के हाथ में केन्द्रित कर दिये गये होते तो वर्ण व्यवस्था (समाज व्यवस्था) अति शीघ्र छिन्न-भिन्न हो जाती। यदि व्यवस्था में बेलोचपन होता तो भी नष्ट हो जाती। अतः व्यवस्था में गतिशीलता का विधान रखा गया। उपरोक्त गुणों एवं अच्छाइयों के कारण ही वर्ण व्यवस्था में बल है और इसकी महत्ता में कोई सन्देह नहीं है। इसके महत्त्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित बातों पर विचार कर लेना उचित होगा।

(1) आदर्श श्रम-विभाजन— वर्ण व्यवस्था कार्य-विभाजन की आदर्श व्यवस्था है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्त्व के चार कार्य हैं—(1) शिक्षा अथवा ज्ञान परम्परा का विस्तार (2) रक्षा-कार्य, (3) आर्थिक कार्य, और (4) सेवा सम्बन्धी कार्य। इन्हीं चार कार्यों को सम्पादित करने के लिए हिन्दू व्यवस्थापकों ने इस व्यवस्था का निर्माण किया। ज्ञान-परम्परा को आगे बढ़ाने का कार्य इस कार्य में दक्ष एवं रुचि रखने वाले ब्राह्मणों को सौंपा गया। रक्षा-कार्य में विशेष पटु क्षत्रियों को



रक्षा कार्य दे दिया गया। वैश्य अपने स्वभाव से धनोपार्जन में अति निपुण थे लिहाजा यह कार्य उनके लिए सुरक्षित कर दिया गया। सेवा—कार्य शूद्रों के स्वभावानुकूल था अतः यह कार्य उन्हें प्रदान किया गया। उपरोक्त चारों कार्य स्वतंत्र न होकर परस्पर सम्बन्धित हैं और इसलिए चारों वर्ण भी परस्पर सम्बन्धित हैं और चूँकि ये चारों कार्य महत्त्वपूर्ण हैं इसलिए इनके कर्त्ता चारों वर्ण भी कार्य—दृष्टि से समान महत्त्व रखते हैं।

(2) **कर्त्तव्य प्रधान व्यवस्था**—प्रत्येक वर्ण को अपने कार्य कर्त्तव्य समझकर पूरा करने की आज्ञा दी गयी। वर्ण—धर्म के रूप में चारों वर्णों के कर्त्तव्य निश्चित कर दिये गये। कर्त्तव्य पालन पर जोर दिया गया। कर्त्तव्य पालन पर जोर देने के कारण सघर्ष द्वन्द्व वैयक्तिक स्वतंत्रता और स्वच्छन्दता के दोषों से यह व्यवस्था मुक्त रही। अनावश्यक स्पर्धा से भी बची रही। कुछ लोग प्रतियोगिता के अभाव के कारण इसे दोषयुक्त मानते हैं। यह व्यवस्था प्रतियोगिता मुक्त इसलिये थी क्योंकि जब यह व्यवस्था बनी उस समय समाज सरल था जनसंख्या का दबाव नहीं था लागों की आवश्यकताये इतनी अधिक नहीं थी। अतः इसका स्पर्धामुक्त होना स्वाभाविक था। कर्त्तव्य—पालन न करने से तो कोई व्यवस्था चल नहीं सकती है। किसी भी व्यवस्था में कर्त्तव्य—पालन (प्रस्थिति-भूमिका निर्वाह) द्वारा सगठन व एकता के तत्त्व उपस्थित रह सकते हैं। अधिकार—क्षेत्र बढ़ाने से एव अधिकारों पर बल देने से सघर्ष को बढ़ावा मिलता है और साथ ही सगठन एव एकता को क्षति पहुँचती है। धर्म प्रधान (कर्त्तव्य प्रधान) होने के कारण भारतीय समाज व्यवस्था दीर्घजीवन प्राप्त कर सकी। आज के युग में जो विकार एव अव्यवस्था के तत्त्व प्रकट हो रहे हैं मेरी समझ में वे कर्त्तव्य—उपेक्षा के सहज परिणाम हैं। यदि किसी भी व्यवस्था के घटक अथवा इकाइयों अपने—अपने कर्त्तव्य निर्वाह न करें तो वह व्यवस्था कैसे रह सकती है।

(3) **कार्यों की गुरुता के आधार पर श्रेणीकरण**—वर्णों में ऊँच—नीच का सबंध पाया जाता है। इस ऊँच—नीच व्यवस्था में ब्राह्मण शीर्षस्थ है। इसके बाद क्रम से क्षत्रिय वैश्य एव शूद्रों के स्थान हैं। क्षत्रियो एव वैश्यों की स्थिति ब्राह्मणों से नीची है परन्तु शूद्रों से ऊँची है। यह ऊँच—नीच की व्यवस्था कार्य की गुरुता से सम्बन्धित है किसी अन्य लिहाज से जुड़ी अथवा सम्बन्धित नहीं।

(4) **गतिशीलता**—गतिशीलता का विधान इस व्यवस्था का एक अन्य गुण है। स्तर—निर्धारण कर्म के आधार पर होता था जिससे इस व्यवस्था में मुक्तता अथवा खुलापन का गुण आ गया है। अच्छे कर्म करके शूद्र ब्राह्मणोचित सम्मान प्राप्त कर सकता था और कर्म पतित होने से ब्राह्मण द्विज का सम्मान खो बैठता था। प्रारम्भ में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आने जाने पर रोक नहीं थी और इसलिए वर्ण मुक्तवर्ग थे। मुक्त व्यवस्था होने के कारण इसमें स्थिरता एव बेलोचपन के दुर्गुण नहीं आने पाये।

(5) **विकेन्द्रीकरण**— शक्ति का विकेन्द्रीकरण इस व्यवस्था की उल्लेखनीय विशेषता है। जिस व्यवस्था में शक्ति का विकेन्द्रीकरण होने लगता है उसमें निरकुशता एवं शोषण के दोष आ जाते हैं जो व्यवस्था को अवश्य ही विश्रखलित करते हैं। अपनी विकेन्द्रीकरण की विशेषता के कारण यह व्यवस्था इन दोषों से बची रही। यहाँ धन एवं राजनीतिक सत्ता दोनों को एक वर्ण के हाथ में केन्द्रित नहीं होने दिया गया। शिक्षा—शक्ति आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति एवं सेवा शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया जिससे वर्ण व्यवस्था में काफी बल आ गया।

वर्ण व्यवस्था के गुण दोष

प्रत्येक व्यवस्था में गुण दोष रहते हैं। गुणों से उसका विकास होता है और दुर्गुणों से पतन। गुणों से दीर्घ जीवन मिलता है और दुर्बलताओं से शीघ्र ही पतन होता है। नीचे वर्ण प्रणाली के गुण—दोषों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

गुण— समाजशास्त्रीय महत्त्व का वर्णन करते समय इस व्यवस्था की विशेषताओं अथवा अच्छाइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है। यहाँ इसके दो प्रमुख गुणों पर और प्रकाश डाला जा रहा है।

(1) **स्वेच्छा से गरीब रहने की प्रवृत्ति (Voluntary Poverty)**— सर्वोच्च वर्ण के लोगों का स्वेच्छा से गरीब रहना इस व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। इसी विशेषता के कारण यह दीर्घ जीवन पा सकी। शास्त्रों में ब्राह्मणों की शिलोञ्च वृत्ति का उल्लेख मिलता है। 'शिल खेत में गिरे हुए अन्न को कहते हैं। उञ्छ हाट में गिरा हुआ अन्न है। जब राजा का सलाहकार अथवा अनुशासक ऐसा हो जिसे कुछ मिलने का लोभ न हो और राजा द्वारा दी हुई किसी वस्तु के छिनने का भय न हो तो वह एक सही सलाहकार हो सकता है। यदि सलाहकार शासक का यस मैन (हाँ हुजूरी करने वाला) है तो शासक को अनुशासन में रखने में वह असफल रहेगा और शासक मनमानी करने लगेगा। ब्राह्मणों ने शासन सीधे अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने अपनी देख-रेख में क्षत्रियों द्वारा शासन कराया। अपने हाथ में शासन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो सकता था कि उनका दिमाग फिर जाता और समाज में अन्याय, शोषण आदि के दुर्गुण आ जाते। ब्राह्मणों की दृष्टि समाज—कल्याण अथवा सामाजिक विकास पर थी जिससे वे न्यायसम्मत समाज की स्थापना चाहते थे। इसी ख्याल से उन्होंने शासन का कार्य क्षत्रियों से कराया और शासन में उनका पथ—प्रदर्शन करते रहे। क्षत्रिय इनके बताये हुए मार्ग पर चलते रहे। जब क्षत्रियों का दिमाग फिर जाता था तो उसे वे कंट्रोल कर लेते थे। कहते हैं कि राजा वेन को अनीति पर चलने के कारण ब्राह्मणों ने उनका वध कर दिया था। वेन का पुत्र षुथु उनके बताये गये मार्ग पर चलने के कारण इतना सुख समृद्धि लाने में

सहायक हुआ कि उसके नाम पर भूमि को पृथ्वी कहा जाने लगा। अनीति पर चलन के कारण परशुराम ने क्षत्रियों का इक्कीस बार सहार किया इसे सभी जानते हैं। यदि ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीब न रहते और सभी साधन अपने लिए ही जुटाते तो उनसे सभी ईर्ष्या करने लगते, जितना आदर उन्हें मिला नहीं मिल पाता। साथ ही वर्ण व्यवस्था अति शीघ्र नष्ट हो जाती।

(2) **छॉटकर पेशा अपनाना (Vocational choice)**— अपनी रुचि और पसन्द के आधार पर पेशा चुनना और चुने हुए व्यवसाय को दक्षता के साथ करना इस व्यवस्था की विशेषता है। जब अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार पेशा चुना जाता है तो वह स्वकर्म स्वधर्म बन जाता है लेकिन बलात् लादा हुआ पेशा स्वकर्म नहीं बन पाता। बहुत से व्यवसायों में से पेशा छॉटकर इस प्रकार उसे करना जिससे वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक कल्याण की सिद्धि होती रहे यह और अच्छी बात है। जब सभी के पेशे समाज के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित हैं एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं हैं तो समाज कल्याण होता रहेगा और समाज के संचालन में कोई बाधा नहीं आवेगी। जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पेशे को करने के लिए कहा जाता है जिसके लिए वह अनुपयुक्त हो तो समाज के विघटित होने का भय रहेगा। समाज को विघटन से बचाने के ख्याल से स्वभाव जनित गुण कर्म के आधार पर इस व्यवस्था के निर्माण की बात गीता में की गयी है। चुने हुए व्यवसाय को खूबी से करना ही सच्ची समाज सेवा और ईश्वर सेवा है और इसी से सिद्धि प्राप्त हो सकती है यही वर्ण व्यवस्था का मुख्य सिद्धान्त है।

दोष— व्यवस्थापकों द्वारा काफी सूझ बूझ से काम लेने पर भी यह व्यवस्था दोषों का शिकार बन गई।

(1) **समय पाकर जन्म पर आधारित होना**— अपने आरंभिक काल में यह व्यवस्था गुण कर्म पर आधारित थी जिससे इसमें लोचन था। कालान्तर में जन्म के आधार पर वर्ण निश्चय होने लगा। जन्म से वर्ण निश्चित होने पर सुधार या बदलाव के लिए स्थान नहीं रह जाता है। जन्म के आधार पर किसी को योग्य और किसी को अयोग्य मान लेना उचित नहीं प्रतीत होता। किसी व्यक्ति की क्षमताओं तथा सम्भावनाओं का सही आकलन जन्म के आधार पर नहीं हो सकता है। व्यक्ति में सोई हुई क्षमताओं को जगाने का यदि उचित अवसर नहीं दिया जाता तो उनके नष्ट हो जाने की अधिक सम्भावना है। व्यक्ति जन्म के बाद भी बहुत कुछ बन सकता है सुधार कर सकता है इसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

(2) **समाज के बड़े वर्ग को शूद्र बनाना**— जनसंख्या के एक बड़े भाग को शूद्र बना देना इस व्यवस्था की सबसे निकृष्ट देन है। शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया। उनका कार्य सेवा करना ठहरा दिया गया। उन्हें अपना भाग्य सुधारने का अवसर नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि शूद्रों में अपना सुधार करने

की क्षमता नहीं थी। जिन शूद्रों को अवसर मिला प्रेरणा मिली उन्होंने प्राचीन तथा मध्यकाल में ब्राह्मणों से अधिक साक्षरता का परिचय दिया। शिक्षा से शूद्रों को वंचित रखा गया। समाज में उन्हें नीचा स्थान देने के लिए कर्मवाद का सहारा लिया गया। कर्मवाद स्वयं में कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन इसका प्रयोग ब्राह्मणों द्वारा जिस रूप में किया गया वह शरारतपूर्ण है। शूद्रों की विरोध शक्ति को दबाने के साधनों के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ। शूद्रों को बताया गया कि पूर्व जन्म के कर्म खराब होने के कारण तुम्हें शूद्र होना पड़ा। यदि पूर्व जन्म के तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो तुम क्षत्रिय बन जाते। शूद्र वर्ण में जन्म लेना ही इसका प्रमाण है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अशुभ हैं। पूर्व जन्म का इतिहास किसी का याद नहीं रहता और यही कारण है कि शूद्रों को ब्राह्मणों के कर्मवाद के आगे घुटने टेकने पड़े और शोषित होने के लिए उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा। शूद्रों को इतना कमजोर कर दिया गया था कि यदि ऊँचे वर्ण के सुधारकों ने प्रयत्न नहीं किया होता तो शूद्रों को भाग्य सुधार का अवसर नहीं मिल पाता।



अध्याय 4

आश्रम व्यवस्था

हिन्दुओ की जीवन-धारणा (Hindu Concept of Life)

इस लोक में सुख भोगने के बाद परलोक में सुख पाने की कामना हिन्दू चिंतन में मिलती है। लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए जीवन की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित योजना का निर्माण हुआ है। इसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। जीवन योजना बनाने के लिए जीवन की आयु का भी निर्धारण हुआ है। 100 वर्ष की आयु की कामना की जाती है। जीवन के 100 वर्षों को चार बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं। अगले 25 वर्ष का समय गृहस्थ आश्रम का है। इससे भी अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ के रूप में बिताने का प्रावधान है और अंतिम 25 वर्ष सत्यास आश्रम के लिए निर्धारित हैं। जब यह व्यवस्था एक निश्चित जीवन दर्शन पर टिकी है तो इसका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नांकित बातों का समझना आवश्यक है।

(1) हिन्दुओ का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है ?

(2) हिन्दू के जीवन का चरम उद्देश्य (Ultimate Aim) क्या है ?

प्रथम प्रश्न का सबंध जीवन की धारणा से है। हिन्दुओ के मतानुसार जीवन शृंखलामय है। पिछले जीवन का सबंध इस जीवन से है और इस जीवन का सबंध अगले जीवन से है। जीवन का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मोक्ष न मिल जाय। मोक्ष मिल जाने पर जीवन का प्रवाह रुक जायगा। पी एच प्रभू के शब्दों में "हमारा वर्तमान जीवन स्वयं में अर्थवान नहीं है। जब तक जीवन अवधि के अन्तर्गत अन्तिम रूप से मोक्ष न मिल जाय यह जीवन तो पिछले जन्मों से भविष्य के जन्मों की तरफ होने वाले परिवर्तन का एक स्तर है। यह जीवन अतीत और भविष्य के जन्मों की शृंखला की एक कड़ी के रूप में अर्थवान है। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार "हिन्दू मोक्षोन्मुख जीवन रूपी तीर्थ यात्रा का पथिक है और मानव जीवन विभिन्न स्तरों से होकर शाश्वत जीवन

1 "According to the Hindu, this life merely by itself alone would have no meaning, it has meaning only as a link—even if the last, in the chain of links of births in the past and in the future, it is a state of transition from past births, towards future birth or births unless moksha or final liberation is obtained within the span of this life"—Prabhu P H, Hindu Social Organisation, Page-18

(Eternal life) तक पहुँचने के लिए एक तीर्थ यात्रा है ²।

जीवन—उद्देश्य (Aim of Life)—हिन्दुओं ने इस जीवन रूपी तीर्थ—यात्रा के चरम उद्देश्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार किया। हिन्दू मनीषियों ने अन्यतम मूल्यों (Ultimate Values) को भी सामाजिक व्यवस्था में स्थान दिया और इसी बात में वे पश्चिम के विद्वानों से भिन्नता रखते हैं। इस मोक्षोन्मुख जीवन रूपी तीर्थयात्रा को पूरा करने के लिए हिन्दुओं ने आश्रम योजना बनायी। चूँकि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एकाएक प्राप्त कर लिया जाय इसके लिए तो अभ्यास की आवश्यकता है नियमित जीवन बिताना जरूरी है। मोक्ष प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर हिन्दुओं का जीवन चार स्तरों में बाँट दिया गया और प्रत्येक स्तर में व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कर्तव्य भी निश्चित कर दिये गये। इस निर्धारित आश्रम योजना के अनुसार जीवन बिताने वाला हिन्दू मोक्षाधिकारी माना गया।

ऐहिक और पारलौकिक जीवन में समन्वय— आश्रम योजना लौकिक और पारलौकिक जीवन का अनूठा समन्वय है। यह ऐसा इसलिये है क्योंकि हिन्दू महात्मा आध्यात्मिक स्वतंत्रता और इस जीवन के आनन्द (Enjoyment of Life) के मध्य संघर्ष को नहीं स्वीकार करते हैं, दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं। हिन्दू इस लोक में कर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत कर मोक्ष का अभिलाषी है। वह ससार से दूर नहीं भागना चाहता है। अतः हिन्दुओं पर पलायनवाद का आरोप लगाना सर्वथा असंगत है। इसके अतिरिक्त हिन्दू मोक्ष का इच्छुक होते हुए भी दीर्घायु की कामना करता है। दीर्घायु की यह कामना मुक्ति की इच्छा से असंगत नहीं है। हिन्दू महात्माओं ने पुरुषार्थ के सिद्धांत द्वारा दीर्घायु और मोक्ष की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित किया। पुरुषार्थ चार है — धर्म अर्थ काम और मोक्ष।

आश्रम शब्द का अर्थ — पुरुषार्थ विश्लेषण के पूर्व आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालना आवश्यक है। आश्रम शब्द मूलतः संस्कृत की श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना अद्योग करना परिश्रम करना आदि। अतः धात्वर्थ के विचार से आश्रम के दो अर्थ हो सकते हैं। (1) आश्रम का अर्थ उस स्थान से है जहाँ परिश्रम किया जाता है और (2) आश्रम से तात्पर्य परिश्रम करने की क्रिया से है। साहित्यिक दृष्टि से आश्रम रुकने ठहरने या विश्राम करने का स्थान अथवा पड़ाव स्थल है। ये विश्राम स्थल मानव की जीवन यात्रा से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिये या उसे अगली यात्रा तय करने के योग्य बनाने के लिए होते हैं। P H Prabhakar का कहना है कि आश्रमों को जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य पडने वाले विश्राम स्थल मानना चाहिए।

2. "The four stages indicate that life is a pilgrimage to the eternal life through different stages" Radhakrishnan The Hindu View of Life, P-59

हिन्दुओं की दृष्टि में व्यक्ति का जीवन एक प्रकार की शिक्षा और आत्मसमय है। इस शिक्षा की अवधि में उसे चार स्तरों—प्रशिक्षण के चार क्रमों से गुजरना पड़ता है। इन स्तरों को आश्रम कहा गया है। ये स्तर सख्या में चार हैं— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सयास।

ब्रह्मचर्य आश्रम

इस आश्रम में हिन्दू बालक अपनी आयु का प्रथम चतुर्थांश व्यतीत करता है। जीवन के इस आरम्भिक चरण में वह विद्या अर्जित करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम विशेष रूप से शिक्षा की समस्या है। इस आश्रम में प्रवेश पाने के लिए बालक का उपनयन सरकार होना आवश्यक है। दीक्षा सरकार के पश्चात् ही वह ब्रह्मचारी बन सकता है और द्विज की सजा प्राप्त करता है। हिन्दू जीवन क्रम में उपनयन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह आर्य—अनार्य भेद का प्रमुख आधार है। उपनयन के बाद ही बालक वास्तविक अर्थ में आर्य (पूर्ण आर्य) बनता है और आर्य अधिकारों को भोगने के योग्य होता है क्योंकि उपनयन के पूर्व का जीवन तो अमर्यादित अननुशासित और उद्देश्यहीन होता है। अमर्यादित इस अर्थ में होता है क्योंकि उपनयन के पहले बालक खाने पीने और व्यवहार आदि करने में अपनी इच्छाओं का अनुगमन करता है।

बालक को उज्वल उचित और उत्तरदायित्वपूर्ण भावी जीवन बिताने के लिए शिक्षित होना चाहिए, सम्भवतः इसे ही लक्ष्य कर हिन्दू विद्वानों ने जीवन के प्रथम आश्रम के ही साथ शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य बनाने में सहायता पहुँचाती है उसमें उचित—अनुचित का विवेक उत्पन्न करती है। आश्रमकालीन शिक्षा व्यवस्था वर्तमानकालीन शिक्षा व्यवस्था से भिन्न है। आश्रम—काल में विद्यार्थी गुरु के कुल का सदस्य बनकर शिक्षा प्राप्त करता था। समिधाएँ लेकर बालक गुरु के पास जाता था और उसका शिष्य बनने की प्रार्थना करता था और तब गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करता था। गुरु तत्काल शिष्य को वेदों का प्रकाशन नहीं करता था। वह उस समय तक वेदों का ज्ञान उसे नहीं देता था जब तक उसमें पढ़ने की उत्कृष्ट जिज्ञासा जाग्रत न हो जाय क्योंकि विद्या गुह्य मानी जाती थी और उसका प्रकाशन केवल सुमति और सुशील विद्यार्थी के सामने होता होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा का सबध वेदाध्ययन से है। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने का उपाय वेदाध्ययन ही है। प्राचीन ऋषियों ने जिस साहित्यिक परम्परा का सृजन किया उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करना और उनके साहित्य का अनुशीलन करना ही ऋषि ऋण से उन्नत होना है। हिन्दुओं ने चार ऋणों की कल्पना की है ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से ऋषि ऋण का सबध ब्रह्मचर्य आश्रम से है।

युवावस्था के सन्तुलित विकास के लिए विद्यार्थी जीवन को नियंत्रित होना

चाहिए क्योंकि विद्यार्थीकाल जीवन अवधि का ऐसा काल है जिसमें वेग होता है। यह तूफान और भार आनुरता शारीरिक—शक्तिवर्धन भावनात्मक अस्थिरता यौनवृत्ति के विकास यौन क्रियाओं में उत्तेजना तथा आत्माभिव्यक्ति का समय होता है³। मनु जैसे स्मृतिकारों ने इसीलिये विद्यार्थी के लिए विलासिता और प्रमाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं तथा अलकरण—प्रसाधनों का उपयोग वर्जित घोषित किया है और नैतिक चरित्र का निर्माण करने वाले कर्तव्यों को ही करने के लिए ब्रह्मचारी को आज्ञा दी है।

ब्रह्मचारी के कर्तव्य— मनुस्मृति में विद्यार्थी के लिए बताया गया कुछ नियम इस प्रकार हैं— ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत (उपवीत सूत्र) अजिन (मृगचर्म) मेखला (girdle) और दण्ड (staff) को नियमपूर्वक धारण करता रहे। भिक्षा माँगकर अपना भोजन करे और भोजनाधिक्य से बचे। प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर देवता और ऋषियों का तर्पण करे। ब्रह्मचारी मधुमास सुगन्ध माला रस रत्नी सभी प्रकार के आसव (सिरका) और प्राणियों की हिंसा त्याग दे। शरीर में उबटन आँख में आजन न लगावे जूता और छाता न धारण करे काम क्रोध और लोभ न करे नाच गाना और बाजे से दूर रहे। ब्रह्मचारी को जुआ कलह निंदा झूठ स्त्रियों को सकाम दृष्टि से देखना और उन्हें आलिंगन करना और दूसरे की निंदा करना ये सब त्याग देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी के कुछ प्रमुख कर्तव्य भी हैं जो इस प्रकार हैं ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना दोषों बुराइयों अपवित्र और अनुचित कार्यों से बचना पवित्र जीवन बिताना शरीर और मस्तिष्क को अनुशासित करना धर्म आदि से संबंधित साहित्य पढ़ना या संक्षेप में वेदाध्ययन करना दूसरों का आदर—सत्कार करना तथा सादा जीवन व उच्च आदर्श के विचार को अपनाना।

ब्रह्मचारी के मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उपरोक्त कर्तव्य निर्धारित किए गए। संक्षेप में व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा का प्रयोजन है।

गार्हस्थ्य आश्रम

विद्यार्थी जब अध्ययन—पाठ्यक्रम समाप्त कर लेता था तो वह अपने आचार्य कुल को छोड़कर घर वापस आ जाता था। गुरु के घर से स्वर्गह वापस आने को ही समावर्तन (Returning Back) कहते हैं। समावर्तन सस्कार गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार (Admission Card) है। पिता के घर आने पर उसे स्नान करना पड़ता था जिसका प्रतीक अर्थ था ब्रह्मचर्य व्रत का समापन और इसके पश्चात् वह 'स्नातक' कहलाता था।

गार्हस्थ्य जीवन से तात्पर्य वैवाहिक जीवन से है क्योंकि गृहस्थ वह है जो घर बसाता है और शास्त्रों में घर उसे कहा गया है जहाँ गृहिणी हो, स्त्री हो। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। यह आश्रम हिन्दू के

3 कर्मण्डियु, कं० एम० - भारतवर्ष में विवाह और परिवार पृष्ठ 30।

जीवन का द्वितीय सोपान है। हिन्दुओ में विवाह व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना कि धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए। यही कारण है कि हिन्दुओ में विवाह उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य था जो साधारण प्रतिभा से युक्त होने के कारण अविवाहित नहीं रह सकते। अविवाहित रहना बहुत श्रेष्ठ है यदि अविवाहित रह मिले। लेकिन भ्रष्टाचार और अन्तर्दाह की अपेक्षा तो विवाह करना श्रेष्ठ है⁴। हिन्दू विवाह कलुषकारी नहीं है। वह तो कल्मष को धाता है और स्त्री व पुरुष दोनों को पावन और निर्मल बनाता है तथा दोनों के उत्कर्ष में सहायक है और इसी अर्थ में सस्कार है। सामान्यतौर पर हिन्दुओ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य (obligatory) माना जाता है। मोक्ष पाने के लिए पुत्र सतान का होना आवश्यक माना गया है और पुत्र विवाह द्वारा सम्भव है। अतः विवाह का मोक्षदायी होना उसके अनिवार्य होने का प्रधान कारण है।

पचमहायज्ञ

गृहस्थ के कर्तव्य— वैदिक युग से धर्मशास्त्रों तक पचमहायज्ञों को करना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य माना गया। ये यज्ञ क्रम से ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ और नृयज्ञ (मनुष्य यज्ञ) हैं। इन यज्ञों का उद्देश्य ऋषियों देवताओं पूर्वजों (पितरों) और समस्त जीवधारियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। गृहस्थ ऋषि देवता और पिता का जन्म से ऋणी हो जाता है। इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए प्रथम तीन यज्ञों का विधान है। चौथे ऋण का उल्लेख मिलता है। यह चौथा ऋण मनुष्य ऋण है। इस ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्ययज्ञ का प्राविधान है। (मनुस्मृति में पचमहायज्ञों का उद्देश्य नाना प्रकार की हिंसा से मुक्त होना बताया गया है।) मनु ने पाँच हिंसा के स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ गृहस्थ पाप-भागी हो सकता है। इन पाँच स्थानों (five places) को आपने पञ्चसूना कहा है। चूल्हा, चक्की झाड़ ऊखल—मूसल और जल का घट ये पाँच हिंसा के स्थान हैं। इनके व्यवहार से उत्पन्न पाप के निवृत्त्यर्थ गृहस्थ को पचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए⁵।

ब्रह्मयज्ञ— पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है। प्राचीन ऋषियों ने साहित्य की रचना द्वारा जो उपकार किया है उस उपकार की अदायगी उनके इस साहित्य के अध्ययन और अध्यापन द्वारा संभव है। अतः प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ है। इस यज्ञ का प्रयोजन वैदिक ज्ञान और परम्परा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित कराना है। वेदाध्ययन द्वारा वेद कठस्थ होकर काफी समय तक सुरक्षित रहे और बाद में ब्रह्मयज्ञ वेदाध्ययन का प्रतीक बन गया।

4 पाण्डेय राजबली हिन्दू सस्कार चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी। पृष्ठ 199 पर

उद्धृत सन्तपाल का मत।

5 मनुस्मृति 3। 68-69।

देवयज्ञ— देवता शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं। उनसे शुभ फला की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। देवयज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने का एक उपाय है। होम अथवा हवन करना ही देवयज्ञ है। विधिपूर्वक अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है सूर्य से वृष्टि वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा होती है⁶। इस प्रकार प्रजाओं की उत्पत्ति का मूल कारण हवन ही है अतः प्रतिदिन विधिवत हवन (होम) करना चाहिए। मनु का कहना है कि देवकर्म (हवन) में लगा गृहस्थ इस चराचर जगत को धारण करता है (3/75)

पितृयज्ञ— गृहस्थ का कुटुम्बियों के अलावा मनुष्येतर प्राणियों (पितरों और देवताओं) से भी घनिष्ठ संबंध है ऐसा समझा जाता था। गीता में उल्लेख है कि वे पितर जिन्हे पिण्ड और जलदान (तर्पण) नहीं प्राप्त होता नरक को प्राप्त होते हैं (पतन्ति पितरौ ह्येषा लुप्त पिण्डोदक क्रिया 1/42)। पितृयज्ञ में मृत पूर्वजों को जलदान किया जाता है। मनु के अनुसार तर्पण ही पितृयज्ञ (पितृयज्ञस्तुतर्पणम्) है।

भूतयज्ञ— यह यज्ञ भारत भूमि की उदारता और सहिष्णुता का परिचायक है। सबके साथ मिलकर और सबको खिलाकर खाने की भावना की अभिव्यक्ति यह यज्ञ है। भूत का अर्थ प्राणी है अतः भूतयज्ञ में समस्त भूतो (प्राणियों) को बलि (Ball of Food) अर्पित की जाती है। भूत यज्ञ में दी हुई बलि अग्नि में न डाली जाकर हाथ से साफ की हुई तथा पानी छिड़ककर पवित्र की गई भूमि पर रखी जाती है। इन्द्र यम वरुण आदि देवताओं के अतिरिक्त दिवाचर और नक्तचारी (रात में विचरण करने वाले) जीवों को बलि दे। फिर पितरों को बलि दे और अन्त में कुत्तों पतितों चाण्डालों कोड़ी आदि पापरोग वालों को बलि दे और कीड़ों के लिए बलि जमीन पर रख दी जाती है। गीता में अपने लिये अन्न पकाने वाले की निंदा की गई है क्योंकि जो अपने लिए ही भोजन पकाता है वह पाप खाता है (भुञ्जत ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्)। यहाँ पर गीता में अपनी कमाई को मिल बाँटकर खाने का आदर्श प्रतिष्ठित किया गया है। भूतयज्ञ सम्पन्न करके गृहस्थ इस आदर्श का पालन करता था।

नृत्यज्ञ—अतिथियों का सत्कार करना भारतवर्ष की एक सामाजिक रीति (Social Etiquette) थी। एक उपनिषद् में अतिथि को माता—पिता और आचार्य के साथ देवता बताया गया। (आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव)। अतिथि पूजन को ही मनु ने नृत्यज्ञ की सजा देकर यज्ञ का रूप दिया। साधारण बोल चाल में अतिथि से आशय सम्बन्धी और बिरादरी के लोगों से लिया जाता है। परन्तु अतिथि वह है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो (न विद्यते तिथिर्यस्य स अतिथिः)। मनु के मतानुसार गृहस्थ के घर एक रात ठहरने वाला ब्राह्मण अतिथि कहलाता है क्योंकि आने और ठहरने की तिथि (समय) का निश्चय नहीं रहने से वह अतिथि कहा जाता है। आप अतिथि को भोजन खिलाने के पश्चात् गृहस्थ दम्पति को भोजन ग्रहण करने का विधान करते हैं।

उन समस्त खाद्य चीजों के उपभोग से गृहस्थ को मना किया गया है जिन्हें वह अतिथि को नहीं खिलाता। अतिथि पूजन से धन आयु यश तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

गृहस्थ के कर्त्तव्य केवल पचमहायज्ञों तक ही सीमित न थे। इनके (पचयज्ञों) अलावा गृहस्थ से यह आशा की जाती थी कि वह ब्राह्मणों को दान दे विद्यार्थियों को फीस दे सयासी को भिक्षा रोगी को दवा और गरीबों को आर्थिक सहायता दे। अतिथियों शिशुओं, बीमार व्यक्तियों और गर्भिणी स्त्रियों को खिलाने के लिए गृहस्थ की आवश्यकता पड़ती थी। चिड़ियों पशुओं कीड़े मकोड़ों आदि को भी सतुष्ट करना उसका कर्त्तव्य था। इसके अतिरिक्त उसके कर्त्तव्यों का विस्तार विकलांग और समुदाय के सामाजिक और नैतिक दृष्टि से हीन लोगों को सतुष्ट करने तक था। संक्षेप में गृहस्थ अपने रिश्तेदार और कुल सदस्यों के अतिरिक्त कर्त्तव्यों की दृष्टि से व्यक्तियों और प्राणियों के विशाल समूह से सम्बन्धित था।

गृहस्थ आश्रम महान् क्यों ?

(1) विशाल प्राणि-समूह का पोषक— अन्य आश्रमियों तथा प्राणियों के विशाल समूह का पोषक होने के कारण यह श्रेष्ठ है। गृहस्थ भोग्य वस्तुओं का उत्पादक है और अन्य आश्रमों के लोग इससे भिक्षा पाते हैं। पशु-पक्षी कीड़े-मकोड़े समाज के असहाय लोगों अतिथि देवता और पितर आदि सभी को खिलाना एव सतुष्ट रखना गृहस्थ का कर्त्तव्य है। पोषक और पोष्य दोनों में पोषक का स्थान निश्चय ही श्रेष्ठ है क्योंकि पोष्य का जीवन पोषक पर आधरारत है। यह आश्रम अन्य आश्रमियों के जीवन का मूल (आधार) है। जैसे एक शिशु के प्रारम्भिक जीवन में माता का स्थान शीर्ष का है वैसे ही यह आश्रम अन्य आश्रमों का मूल है। जैसे वायु के सहारे सभी जीव जन्तु जीवित रहते हैं वैसे ही इस आश्रम के सहारे सभी लोग जिन्दा रहते हैं⁷। जैसे सभी नदियाँ तथा नाले समुद्र में सरिथति को प्राप्त होती हैं वैसे ही अन्य आश्रम के लोग गृहस्थ आश्रम में सरिथति को प्राप्त होते हैं⁸।

(2) मानव वंश तथा समाज प्रवाह का रक्षक— गृहस्थ को श्रेष्ठ सिद्ध करने वाला दूसरा कारण मानव वंश की रक्षा (Perpetuation of human race) से सम्बन्धित है। समाज की निरंतरता के लिए मनुष्य का होना अति आवश्यक है। मनुष्यों के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब मनुष्य नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा और ये सभी सगठन जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है नहीं रहेंगे। मनुष्य मरणशील है अतः जितने मनुष्य मरते हैं उनका स्थान यदि

7 यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जन्तव ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा ॥ मनुस्मृति 3/ 77

8 यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति सरिथतिम् ।

तथैवाश्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितिम् ॥ मनुस्मृति ।

नए लोग पैदा होकर नहीं लेते रहेगे तो मानव वंश की रक्षा कर पाना असम्भव हो जायेगा। ऐसी हालत में सन्तानोत्पादन का कार्य समाजशास्त्रीय महत्त्व का है। गार्हस्थ्य जीवन (वैवाहिक जीवन) के अभाव में प्रजनन का कार्य असम्भव है⁹। प्रजा-सूत्र को तोड़ना नहीं यह उपनिषद् का आदेश है और यदि किसी प्रजाति को जीवित रहना है तो उसे इसका पालन करना ही होगा।

(3) ऋण-उद्धारक— अपना भला हो और साथ ही दूसरो का भला हो' यह आदर्श हिन्दू समाज में मिलता है। दूसरे ने हमारे साथ कुछ उपकार किए हैं जिससे हम उनके ऋणी हैं। मनुष्य देवताओं पितरो तथा अन्य जीवधारियों के हम ऋणी माने जाते हैं और जीवन काल में उनका ऋण चुकाना आवश्यक है। इस आश्रम में सभी ऋणों को चुकाया जा सकता है इसलिए भी यह श्रेष्ठ आश्रम है। ऋणों को चुकाने के लिए ही प्रतिदिन पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए हिन्दू शास्त्र गृहस्थ को आदेश देते हैं। गृहस्थ के कर्तव्यों के रूप में पंच महायज्ञों का विधान मिलता है। यज्ञों के निर्वाह की दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ है।

(4) गृहस्थ विघ्नसाशी होता है— विघ्न देवताओं पितरो और बड़ों के उपयोग के बाद बचे हुए (शेष) खाद्य पदार्थ को कहते हैं। शेष अन्न का उपयोग करने वाला विघ्नसाशी कहा जाता है। सबको खिलाकर खाने वाला व्यक्ति महान प्रतिष्ठित एवं प्रशंसनीय है और जिस आश्रम में ऐसे व्यक्ति हो वह महान्, प्रवर एवं प्रशंसा के पात्र है। गीता में भी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है जो यज्ञ से बचे हुए अन्न का उपयोग करता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न का सेवन करने वाला सभी पापों से छूट जाता है और वह जो अपने ही खाने की व्यवस्था करता है और दूसरो का हिस्सा देना नहीं चाहता है वह पापी है।

यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ गीता ३/१६

अपनी कमाई मिल बाटकर खाने का आदर्श एक अच्छा आदर्श है। इस आश्रम में इस आदर्श का पालन होता है और इसी से यह श्रेष्ठ है।

(5) पुरुषार्थ-पूर्ति में साधक— चार पुरुषार्थों की पूर्ति की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि सभी पुरुषार्थों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम में सम्भव है। ब्रह्मचारी विशेष रूप से धर्म पुरुषार्थ के सेवन से सम्बन्धित है। वानप्रस्थ धर्म और मोक्ष से और सयासी केवल मोक्ष से संबन्धित है। अर्थ और काम की पूर्ति भी स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ सामाजिक संगठन के लिए अनिवार्य है। इच्छाओं का अवाञ्छित दमन अच्छा नहीं क्योंकि इच्छाओं के अनुचित दमन से जो प्रतिक्रिया या ज्वाला उत्पन्न होगी वह हो सकता है समाज को जलाकर राख कर दे। हिन्दू महर्षियों ने इसलिए अर्थ और काम को पुरुषार्थ में शामिल किया है। यहाँ यह स्मरण रहे कि अर्थ और काम का निरकुश सेवन कदापि अच्छा नहीं। धर्म के अकुश के साथ अर्थ और काम का सेवन अभीष्ट है।

(6) ब्राह्मण धर्म का श्रमण धर्म से विरोध— गृहस्थ आश्रम की

प्राधान्यप्रतिष्ठा का अन्तिम कारण था ब्राह्मणधर्म का श्रमणधर्म से विरोध। श्रमणधर्म नितान्त निवृत्ति मार्गी था। उसकी व्यवस्था में गृहपति का स्थान नितान्त गौण था। समस्त सगठन भिक्षु अथवा परिव्राजक को ही दृष्टिकोण में रखकर किया गया है। बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित होकर अनेक पुरुषों और महिलाओं ने गृह त्यागकर भिक्षुओं का जीवन अंगीकार कर लिया। इससे ब्राह्मण व्यवस्थाकार बहुत दुःखी हुए। ब्राह्मणों ने सूत्र—साहित्य के रूप में अपनी व्यवस्था का फिर से सगठन किया और वानप्रस्थ और सयास आश्रम की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम को ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घोषित किया। महाभारत में कपिल मुनि ने इस मत का खण्डन किया कि गृहस्थाश्रम के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती है¹⁰।

वानप्रस्थ (वैखानस)

वैखानस आश्रम में व्यक्ति अपनी आयु का तृतीय भाग बिताये। इसे जगल में निवास की अवस्था भी कह सकते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करके जब बाल सफेद हो जाये शरीर का चर्म सिकुड़ जाये पुत्र के पुत्र को भी देख ले तो कुल घर और ग्राम छोड़कर पत्नी सहित या पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर जीवन के तीसरे भाग को बिताने के लिए अरण्यवासी बने¹¹। क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व में उसका पैदा होना, बड़ा होना विवाह करना परिवार की स्थापना करके दिवगत हो जाना ही सब कुछ नहीं है¹²। मनुष्य का जामा पाकर उसे अपना उद्धार करना है जन्ममृत्यु के चक्र से छूटना है। मोक्ष प्राप्ति हेतु तप साधना करने के लिए वह वन चला जाय और वनवासी मुनियों का जो धर्म है उसका पालन करे।

कर्त्तव्य— वैखानस आश्रम कर्त्तव्यों की दृष्टि से गृहस्थ के समान होते हुए भी अनुशासन (Discipline) की दृष्टि से भिन्न था। अध्ययन और यज्ञादि ऐसे काम हैं जिनका सम्पादन मनुष्य को जीवन पर्यन्त करते रहना चाहिए और इसीलिए अध्ययन और यज्ञ के कर्त्तव्य वानप्रस्थ के लिए भी अनिवार्य हैं। इस आश्रम में व्यक्ति नियम और अनुशासन का जीवन व्यतीत कर परिवार और समाज के बन्धनों से ऊपर उठकर वैराग्य के लिए अपने को तैयार करता है।

वानप्रस्थ पुरुष नियम के साथ रहे नियम से भोजन करे तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से दूर रहे। गृहस्थाश्रम की ही भौति अग्निहोत्र वैसी ही गोसेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के सम्पूर्ण अंगों का सम्पादन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वानप्रस्थ अपनी भूख जगल में प्राप्त कदमूल और फलों से मिटाये। वनवासी मुनि बिना जुती हुई पृथ्वी से उत्पन्न धान जौ नीवार

10 शान्तिपर्व 270 / 10-11।

11 मनुस्मृति 6/2-3।

12 राधाकृष्णन सर्गपत्नी प्राच्य धर्म और पश्चात्य विचार राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली 1967 पृ 415।

विघ्नस (अतिथियो को देने से बचे हुए) अन्न से जीवन निर्वाह करे¹³।

वानप्रस्थ अपने शरीर को ढकने के लिए मृगचर्म और वल्कल (पेड़ो की छाल) धारण करे तथा क्षौर कर्म न करावे अर्थात् सर्वदा जटा दाढ़ी एव नख को धारण करे (मनुस्मृति 6/6)। वह सदा वेदाभ्यास में लगा रहे ठंडा-गर्म सुख-दुख माना पमान आदि द्वन्द्वो को सहन करे सबसे मित्रभाव रखे दान दे परन्तु दान न ले और सब जीवों पर दया करे (मनुस्मृति 6/8)। उसे अन्य अनेक प्रकार के कठोर तपो और शरीरिक कष्टों को सहना पड़ता था। इन तपो और कष्टों का उद्देश्य सभी प्रकार के शारीरिक सुखों का त्याग और शरीर के प्रति उदासीनता को जन्म देना था। शारीरिक अनुशासन के अतिरिक्त वानप्रस्थ के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी सहानुभूतियों को परिवार की सकुचित परिधि से बाहर सम्पूर्ण मानवता के लिए विस्तृत कर दे।

संन्यास

यह पूर्ण वैराग्य (Total Renunciation) का आश्रम है। अपनी आयु का तीसरा भाग उपरोक्त बताये गये ढग से वन में बिताकर सब विषय सगो का त्याग कर चौथे आश्रम संन्यास में व्यक्ति प्रवेश करे। तीन ऋणों को चुकाकर मन को मोक्ष में लगावे (संन्यास ग्रहण करे) ऐसी मनु की आज्ञा है क्योंकि ऋणों को बिना अदा किये संन्यास का पालन करने वाला नरकगामी होता है¹⁴। निस्पृह (निरीह) होकर ही संन्यास ग्रहण करे¹⁵।

संन्यासी एकाकी और आत्मनिर्भर होता है। उसका कर्तव्य है कि वह दिन में एक बार भिक्षा याचना करे न मिलने पर मन में कष्ट न होने दे। इन्द्रियसंग्रम घृणा तथा सासारिकता से विरक्ति जीवों के प्रति दया तथा समता का भाव (समत्व बुद्धि) संन्यासी को जीवन मुक्त की अवस्था में पहुँचा देता है और वह अनश्वरता को प्राप्त होता है। इसी स्थिति को कुल्लूक भट्ट ने मोक्ष प्राप्त करने की सज्ञा दी है। संन्यासी अपनी इन्द्रियो तथा बुद्धि को ब्रह्मचित्तन में लगावे। चित्त की वक्तियों का निरोध कर अन्तर्यामी भाव से सभी ऊँच-नीच देव-पशु आदि शरीरों में उसी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे। इस प्रकार के कर्मों में सलग्न व्यक्ति कार्यों की सीमा से ऊपर उठकर मरने के पश्चात् तेजोमय लोक में जाता है और अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

आश्रम व्यवस्था का महत्त्व

आश्रम व्यवस्था का महत्त्व सिद्ध करने वाली प्रमुख बातों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है।

(1) जीवन-मूल्यों से सगत व्यवस्था— जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु

आश्रम व्यवस्था बनाई गयी उनकी पूर्ति में जिस सीमा तक यह सहायक है उसी सीमा तक हम इसका महत्त्व स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। आश्रम व्यवस्थाकारों ने जीवन के उद्देश्यों को दो श्रेणियों में बाँटकर तदनुरूप आश्रम व्यवस्था निर्देशित की। प्रथम श्रेणी के उद्देश्य तात्कालिक उद्देश्य कहे जा सकते हैं। जीवन के तात्कालिक उद्देश्य के रूप में लौकिक आनन्द (सासारिक सुख) को चुना गया। दूसरी श्रेणी में चरम उद्देश्य को रखा गया। आध्यात्मिक स्वतंत्रता (मोक्ष) को दूसरे उद्देश्य की कोटि में रखा गया। आश्रमों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया जिससे उक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति निर्विघ्न हो सके। यह इस व्यवस्था की महत्ता की पहली परख है।

(2) **सुखी जीवन का आधार**— जीवन बिताने की दो शैलियाँ हैं। (1) नियोजित जीवन शैली और (2) अनियोजित जीवन शैली। दूसरी शैली के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर सुखमय एवं शान्त जीवन की सम्भावना या तो समाप्त हो जाती है और या फिर कम रहती है। नियोजित जीवन जीने से जीवन में सुख तथा आनन्द की सरिता अपने आप प्रवाहित होती रहती है। आश्रम व्यवस्था नियोजित जीवन बिताने की पक्षपाती है। इसलिए यह निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। जो लोग अपने जीवन की उचित योजना नहीं बनाते हैं उनके जीवन का उत्तरार्द्ध दुःखमय रहता है। मेरी समझ में जीवन की योजना दो स्तरों पर बननी चाहिए एक तो व्यक्ति के स्तर पर और दूसरे समाज के स्तर पर। यदि समाज व्यक्ति के जीने की उचित योजना नहीं बनाता तो कम से कम व्यक्ति को तो अपने जीवन की योजना बनाकर तदनुसार जीवन बिताना चाहिए क्योंकि इसी में उसका कल्याण निहित है।

(3) **मानव के समुचित विकास में सहायक**— मानव के यथोचित एवं सर्वांगीण विकास में सहायक होने के कारण इस व्यवस्था का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षा को जीवन के पहले चरण के साथ जोड़ा गया है। यदि शिक्षा का सम्बन्ध प्रथम आश्रम से न होता तो इस व्यवस्था का जो महत्त्व है वह न रह पाता। मानव विकास के सिद्धान्तों से सगत होने के कारण इसकी उपयोगिता में सन्देह के लिए स्थान नहीं है। शिक्षा का महत्त्व मानव जीवन में सर्वोपरि है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्यत्व (मानवता) प्रदान करती है और उसे सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। उसमें विद्यमान पाशविक एवं दावी प्रवृत्तियों का निराकरण एवं दमन शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक क्षमता (विवेक) का पूर्ण विकास करती है। यदि उसे शिक्षा न दी जाय तो उसमें सुप्त क्षमताएँ जाग्रत ही न हो सकें। विशेषरूप से जब शिक्षा बचपन में दी जाती है तो उसका आनन्द और लाभ ही दूसरा होता है। अपने जीवन के आरम्भिक काल में मानव शिशु सामाजिक दृष्टि से रिक्त होता है इसलिए उस पर मनचाही छाप डाली जा सकती है। बचपन का जीवन उतना उत्तरदायित्वों से भरा नहीं होता है जितना कि बाद का

जीवन। बाद के जीवन के उत्तरदायित्वा का निर्वाह ढग से हा इसके लिए आरम्भिक जीवन मे शिक्षा की व्यवस्था का होना बाद के जीवन मे शिक्षा का प्रबध होने से कई गुना अधिक गुणकारी एव लाभदायक है। सही-गलत, अच्छे-बुरे उपयोगिता और अनुपयोगिता का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। ब्रह्मचर्याश्रम मे आध्यात्मिक एव सासारिक दोनो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षित होने के उपरान्त ही इस व्यवस्था मे व्यक्ति को परिवार (गृहस्थाश्रम) की जिम्मेदारियों सौपी जाती है। परिवार मे जिम्मेदारियों निभाने के लिए गृहपति के कर्त्तव्यों की सुन्दर एव समुचित व्यवस्था है।

(4) **परोपकारी व्यवस्था**— गृहस्थाश्रम के बाद वह महाप्रस्थान की तैयारी मे लग जाता है। जब एक मनुष्य महाप्रस्थान की तैयारी करता है तो वह अपना स्थान दूसरे के लिए छोड देता है और स्वयं जगल मे चला जाता है। आज के जीवन जीने की व्यवस्था मे स्थान (पद) से चिपके रहने की चेष्टा अधिक है उसे छोडने का तो कोई नाम नही लेता। आश्रम व्यवस्था मे जिओ और जीने दो का आदर्श साकार रूप मे विद्यमान है। आजकल नौकरी मे लगे लोग सेवा-विस्तार के लिए कोशिश करते है सेवाएँ समाप्त होने पर वे दुखी होते हैं। उन्हे दुखी नही होना चाहिए और दूसरे के लिए अपना स्थान खुशी-खुशी छोड देना चाहिए। आज जब बेरोजगारी की विकट समस्या देश के सामने है तब तो 50 वर्ष पर लोगो को रिटायर कर देने से युवको को जल्दी ही रोजगार के अवसर मिलने मे आशिक सहायता अवश्य मिलेगी। गृहस्थ के कर्त्तव्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवस्था परहित प्रधान है। गृहस्थ असहायो विकलांगो पशु पक्षियो कीडे-मकोडे एव अन्य आश्रम के लोगो की सहायता करे ऐसी आज्ञा शास्त्रो ने उसे दी है। यही नही देवताओ एव पितरो को सन्तुष्ट करना भी उसका कर्त्तव्य है।

(5) **व्यक्ति तथा समाज के सबधो मे समन्वय**— आश्रम व्यवस्था मे व्यक्ति एव समाज के हितो मे सघर्ष के बजाय तालमेल का प्राविधान है। प्रथम आश्रम मे समाज व्यक्ति की आवश्यकताओ की पूर्ति करता है। गृहस्थाश्रम मे व्यक्ति सामाजिक कल्याण के कार्यों को करता है। सभी के पोषण की व्यवस्था करना गृहपति का कार्य है। वानप्रस्थ अपनी जीविका के लिए समाज पर आश्रित है पर साथ ही वह समाज कल्याण के प्रति चाहे तो सचेष्ट रह सकता है। सन्यास आश्रम मे वह समत्व बुद्धि से शुभ सामाजिक कार्यों मे लगा रहता है। व्यक्ति तथा समाज के हितो मे कही कोई परस्पर विरोध नही है। व्यक्ति और समाज दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आश्रम व्यवस्था की यह एक बहुत बडी उपलब्धि है।

आश्रम व्यवस्था का पालन क्यों नहीं हुआ— मानव जीवन की एक सुन्दर व्यवस्था (योजना) होने के बावजूद भी आश्रम व्यवस्था अव्यावहारिक बनी रही। बैयक्तिक और सामाजिक कल्याण से संबंधित यह व्यवस्था कृछ दोषो से

युक्त होने के कारण अपने पुराने रूप में न चल सकी। वर्तमान समय में तो अपने पुराने रूप में आश्रम व्यवस्था चल ही नहीं सकती क्योंकि आजकल जो शिक्षण सस्थाएँ हैं वे नगरो में हैं वनो में नहीं हैं। माता पिता अब अपने कोमल बच्चों को वन स्थित गुरु के आश्रम में भेजना उचित नहीं समझते। आज शिक्षक राजाओं और सेठों के महलो में जाकर वही उनके कुमारों को शिक्षा देने लगे हैं। आज का विद्यार्थी ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है क्योंकि सिनेमा वह देखता है बीडी व सिगरेट आदि वह पीता है उत्तेजक खाद्य पदार्थों जैसे मास मछली और अडा आदि का सेवन करता है। पढ़ना या स्वाध्याय ही उसका अकेला काम नहीं है। पढ़ने के साथ-साथ राजनीति खेलकूद नाटक और वाद-विवाद में वह भाग लेता है। अतः पुराने चाल के ब्रह्मचर्य आश्रम की सम्भावना आज नहीं है और न आवश्यकता ही है।

गृहस्थ के लिए यद्यपि शास्त्रों में यह आज्ञा है कि वह 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर घर छोड़ दे और वानप्रस्थ बन जाय लेकिन अर्थ और काम सेवन की प्रधानता में वृद्धि के साथ लोगों ने घर में ही रहना उचित समझा और जो लोग 50 वर्ष के बाद घर नहीं छोड़ते थे उनकी निंदा नहीं होती थी जिसका फल यह हुआ कि लोग जीवन भर गृहस्थ बने रहने लगे। सन्यास या त्याग का नितान्त अभाव रहा। मजबूरी के कारण तो लोग सन्यासी बनते रहे अर्थात् जिनकी पत्नी मर गयी या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी वे तो मूढ़-मुड़ाकर व कपड़े रग कर सन्यासी बने¹⁶। वास्तविक सन्यासियों का अभाव ही रहा। आज जब सबको वर्तमान साज सज्जा से युक्त मकान और अन्य आराम की चीजों तथा धन व सम्पत्ति की आवश्यकता है तो फिर वानप्रस्थ और सन्यासी कहाँ से मिलेंगे। ऐसे त्यागी लोग आज नहीं हैं जो 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होना पसन्द करते हों। रिटायर होने की आयु बढ़ जाय इसके लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। अपनी व्यक्तिगत नौकरी की अवधि बढ़वाने के लिए तो उचित अनुचित उपायों का आश्रय भी लेते हैं।

आश्रम व्यवस्था में मानव स्वभाव के प्रतिकूल बातों की व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था का पालन और नहीं हुआ। वानप्रस्थ जाड़े में गीले कपड़े पहने गर्मियों में आग तापे बरसात में खुले आसमान के नीचे रहे। गृहस्थ की जब इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाये, परहेजी भोजन की उसे आवश्यकता हो, दूसरे के सहारे की उसे जरूरत हो तो वह घर-बार छोड़कर जंगल चला जाय। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए ये आज्ञाएँ बहुत सख्त हैं। इसलिए इनका पालन भी न हो सका और आश्रम व्यवस्था व्यावहारिक रूप में ले सकी।

अपवाद स्वरूप कुछ मनुष्य भले ही आश्रमों में विधिवत प्रवेश करते रहे हो नहीं तो आश्रमों के पालन की बात शास्त्रों तक ही सीमित रही और उपरोक्त कमियों के कारण आश्रमों के पालन की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

आश्रम व्यवस्था के सबध मे कुछ सुझाव

आश्रम व्यवस्था एक जीवन योजना है अतः समाज को चाहिए कि आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन योजना बनाने में व्यक्ति की सहायता करे। व्यक्ति अपने जीवन की योजना ऐसी बना ले जिससे कम से कम वह अपने जीवन में चार काम जरूर कर सके¹⁷ - (1) जीवन के लिए अधिकाधिक तैयारी। (2) नैतिक नियमों के द्वारा आवश्यकतानुसार धन अर्जित कर दाम्पत्य जीवन बिताना। (3) धर्मानुकूल दाम्पत्य सुख भोगने के बाद दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर अपनी पत्नी लेकर बाल बच्चों से अलग रहकर समाज कल्याण के कार्यों में लग जाना और (4) पत्नी के मर जाने पर और शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाने पर आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में लग जाना। यदि मानव जीवन में सुख चाहता है तो उसे ऊपर बताये गये ढंग से जीवन की योजना बनानी चाहिए।

डा भीखनलाल आत्रेय का मत है कि जो व्यक्ति विषय-सुखों में अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति का अपव्यय करते हैं भविष्य का ध्यान न रखकर बिना सोचे समझे धन का उपभोग करते हैं उनके जीवन का उत्तरार्द्ध कष्टमय होता है। 50 वर्ष के भीतर ही बाल बच्चों के उत्तरदायित्व से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। यदि रिटायर होने की आयु 50 वर्ष कर दी जाये तो रोजगार की समस्या का आंशिक समाधान भी हो सकता है। गृहस्थ के उत्तरदायित्व से मुक्त होने पर उसे निस्वार्थ समाज की सेवा करनी चाहिए।

जब बुढ़ापा आ जाय और इन्द्रियों शिथिल पड जायें तो शान्त वातावरण में रहकर भगवान का भजन करे और समय आने पर सहर्ष शरीर छोड दे। इस तरह की आश्रम व्यवस्था आज चल सकती है और इसे चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्रेय जी का कथन है कि समाज को चाहिए कि वह रिटायर हुए व्यक्तियों को अवैतनिक सेवाएँ करने का अवसर प्रदान करे और उनके लिए आवास की व्यवस्था करावे। आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए समाज कुटियों बनवाये। जो बुढ़ापे के लिए अधिक नहीं बचा सके हैं वे भी अपना बुढ़ापा सुख से बिता सकें, इस हेतु उनके लिए आवश्यक खाना-कपडा का प्रबन्ध समाज को करा देना चाहिए।

अध्याय 5

कर्म—सिद्धान्त

Doctrine of Karma

वर्ण और आश्रम की ही भौति कर्म का सिद्धान्त मनीषियों की प्रखर प्रतिभा और चितन का परिणाम है। हिन्दू समाज के हर क्षेत्र में कर्म का सिद्धान्त व्याप्त है। हिन्दुओं की वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाएँ तो कर्म—सिद्धान्त की नींव पर खड़ी हुयी हैं। कर्म का सिद्धान्त इसका ढिढोरा पीटता है कि मानव प्रयत्न (पुरुषकार) सबसे महत्त्वपूर्ण है। आलसी पुरुषों को उद्यम या पुरुषार्थ करने के लिये कर्म का सिद्धान्त शिक्षा देता है।

कर्म शब्द का अर्थ— कर्म सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना करने के पूर्व कर्म शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना अधिक उपयुक्त होगा। कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। भारत की सामान्य जनता में यह धारण फैली हुई है कि कर्म (करम) का अर्थ भाग्य या तकदीर है। करम में जैसा लिखा होगा वही होगा — इस वाक्य में कर्म का उपरोक्त अर्थ ही इंगित है। कर्म का दूसरा अर्थ धन्धा है। कर्म तीसरे अर्थ में मनुष्य जो कुछ करता है उस सबका द्योतन करता है। कर्म का चौथा अर्थ आचरण है। कर्म शब्द का पाँचवाँ अर्थ है स्वतंत्रतापूर्वक निश्चित करके किया हुआ काम जिसका परिणाम भुगतना पड़े¹। व्युत्पत्ति के विचार से कर्म शब्द डुकृञ् धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से बनता है जिसका अर्थ है काम करना (to do)। इस अर्थ में मनुष्य की सभी चेष्टाएँ कर्म में शामिल की जा सकती हैं। हर मनुष्य हर क्षण कुछ न कुछ करता रहता है। यदि कर्म का व्यापक अर्थ लिया जाय तो उठना बैठना, हँसना खेलना लिखना आदि सभी कर्म हैं। कर्म सिद्धान्त में प्रयुक्त कर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ का सूचक नहीं है। यह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कर्म से अभिप्राय मानव के चेतन प्रयत्नों (Conscious efforts) से है। मानवेतर प्राणियों की क्रियाओं को सूचित करने के लिए कर्म शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है। कर्म—सिद्धान्त के प्रसंग में कर्म का ऊपर बताया गया पाँचवाँ अर्थ भी ठीक है। पाश्चात्य विद्वान मैक्स वेबर ने भी (Action) शब्द का प्रयोग मानवीय चेष्टाओं को सूचित करने के लिए किया है मानवेतर प्राणियों की क्रियाओं को कर्म नहीं माना है²।

कर्म का सिद्धान्त— यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि हर काम का

१ आत्रेय डा० भीखन लाल भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास पृ—७२५।

2—Parsons, Talcott The Structure of Social Action Page 640

परिणाम या फल भी यह होता है। किये हुए कर्म का परिणाम कैसा हागा यह निर्भर करेगा किए हुए कर्म के नैतिक या अनैतिक स्वरूप पर। वह क्रिया जिसका कोई उद्देश्य न हो ओर परिणाम न हो उसे कर्म नहीं कहा जायगा। कर्म का सिद्धान्त बताता है कि किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता और कर्मों का फल अमित होता है। कर्मफल कर्म की प्रकृति के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा सुख समृद्धि प्राप्त होगे। पाप कर्म का फल भी अशुभ और दुःखमय होगा। मानसकार ने कर्म-सिद्धान्त की निम्नलिखित शब्दों में बहुत सुन्दर व्याख्या की है।

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा।।

As you sow, so you reap अंग्रेजी की इस कहावत में भी कर्म-सिद्धान्त की अच्छी अभिव्यक्ति हुयी है। बोया पेड़ बबूल का आम कहीं से खाया कवीर की इस उक्ति में भी कर्म के सिद्धान्त का सार निहित है।

कर्म और पुनर्जन्म—कर्म और पुनर्जन्म में घनिष्ठ सबध है। कर्मों के आधार पर ही जीव एक योनि से दूसरी योनि में भटकता फिरता है।

आकर चारि लक्ष चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनाशी।।

फिरत सदा माया कर प्रेश। काल कर्म सुभाव गुन घेरा।। उत्तरकाण्ड 43/4-5

इन चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि ही कर्म-योनि है बाकी सभी योनियों भोग योनियों हैं। मनुष्य अपने सत् या असत् कर्मों द्वारा अपने भावी जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। पाप कर्मों का फल मनुष्य से नीची तिर्यक योनियों में भोगा जाता है। पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुन मृत्यु लोक में आना पड़ता है¹। अतएव मानव शरीर पाने पर ही मनुष्य अपना भाग्य सुधार सकता है। मनुष्य योनि यद्यपि देव योनि से भिन्न है फिर भी इसे इसी आधार पर अभीष्ट माना गया है कि इसे पाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मानस रचयिता का कथन है—

बडे भाग्य मानुस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन्हि गावा।।

साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सर्वोरा।। उत्तरकाण्ड 42/7-8

कहा जाता है कि कुछ कर्मों के फल हम यहाँ भोगते हैं और कुछ कर्मों का फल परलोक में भोगते हैं तथा कुछ पाप और पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए शेष रह जाते हैं इसलिए इन्हें भोगने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। कर्मफल और पुनर्जन्म में घनिष्ठ सबध है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है। वह प्रत्येक व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखता है और इस अर्थ में वह सुपर जज है। समाज में अथवा इस लोक में अन्याय को पनपाने की सम्भावना है लेकिन ईश्वर के यहाँ अन्याय नहीं होता है।

सभी कर्म जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के बन्धन में बाँधने नहीं वाले नहीं होते हैं। केवल सोदेश्य कर्मों के कारण जन्म और पुनर्जन्म होता है। निष्काम

कर्म मोक्ष दिलाने वाले माने गये है । कर्मफल के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करना पड़ेगा और यह भी मानना होगा कि आत्मा सुख दुख भोगने वाला है । हिन्दू दर्शन में आत्मा को अमर माना गया । शरीर नाशवान है । आत्मा (जीवात्मा) शरीर त्यागता रहता है । गीता का कथन है कि जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्र छोड़कर नये-नये वस्त्र धारण करता है वैसे ही जीवात्मा जीर्ण शरीर छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है।⁴

बृहदारण्यक उपनिषद् का कथन है कि मृत्यु के समय आत्मा बाहर निकल आता है और जीवन पर्यन्त किये गये कर्म आत्मा के साथ हो लेते हैं और ये सम्पूर्ण जीवन के संचित कर्म उस रूप को निश्चित करते हैं जिसे दूसरे जन्म में आत्मा को धारण करना पड़ता है । मरणशील प्राणी एक बीज की भाँति नष्ट होकर पुनः पैदा होता है । मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी योनि का निर्धारण होता है ऐसी बात कर्म सिद्धान्त से स्पष्ट होती है । कर्म सिद्धान्त में कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगने की बात कही गयी है । दूसरे जन्म में आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है और पहले शरीर को (जिससे अच्छे या बुरे कर्म हुए थे) त्याग देता है । यह कहाँ का न्याय है कि जिस शरीर से अच्छे या बुरे काम किये जाते हैं उसे अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल न भोगना पड़े और दूसरा शरीर जो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है उसके द्वारा किये गये अच्छे या बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोगे । कर्म कोई करे तथा फल कोई भोगे यह अन्याय है । यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि शरीर जिससे कर्म किये गये थे नष्ट हो जाता है परन्तु आत्मा तो वही बना रहता है । तो क्या आत्मा सुख—दुख भोगी है? नहीं क्योंकि इसे न तो अस्त्र—शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि ही जला सकती है न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है । अत आत्मा निर्विकार है । जब आत्मा सुख—दुख भोगने वाला नहीं है तो यही निश्चित हुआ कि पुनर्जन्म के रूप में जो शरीर प्राप्त होता है वही पिछले शरीर के किये हुए कर्मों का फल भोगता है जो न्याय की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है ।

मनुस्मृति और गीता में वर्णित कर्म—सिद्धान्त— मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में कर्म—सिद्धान्त का ही अधिक वर्णन है । मनु के अनुसार मन वाणी और शरीर समस्त कर्मों के स्रोत (उद्गम स्थल) हैं । प्रत्येक कर्म या तो शुभ फल देने वाला है या अशुभ । मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का कारण कर्म ही है । मानसिक पापों के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति दूसरे जन्म अथवा जीवन में निम्न जाति में पैदा होता है । वाणी के पापों के कारण दूसरे जन्म में वह जड़ वस्तुओं का रूप प्राप्त करता है । दुराचारी व्यक्ति को मृत्यु के बाद यम द्वारा नरक में यातनाये दी जाती हैं और इन यातनाओं को भोग लेने के बाद वह व्यक्ति पुनः मनुष्य योनि में पैदा होता है । अतः कर्म अनिवार्य रूप से पुनर्जन्म से आबद्ध है । कोई भी कर्मफल रहित नहीं होता है । कर्मों के फल का आनन्द लेने

4—वाससि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्राह्णाति नरोपराणि ।

तथा शरीराण विहाय जीर्णां न्यन्यानि सयति नवानि देही ।। गीता 2/22

या कष्ट भोगने के लिए एक व्यक्ति को अनिवाय रूप से बार-बार पैदा होना पड़ता है।

मनु इस ससार से छुटकारा पाने के साधान के रूप में आत्मज्ञान का उल्लेख करते हैं। तप और विद्या मोक्ष प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। पुण्य कर्मों से मोक्ष सुलभ नहीं है क्योंकि इनसे तो दूसरे जन्म में सुख प्राप्त होता है। मोक्ष आत्मज्ञान द्वारा ही मिल सकता है।

गीता के प्रारम्भ का विषय ही कर्म है। मनुष्य को जन्म और मृत्यु की श्रृंखला में बाँधने का कारण कर्म है। तो क्या मोक्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय कर्मों को बन्द कर देना ही है? गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कर्म मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है। इसीलिए गीता कर्म न करने (अकर्मण्यता) अथवा जड़ता के पक्ष में नहीं है। गीता का निचोड़ यह है कि अपना कर्तव्य करो अपने धर्म का पालन करो और कभी भी निष्क्रिय न रहो। भगवद्गीता कर्मनिष्ठ जीवन की प्रशंसा करती है तथा निष्क्रिय और जड़ जीवन की निन्दक है।

कर्मयोग का अनुकरण कर जनक आदि ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। स्वयं कृष्ण जी कर्मयोग के अनुयायी बने। गीता में निष्काम कर्मों की प्रशंसा की गयी है। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा फर्ज है परन्तु कर्मफल से हमारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। गीता में यही बतलाया गया है कि मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है जो बिना किसी फल की इच्छा किए कर्म करता है।

कर्म भाग्य नहीं है

इस सबध में हिन्दू चिन्तन में दो तरह की विचारधाराएँ मिलती हैं।

भाग्यवादी मत— एक विचारधारा भाग्य को प्रबल मानती है। दूसरी विचारधारा प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ की प्रधानता स्वीकार करती है। भाग्य के लिये होनहार तकदीर विधि प्रारब्ध भवतव्यता दैव नियति आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। दैव सब कुछ करता है यहाँ। तक कि प्रयत्न को भी निष्फल कर देता है। मैं ही सब कुछ करता हूँ यह मनुष्य का वृथाभिमान है (अहकारी मीति वृथाभिमान)। दैव ईश्वर का नियम है। मनुष्य का इसमें कोई वश नहीं है। हुइहै वहै जो राम रचि राखा। 'तुलसी जस भवतव्यता तैसेइ मिलिहि सहाय। आपु न आवै ताहि पै ताहि तहाँ लै जाइ।। 'मातु व्यर्थ जनि लेहु कलका। तुम सन मिटहि न विधि के अका।। 'What is allotted, can not be blotted', आदि कथनों से तो भाग्य की प्रबलता और मनुष्य की विवशता परवशता सिद्ध होती है। जब मनुष्य कुछ कर ~~सकता~~ ही नहीं है और न वह कुछ कर सकता है तो फिर वह भाग्य विधाता ^{जीवन-निर्माता} और भविष्य निर्माता कैसे है? यदि मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करने को स्वतंत्र नहीं है तो वह दैव के अधीन है। कहते

हैं कि दैव (ईश्वर) की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वही प्रेरणा का स्रोत है। वही सब कुछ कराता है। कुछ लोगों को छाँटकर उनसे अच्छे काम कराता है और उन्हें सद्गति दिलाता है। यदि इन बातों को मान लिया जाय तो मनुष्य की कोई अहमियत नहीं रह जाती है और उसे अच्छे बुरे उचित—अनुचित कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता है। भाग्यवाद के इस सिद्धांत ने हिन्दू जनता का बहुत अहित किया है आलस्य के बढने एव पनपने में इससे सहायता मिली है। भाग्यवाद ने मनुष्य को आलसी निष्क्रिय और पराधीन बनाया है।

पुरुषार्थवादी मत—इसके ठीक विपरीत दूसरी विचारधारा पुरुषार्थवादी है। दैव कुछ है ही नहीं। मनुष्य के प्रयत्न ही सब कुछ हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह जैसा चाहे बन सकता है। अपना जीवन—सुधार सकता है। वह भाग्य—निर्माता है। बालकृष्ण भट्ट का यह मत बहुत ही सार्थक है कि 'ईश्वर भी सानुकूल सहायक उन्ही का होता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। दैव देव आलसी पुकारा। मंत्र महामनि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअक भाल के।। उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। नहि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।। आदि कथन कर्म की प्रधानता एव मनुष्य के स्वतंत्र कर्ता होने की बात पर जोर देते हैं।

उक्त दोनो मतों में समन्वय आवश्यक—ऊपर कही गई दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समन्वय और सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की गयी है। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि पूर्वकृत कर्मों के अवश्यभावी फल का नाम भाग्य अथवा दैव है। इसके अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है। वर्तमान—कृत कर्म पुरुषार्थ है। पूर्वकृत कर्मों का फल पुरुषार्थ (वर्तमान कृत कर्म) द्वारा बहुत कुछ प्रभावित किया जा सकता है। पुरुषार्थ और भाग्य दो मेढों के समान लडते हैं और जो विजयी होता है उसी का प्रभाव अधिक पडता है। अतः मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि वह पूर्व काल में किए हुए अपने बुरे कर्मों के फल को बदल सके। पुरुषार्थ और भाग्यवाद दोनों में आशिक सत्य दिखाई पडता है। न तो भाग्यवाद को ही सब कुछ माना जा सकता है और न पुरुषार्थवाद को सब कुछ क्योंकि यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ होता तो एक ही प्रकार के प्रयास से अज्ञात शक्तियों और सयोग द्वारा भिन्न—भिन्न फल न प्राप्त होते। ऐसी हालत में दोनों विचारधाराओं में समन्वय ही अच्छा मार्ग है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाग्य पूर्वकृत कर्मों का प्रतिफल है। यह विचार गलत है कि कर्म मनुष्यों के भाग्य से निर्धारित होते हैं⁵। सच बात तो यह है कि भाग्य कर्म सचय से बनता है। भाग्य कर्म पर निर्भर है। अच्छे कर्म करके भाग्य सुधारा जा सकता है और बुरे कर्म करके भाग्य बिगाडा जा सकता है।

5—तुलसी जस भवतव्यता तैसइ मिलइ सहाय।

आपु न आवै ताहि पै ताहि तहाँ लै जाय।।—तुलसीदास

बिना कर्म के भाग्य निष्क्रिय और निष्फल हो जाता है। कर्म और भाग्य में कौन प्रधान है? युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा। भीष्म ने उत्तर दिया कर्म बीज के समान है और भाग्य क्षेत्र (भूमि) के समान। जिस तरह बिना बीज के भूमि फसल नहीं दे सकती उसी तरह बिना कर्म के भाग्य निष्क्रिय रहता है। कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है⁶ भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ हाथ नहीं लगता। कर्म न करने वाले आलसी लोग ही भाग्य की दुहाई देते हैं⁷। जिस तरह दीपक में तेल घटने के साथ दीपक की लौ मन्द पड़ती जाती है वैसे ही कर्म के अभाव में भाग्य मन्द पड़ जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म भाग्य नहीं है बल्कि भाग्य कर्मों का प्रतिफल है।

हिन्दू जीवन-क्रम में कर्म का महत्त्व— (Importance of Karma in Hindu Scheme of Life)-

मनुष्यों में सत्कर्म के प्रति अटूट श्रद्धा बनाये रखने में सहायक— मानव जीवन के लिए कर्म बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। सत्कर्म की भित्ति पर तो समाज का ढाँचा ही अवलम्बित है। जब तक समाज में व्यक्ति सत् कर्मों में अनुरक्त रहते हैं समाज में अपराध और बाल अपराध जैसे विकार पैदा नहीं होते हैं। कर्म का सिद्धान्त मनुष्यों को सत्कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का सिद्धान्त मनुष्यों को बताता है कि कुकर्मों नरकगामी होकर नाना प्रकार की यातनायें सहन करता है और सत्कर्मों स्वर्ग में जाकर सुखों को भोगता है। कर्म का सिद्धान्त मनुष्यों को कष्टों और यातनाओं का भय दिखाकर असत् कर्मों से विरत होने की सलाह देता है। व्यावहारिक जगत में कुछ मनुष्य शुभ कर्मों को करने के बाद भी असफलताओं और दुखों का शिकार होते देखे जाते हैं और कुछ लोग कुकर्म करने के बाद भी सफलता और सुखों को भोगते हैं। ऐसी स्थिति में शुभ आचरण करने वाले पुरुष (यह सोचकर कि जब बुरे आचरण में अनुरक्त व्यक्ति सुख भोग रहे हैं तो क्यों शुभ कर्म किए जावे) कही अशुभ आचरण न करने लगे कर्म का सिद्धान्त इन सदाचारी पुरुषों को सदाचार से यह सान्त्वना देकर डिगने नहीं देता कि दुराचारी पुरुषों को पिछले जन्मों के सदाचार के कारण इस जन्म में कुकर्म करने पर भी सुख और समृद्धि प्राप्त हो रहे हैं जबकि सत्कर्मों लोगों के अतीत के कर्म अशुभ थे इसलिए वे लोग विफलता और दुखों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें यह आशा दिलाता है कि बुरे कर्म करने वालों का भावी जीवन दुख और कष्टों से पूर्ण होगा जब कि सत्कर्मियों का भावी जीवन उज्ज्वल सुखदायी और सफलता प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार कर्म का सिद्धान्त मनुष्यों में सत्कर्म के प्रति अटूट आस्था बनाये रखने में सहायक है।

भविष्य-सुधार की गुजाइश पर बल— कर्म के सिद्धान्त के अनुसार

अतीत का जीवन समाप्त हो चुका है। वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है। लेकिन भविष्य का जीवन अब भी शेष है जिसका निर्माण वर्तमान कर्मों के आधार पर होगा। पापियों के लिए निराशा अपराध और कष्ट की स्थिति में भी आशा का द्वार खुला है⁸ ऐसा उल्लेख कर्म का सिद्धांत करता है। पापीगण यह न समझे कि पाप कर्म करने के बाद अब उनके लिए शुभ कर्म करने का समय ही नहीं रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार शुभ कर्म करने का समय कभी समाप्त नहीं होता। जब से शुभ कर्म होने लग तभी से ठीक है।

उद्यम अथवा मेहनत पर बल— यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब मनुष्य आलसी हो गया तो कर्म का सिद्धांत भाग्यवाद के गलत अर्थ में समझा जाने लगा। जड़ता और अकर्मण्यता को कर्म के सिद्धांत के आधार पर प्रश्रय दिया जाने लगा। कर्म का सिद्धांत निष्क्रियता का पक्ष नहीं लेता। कुछ लोग मेहनत और परिश्रम से कतरा कर जीवन में सफल न होने पर अपने भाग्य को कोसते हैं⁹। लेकिन स्मरण रहे ऐसा कथन कापुरुषो का ही होता है। ये हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढावै साखा। की दुहाई देते है और इसीलिए ये सोचते है कि इस जन्म में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ होना है वह तो होके रहेगा। ऐसा विचार भ्रान्त है। इन्हे यह सोचना चाहिए कि जब कर्मों का ही फल भोगना है और कर्मों द्वारा मुक्ति भी मिल सकती है तो पिछले जन्म में यदि कर्म करने में कोई भूल हुई है तो ऐसी भूल आगे न की जाय और इस जन्म में शुभ और निष्काम कर्म करके वयो न अपना उद्धार कर लिया जाय।

मैक्स वेबर का मत है कि कर्म के सिद्धांत ने ससार को सर्वथा विवेकानुगत एव धर्ममूलक सृष्टि में परिणत कर दिया है। इस कर्म सम्पृक्त जगत् में ईश्वर की न्यायोक्ता के समर्थक जितने भी सम्प्रदायो को इतिहास ने जन्म दिया है यह (कर्म का सिद्धांत) उनमें सबसे अधिक सगत है¹⁰।

कर्म भेद

समय के आधार पर कर्मों को तीन¹¹ कोटियों में बाँटा जा सकता है।

(1) सचित कर्म—अतीत में किए गए कर्म।

8—The law of Karma encourages the sinner that it is never too late to mend. It does not shut the gates of hope against despair and suffering. The Hindu View of Life Page 55

9—उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

10—Karma doctrine transformed the world into strictly rational ethically determined cosmos. it represents the most consistent theodicy ever produced by history. Max Weber. The Religion of India Page 121

11—सचित प्रारब्ध और क्रियमाण—इन तीन कर्मों को K. V. Rangaswami Aiyangar ने बड़े ही सुन्दर ढंग से समझाया है।

'We may compare the first (Shanchita Karma) to inherited capital, the second (Piarabdha) to capital that has been accumulated and is destined for use and the third (Kriyamana) to capital-in-use. —Some Aspects of the Hindu View of Life According to Dharmashastu a' K. V. Rangaswami Aiyangar Page-37

(2) प्रारब्ध—वह कर्म जिसका प्रभाव प्रारम्भ हो गया है।

(6) क्रियमाण—वह कर्म जो भविष्य में होगा।

कर्म उद्देश्य की दृष्टि से कर्म के दो भाग किए जा सकते हैं।

(1) अभ्युदय जनक—अभ्युदय जनक कर्म वे हैं जो इसलिये किये जाते हैं जिससे कि इस लोक में सुख समृद्धि और शान्ति मिले।

(2) निश्रेयस् जनक—अनासक्त कर्मों को निश्रेयस् कहते हैं। जिन कर्मों से पारलौकिक सुख व समृद्धि मिले निश्रेयस् जनक कर्म कहलाते हैं।

प्रथम प्रकार के कर्मों को प्रवृत्ति कर्म और दूसरी कोटि के कर्मों को निवृत्ति कर्म कहते हैं।

कर्म-सिद्धात का दुरुपयोग— समस्त हिन्दू सामाजिक सगठन में व्याप्त कर्म का सिद्धात स्वयं दोषपूर्ण नहीं है। ब्राह्मणों ने कर्म के सिद्धात का गलत प्रयोग किया। इस सिद्धात की गलत ढंग से व्याख्या कर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में व्याप्त असमानता के औचित्य को सिद्ध किया। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थान निम्न था। शूद्रों ने जब ब्राह्मणों से यह पूछा होगा कि हमें समाज में निम्न स्थान क्यों दिया गया? इसका उत्तर ब्राह्मणों ने इस तरह दिया होगा कि हम किसी को निम्न स्थान क्यों देंगे। तुम अपने आप निम्न स्थान के पात्र बने क्योंकि तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्म जरूर खराब रहे होंगे। शूद्रों ने कहा 'तुम्हें कैसे मालूम?' ब्राह्मण नियामकों ने कहा यदि तुम्हारे अच्छे ही कर्म होते तो शूद्र के यहाँ जन्म न लेते कहीं ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर तुम्हारा जन्म हुआ होता। तुम्हारा शूद्र के यहाँ जन्म लेना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे कर्म खोटे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का इतिहास तो किसी को स्मरण नहीं रहता इसलिये शूद्रों ने ब्राह्मणों के इस कुतर्क में फँसकर अपने हृदय में छिपी हुई विद्रोह की आग को शान्त कर लिया और विवश होकर उनकी बात मान ली तथा अन्याय सहन करते रहे। इस प्रकार ब्राह्मण शूद्रों के प्रति जो अन्याय करते रहे उसके औचित्य को कर्म के सिद्धात के आधार पर प्रदर्शित करते रहे। अतः कर्म के सिद्धात का प्रयोग ब्राह्मणों ने अन्याय को छिपाने के लिए किया और यही कर्म के सिद्धात का दुरुपयोग है।



अध्याय 6

धर्म की अवधारणा Concept of Dharma

धर्म और रिलीजन में भेद— प्रायः अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का हिन्दी में अनुवाद धर्म के रूप में किया जाता है जिससे संस्कृत के धर्म शब्द को लोग रिलीजन का समानार्थक समझने की भूल करते हैं। वास्तविकता यह है कि धर्म और रिलीजन में मौलिक भेद है दोनों एक नहीं हैं। धर्म शब्द हिन्दू परम्परा में दो अर्थों में व्यवहृत हुआ है। प्रथम पुरुषार्थ के रूप में और दूसरे कर्तव्यों और दायित्वों के समुच्चय के रूप में। रिलीजन सम्प्रदाय का द्योतक है और इस अर्थ में संकुचित है। रिलीजन शब्द ईसाइयत और इस्लाम के लिए अधिक उपयुक्त है न कि हिन्दुत्व के लिए। धर्म शब्द का व्यापक अर्थ है यह तो समस्त मानवता के लिए है। रिलीजन का केन्द्र कोई न कोई अलौकिक शक्ति अथवा समाजोपरि शक्ति है। इस शक्ति में विश्वास रिलीजन का प्रधान अंग है। इस अलौकिक शक्ति की पूजा करने की विधियों का भी रिलीजन में समावेश है। धर्म का सबंध अलौकिक शक्ति से नहीं है। धर्म तो जीवन यापन का एक तरीका है।

धर्म का अर्थ— भारतीय चिंतन में प्रविष्ट होने वाली समस्त धारणाओं में धर्म का प्रत्यय सबसे प्रमुख है। संस्कृत भाषा का यह शब्द अनेक अर्थों से गुजर चुका है इसलिए यह शब्द व्यापक अर्थों का द्योतक भी है। धर्म का प्रयोग सभी प्रकार की मानव क्रियाओं को निश्चित करने तथा इनके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। डा. राधाकृष्णन् ने धर्म के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि धर्म का उद्देश्य हमारे विविध प्रकार के उद्देश्यों, हितों और इच्छाओं में सामंजस्य का संचार करना है। चूंकि धर्म नाना प्रकार के स्वार्थों और इच्छाओं के मध्य एकता को जन्म देता है इसे कर्तव्यों और दायित्वों के एक विस्तृत सिद्धान्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतएव उचित कर्तव्यों को ही डा. राधाकृष्णन् ने धर्म की सज्ञा दी है।¹ इस सदर्थ में जिमर ने ठीक कहा है कि धर्म समस्त नैतिक क्रियाओं की विधि अथवा दर्पण है।

धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादन को ही धर्म बतलाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर अपने धर्म की परीक्षा में अपने पिता यक्ष (धर्म) के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि वेद व स्मृतियों में अनेक प्रकार के विचार हैं मुनियों के विचारों में भी वैभिन्न्य परिलक्षित होता है धर्म का तत्त्व गुफा में निहित है इसलिए श्रेष्ठ पुरुष (महाजन) जिस मार्ग का अनुसरण करे वही धर्म है।

साहित्यिक एव धात्वर्थ— साहित्यिक अर्थ के दृष्टिकोण से धर्म धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना आश्रय देना सहारा देना रोकें रहना। इसीलिए धर्म वह वस्तु है जो किसी चीज को धारण करती है अथवा जिसमें धारण करने की क्षमता होती है। महाभारत के कर्ण पर्व में धारण करने की क्षमता के ही कारण इसे धर्म की सज्ञा दी गई है। धर्म प्रजा को धारण करता है। जो धारण के साथ सयुक्त है वह निश्चय ही धर्म है²।

समाजशास्त्र में धर्म शब्द का प्रयोग समाज को धारण करने के अर्थ में हुआ प्रतीत होता है। धर्म एक ऐसा तत्त्व है जो समाज को धामे हुए है, इसे कायम रखे हुए है। धर्म समाज का पालन—पोषण करता है। नैतिक आदर्शों को उपस्थित कर समाज की जड़ों को मजबूत बनाता है। समाज में होने वाली अव्यवस्थाओं को कम करता है। उन सामाजिक शक्तियों में सन्तुलन बनाये रखता है जो पुष्ट समाज के लिए आवश्यक हैं। अतएव समाज के सुसंगठन के लिए धर्म एक अनिवार्य वस्तु है। हिन्दुओं का मत है कि धर्म के ह्रास के साथ अधर्म (पाप) में वृद्धि होती है। पापों की वृद्धि के साथ—साथ समाज में विकार आने लगते हैं। समाज में उत्पन्न होने वाले इन विकारों को रोकने के लिए तथा धर्म के उत्थान और अभ्युदय के लिए ही अवतार होता है। यहाँ पर धर्म सद्गुण (पुण्य) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

डा भगवानदास के शब्दों में साहित्यिक दृष्टिकोण से धर्म वह है जो किसी वस्तु को धारण करता है और उस वस्तु को वस्तु बनाये रखता है। उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को रोकता है। सर्वसाधारण ढंग से धर्म को मानव कर्तव्यों पारिवारिक कर्तव्यों सामाजिक कर्तव्यों आध्यात्मिक सांस्कृतिक और राजनैतिक कर्तव्यों के रूप में समझा जा सकता है। वस्तुतः धर्म का अर्थ मानव समाजों के सुदृढ़ संगठन के लिए अनिवार्य कर्तव्यों के समूह अथवा समुच्चय से होगा। इसके अतिरिक्त धर्म को एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है जो मनुष्यों को पुरस्कृत करने और दण्ड देने के योग्य है। इस प्रस्तुत अर्थ में धर्म न्याय के अलावा और कुछ नहीं है।

धर्म एव न्याय— धर्म का प्रत्यय प्लेटो के न्याय के प्रत्यय के समकक्ष है क्योंकि दोनों औचित्य पर बल देते हैं।

ऋत एव धर्म— कतिपय मनीषियों का कहना है कि वैदिक 'ऋत' की धारणा धर्म के प्रत्यय के समकक्ष है। 'ऋत' को संसार की उचित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋत सत्य अथवा वस्तुओं के सत्य और धर्म अथवा उद्विकास के नियम दोनों का परिचायक है। डा राधाकृष्णन् का कहना है कि धर्म वस्तुओं के सत्य के समरूप है। अधर्म उसका उल्टा है। नैतिक अनिष्ट सत्य के समरूप नहीं है।³ सत्य संसार को घेरे हुए है और विश्व को नियंत्रित

2 धारणात्वर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ।

करता है। कीथ ने ऋत को ब्रह्माण्ड की व्यवस्था कहकर पुकारा है और यह अनृत के विरुद्ध नैतिक व्यवस्था का सूचक भी है। ऋत एक विश्व शक्ति है और ईश्वर भी उसके नियमों के अधीन है। यज्ञ के साथ ऋत समस्त प्राचीन भारतीय सामाजिक और नैतिक चिन्तन में व्याप्त रहा है। कीथ ने बतलाया कि धीरे-धीरे ऋत के प्रत्यय का स्थान धर्म के प्रत्यय ने ले लिया क्योंकि ऋत का प्रत्यय विकसित स्थिति की सम्पूर्ण आवश्यकताओं का समाधान न कर सका जबकि इन आवश्यकताओं का उत्तर देना सामाजिक संगठन की जटिलता में वृद्धि के साथ आवश्यक था। P.V. Kane का भी कहना है कि वैदिक ऋत की धारणा काफी उच्च और श्रेष्ठ है और बाद के धर्म सिद्धान्त का यह बीज है।

आचार संहिता के रूप में धर्म— इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म का प्रत्यय काफी व्यापक है और यह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का आलिंगन करता है। धर्म शास्त्र के लेखकों ने धर्म को विश्वास और रिलीजन के अर्थ में नहीं समझा बल्कि उन्होंने धर्म को एक ऐसे जीवन के ढंग (mode of life) अथवा आचार-संहिता (code of conduct) के रूप में समझा जिसने एक मनुष्य के कर्म और क्रियाओं को समाज के सदस्य के रूप में तथा व्यक्ति के रूप में नियंत्रित किया और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को धीरे-धीरे विकसित करना यथा इस लायक बना देना था कि वह मानव जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करे ले⁴।

स्वभाव के अर्थ में धर्म— धर्म शब्द किसी वस्तु के आन्तरिक गुण अथवा स्वभाव का भी सूचक है। उदाहरणार्थ आग का धर्म जलाना है सोंप का धर्म काटना है। इन उदाहरणों में धर्म का तात्पर्य स्वभाव अथवा गुण से है।

धर्म की शास्त्रीय परिभाषाएँ— धर्म की परिभाषा देने की चेष्टा कुछ शास्त्रकारों ने भी की है। जैमिनि ने कहा है, धर्म वह है जिसमें प्रेरणा देने का लक्षण पाया जाता है⁵। वैशेषिक सूत्र के अनुसार धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस् की प्राप्ति होती है⁶। अभ्युदय का मतलब जहाँ लौकिक सुख समृद्धि और सम्पन्नता से होता है वहीं निश्रेयस् का सम्बन्ध पारलौकिक उपलब्धियों से है। अतः धर्म वह है जिससे इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। सुख और आनन्द का मूल धर्म है (धर्म सुखमासीत)⁷।

निष्कर्ष— उपर्युक्त वर्णन इस बात का प्रमाण है कि अर्थ की दृष्टि से धर्म अनेक सक्रमण कालों से होकर गुजरा है अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी धर्म का इस्तेमाल सभी ने सुदृढ़ सामाजिक संगठन के लिए अनिवार्य कर्तव्यों और दायित्वों के अर्थ में किया है। यात्रिक नियमों की भाँति धर्म की धारणा कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है अपितु एक गतिशील विचार है।

4 कणे पी०वी० हिस्ट्री आव् धर्मशास्त्र वाल्यूम 2 भाग।।

5 चोदनालक्षणार्थो धर्म । पूर्वमीमासा

6 यतोऽभ्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धर्मः । वैशेषिक सूत्र।

7 कल्याण हिन्दू-संस्कृति अक पृ 369।

धर्म शब्द पुरुषार्थ के रूप में — हिन्दुओं ने पुरुषार्थ की संख्या चार मांगी है जो इस प्रकार है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों में धर्म सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। हिन्दू का जीवन एक महायात्रा है जिसका गन्तव्य है मोक्ष। मनुष्य इस महायात्रा का पथिक है। काम और अर्थ का सेवन उसे प्रिय है। काम और अर्थ का विचार मनुष्य के मस्तिष्क से तभी निकाला जा सकता है जब उसके मस्तिष्क की बनावट को ही परिवर्तित कर दिया जाय। इसलिए मनुष्य काम और अर्थ का सेवन करता हुआ जीवन यात्रा पूरी करना चाहता है लेकिन कहीं काम और अर्थ का अनुचित सेवन उसे पथभ्रष्ट न कर दे पुरुषार्थों में धर्म का विधान किया गया और धर्मानुकूल काम-तुष्टि और अर्थ प्राप्ति के लिए उसे शास्त्रों में आदेश दिया गया। पुरुषार्थ के रूप में धर्म नैतिक नियमों की व्यवस्था है। नैतिक नियम सदाचार पर बल देते हैं। ये नैतिक नियम व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक सतुलन बनाये रखने में सफल होते हैं। अर्थ और काम सेवन के क्षेत्र में व्यक्ति को धर्म नियंत्रित करता है। अतः धर्म एक नियमन करने की (नियंत्रक) शक्ति है। इस अर्थ में धर्म एक गडरिये अथवा चरवाहे के सदृश है। गडरिया (सेफर्ड) जानवरों की देखभाल करता है उन्हें खेतों की हरियाली की तरफ आकृष्ट नहीं होने देता या हरे-भरे खेतों में खाने से रोकता है। जिस प्रकार जानवरों को आकर्षित करने वाले हरे-भरे लहलहाते खेत हैं उसी प्रकार मनुष्य को आकर्षित करने वाली सुरा सगीत सुन्दरी विषय-भोग और नाना प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक लोभ आदि अनेक सांसारिक हरियालियाँ हैं। मनुष्य इन लौकिक हरियालियों में फँसकर कहीं अपना मार्ग ही न भूल जाय और उसकी महायात्रा अधूरी न रह जाय इसके लिए धर्म रूपी गडरिये का हिन्दुओं में विधान है जो मनुष्य रूपी पशु को विषय-भोग की हरियालियों में नही फँसा देता। महाभारत में वेदव्यास ने शायद इसीलिए धर्म को सभी पुरुषार्थों से श्रेष्ठ माना है। जब धर्म से ही अर्थ और काम प्राप्त होते हैं तो धर्म का सेवन क्यों न किया जाय।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्माद् अर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।। स्वर्गारोहण पर्व 5/62

चारों पुरुषार्थों में धर्म सबसे महत्त्वपूर्ण है इसे सिद्ध करने के लिये कोई-कोई विद्वान् धर्म की उपमा एक सारथी से देते हैं। सारथी का कार्य है रथ पर आरूढ़ व्यक्ति को इष्ट स्थान पर पहुँचाना। यदि धर्म को सारथी माने तो काम को अश्व मानना पड़ेगा और अर्थ को रथ का काष्ठ भाग तथा मुक्ति (परम सेव्य) को व्यक्ति का अश्व। धर्म रूपी सारथी का कार्य अर्थ रूपी उस रथ में बैठे हुए मनुष्य को जिसमें कामरूपी अश्व जुटा हुआ है उसके अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त कराना है।

धर्म हमें बताता है कि अर्थ और काम साध्य न होकर साधन मात्र हैं। वह

जीवन जो अर्थ और काम की अमर्यादित सन्तुष्टि पर बल दता है अवाच्छनीय और खतरनाक है। अतः यह आवश्यक है कि जीवन मोक्ष प्राप्ति के आदर्श द्वारा मर्यादित हो और यही वह कार्य है जिसके लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म मनुष्य में विद्यमान सग्रहवृत्ति और भावनात्मक अभिलाषाओं को दिशा प्रदान कर जीवन के आनन्द और मोक्ष में समन्वय स्थापित करता है।

सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म—पुरुषार्थ के अलावा धर्म शब्द संस्कृत साहित्य में कर्तव्यों के समूह के रूप में इस्तेमाल हुआ है। कर्तव्यों के रूप में धर्म के दो पक्ष हैं (1) सार्वभौमिक पक्ष और (2) विशिष्ट पक्ष। कुछ धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए हैं। इन्हें साधारण धर्म अथवा मानव धर्म की संज्ञा दी गयी है। मानव धर्म के रूप में साधारण और शाश्वत नियमों को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। मानव धर्म का विकास इस धारणा के आधार पर हुआ है कि देश, काल, गुण और श्रम के कारणों से उत्पन्न विचरणों के होते हुए भी मानव जीवन सर्वत्र समान है और इस कारण कुछ आधारभूत नियमों तथा सिद्धांतों से बंधा है। यही सर्वव्यापी आधारभूत नियम तथा सिद्धांत मानव धर्म का सार है^१। धर्म के ये नियम और सिद्धांत सुखी मानव जीवन के आधार हैं। महाभारत में अक्रोध सत्य वादन सविभाग (न्याय) क्षमा स्व स्त्री में सतोष शौच अद्रोह आर्जव आश्रित जनो का भरण पोषण—ये नौ सभी वर्णों के धर्म बताये गये हैं। मनुस्मृति में सत्य अहिंसा अस्तेय शौच और इन्द्रिय निग्रह सभी वर्णों के धर्म बताये गये हैं। इसके अलावा मनुस्मृति (6/92) में धर्म के दस नियमों का उल्लेख है। इनके पालन करने से इहलोक और परलोक में सुख मिलता है और समाज व्यवस्थित रहता है। ये धर्म के दस नियम इस प्रकार हैं— धैर्य क्षमा दम (सयम) अस्तेय (बिना माँगे किसी की चीज न लेना अथवा चोरी न करना) शौच (बाहर भीतर की शुद्धि अथवा सब प्रकार की शुद्धि) इन्द्रिय—निग्रह (इन्द्रियों को काबू में रखना) धी (बुद्धि द्वारा विचार करके कामों को करना) विद्या (सब प्रकार का विशेषकर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील होना) सत्य (सच बोलना) अक्रोध (जहाँ क्रोध करने का अवसर हो वहाँ भी क्रोध न करना)। अपने योग सूत्र में पतञ्जलि ने पाँच यम और पाँच नियमों के रूप में धर्म के नियमों के पालन का आदेश दिया है जो इस प्रकार हैं—

पाँच यम—अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पाँच नियम—शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और ईश प्राणिधान (ईश्वर में विश्वास और उस पर भरोसा)^२।

ऊपर कहे गये धर्म के नियम सब मनुष्यों के लिए हैं चाहे वे किसी देश काल वर्ण जाति या आश्रम के हों।

कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो सबके लिए नहीं होते। ये धर्म व्यक्ति की भिन्नताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से स्वभाव गुण लिंग अथवा किसी स्थान पर नियुक्ति के आधार पर भिन्न होते हैं और इन

४—भट्ट गौरीशंकर भारतीय संस्कृति पृष्ठ 113

१—डॉ० भीखन लाल आत्रेय की पुस्तक भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास के पृष्ठ 620 से उद्धृत।

भिन्नताओं के कारण उनके लिए अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं। इन्हें विशिष्ट धर्म कहा जाता है। समाजशास्त्रीय भाषा में विशिष्ट धर्म को समाज में व्यक्ति की स्थिति—सकुल से सम्बन्धित कर्तव्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्थिति—सकुल मोटे तौर से एक व्यक्ति के पदों की व्यवस्था है। समाज में व्यक्ति अनेक छोटे बड़े समूहों का सदस्य होता है और समाज में वह अनेक पद ग्रहण किये हुए है। इन पदों से सम्बन्धित करणीय कार्य विशिष्ट धर्म हैं। उदाहरणार्थ वर्ण धर्म आश्रम धर्म स्त्री धर्म मित्र धर्म और राज धर्म आदि विशिष्ट धर्म की श्रेणी में आते हैं।

वर्ण धर्म— हिन्दू समाज चार वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र — ये चार वर्ण थे। ब्राह्मण का धर्म था पढ़ना और पढ़ाना यज्ञ करना और यज्ञ कराना दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना दान देना यज्ञ करना और विषय भोगों से दूर रहना था। वैश्य का धर्म था समाज का पालन पोषण करने के लिए गापालन व्यापार और कृषि कार्यों को करना। शूद्र का धर्म था बिना ईर्ष्या अथवा द्वेष के द्विजों की सुश्रूषा (परिचर्या) करना।

आश्रम धर्म— ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास नामक चार आश्रम हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास के पृथक्-पृथक् विशेष धर्म निम्नलिखित हैं।

ब्रह्मचारी— वेदाध्ययन करना गुरु की सेवा करना उपनयन के समय दी गयी सामग्री (अजिन दण्ड यज्ञोपवीत) न त्यागना और उन सभी चीजों (जैसे गाना बजाना नाचना काम क्रोध और लोभ) से दूर रहना जो अध्ययन के मार्ग में बाधक हैं।

गृहस्थ— पचमहायज्ञों को प्रतिदिन सम्पन्न करना गृहस्थ का विशेष धर्म है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही गृहपति की पत्नी की आवश्यकता पडती है।

वानप्रस्थ— इच्छाओं का दमन करना तप द्वारा शरीर को सुखाना जंगल में प्राप्त कदमूल फल आदि से पचमहायज्ञों को करना वानप्रस्थ के विशेष धर्म हैं।

सयासी— इच्छाओं से रहित होकर विचरण करना, सुख—दुःख, मानापमान आदि में एकसा रहना सयासी के विशेष धर्म हैं।

स्त्री धर्म— स्त्री धर्म को दो भागों में बाँटा जा सकता है। —(1) सधवा स्त्री के धर्म और (2) विधवा स्त्री के धर्म। पति सेवा और पतिभक्ति सधवा स्त्री के विशेष धर्म हैं। जहाँ तक विधवा स्त्री के धर्म का प्रश्न है अधिकांश धर्मशास्त्र उसे दूसरा विवाह करने की आज्ञा देते हैं। यदि विधवा स्त्री की इच्छा दूसरा विवाह करने का हो तब तो वह दूसरा विवाह करे नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहकर वैधव्य के नियमों का पालन करे। ब्रह्मचारिणी विधवा के जीवन के यम और नियम वैसे ही हैं जैसे अन्य नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के होते हैं¹⁰। ब्रह्मचारिणी विधवा सभी तरह के भोग विलासों से दूर रहे और तपस्य का जीवन व्यतीत करे।

मित्र धर्म— सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के दुःख से दुःखी हो और उसके सुख से सुखी हो अर्थात् अपने मित्र के दुःख व सुख में भागीदार हो। मित्र धर्म के विषय में मानसकार का कथन देखिए —

जे न मित्र दुःख होहि दुःखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ।।

जो मित्र अपने मित्र की उसके सामने प्रशंसा करे तथा पीठ पीछे बुराई करे वह सच्चा मित्र नहीं है। उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए।

पोरक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

बर्जयेत तादृश मित्र विषकुम्भपयोमुखम् ।।

राज धर्म— राजा के कर्तव्य सामान्य जनो के कर्तव्यों से भिन्न है। अतः राजधर्म भी एक विशिष्ट धर्म है। मनुस्मृति और महाभारत के अनुशासन पर्व में राजधर्म की विस्तृत विवेचना है। मनु के अनुसार राजा का पहला कर्तव्य यह है कि वह देखे कि लोग धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं¹¹। प्रजा की रक्षा करना भी राजा का मुख्य धर्म है। सत्यमित्र दुबे ने अपनी पुस्तक 'मनु की समाज व्यवस्था में राजा के दो प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया है'¹²।

(1) धर्म संस्थापनार्थं दण्ड का प्रयोग

(2) दण्ड प्रयोग की सामर्थ्य क्षमता तथा योग्यता रखना।

कर्मचारियों के समुचित पोषण की व्यवस्था करना योद्धाओं का आदर करना उद्देश्य सिद्धि के लिए कुटिल नीति का सहारा लेना आदि राजधर्म हैं¹³।

आपद्धर्म— आपद्धर्म में हिन्दू समाज की परम उदारता और इस लोक की महत्ता स्पष्ट रूप से झलकती है। कतिपय पाश्चात्य विद्वान हिन्दू समाज में यह दोष बताते हैं कि यहाँ जीवन रक्षण (Life affirming) की नीति नहीं है। बल्कि जीवन त्याग (Life-denying) की नीति है। आपद्धर्म इन पाश्चात्य विचारकों का मुहताज जवाब देता है। जीवन की रक्षा को ध्यान में रखकर हिन्दुओं ने आपद्धर्म की व्यवस्था की। यहाँ तक कि जीवन रक्षा को धर्म की रक्षा से भी श्रेष्ठ माना गया क्योंकि जब जीवन की रक्षा नहीं होगी तो धर्म का पालन कैसे होगा। मनुस्मृति में लिखा है कि यदि प्राणों के निकलने की स्थिति हो तो मांस खा लेना भी वर्जित नहीं है। आपद्धर्म के कई उदाहरण भी उपलब्ध हैं। ऐसा वर्णन है कि धर्म और अधर्म को जानने वाले विश्वामित्र ने कुत्ते का मांस खाया था। अतः आपद्धर्म से तात्पर्य ऐसे धर्म से है जो मुसीबत या आपत्तिकाल के लिए हो। जीवों को न मारना (अहिंसा) एक सामान्य धर्म है लेकिन प्लेग फैल रहा हो तो चूहों को मारना अधर्म न होगा। आपद्धर्म अस्थायी होते हैं। इसीलिए मनु का कथन है कि आपत्तिकाल में कहे गए धर्म का जो अनापत्तिकाल में प्रयोग करते हैं वे परलोक में उसका फल नहीं पाते मनुस्मृति (11-38)।



11—मनुस्मृति 8/304

12—दुबे सत्यमित्र मनु की समाज व्यवस्था पृष्ठ 143।

13—महाभारत अनुशासनपर्व 145।

अध्याय 7

पुरुषार्थ की धारणा (Concept of Purushartha)

पुरुषार्थ सिद्धान्त का आविष्कार क्यों ?— हिन्दू चिन्तन में मनुष्य केवल भौतिक पुतला अथवा जैविक प्राणी नहीं है। वह इससे बढ़कर एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसका सम्बन्ध मानवेतर शक्ति से है। वह अपूर्ण है। उसे पूर्णता की प्राप्ति करनी है। मनुष्य के जीवन में पैदा होना बढ़ना नवीन गुण तथा ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक सम्बन्ध बनाना ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य का जामा पाकर उसे अपना उद्धार भी करना है। अपना उद्धार करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति सामाजिक जीवन के द्वारा (सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति द्वारा) संभव है।

हिन्दुत्व की बड़ी विशेषता यह है कि यह नैसर्गिक इच्छाओं और सामाजिक उद्देश्यों के मानव जगत और आध्यात्मिक जीवन के मध्य संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। मूल (ब्रह्म) से असम्बद्ध नैसर्गिक जीवन की हिन्दुत्व में निंदा की जाती है। वह जीवन जो इस ससार और यहाँ की अच्छी चीजों पर केन्द्रित है सतोषजनक नहीं है क्योंकि यहाँ की बड़ी से बड़ी सफलता का अन्त यही हो जाता है। सभी सामाजिक संबंध मिट जाते हैं अन्त को प्राप्त होते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ससार और सांसारिक संबंधों की उपेक्षा की जाय। सांसारिक संबंध एव वस्तुएँ सदा रहने वाली नहीं स्थायी नहीं हैं लेकिन इस आधार पर यह मान लेना कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है मुसीबत को आमंत्रित करना है। शाश्वत (eternal) अपनी अभिव्यक्ति कालिक (temporal) के रूप में करता है और कालिक ही शाश्वत को प्राप्त करने का मार्ग है। सत्य अपने ससीम (finite) रूप में असीम (infinite) सत्य की तरफ ले जाता है। वैराग्य ससीम के रूप में असीम से अलगाव (अनाशक्त रहने) की भावना है और असीम के मूर्तमान रूप के रूप में ससीम से लगाव की भावना है। असीम और ससीम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग करना विनाशकारी है। उपनिषद् का कथन है कि 'ससार को पूजने वाले अंधकार में हैं लेकिन उससे भी अधिक अधकार में वे हैं जो केवल ब्रह्म को पूजते हैं जो दोनों को पूजता है वही अमरत्व को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य अपने को समाज और समाजेतर आयाम से जोड़ता है। सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ सिद्धान्त का आविष्कार हिन्दू मनीषियों ने किया है।

पुरुषार्थ का अर्थ— मनुष्य इस ससार में और परलोक में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उस सबकी अभिव्यक्ति ही पुरुषार्थ है। यह मनुष्य के प्रयोजन उसके प्राप्य का द्योतक है। पुरुषार्थ मनुष्य के उद्देश्य अथवा लक्ष्य का विषय है। यह वह मुख्य प्रयोजन है जिसकी प्राप्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न करना मनुष्य के लिए आवश्यक और कर्तव्य हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि से ये चार प्रकार के होते हैं। साख्य दर्शन में सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना ही परम पुरुषार्थ है। परवर्ती पौराणिकों ने धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ माना है। उक्त चार बातों की गिनती उन मुख्य पदार्थों में की जाती है जिनकी ओर सदा मनुष्य का ध्यान या लक्ष्य रहना चाहिए।

पुरुषार्थ विवेचन— धर्म अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। प्रथम तीन को मनु ने त्रिवर्ग कहा है। नीचे अलग-अलग चारों का विवेचन प्रस्तुत है।

धर्म— संस्कृति वाङ्मय के इस शब्द के अनेकार्थी होने की बात हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं। वहाँ इसके कई अर्थों की तरफ सकेत भी किया गया है। राधाकृष्णन के मतानुसार उचित क्रिया (right action) को धर्म कहना चाहिए। धात्वर्थ की दृष्टि से धारण करना बनाये रखना अथवा थामे रहने का अर्थ इससे निकलता है। यह भी कहा जा सकता है कि धर्म सभी सृष्ट वस्तुओं की रक्षा करता है। अस्तु धर्म वह सिद्धान्त है जिसमें विश्व की स्थिति बनाये रखने की सामर्थ्य है। पुरुषार्थ के सन्दर्भ में धर्म से नैतिकता (morality) का बोध होता है। यहाँ धर्म का अर्थ सदाचार है। दुराचार अथवा पाप धर्म का विरोधी है। यहाँ पर सबसे उपयुक्त अर्थ में एक नियंत्रक शक्ति है। मनुष्य को समय मर्यादा तथा अनुशासन में रखना धर्म का कार्य है।

अर्थ और काम को धर्म साध्य न बताकर साधन बताता है। वह जीवन जो अर्थ और काम की अमर्यादित सतुष्टि पर बल देता है अवाञ्छनीय और खतरनाक है। अतः अन्ततोगत्वा यह आवश्यक है कि जीवन मोक्ष प्राप्ति के आदर्श द्वारा मर्यादित हो और यही वह कार्य है जिसके लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म मनुष्य में विद्यमान सग्रहवृत्ति और भावनात्मक अभिलाषाओं को दिशा प्रदान कर जीवन के आनन्द और मोक्ष में समन्वय स्थापित करता है। अतः सासारिक हितों और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बीच सगति (Harmony) धर्म द्वारा विहित अनुशासन से प्राप्त की जाती है²।

१ देखें मानक हिन्दी कोश।

2 " Dharma seems to be the arbiter, the conscience keeper, the director, the interpreter of the properties that govern the right functioning and management of the relations between the inner man and the group. Dharma is, therefore, the holder of the balance in terms of which Artha and Kama have to be dealt with, weighed, practised and apportioned " Prabhhu, P.H., Hindu Social Organisation, Page 82

अर्थ— अर्थ से तात्पर्य मनुष्य के आर्थिक और राजनीतिक जीवन शक्ति और सम्पत्ति की इच्छा से है। सम्पत्ति विषयक इच्छा मानव स्वभाव के लिए मौलिक है। सम्पत्ति के विचार का उन्मूलन मानव मस्तिष्क की बनावट में परिवर्तन लाने से ही सम्भव है। बहुत से लोगों के लिए सम्पत्ति (धन) वार्तालाप करने और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब धन और सम्पत्ति का अनुसरण मानव की वैधानिक अभिलाषा है तो इनकी प्राप्ति धर्मपरायण ढंग से की जानी चाहिए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए हिन्दू समाज ने जीवन के अत्यन्त घनिष्ठ विवरणों को नियमित किया है और ये जीवन के विवरण धर्म के नियम हैं। धर्म के ये नियम देश के सभी भागों और हिन्दू इतिहास के सभी कालों में एक से नहीं रहे। अर्थ से सम्बन्ध सांसारिक समृद्धि से है। सांसारिक समृद्धि के लिए धन और शक्ति (Power and Wealth) आवश्यक हैं। इसलिए धन और शक्ति अर्थ-सूचक हैं। अर्थशास्त्र में भी अर्थ से आशय धन से लिया गया है। कपाडिया ने अर्थ को सग्रहीवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है।

काम— सकुचित अर्थ में काम से तात्पर्य यौन इच्छाओं की पूर्ति से है। हिन्दू विद्वानों ने यौनेच्छा सतुष्टि को विवाह द्वारा नियमित कर काम को उचित इच्छा के रूप में स्वीकार किया। विस्तृत अर्थ में काम से आशय मनुष्य में विद्यमान उन सभी इच्छाओं (कामनाओं) से है जिनका सबंध इन्द्रियों की सतुष्टि और सुख से है और साथ ही इसमें यौन कामना का भी समावेश है। काम से तात्पर्य प्रवृत्त्यात्मक जीवन (Instinctual Life) से ही नहीं है बल्कि भावनात्मक और सौन्दर्यात्मक जीवन से भी है। काम क्रोध लोभ, मोह, मद और मत्सर मनुष्य के छ रिपु हैं। काम इन छ रिपुओं में से एक है। शुद्ध यौन कामना के रूप में काम की अभिव्यक्ति उसकी निम्न स्तर पर अभिव्यक्ति है। कुछ भी हो यह सत्य है कि काम के बिना, जो कि मानव प्रजाति को स्थिर बनाये रखने में सहायता करता है मनुष्य अपने जीवन को संचालित नहीं कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि काम की तुष्टि धर्म द्वारा नियमित हो।

मोक्ष— हिन्दू मनीषियों ने मोक्ष को चरम लक्ष्य माना है। धर्म, अर्थ और काम तो क्रियायें हैं साधन हैं। मोक्ष साध्य है। मोक्ष किसी उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति का साधन नहीं है। इसीलिए मोक्ष को हिन्दुओं ने चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। जब कोई व्यक्ति मोक्ष अथवा मुक्ति की बात करता है तो उससे यह इंगित होता है कि वह बँधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। क्या हिन्दू कुछ बन्धनों से बँधा हुआ है? हाँ कुछ क्यों वह तो अनेक बन्धनों से बँधा है जैसे पारिवारिक बन्धन जातीय बन्धन, समाजिक बन्धन आदि। इनके भी अलावा वह जन्म मृत्यु के बन्धन (आवृत्तियों के बन्धनों) से अपने को बँधा हुआ मानता है। हिन्दू इस भव बन्धनों (जन्म मृत्यु के चक्र) से छूटना चाहता है और इस बन्धन से छुटकारा को मोक्ष कहते हैं। 'मुक्ति' 'निर्वाण', 'कैवल्य' 'परमपद' और 'आध्यात्मिक स्वतन्त्रता' आदि शब्द

मोक्ष के पर्यायवाची है। मोक्ष ही मनुष्य को अन्तिम सन्तोष देता है और सभी क्रियाएँ इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित की जाती हैं।

चारो पुरुषार्थों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है?— 'त्रिवर्ग' में धर्म की श्रेष्ठता का उल्लेख शास्त्र करते हैं। पिछले अध्याय में धर्म की महत्ता का वर्णन किया गया है। यहाँ चारो पुरुषार्थों में से कौन सा परम पुरुषार्थ है इस पर विचार करना है। **क्या काम मूल्यवान है?**— काम को श्रेष्ठ मानने की बात की जाती है। चावाक दर्शन के अनुयायी जिनका आदर्श 'खाओ पीओ और मौज उड़ाओ' है विषय भोग को सबसे उच्च मानते हैं। उन्हें विषयों के भोगों में ही सुख व आनन्द मिलते दिखाई देते हैं। ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं इसलिए यावज्जीवित सुख जीवित इनका प्रधान लक्ष्य है। कामी पुरुष काम को ही उच्च मूल्य मानते हैं। काम अपने सकुचित एव व्यापक दोनों अर्थों में महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य की कामनाएँ एव इच्छाएँ अनन्त हैं इसलिए सब की सब इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर निराशा तथा अशान्ति का शिकार मनुष्य को होना पड़ता है। उसे सघर्ष पथ का भी अनुसरण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में काम दुःख का कारण बनता है। दुःख का कारण होने से काम को श्रेष्ठ मूल्य मानने में आपत्ति है। कई और कारण हैं जिससे काम को परम पुरुषार्थ मानने में कठिनाई है। काम वासनाओं भोगों, इन्द्रिय—सुखों को प्राप्त करने के लिए धन आवश्यक है। भोग भोगने से भोगने की शक्ति में ह्रास आता है। अति भोगी अत्यल्प समय में ही भोग भोगने की अपनी क्षमता नष्ट कर लेता है। विषय—भोगों से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोगी रोगों का शिकार हो जाते हैं। विषय—सुख क्षणिक होता है और जल्द ही दुःख में बदल जाता है। अति कामी पुरुष का बुढ़ापे का जीवन दुःख से व्यतीत होता है।

क्या अर्थ मूल्यवान है?— जब काम पुरुषार्थ नहीं हो सकता तो अर्थ को इस श्रेणी में रखने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, आजकल तो अर्थ युग है। भौतिकवादी सस्यार में भौतिक सुख अर्थ पर ही आधारित है। समस्त भोग्य वस्तुएँ धन से प्राप्त होती हैं। रुपया—पैसा से प्रतिष्ठा मिलती है, ऊँचा स्थान प्राप्त होता है। आजकल जब मनुष्य के लिए आराम व मनोरजन की कीमती चीजें आविष्कृत हो चुकी हैं और मनुष्य उन्हें चाहता है तो फिर रुपया—पैसा के बिना काम नहीं चल सकेगा। कार, टेलीफोन रेफ्रीजरेटर, टेलीविजन अच्छे महल, उत्तम भोजन एवं वस्त्र, उत्तम शिक्षा और अलकरण के श्रेष्ठ प्रसाधनों को भी चाहते हैं तो फिर ये चीजें धन के बिना कैसे मिल सकेंगी। आजकल द्रव्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'दादा बड़े न भइया, सबसे बड़ा रुपहिया' की कहावत में जान है। अंग्रेजी की 'Money makes the mare go' की उक्ति का भी यही आशय है। 'सर्व गुणा काचिना मा श्रयन्ते' भर्तृहरिजी का यह कथन अक्षरशः सत्य लगता है। धन को परम पुरुषार्थ मानने में कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(1) धन स्वयं में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है क्योंकि यह तो साध्य न

होकर साधन मात्र है। धन के लिए धन एकत्रण करने वाले आदमी को धन से मिलने वाले सुख भी नहीं मिल पाते क्योंकि वह धन सचय में ही जीवन समाप्त कर देता है। धन का भोग नहीं कर पाता है। धन की तीन दशाओं का उल्लेख मिलता है—1 दान 2 भोग और 3 नाश जो न दान देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। जैसे जब नौका में पानी भरने लगता है तो दोनों हाथ उलीचने से ही लाभ होता है वैसे ही सज्जन पुरुष जब घर में दाम बढ़ता है तो दोनों हाथ से उलीचते हैं अर्थात् खूब खर्च करते हैं।

(2) रुपया—पैसा मनुष्य को मुसीबत कष्ट एव जजाल में फसाता है। अधिक धन दुख का हेतु बनता है धन होने पर रिश्तेदार मित्र सरकार दुश्मनो चोर डाकुओं का भय बना रहता है। चोरी डाकें के भय से न रात में नींद आती है और न दिन में चैन। धन अशान्ति का कारण बनता है क्योंकि धन एकत्रण की कोई सीमा नहीं है। धन एकत्रण में आदमी को अनुचित साधनों जैसे धोखा धड़ी छल कपट बेईमानी दगाबाजी विश्वासघात तथा खुशामद आदि दुर्गुणों का आश्रय लेना पड़ता है।

(3) धन होने पर धन की रक्षा के लिए भी धन व्यय करना पड़ता है। धनी लोग अधिक दुखी रोगी एव अशान्त देखे जाते हैं। उक्त कमियों के कारण धन जीवन का सबसे श्रेष्ठ मूल्य नहीं बन सकता।

क्या धर्म मूल्यवान है ?— फिर कौन सा पुरुषार्थ श्रेष्ठ माना जाय? मनुष्य सुख से रह सके इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि वह सबका हो और सब उसके हो। वह सबकी सहायता करे और सब उसके सहायक रहे। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे और दूसरों की इच्छाओं को भी पूरा होने दे इसके लिए कुछ नियमों पर चलना पड़ेगा। इन नियमों का नाम ही धर्म है। धर्म से इस लोक तथा परलोक में सुख मिल सकता है तो फिर धर्म सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। धर्म के नियमों का पालन करने से व्यवस्था कायम रहती है। ध्यान रहे ये नियम लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण ला सकते हैं परन्तु ये स्वयं उद्देश्य नहीं बन सकते।

क्या मोक्ष मूल्यवान है ?— जब काम अर्थ तथा धर्म श्रेष्ठ नहीं है तो मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ होना निश्चित सा जान पड़ता है। भारतीय चिंतन में मनुष्य क्या बनना चाहता है ? उसका मुख्य प्रयोजन क्या है ? इसकी अच्छी तरह खोज की गयी है। मनुष्य अजर अमर होना चाहता है। उसका वास्तविक निवास स्थान ससार न होकर ईश्वर है। जब ईश्वर मनुष्य के लिए अन्तिम स्थान (last abode) है तो मोक्ष उसका गन्तव्य है। शाश्वत शान्ति मोक्ष द्वारा सम्भव है, अतः मोक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है।

स्मरण रहे मुमुक्षु पुरुष के लिए मोक्ष सबसे उच्च मूल्य है लेकिन बुभुक्षु के लिए काम अर्थ और धर्म तीनों का महत्त्व है। तीनों में धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि धर्मानुकूल अर्थ और काम सेवन की प्रशंसा की जाती है और धर्म से कल्याण होता है।

अध्याय 8

जाति व्यवस्था

(Caste System)

जाति का अर्थ और परिभाषा— जाति हिन्दू समाज की एक रोचक सरथा है। देश तथा विदेश के विद्वानों ने इसे हिन्दू समाज की अप्रतिम देन के रूप में स्वीकार किया है। भारत में जाति-श्रेणीकरण को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 'कार्टा (Casta) शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ नस्ल अथवा प्रजाति से लिया जाता है। जाति शब्द का संस्कृत की 'जन धातु से संबन्ध है। जन का अर्थ है जन्म लेना। अतः जाति वह वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित हो। जिस वर्ग की सदस्यता जन्म से निश्चित होती है वह आवृत (Closed) वर्ग बन जाता है। अतएव हम जाति को एक आवृत (बंद) वर्ग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। चार्ल्स कूलें ने अपनी परिभाषा में जाति के इस लक्षण का उल्लेख किया है। आप की परिभाषा इस प्रकार है—

"When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste "

जन्म ही जाति का प्रमुख तत्त्व नहीं है। अन्तर्विवाह (Endogamy) पितृगत व्यवसाय ऊँच-नीच का भाव (Hierarchy) स्पर्श मिलन-जुलन और भोजन संबंधी निषेध भी जाति के अनिवार्य तत्त्व हैं। अतः हम जाति की उस परिभाषा को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे जिसमें जाति के एक या दो लक्षणों का ही उल्लेख हो। जाति की वही परिभाषा सर्वोत्तम होगी जिसमें जाति के अधिकांश लक्षण विद्यमान हों। यहाँ हम जाति की कतिपय परिभाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं।

1 "Caste is collection of families or groups of families bearing a common name, claiming a common descent from a mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same hereditary calling, and generally regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community "-Risley

2 "A caste is an endogamous group or collection of endogamous groups, bearing a common name, membership of which is hereditary imposing on its members certain restrictions in the matter of social intercourse, either (1) following a common tradi-

tional occupation , or (ii) Claiming a common origin, and regarded as forming a single homogenous community "- Blunt The Caste System in Northern India, P 5

3 Caste is a social group having two characteristics (i) membership is confined to those who are born of members and includes all persons so born, (ii) the members are forbidden by an inexorable social law to marry outside the group "- S V Ketkar, History of Caste in India, P 15

उपरोक्त परिभाषाओं में ब्लंट महोदय की परिभाषा सबसे अच्छी है। रिसले की परिभाषा में जाति का पैतृक-व्यवसाय होता है केवल इसी एक लक्षण का उल्लेख है जबकि केंतकर की परिभाषा में जाति के दो लक्षणों (वशानुगत सदस्यता और अन्तर्विवाह) का वर्णन है लेकिन ब्लंट की परिभाषा में खान-पान संबंधी प्रतिबन्धों के अलावा जाति की सभी विशेषताओं का उल्लेख है। सामाजिक मिलन-जुलन पर प्रतिबन्ध परम्परागत व्यवसाय समान उद्गम आदि लक्षण ब्लंट की परिभाषा में शामिल है।

जाति के प्रमुख लक्षण (Main features of caste)

(1) **जाति का आधार जन्म**— जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। जिस जाति के माता पिता किसी व्यक्ति के होंगे वही उसकी जाति होगी। एक जाति के सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो उस जाति में जन्मे हों अन्यत्र जन्म लेने वाले लोगों के लिए जाति की सदस्यता खुली नहीं रहती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति की जाति का निर्धारण जीवन भर के लिए हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। ऊँची जाति का व्यक्ति नीची जाति का सदस्य नहीं बन सकता और निम्न जाति का व्यक्ति ऊँची जाति की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता। व्यक्ति को जन्म से ही जाति एक ऐसा पर्यावरण प्रदान करती है जिससे उसे न तो धनाढ्यता ही विलग कर सकती है और न व्यक्तिगत उपलब्धि। इसी अर्थ में 'जाति एक बन्द वर्ग है'।

(2) **ऊँच-नीच का भाव (Hierarchy)**— जातियों में ऊँच-नीच का भाव पाया जाता है। ऊँच-नीच के भाव से तात्पर्य यह है कि सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। एक जाति का स्थान दूसरी जाति की तुलना में या तो ऊँचा होता है या नीचा। ऊँच-नीच की इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है। जातियों में व्याप्त इस ऊँच-नीच की व्यवस्था को पदसोपानत्व की व्यवस्था भी कहा जाता है।

(3) **अन्तर्विवाह (Endogamy)**— जातियों में परस्पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध पाये जाते हैं जिनमें विवाह संबंधी प्रतिबन्ध सबसे कठोर हैं। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के ही अन्दर विवाह करते हैं। अपने से भिन्न जाति में

उन्हे विवाह करने की अनुमति नहीं प्राप्त है। किसी निश्चित क्षेत्र अथवा वर्ग के अन्दर विवाह करना अन्तर्विवाह (Endogamy) है। जातियों के अन्तर्विवाह का प्रचलन रक्त की पवित्रता बनाये रखने के लिए तथा जातिगत सकरण (मिश्रण) को रोककर उपजातियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए था। कुछ विद्वानों ने जाति अन्तर्विवाह को इतना अधिक महत्त्व दिया है कि उन्होंने अन्तर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार कहा है जाति के सभी तत्त्व लगभग ध्वस्त हो गये हैं परन्तु जाति का यह लक्षण आज भी विद्यमान है।

(4) खान—पान प्रतिबन्ध (Restriction on eating and drinking) - हटन खान—पान सबंधी प्रतिबन्धों को जाति व्यवस्था का अनूठा लक्षण मानते हैं। खाने पीने के सबंध में जातियों में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध पाये जाते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं —

(1) पाक निषेध (2) पगत निषेध (3) जल निषेध (4) पात्र निषेध

पाक निषेध — एक जाति के सदस्य सबके हाथ का बनाया भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में तो 'तीन कनौजिया तेरह चूल्हे' की कहावत प्रसिद्ध ही है। इस सबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया भोजन लगभग सभी जाति के लोग ग्रहण कर लेते हैं।

पगत निषेध — किसके साथ बैठकर भोजन किया जाय यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक जाति के लोग प्रायः उन्हीं लोगों के साथ भोजन करते हैं जिनसे रक्त सबंध हो अथवा जिनसे विवाह सबंधों द्वारा बंधे हों।

जल निषेध — सभी जातियों के हाथ का जल कुलीन जाति के लोग ग्रहण नहीं करते हैं।

पात्र निषेध — कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनका पात्र ब्राह्मण ग्रहण कर लेते हैं परन्तु सभी जातियों के पात्र ग्रहण नहीं किये जाते हैं। ब्राह्मणों का पात्र अगर निम्न जाति के लोग स्पर्श कर लें तो वे उस पात्र का त्याग कर देते हैं क्योंकि ऐसा पात्र अपवित्र हो जाता है।

इसके अलावा कच्चे और पक्के भोजन के सबंध में भी प्रतिबन्ध पाये जाते हैं। कच्चे भोजन (जलसिद्ध भोजन) को पक्के भोजन (घी तेल में पकाया हुआ भोजन) की तुलना में अधिक आसानी से अपवित्र होने वाला माना गया इसलिए पक्के भोजन पर उतने कठोर प्रतिबन्ध नहीं थे जितने कि कच्चे भोजन पर।

(5) मिलन—जुलन संबंधी प्रतिबन्ध (Restriction on social intercourse) - निम्न जातियों के स्पर्श से कहीं उच्च जातियाँ अपवित्र न हो जायँ इसलिए सामाजिक मिलन—जुलन संबंधी प्रतिबन्ध भी जातियों में मिलते हैं। कहीं कहीं तो अस्पृश्यों और अछूतों के बीच दूरी का भी निर्धारण कर दिया गया। उदाहरणार्थ केरल के लोगों में ऐसी व्यवस्था है कि एक तियन ब्राह्मण से 36 कदम दूर रहे और एक पुलयन उससे 96 कदम दूर रहे। एक तियन नायर से 12 कदम दूर रहे। सिद्धान्त रूप से अपने से निम्न जाति के पुरुष

के स्पर्श से ऊँची जाति का व्यक्ति अपवित्र हो जाता है परन्तु व्यवहार में इस नियम का कठोरता के साथ पालन नहीं होता है। मराठा देश में तो अस्पृश्य की छाया अगर ऊँची जाति के सदस्य पर पड़ जाये तो इतना उसके अपवित्र (छूत) होने के लिए पर्याप्त है। सामान्यतौर पर गाँव में सामान्य जनो की सेवा करने वाले नाई और धोबी अपनी सेवाएँ अछूतो और अपवित्रो के प्रति अर्पित नहीं करते हैं।

(6) **भिन्न—भिन्न जातियों के नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार तथा निर्योग्यताएँ** (Civil and Religious disabilities and privileges of the different sections of society)— एक गाँव में जातीय समूहों का पृथक्करण (Segregation) सामाजिक विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं का स्पष्ट और प्रत्यक्ष चिह्न है। जातीय पृथक्करण का यह विचार न्यूनाधिक रूप से समस्त भारत वर्ष में व्याप्त है। सामान्य रूप से दक्षिण भारत मराठा देश और कभी कन्नड और तेलुगु क्षेत्रों में केवल अपवित्र जातियों ही पृथक् की जाती हैं और गाँव की सीमा पर बसायी जाती हैं।

तामिल और मलयालम क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न स्थानों पर अलग—अलग जातियों का कब्जा या अधिकार पाया जाता है और कभी—कभी गाँव को तीन हिस्सों में बाँट दिया जाता है— वह भाग जो प्रमुख जाति अथवा ब्राह्मणों द्वारा अधिकृत है वह भाग जो शूद्रों द्वारा अधिकृत है और वह भाग जो अछूतों के लिए सुरक्षित है।

दक्षिण भारत वर्ष में गाँव अथवा शहर के कुछ भाग कुछ जातियों के लिए अगम्य हैं अर्थात् वहाँ उनका प्रवेश वर्जित है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मराठा और पेशवाओं के राज्य में महर और मोंग जातियों के लोग सुबह 9 बजे से पूर्व और शाम को तीन बजे के बाद पूना के फाटक से नहीं गुजर सकते थे क्योंकि इस अवधि में छायाय लम्बी हो जाती है जो ब्राह्मण अथवा उच्च जाति के व्यक्तियों पर पड़कर उन्हें अपवित्र कर सकती है। मैसूर में अगर ब्राह्मण होलेया (अछूत) की गली से गुजर जाय और अपमानित हुए बिना लौट आये तो यह उसका सौभाग्य ही है। मराठा प्रदेश में एक महर (अछूत) को सड़क पर इसलिए थूकने की अनुमति नहीं थी कि कहीं उसकी थूक के स्पर्श से ब्राह्मण अपवित्र न हो जायँ। उसे गले में मिट्टी का पात्र लटकाये रहना पड़ता था जिसमें वह थूकता था।

समस्त भारतवर्ष में अशुद्ध जातियों को उस कुएँ से जल खींचने की मनाही थी जिसे ऊँची जाति के लोग प्रयोग में लाते थे।

ब्राह्मणों के संस्कार अनुष्ठानों (Rituals) की सहायता से सम्पन्न किये जाते हैं और दो तरह के अनुष्ठान विकसित किए गये हैं— (1) वैदिक और (2) पौराणिक। वैदिक अनुष्ठान वैदिक मंत्रों पर आश्रित हैं और अधिक पवित्र माने जाते हैं जबकि पौराणिक अनुष्ठान कम पवित्र सूत्रों पर आधारित हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो ब्राह्मण जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लिये नहीं हैं। सर्वाधिक पवित्र ग्रन्थों का अध्ययन शूद्र नहीं कर सकते हैं। मन्दिरों में केवल

ब्राह्मण ही प्रवेश पा सकते हैं। अपवित्र जातियो विशेषकर अछूतो का प्रवेश मन्दिरों के बाहरी भागो मे भी वर्जित है लेकिन मन्दिर के आँगन मे जाने की इन्हे अनुमति प्राप्त है।

ब्राह्मण किररी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम अथवा नमस्कार नही करता है जो ब्राह्मण नही है लेकिन इस बात की आवश्यकता समझता है कि अन्य उसे प्रणाम करे। कुछ जाति के लोग ब्राह्मण को इतना सम्मान देते हैं कि वे उसकी छाया तक नही लाघते और कभी कभी ऐसे जल का जिसमे उसका पैर का अँगूठा डुबो दिया गया हो आचमन किए बिना भोजन नही करते हैं।

(6) **पैतृक व्यवसाय**— जाति व्यवस्था के नियमो के अन्तर्गत एक व्यक्ति अपनी जाति का ही पेशा करने के लिए स्वतन्त्र था, अर्थात् जातियो के पेशे पूर्व निर्धारित थे। उदाहरणार्थ जुलाहा कपडे बुनने का ही पेशा कर सकता था और तेली तेल निकालने का पेशा कर सकता था। परम्परागत व्यवसाय अपनाने का आधार यह था कि पुरखो या जाति के पेशे अपनाने की जितनी भी गुत्थियो होती है उन्हे सुलझाना नही पडता है, वे सुलझी हुई मिल जाती है। इसके अलावा कम उम्र मे ही व्यवसाय मे हाथ बँटाया जा सकता है। वर्तमान समय मे व्यवसायगत प्रतिबन्ध समाप्त हो चुके हैं। आज किसी भी जाति का व्यक्ति मनचाहा व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतन्त्र है।

जाति और वर्ग मे अन्तर

जाति और वर्ग श्रेणीकरण के दो रूप है। श्रेणीकरण के इन दोनो रूपो मे पर्याप्त भिन्नता है।

- (1) वर्ग का आधार अर्थ अथवा धन है जबकि जाति का आधार जन्म है।
- (2) वर्गों की दीवारे दुर्लघ्य नहीं हैं। एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध वर्ग व्यवस्था मे नही पाया जाता है। अत वर्ग परिवर्तन सम्भव है। जाति मे सदस्यता जीवन भर के लिए निश्चित होती है जबकि वर्ग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति एक जन्म में कई वर्गों की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वर्गों में गतिशीलता (mobility) सम्भव है जातियो मे नहीं। वर्ग मुक्त होते हैं जबकि जातियो बन्द होती है।
- (3) जाति की सदस्यता आरोपित (ascribed) होती है जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित (achieved) होती है। अपने से उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रत्यन्त करना पडता है जबकि जाति की सदस्यता पाने के लिये व्यक्तिगत उपलब्धि और चारित्रिक गुणो का कोई महत्त्व नही है, यह तो जन्म से प्राप्त होती है। सामाजिक स्थिति और योग्यता मे परिवर्तन करके व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है। इसी अर्थ में वर्ग की सदस्यता अर्जित है।
- (4) वर्ग व्यवस्था में वर्ग के सदस्यों के आचरण को नियमित और उनकी नैतिकता का मार्गदर्शन करने वाली किसी पंचायत का अभाव पाया जाता है।

जातियों में जाति पचायत होती है जो जातीय नियमों का संरक्षण करती है। जाति पचायत जाति के छोटे-मोटे झगड़ों और अपराधों का निपटारा भी करती है। जाति पचायत को कुछ दण्ड देने का भी अधिकार था जैसे— (1) अल्पकालीन या दीर्घकालीन बहिष्कार (2) जुर्माने (3) जाति के लोगों को भोज देने का दण्ड और (4) शारीरिक दण्ड।

(5) इसके अतिरिक्त जाति का परम्परागत पेशा होता है। वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय पूर्व निर्धारित न होकर व्यक्ति की अपनी योग्यता और रुचि पर निर्भर है। वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता है जबकि व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का अभाव है।

(6) भोजन व विवाह संबंधी निषेध जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्त्व हैं। वर्ग व्यवस्था में भोजन और विवाह संबंधी प्रतिबन्ध नहीं पाये जाते हैं।

(7) जाति के सदस्यों में जाति चेतना होती है। वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना होती है।

(8) जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है पर कार्य व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक नहीं है।

(9) जातियों के बीच सामाजिक दूरी अधिक होती है पर वर्गों में सामाजिक दूरी कम होती है।

जाति के कार्य (Functions of caste)

(1) **व्यक्ति के लिए कार्य**— जाति अपने सदस्य को जन्म से ही एक पूर्व निर्धारित सामाजिक वातावरण प्रदान करती है जिससे उसे सम्पत्ति अथवा गरीबी सफलता अथवा विपत्ति पृथक् नहीं कर सकती है यदि वह जातीय नियमों का उल्लंघन न करे। जाति व्यक्ति के विवाह संबंधी विषयों पर प्रतिबन्ध लगाती है व्यक्ति के लिए ट्रेड यूनियन के रूप में कार्य करती है। जाति व्यक्ति के लिए अनाथालय (Orphanage) का कार्य करती है। जाति व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा (Health insurance) है। यदि आवश्यकता पड़े तो जाति व्यक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया का भी प्रबन्ध करती है। व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण करना जाति का ही कार्य है।

भोजन के संबंध में पालन की जाने वाली प्रथाओं जाति का सदस्य विधवा के साथ विवाह कर सकता है या नहीं आदि का निर्धारण जाति द्वारा होता है। जन्म उपनयन विवाह और मृत्यु के समय सम्पन्न होने वाले कर्मकाण्डों को निर्धारित करना जाति का कार्य है। उदाहरणार्थ व्यक्ति के कान छेदे जायेंगे या नहीं और यदि छेदे जायेंगे तो कितनी जगह आदि सब बातों का निर्धारण करना जाति का कार्य है। संक्षेप में एक व्यक्ति के संबंध में जाति का कार्य इस लोक में उसके व्यवहार-प्रतिमानों को पहले से ही निर्धारित कर देना है और व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का बहुत ही कम स्थान छोड़ना है।

जाति विहीन समाज में व्यक्ति की इच्छा (Choice) को प्रमुख स्थान दिया जाता है जबकि जाति आबद्ध समाज व्यक्ति के चुनाव (Choice) को स्थान न देकर उसके व्यवहार—प्रतिमानों को जन्म के पूर्व ही निश्चित कर देता है।

(2) समाज के लिए कार्य — व्यक्ति के सबंध में उपर्युक्त कार्यों को सम्पन्न करने के अतिरिक्त जाति सम्पूर्ण समाज के लिए भी महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती है। जाति के ही कारण भारतवर्ष में प्ल्यूरल समाज स्थिर रहा है। समाज के सन्दर्भ में जाति का प्रथम और महत्त्वपूर्ण कार्य है भारतीय समाज को एकीकृत करना भारतीय समाज के विभिन्न प्रतियोगी समूहों को एक समुदाय में जोड़ना। Sherring इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जाति स्वच्छता और व्यवस्था को बढ़ाती है और एक अर्थ में हिन्दू समुदाय के विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित करने की एक कड़ी है।

(3) राजनैतिक एवं सस्कृति के स्थायित्व का कार्य — राजनैतिक शान्ति स्थापक के रूप में कार्य करना जाति का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रकार्य है। (A Second very important function of caste has been to act as a political stabilizer)। जाति क इसी प्रकार्य से प्रभावित होकर अबे डुबाय ने हिन्दुओं की जाति व्यवस्था को 'The happiest effort of their legislation' कहा है।

अबे डुबाय के मतानुसार भारतवर्ष जाति व्यवस्था के ही कारण बर्बरता से सुरक्षित रह सका। जाति व्यवस्था व्यवस्थित सरकार (Orderly Government) की अचूक आधार—शिला है अनियंत्रित राजक्रम अथवा निरकुशता के विरुद्ध सुरक्षा है कला को स्थिर रखने का साधन है और विदेशी विजेताओं की टुकड़ी के अन्तर्गत सस्कृति के हिन्दू प्रतिमान को सुरक्षित रखने का आवश्यक साधन है।

अबे डुबाय की यह प्रशंसा न्याय सगत है। समाज को स्थिरता प्रदान करने के साधन के रूप में जाति व्यवस्था के मूल्य की तरफ ध्यान दिलाने वाले केवल अबे डुबाय ही नहीं हैं। एस सी मिल के विचार भी अबे डुबाय से मिलते जुलते हैं।

अध्याय 9

जाति व्यवस्था की उत्पत्ति

(Origin of Caste System)

कारणों की अनेकता क्यों? — हिन्दू जाति व्यवस्था अनेक प्रकार के तत्त्वों के संयोग से बनी है और इस प्रकार बहुत ही जटिल और सश्लिष्ट हो गई है। इतिहास क्रम से भारत पर अनेक आक्रमण हुए और कितनी ही प्रजातियाँ यहाँ आयीं। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ बनीं तरह-तरह की सरकारें बनीं और इन सबकी छाप भारतीय समाज पर पड़ी। अतः स्पष्ट है कि जाति कई तत्त्वों के संयोग से बनी है। काल-क्रम से इसमें नए-नए तत्त्व जुड़ते रहे। फलस्वरूप जाति की उत्पत्ति के बारे में कोई सर्वस्वीकृत कारण निश्चित नहीं किया जा सका। अगर जाति किसी एक तत्त्व से बनी होती तो उसकी उत्पत्ति का कोई एक कारण होता। पर जाति में जैसा संकेत किया जा चुका है अनेक तत्त्व विद्यमान हैं इसलिए जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत भी प्रचलित हैं। जाति की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले प्रमुख मत (सिद्धान्त) इस प्रकार हैं—

- (1) परम्परागत सिद्धान्त (Traditional Theory)
- (2) राजनैतिक सिद्धान्त (Political Theory)
- (3) व्यावसायिक सिद्धान्त (Occupational Theory)
- (4) धार्मिक सिद्धान्त (Religious Theory)
- (5) प्रजातीय सिद्धान्त (Racial Theory)
- (6) हटन का सिद्धान्त (Theory of 'mana')
- (7) अन्य सिद्धान्त (Other Theories)

परम्परागत सिद्धान्त — इस सिद्धान्त का उल्लेख धर्मशास्त्रों (स्मृतियों) और महाभारत में मिलता है। महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार पहले चार वर्ण बने (चार वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसका उल्लेख 'वर्ण व्यवस्था' नामक अध्याय में किया जा चुका है) और इन वर्णों से जातियाँ बनीं। प्रश्न यह है कि इन चार वर्णों से जातियाँ कैसे बनीं? मिश्रित विवाह (mixed marriages) अथवा सकर विवाह के द्वारा वर्णों से जातियाँ बनीं। वर्ण सकर सम्बन्ध (विवाह) क्या है? जब एक वर्ण का पुरुष अपने से भिन्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो ऐसा सबध वर्ण संस्कार कहलाता है। वर्ण सकर विवाह

के दो रूप हैं (1) अनुलोम वर्ण सकर विवाह और (2) प्रतिलोम वर्ण सकर विवाह। अनुलोम वर्ण सकर विवाह विवाह का वह स्थापित रूप है जिसमें उच्च वर्ण का वर अपने से भिन्न निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह सम्बन्ध करता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्या अथवा ब्राह्मण और वैश्य कन्या का विवाह अनुलोम वर्ण सकर विवाह का उदाहरण है। प्रतिलोम वर्ण सकर विवाह अनुलोम वर्ण सकर विवाह का उल्टा है। इस विवाह में उच्च वर्ण की कन्या अपनी शादी अपने से भिन्न निम्न वर्ण के पुरुष के साथ करती है। ब्राह्मणी और शूद्र का विवाह प्रतिलोम वर्ण सकर का एक उदाहरण है। अत स्पष्ट है कि अनुलोम और प्रतिलोम रीति से हुए वर्ण सकर द्वारा जातियाँ अस्तित्व में आयीं। भीष्म और मनु का कथन है कि ब्राह्मण के चारों वर्णों में विवाह और क्षत्रिय को ब्राह्मण वर्ण छोड़कर बाकी तीन वर्णों तथा वैश्य को उपरोक्त दो वर्णों तथा शूद्र को अपने वर्ण में ही विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि सभी प्रकार के वर्ण सकर सम्बन्धों से जातियाँ नहीं बनती। उदाहरणार्थ ब्राह्मण और क्षत्रियों के सम्बन्ध से कोई जाति नहीं बनेगी क्योंकि वर्ण सकर सम्बन्ध से उत्पन्न सतानों के वर्ण-निर्धारण में नियम यह है कि अपने वर्ण और अपने से ठीक एक दर्जा नीचे वाले वर्ण की कन्या से उत्पन्न सतान के वर्ण का निश्चय पिता के वर्ण से होगा और इससे नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करने पर उत्पन्न सतान माता के वर्ण की होगी यद्यपि मातृ दोष के कारण ऐसी सतान को समाज में नीचा दर्जा प्राप्त होगा। अनुलोम नीति से विवाह करके ब्राह्मण केवल 'पारशव' जाति उत्पन्न कर सकेगा क्योंकि ब्राह्मण की ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सतान ब्राह्मण होगी और वैश्य स्त्री से उत्पन्न सतान वैश्य होगी तथा ब्राह्मण की शूद्र स्त्री से भीष्म के अनुसार पारशव नामक शूद्र उत्पन्न होगा। क्षत्रिय की वैश्य और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सतान क्षत्री होगी लेकिन उसकी शूद्र भार्या से भीष्म के अनुसार 'उग्र' नामक शूद्र सतान उत्पन्न होगी। इस प्रकार अनुलोम वर्ण सकर सम्बन्ध से 'पारशव' और 'उग्र' नामक दो जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख भीष्म ने किया है। प्रतिलोम सम्बन्ध से मनु और भीष्म ने छ जातियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

प्रतिलोम सबध से उत्पन्न जातियाँ^२

प्रतिलोम वर्ण सकर सबध	उत्पन्न सतान
ब्राह्मणी और क्षत्रिय सबध से	सूत
ब्राह्मणी और वैश्य सबध से	वैदेहक
ब्राह्मणी और शूद्र सबध से	चाडाल
क्षत्राणी और वैश्य सबध से	मागध
क्षत्राणी और शूद्र सबध से	क्षत्ता (मनु के अनुसार) अथवा
वैश्य भार्या और शूद्र सबध से	निषाद (भीष्म के अनुसार) अयोगव

इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम सम्बन्ध से केवल आठ जातियाँ बनने का उल्लेख भीष्म और मनु ने किया। इन आठ जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ कैसे बनी इसके लिए मनु का कथन है कि भिन्न-भिन्न वर्णों के बीच मिश्रित विवाहा से और वर्णों ओर वर्ण सकरण से उत्पन्न सतानो के बीच सकर विवाहो से और वर्ण सकर सम्बन्ध से उत्पन्न विभिन्न जातियों के बीच सकर विवाहो आदि से विभिन्न जातियाँ बन गयीं¹। मनु ने सकर विवाहो से उत्पन्न 57 जातियों की गणना की है। मनु द्वारा बताई गई सकर विवाहो से उत्पन्न कुछ जातियाँ निम्नलिखित हैं—

वैदेहक काम्बोज सुधन्वाचार्य सैरिन्ध पाडुसोपाक (बसफोड) कुक्कुटक खस मल्ल शेख आवृत धिग्वण द्रविण चर्मकार आदि ।

(i) परम्परागत सिद्धान्त की आलोचना — (i) अकेले सकर विवाहो के आधार पर विभिन्न जातियाँ बनी इस बात को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि सर्वप्रथम ता इसका ही विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता है कि इतने बड़े पैमाने पर सकर विवाह हुए हो और फिर यदि बड़े पैमाने पर सकर विवाहो का प्रचलन रहा होता तो मनु आदि शास्त्रकार सकर विवाहो की निंदा क्यों करते ?

(ii) उपरोक्त जातियों में कुछ जातियाँ जैसे वैदेहक और काम्बोज क्षेत्र बोधक हैं और कुछ बसफोड और चर्मकार व्यावसायिक जातियाँ हैं और कुछ जैसे कुक्कुटक आदि टोटेमिक जनजातियाँ हैं। ऐसा लगता है कि कुक्कुटक और चर्मकार आदि जातियों को नीचा स्थान देने के लिए आर्यों ने इनके निघ विवाहो से उत्पन्न होने का विचार फैलाया होगा।

(iii) इसके अलावा अगर आर्यों में मिश्रित विवाहो के फलस्वरूप ये जातियाँ बनी होती तो इनमें आर्यों की नार्डिक प्रजाति के लक्षण ही दृष्टिगोचर होते न कि प्रोटोआस्ट्रोलायड और मगोलायड प्रजाति के।

2 राजनैतिक सिद्धान्त — योरोप के कुछ विद्वान जाति व्यवस्था को एक कृत्रिम सृष्टि मानते हैं। इनके विचार से जाति व्यवस्था जनता को स्थायी रूप से विभाजित कर अपने अधीन बनाने के लिए पुरोहितो की चतुर योजना है। ये विद्वान जाति व्यवस्था को किसी एक नियामक की देन मानते हैं। फ्रान्सीसी विद्वान अबे डुबाय ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणो के लिए ब्राह्मणो द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है। डा० घुर्ये ने भी आशिक रूप से इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

आलोचना — इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें जाति को एक कृत्रिम सृष्टि मान लिया गया है। सामाजिक शक्तियों के पारस्परिक प्रभावो के फलस्वरूप जातियाँ बनी इस तथ्य को स्वीकार किया गया और इस मत की पुष्टि की गई कि ब्राह्मणो ने अपने विशेषाधिकारो के संरक्षण के लिए

समाज पर जाति व्यवस्था को लाद दिया। जाति जैसी जटिल और व्यापक सरथा प्रशासनिक उपायो का फल है इसे स्वीकार कर पाना कठिन है क्योंकि यदि जाति व्यवस्था नियामको द्वारा बनाई गई होती तो नियामको की शक्ति क्षीण होने के साथ इसे नष्ट हो जाना चाहिए था। जाति व्यवस्था अगणित राजनैतिक उतार-चढ़ाव देखने के बाद अब भी समाप्त नहीं हुई है। इससे सिद्ध होता है कि अबे डुबाय का मत सामाजिक दृष्टिकोण से असंगत है।

3 व्यावसायिक सिद्धान्त — इस सिद्धान्त के प्रतिपादको मे नेसफील्ड डालमैन और ब्लट के नाम प्रमुख है। य विद्वान पेशा अथवा व्यवसाय को जाति की उत्पत्ति का प्रधान कारक मानते है। जाति और व्यवसाय का सबध प्रगाढ है। नेसफील्ड के अनुसार जाति भेद का एकमात्र आधार व्यावसायिक अन्तर है। जातियो मे ऊँच-नीच का विचार पेशे की पवित्रता और अपवित्रता अथवा ऊँचाई और निचाई पर निर्भर करता है। आप के अनुसार धातु का काम करने वाले कारीगर डलिया बनाने वालो अथवा अन्य ऐसा व्यवसाय करने वालो से उच्च है जिसमे धातु का इस्तेमाल नही होता⁴। आप जाति का स्थान पेशे की प्राविधिक अवस्था से निश्चित हुआ मानते है। डलिया बनाने का काम बहुत पुराना है। मिटटी के पके बर्तन बनाने का काम इसके बाद शुरू हुआ। धातु का काम और भी बाद को प्रारम्भ हुआ। आप के अनुसार डलिया बनाने वाले से कुम्हार का स्थान ऊँचा है और कुम्हार से सुनार ठठेरे अथवा लुहार का स्थान ऊँचा है। आप के सिद्धान्त का केन्द्रीय भाव यह है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है (Function and function alone is responsible for the origin of the caste system)

आलोचना — नेसफील्ड का यह सिद्धान्त आलोचनात्मक परीक्षा की कसौटी पर निम्नलिखित कमियो के कारण खरा नही उतरता।

(1) हटन का कहना है कि यह सच है कि डलिया बनाने का काम नीची जाति का है परन्तु लुहार जाति का स्थान ठठेरे अथवा सुनार से ऊँचा नही है यद्यपि समय की दृष्टि से लोहे का काम तौबे और सोने के काम से नया है। यदि पेशे की प्राविधिक अवस्था से जाति की स्थिति निम्नलिखित हो तो लोहार की स्थिति सुनार और ठठेरे से उच्च होनी चाहिए।

(2) खेती करने वाली विभिन्न जातियो की व्याख्या करने मे आपका सिद्धान्त सक्षम नही है। भारतवर्ष की अधिकाश जनता कृषि के व्यवसाय पर आश्रित है। नेसफील्ड के सिद्धान्त को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो इन समस्त व्यक्तियो की एक जाति होनी चाहिए परन्तु ऐसी स्थिति नही है। खेती

4 "Nesfield regards occupation as the exclusive basis of caste distinction and emphasises the fact that artisans working in metals rank higher than basket-makers, for instance, and other primitive callings which do not involve the use of metals " Hutton J H Caste in India Page 170

का व्यवसाय तो अनेक जातियाँ करती है। इसके अलावा खेती के धन्धे में लगे सभी लोगों का स्थान समान होना चाहिए पर ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में कृषको का स्थान नीचा है जबकि उत्तर भारत में कृषि करने वाली जातियों को सम्मान की निगाह से देखा जाता है।

डालमैन (Dahlmann) — फ्रांसीसी विद्वान डालमैन ने नेसफील्ड के विचारों का समर्थन करते हुए व्यवसाय के आधार पर जाति की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। आप भारतीय समाज को Priesthood, Nobility और Bourgeoisie इन तीन समूहों में सगठित मानते हैं। आप के ख्याल से ये तीन समूह प्रत्येक सभ्य समुदाय में मिलते हैं और राष्ट्र के धार्मिक राजनैतिक और आर्थिक कार्यों का ये समूह प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतवर्ष में इन तीन समूहों के समरूप तीन द्विज वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य) हैं जो क्रमशः राष्ट्रीय जीवन के धार्मिक राजनैतिक और आर्थिक कार्यों को सम्पन्न करते हैं। ये वर्ण रिश्तेदारी या समान व्यवसाय के आधार पर छोटे-छोटे समूहों और समुदायों में विभक्त हो जाते हैं। जाति इन चार मौलिक वर्णों से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि उन कारपोरेशन और समूहों से उत्पन्न हुई जिनमें ये चार वर्ण विभक्त हो गये थे। डालमैन के अनुसार इन छोटे-छोटे समूहों ने कारपोरेशन का रूप ग्रहण किया और कारपोरेशन जातियों के रूप में बदल गये। एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों के सामान्य हितों ने कारपोरेशनों को जन्म दिया और प्राविधिक कौशल (Technical Skill) पिता द्वारा पुत्र को प्राप्त होने लगा। सामान्य व्यावसायिक हितों द्वारा आपस में आबद्ध व्यवसाय करने वालों के परिवारों ने व्यावसायिक सघ (Guilds) का निर्माण किया। डालमैन के अनुसार ये व्यावसायिक सघ ही जाति का आदि रूप हैं।

आलोचना — डालमैन ने जर्मन व्यावसायिक सघ (German Guild) को जाति के समानान्तर माना है परन्तु जर्मनी के व्यावसायिक सघों में विभिन्न पेशों के बीच खान-पान और विवाह सबंधी प्रतिबन्ध नहीं पाये जाते हैं और यह सोचना भी गलत है कि केवल पेशा सबंधी अन्तर ऐसे स्थायी पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकते हैं जिनसे भारतवर्ष में जाति-भेद पैदा हो सके^१।

ब्लट — आप डालमैन का समर्थन करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि जाति की उत्पत्ति का पता तत्कालीन जाटिल समाज की परिस्थितियों में लगाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे। प्रारम्भ में वर्ण के आधार पर व्यवसायों का विभाजन नहीं था। एक व्यवसाय को सभी वर्णों के लोग कर सकते थे। व्यावसायिक सघों का विकास हो रहा था। एक ही व्यावसायिक सघ में लगे भिन्न-भिन्न वर्णों के लोग अपने वर्णों के लोगों से इसी व्यावसायिक सघ के दूसरे वर्णों के लोगों की अपेक्षा अधिक मेल-जोल रखते होंगे। परिणामतः एक व्यावसायिक सघ के अन्तर्गत वर्णों के आधार पर बने समूह अपने रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिए अन्तर्विवाही बन गए और स्वशासन की व्यवस्था करने लगे।

व्यावसायिक सघ अन्तर्विवाही जाति बन गये और व्यावसायिक सघो के अन्तर्गत वर्ण के आधार पर बने समूह उपजाति बन गये। अपने सिद्धांत की पुष्टि में ब्लट ने पहला परिणाम यह निकाला कि व्यवसाय के आधार पर बनी जाति में अन्तर्विवाही उपजातियाँ पाई जाती हैं जब कि अन्य आधारों पर बनी जातियाँ अन्तर्विवाही तो होती हैं परन्तु उनमें अन्तर्विवाही उपजातियों का अभाव होता है। दूसरे व्यवसाय के आधार पर बनी जातियों में जाति पचायते पाई जाती हैं। तीसरे पेशे के आधार पर बनी जातियाँ एक पूर्वज से उत्पन्न होने का दावा नहीं करती जबकि पेशे के आधार पर जो जातियाँ नहीं बनी हैं वे सामान्य पुरखे से अपने को उत्पन्न हुआ मानती हैं।

आलोचना — ब्राह्मण कायस्थ लोहार और सोनार को ब्लट धन्धे वाली जातियाँ मानते हैं। ब्राह्मण और कायस्थों में जाति पचायते नहीं पाई जाती हैं। कायस्थ चित्रगुप्त से अपनी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं। बढई और लोहार विश्वकर्मा को अपना सामान्य पूर्वज मानते हैं। अतः इन कर्मियों के कारण ब्लट के सिद्धान्त का बल क्षीण हो जाता है।

4 धार्मिक सिद्धान्त — होकार्ट और सेनार्ट जाति की जड़ों को धर्म में खोजने का प्रयास करते हैं। होकार्ट के मत से धार्मिक सिद्धान्तों तथा प्रथाओं के कारण समाज का जातियों में विभाजन हुआ। आपके विचार से जाति व्यवस्था का उदय कर्मकाण्डों के फलस्वरूप हुआ। कर्मकाण्डीय उद्देश्यों से चार वर्णों का विभाजन हुआ। एक कर्मकाण्ड को सम्पन्न करने के लिए अनेक कृत्य करने पड़ते हैं। इन कृत्यों को करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अलग-अलग कर्मकाण्डीय कार्यों को करने के लिए धीरे-धीरे मनुष्यों के वर्गों का जन्म हुआ और ये वर्ग बदल जातियों में बदल गए।

(1) **आलोचना** — होकार्ट का निष्कर्ष लका स्थित बौद्धदन्त मंदिर की कर्म-काण्डीय व्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने भारत की जाति से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित नहीं किया इसलिए आपका सिद्धान्त अवैज्ञानिक है।

(2) हटन का कथन है कि यह सिद्धान्त भोजन और विवाह सबंधी प्रतिबंधों की व्याख्या नहीं करता है जबकि खान-पान और विवाह सम्बन्धी निषेध जाति के आवश्यक तत्त्व हैं।

(3) होकार्ट जाति को एक धार्मिक सस्था समझने की भूल भी करते हैं। जाति तो एक सामाजिक सस्था है। अतः जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धार्मिक सस्कारों से हुई इसे निर्णायक तथ्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। **सेनार्ट** — आप जाति व्यवस्था को अकेले आर्य तत्त्वों से उत्पन्न नहीं मानते बल्कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में आर्य तत्त्वों को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि आप खान-पान सबंधी निषेधों पर बल देते हुए यह सिद्ध करते हैं कि भोजन सम्बन्धी निषेध आर्यों की कुल-पूजा और कुल-भोज प्रथा से उत्पन्न हुए।

भारत में आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप प्रजातीय मिश्रण हुआ और दो प्रकार की शुद्धता अथवा पवित्रता का जन्म हुआ। (1) वंश की पवित्रता और (2) व्यवसाय की पवित्रता। वंश और व्यवसाय की पवित्रता से प्रभावित होकर आर्यों ने मिश्रित प्रजाति के लोगों से सबध-वर्जन प्रारम्भ किया। इसी वंश और व्यवसाय की शुद्धता के कारण नये-नये समूह अस्तित्व में आये। इन समूहों में पुरोहित समूह ने नैतिक बल का आश्रय लेकर जाति व्यवस्था का निर्माण किया।

5 प्रजातीय सिद्धात— प्रजाति भेद और प्रजातीय सम्पर्क संघर्ष जाति की उत्पत्ति का कारण है ऐसी मान्यता हरबर्ट रिजले घुर्ये मजूमदार और एन के दत्ता की है। ये विद्वान जाति बनने में प्रजातीय तत्त्व का विशेष हाथ मानते हैं।

रिजले का मत—रिजले के अनुसार जाति का आधार रक्त मिश्रण रंग तथा कुलीनता है⁶। जब आर्य यहाँ आये तो उनका द्रविडों के साथ युद्ध हुआ। आर्य विजयी हुए। आर्यों की संस्कृति और प्रजाति द्रविड संस्कृति और प्रजाति से भिन्न थी फिर भी आर्यों ने विवाह में द्रविडों की कन्याओं को स्वीकार किया क्योंकि आक्रमणकारी समूह होने के कारण इनके पास स्त्रियों का अभाव था। इस प्रकार अनुलोम विवाह को जन्म दिया। जब स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो गयी तो अनुलोम विवाह पर प्रतिबन्ध लगाकर आर्य आक्रमणकारी समूह अन्तर्विवाही होकर जातियों में बदल गये।

घुर्ये का मत—घुर्ये आर्य प्रजाति और संस्कृति की श्रेष्ठता तथा अनार्य प्रजाति और संस्कृति की हीनता को जाति का आधार मानते हैं। विजेता प्रजाति विजित प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ मानती है और विजित प्रजाति को हीन मानती है। इसलिये आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासियों को हरा दिया तो उन्हें दास आदि के नाम से सम्बोधित किया। अपनी विजय पर गर्व और धार्मिक पवित्रता के विचार से आर्यों ने शूद्रों से अपने को अलग रखने के नियम बनाये। भारत में आर्यों के आगमन के समय उनमें तीन स्पष्ट वर्ग थे जिनमें सिद्धांत रूप से विवाह हो तो सकता था परन्तु साधारणतया होता नहीं था। इन्डो—आर्य प्रजाति की ब्राह्मण शाखा ने अपने रक्त की शुद्धता और पवित्रता के विचारों पर विशेष ध्यान दिया और ऐसे नियम बनाये जिससे इनका अनार्यों से सम्पर्क न होने पाये। इसके लिये इन्होंने शूद्रों के साथ विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया आर्यों की पूजा पद्धति को अपनाने से अनार्यों को रोका तथा इनके साथ खान-पान वर्जन के नियम बनाये। इसलिये घुर्ये जाति प्रणाली को इन्डो—आर्य संस्कृति के ब्राह्मणों की सतान मानते हैं जिसे गंगा और यमुना के मैदानों में पाया गया है और वहाँ

6 'Sir Herbert Risley, in his book The People of India, on the other hand has relied mainly on theories of race and hypergamy to explain the caste system, which he clearly regards as primarily due to colour differences and to a system of hypergamy resulting therefrom'

से सारे भारतवर्ष में इसका विस्तार हुआ है⁷।

घुर्ये का कहना है कि ब्राह्मणों ने विवाह और खान-पान वर्जन सबधी नियमों का निर्माण पहले शूद्रों के प्रति किया था। क्षत्रिय और वैश्यों को इस सबध में वे अपने समान मानते थे। कालान्तर में निषेध कठोर बन गये और इनका विस्तार हुआ। जब आर्य लोग दक्षिण भारत में गये तो उन्होंने वहाँ शूद्रों के हाथ का भोजन और जल न लेने के सबध में नियम बनाये। यह बात शूद्रों के समाज से मेल खाती थी क्योंकि आर्यों का सम्पर्क होने के पूर्व दक्षिण भारत के लोगों में पवित्रता और भोजन द्वारा गुण अवगुण सचरित होने का विश्वास था। शूद्रों ने आर्यों द्वारा विकसित भोजन और जल के निषेधों को शीघ्रता से अपना लिया। घुर्ये का कथन है कि इसी कारण दक्षिण भारत में भोजन और जल सबधी प्रतिबध कठोर है और वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण के अलावा अन्य किसी के हाथ से भोजन अथवा जल नहीं स्वीकार करता है⁸। जब वैश्यों का शूद्रों के साथ मिश्रण होने लगा तब ब्राह्मणों ने वैश्यों के साथ अपना मिश्रण रोकने के लिए नियम बनाये और ब्राह्मण द्वारा वैश्य स्त्री से उत्पन्न सतान को अपने से भिन्न स्थिति प्रदान की। बौद्ध धर्म के पतन काल के समय ब्राह्मणों ने वैश्यों के हाथ का भोजन स्वीकार करना भी बंद कर दिया। क्षत्रियों की विशेष स्थिति के कारण सिद्धांत रूप से ब्राह्मणों ने उनके हाथ से भोजन ग्रहण करने पर प्रतिबध नहीं लगाया फिर भी उन्होंने ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सतान को भिन्न समूह देकर अपनी प्रजातीय शुद्धता इनसे सुरक्षित रखी। अतएव अन्तर्विवाह और भोजन सबधी निषेध ब्राह्मणों की अपने को शुद्ध रखने की इच्छा का फल है। ब्राह्मणों की यह इच्छा आशिक रूप से उनके पवित्रता सबधी विचार और आशिक रूप से वैदिक परंपरा की सुरक्षा और आशिक रूप से अपनी विजय पर गर्व के कारण थी। यह इच्छा पहले सभी इन्डो-आर्य वर्गों में थी लेकिन बाद में यह भावना केवल ब्राह्मणों में ही रह गयी। शास्त्र की भाषा जब बोल चाल की भाषा से भिन्न हो गयी तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से विभेद रच लिया। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों में जो मौलिक दृढता थी उसे नहीं भुलाया। अपनी पवित्रता बनाये रखने के लिये वे अपना ढग अपनाते रहे और क्षत्रिय तथा वैश्यों को अपनी इस योजना में शामिल रखा यद्यपि व्यवहार में इन्हे शूद्रों की भौति मानते रहे।

यह सामाजिक प्रतिमान जिसका निर्माण समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त वर्ग द्वारा हुआ उन सभी प्रकार के समूहों द्वारा उत्साह के साथ अनुकरण किया गया जो प्रतिष्ठा और सम्मान चाहते थे। बहुत कुछ सम्भव है इसी नियम से

7 ' I may conclude that caste in India is a Brahmanic child of the Indo-Aryan Culture cradled in the land of the Ganga and the Yamuna and thence transferred to other parts of the country' Ghurye, G S "Caste, Class & Occupation P 172

8 Ghurey, G S Caste, Class & Occupation P 174

अ विवाह और भोजन सबधी नियम न जो समाज मे केवल चार वर्गों द्वारा बनाये गये थे प्रत्येक समूह का लक्षण बन गये सामूहिक दृढता (Group Solidarity) और समूह प्रतिष्ठा के विचारो ने अपने समूह से बाहर विवाह करने पर रोक लगायी जिससे समूह अन्तर्विवाही बन गये और उसने नयी जाति का रूप ग्रहण कर लिया।

मजूमदार का मत — सरकृतियों के सघर्ष तथा मिश्रण दोनो स्थितियों पर डा मजूमदार बल देते है। आरम्भ मे आर्यों तथा यहाँ के मूल निवासियों मे सघर्ष हुआ। यह सघर्ष अधिक दिनों तक नही चल सका। इनमे योन तथा वैवाहिक सबध शुरू हुए और इनसे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई।

(1) आलोचना — प्रजातीय सिद्धान्त इस बात की व्याख्या नही करता है कि अन्य देशो मे प्रजाति मिश्रण से जातियाँ क्यो नही बनी।

(2) हटन खान-पान निषेधो को जाति का अनूठा लक्षण मानते है। इसलिए उनके अनुसार इस सिद्धान्त की एक यह भी सबसे बडी दुर्बलता है कि इस सिद्धान्त के द्वारा खान-पान के निषेधो की व्याख्या नही हो पाती है।

(3) हटन ने ठीक ही कहा है कि यदि प्रजातीय सम्पर्क-सघर्ष ही जाति बनाने का एकमात्र कारण है तो एग्लो-इंडियनो मुसलमानो और दोगले अग्रेजो (Eurasians) मे हिन्दुओ की भौति जातियाँ क्यो नही बनी⁹।

6 'माना' का सिद्धान्त अथवा हटन का सिद्धान्त — हटन अपनी 'कास्ट इन इण्डिया' नामक पुस्तक मे कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने के लिए इण्डिया मे पाई जाने वाली इन सरकृतियों की परीक्षा पहले करना उचित होगा जिनमे प्राचीन काल से बहुत ही कम अथवा नाम मात्र को परिवर्तन हुआ है यदि ये सरकृतियाँ ऐसी उत्पत्तियों को प्रकाशित कर सकती हैं जो अन्यत्र बढती हुई सभ्यता और बाह्य सम्पर्को के परिवर्तनो और विकासो के कारण स्पष्ट नही है। जाति का वर्तमान रूप अनेक शताब्दियों मे विकसित हुआ। परन्तु जातियाँ भारतवर्ष मे ही पायी जाती है और भारत मे इसकी जडे गहराई तक व्याप्त हैं जाति की उत्पत्ति को भारतवर्ष मे ही खोजना आवश्यक होगा। सौभाग्य से इस विशाल देश के दुर्गम कोनो मे अब भी कुछ ऐसी जनजातियाँ है जिनके जीवन की आदिम अवस्था सहस्रो वर्षों मे भी परिवर्तित न हो सकी। हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम धर्म का भी प्रभाव उन पर बिलकुल नही पडा और हिन्दुओ जैसी जाति प्रणाली के विषय मे वहाँ सोचा भी नही गया है। जाति जिस रूप मे मैदानो मे पाई जाती है उसका वहाँ स्वप्न भी नही देखा गया है फिर भी वहाँ कुछ ऐसी सरस्थाएँ पाई जाती है जो जाति और धर्म पर एक निश्चित प्रकाश डालती हुई प्रतीत होती हैं। हटन के अनुसार नागा पहाडियों के पूर्व अन्तर्देशीय क्षेत्र मे जहाँ प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र राजनैतिक इकाई है पेशे के आधार पर गाँवो का विभाजन मिलता है। इस प्रकार कुछ गाँव

बर्तन बनाने का काम करते हैं लेकिन कपडा नहीं बुनते। कपडा बुनने का काम अन्य गाँव में होता है। कुछ गाँवों में लोहारगिरी का काम होता है। पारस्परिक विरोध न होने पर प्रत्येक गाँव अपने पड़ोसी गाँव से वस्तु विनिमय कर लेता है। यहाँ जाति व्यवस्था की ओर सकेत करने वाला व्यवसाय का एक पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह जाति प्रणाली के परम्परागत पेशों से मिलता जुलता पहलू है। उत्तरी भारत में इसके अवशेष बौद्धकाल तक बने रहे लेकिन जाति के विषय में सकेत करने वाला यह एकमात्र लक्षण नहीं है।

जहाँ तक भोजन सबधी निषेधों का प्रश्न है हमें नागा जनजातियों से पृथक भटकने की आवश्यकता नहीं। नागा जनजातियों में माना के आधार पर भोजन सबधी निषेधों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। माना सिद्धान्त के अनुसार भोजन करने वाले पर भोजन छूने वाले का प्रभाव पड़ता है। अतः अपरिचितों का भोजन खतरनाक होता है। भारत की जातियों में पके और बिना पके भोजन के विषय में अनेक निषेध हैं। इन निषेधों को नागाओं के माना के सिद्धान्त से जोड़ा जा सकता है। आत्मा या जीवन शक्ति के विचार व निषेधों द्वारा इनकी रक्षा की आवश्यकता न्यूजीलैण्ड से लेकर सारे दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह जीवन शक्ति दिखाई न दे पर सीमित और मूर्त है। इस पर अधिक शक्तिशाली जीवन शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है और उनसे नुकसान हो सकता है। जीवन शक्ति या माना का सिद्धान्त पारसियों बौद्धों मुसलमानों और हिन्दुओं में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। बौद्ध धर्म में इन्द्र के रूप में इस्लाम में कुदरत के रूप में और हिन्दू धर्म में शक्ति के रूप में माना का सिद्धान्त पाया जाता है।

‘माना’ की धारणा — प्रश्न है माना क्या है ? सारे ससार में किसी न किसी अलौकिक अवैयक्तिक शक्ति में विश्वास पाया जाता है जिसमें सभी प्रकार की ऐसी वस्तुएँ प्राप्त कराने की क्षमता होती है जो अन्यथा न प्राप्त हो सकें। पालीनेशिया और भलेनेशिया में ऐसी शक्ति को ‘माना’ नाम से अभिहित किया जाता है। यद्यपि यह शक्ति अवैयक्तिक है फिर भी व्यक्तियों और वस्तुओं में प्रवेश कर उनमें वे गुण और योग्यताये पैदा कर सकती है जो पहले विद्यमान नहीं थे¹⁰। नागा लोग इसे **Aren** और मुण्डा लोग **Bonga** कहते हैं। हटन का कहना है कि जाति व्यवस्था का जन्म जीवन शक्ति माना और जादू के आधार पर हुआ। माना के विचार के कारण भोजन सबधी निषेधों का भी विकास हुआ। माना एक ऐसी विद्युतधारा की भाँति है जो मनुष्यों और वस्तुओं को लग सकती

10 "Mana is the name which the Melanesians and Polynsians have for this power

Although impersonal and difused, this power is capable of entering into objects and persons giving them properties and capacities they previously lacked " Ogburn & Nimkoff A Hand Book of Sociology, Eurasia Publishing House (Pvt) Ltd Ram Nagar, New Delhi-1, 1966 Page-462

हैं और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर भेजी जा सकती है। कोई आशातीत सफलता माना का फल है और विफलता माना की कमी या हानि की परिचायक है।

आलोचना — (1) केवल माना के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नहीं सिद्ध किया जा सकता क्योंकि माना सबधी विचार तो सारे ससार में किसी न किसी रूप में व्याप्त था। विश्व में भारतवर्ष के अलावा और कहीं जातियाँ नहीं बन पायीं। अतः जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग स्वीकार करना पड़ेगा। यह सच है कि भोजन सबधी निषेधों की व्याख्या का माना सबसे अधिक उपयुक्त आधार है।

(2) हटन स्वयं अपने इस सिद्धान्त से सहमत नहीं प्रतीत होते हैं क्योंकि यदि वे अपने इस सिद्धान्त से सतुष्ट होते तो जाति की उत्पत्ति में मदद करने वाले 14 कारणों की सूची अपनी पुस्तक में न देते।

7 अन्य सिद्धान्त — घुर्ये की भाँति इबेट्सन जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों की चालाकी का फल मानते हैं। आपके अनुसार ब्राह्मणों ने अपने और अपने समर्थकों के पेशों को छोड़कर अन्य पेशों को नीचा घोषित कर दिया। जानजातीय तत्त्वों व्यावसायिक सघों (गिल्ड्स) और पुरोहित धर्म के संयोग से जाति उत्पन्न होने की बात आप स्वीकार करते हैं। आप जाति के उत्पन्न होने में जनजाति का विशेष योग मानते हैं।

यह सच है कि कुछ जातियों के बनने के लिए जनजातियाँ उत्तरदायी हैं परन्तु यह भी कम स्पष्ट नहीं है कि कुछ जातियाँ कतिपय पेशों तक ही सीमित हैं। हटन का आरोप है कि इबेट्सन ने जाति की उत्पत्ति की व्याख्या करने के स्थान पर जाति के लक्षणों का उल्लेख किया है। जनजातियों व्यावसायिक सघों और धार्मिक एकाधिकारों ने निस्संदेह जाति व्यवस्था के विकास और विस्तार में मदद की है लेकिन इन्हे जाति उत्पन्न होने का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये कोई ऐसे तत्त्व नहीं हैं जो भारत में ही मिलते हों बल्कि कई देशों के समाजों में ये सामान्य रूप से पाये जाते हैं जबकि जातियाँ केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं।

स्लेटर (Slater) ने अपनी 'Dravidian Elements in Indian Culture' नामक पुस्तक में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति सबधी व्यावसायिक और प्रजातीय उत्पत्तियों का सम्मिलित सिद्धान्त प्रस्तुत किया। आप इस तथ्य पर जोर देते हैं कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जाति अधिक प्रबल है और ऐसा सुझाव प्रदान करते हैं कि आर्यों के आक्रमण के पूर्व भारतवर्ष में व्यवसायों के पैतृक होने और एक ही व्यावसायिक समाज के अन्तर्गत माता पिता द्वारा विवाहों के तय होने के कारण जाति का जन्म हुआ। व्यावसायिक रहस्य इस प्रकार सुरक्षित बना रहता था। धार्मिक संस्कारों और जादू के परिणामस्वरूप भी ऐसे व्यावसायिक समूह बने जिनके बाहर विवाह करना प्रचलित रीति के

विरुद्ध माना जाता था। आर्य—आक्रमण ने जाति—भेद को रग भेद (प्रजाति भेद) के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति को सबल और दृढ़ बनाया और साथ ही सामाजिक वरीयता के खेल में जातियों के स्थान प्रदान करने की प्रवृत्ति को बल प्रदान किया। स्लॉटर भारत के प्रागार्य समाज में पुरोहित जादूगरो की स्थिति को स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष — जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विचारों का विवेचन करने के पश्चात् इस बात का निर्धारण शेष रह जाता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कौन से सिद्धान्त को ठीक माना जाय। जाति के उद्भट व्याख्याता श्री हटन सभी सिद्धान्तों में वर्णित तत्त्वों को मिलाकर सामान्यीकरण करने की चेष्टा करते हैं। जाति की उत्पत्ति में अनेक कारकों (Flurality Causes) के योग को स्वीकार करना होगा। बहुत से कारकों ने मिलकर जाति व्यवस्था को उत्पन्न किया। किसी अकेले कारक ने जाति प्रथा को नहीं जन्म दिया। जाति की उत्पत्ति में मदद करने वाले कारक जिनका उल्लेख हटन ने किया है निम्नलिखित हैं —

- (1) सम्पूर्ण भारतीय प्रायद्वीप और उसके आन्तरिक क्षेत्रों की भौगोलिक भिन्नता।
- (2) भोजन द्वारा गुण हस्तांतरित होने के आदिम विचार।
- (3) टोटम टैबू और माना सबधी आदिम विचार।
- (4) धार्मिक संस्कार और यज्ञ जिसने पवित्रता की भावना को जन्म दिया।
- (5) कुलपूजा और कुलभोज सबधी विचार।
- (6) अवतार तथा कर्म के सिद्धान्त में विश्वास।
- (7) व्यवसाय और कार्य से संबंधित जादू में विश्वास।
- (8) पैतृक व्यवसाय व्यापार और कारीगरी के रहस्य।
- (9) व्यावसायिक संघ (Guilds) और इसी प्रकार की अन्य संस्थायें और आर्थिक जीवन के विकास में सहायक भिन्न भिन्न तत्त्व।
- (10) विरोधी संस्कृतियों—विशेषकर पितृमूलक आर्यों का मातृमूलक द्रविडों से संघर्ष।
- (11) प्रजातियों में संघर्ष रग—पक्षपात और विजय।
- (12) धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकारों से युक्त वर्गों का विकास।
- (13) वन्य जातियों और गणों की वैयक्तिक विलगता और बिना विलयन किये उन्हें विशाल प्रशासनिक इकाइयों में शामिल करना।
- (14) जानबूझकर बनाई गई आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ।
- (15) ब्राह्मणों द्वारा अन्य लोगों का शोषण।



अध्याय 10

जाति व्यवस्था में परिवर्तन

(Changes in the Caste System)

समय और परिस्थितियों के थपेड़ों से जाति व्यवस्था हताहत हुए बिना नहीं रही। इतिहास के एक बिन्दु पर जिस चीज का जन्म होता है वह विकास की प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होकर विकृत भी होने लगती है। जातियों के लिए भी यह नियम सही है। जाति व्यवस्था के लक्षण आज तिरोहित हो रहे हैं। वह सिद्धान्त जो कभी जाति का आधार था समय की भट्टी में जलकर राख हो रहे हैं।

(1) **प्रजातंत्र एव जाति** — जन्म पर आधारित असमानता जाति का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त था। जाति का सार (essence) असमानता (inequality) में निहित है। व्यक्ति के जन्म के आधार पर जाति—सदस्यता प्रदान की जाती थी। जिस जाति में कोई जन्म लेता था वही उसकी जाति होती थी। जातिगत नियम के अनुसार व्यक्ति की जीवन अवधि में उसकी जाति में परिवर्तन असम्भव था अर्थात् एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन संभव नहीं था। अमीरी या गरीबी व्यक्ति को जाति से अलग नहीं कर सकती थी। आजकल पाश्चात्य मूल्यों और शिक्षा प्रसार के कारण कुछ निम्न जातियाँ ऊँची जाति के रीति—रिवाजों और मूल्यों को अपना कर सामिश्र भोजन और मद्यपान को छोड़कर जाति सौपानक्रम में ऊँचे उठ रही हैं। एम एन श्रीनिवास ने इस तथ्य को प्रकट करने के लिए संस्कृतिकरण (Sanskritization) शब्द का प्रयोग किया है। प्रजातंत्रिक मूल्यों और विचारों से जाति का जन्म पर आधारित असमानता का सिद्धान्त मेल नहीं खाता तो फिर प्रजातंत्रिक ढाँचे में जाति व्यवस्था को कैसे फिट किया जा सकता है। प्रजातंत्र समानता के सिद्धान्त को लेकर चलता है। प्रजातंत्र अवसर, अधिकार और सुविधाओं की समानता को लेकर चलता है। प्रजातंत्र अवसर, अधिकार और सुविधाओं की समानता का नारा बुलन्द करता है। जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सभी जातियों के लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और समान सुविधाएँ नहीं प्राप्त हैं बल्कि उल्टे अगर कोई विशेषाधिकारों को भोगता है तो कोई निर्योग्यताओं (Disabilities) का शिकार है। कोई ऊँचा है तो कोई नीचा। समानता नाम की चीज के लिए जाति व्यवस्था में कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रजातंत्र में जन्म पर आश्रित इन

विशेषधिकारो और असुविधाओ को प्रश्रय कदापि नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में भला प्रजातंत्र और जाति साथ-साथ कैसे रह सकते हैं ? प्रजातंत्र में सबके लिए अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जाति व्यवस्था में शिक्षा एक जाति विशेष के लोगो तक सीमित कर दी जाती है और अन्य जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप उन लोगो में जिन्हें शिक्षा का विशेषाधिकार प्राप्त है श्रेष्ठता की भावना के पनपने का अवसर मिलता है।

सक्षेप में प्रजातंत्र और जाति के आधार सिद्धान्त और परिणाम एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। ऐसी स्थिति में जाति का असमानता का सिद्धान्त जनतांत्रिक मूल्यों और विचारधारा द्वारा प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है।

कुछ जातियों में जाति के सदस्यों के व्यवहारों को सीमाओं में बाँधने के लिए जाति पचायते थी। जाति पचायते व्यक्तियों को दण्ड देने में जाति का ध्यान रखती थी। जाति के आधार पर व्यक्तियों के लिए पृथक-पृथक दण्ड की व्यवस्था थी। अब व्यक्ति को दण्ड देने में उसकी जाति पर विचार नहीं किया जाता है बल्कि उसके अपराध पर विचार किया जाता है। अर्थात् समान अपराध करने वाले लोग चाहे जिस जाति के हों समान दण्ड के भागी होंगे। कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के आगे न तो कोई जाति बड़ी है और न कोई छोटी बल्कि सभी जातियाँ समान हैं।

(2) **जाति का व्यावसायिक तत्त्व नष्ट हो गया है** — व्यवसाय चयन की स्वतन्त्रता का अभाव जाति का दूसरा प्रमुख लक्षण था। मनमाने ढंग से पेशों को ऊँचा या नीचा सिद्ध कर इन पेशों में लगे लोगो के बीच सामाजिक असमानता पैदा करना जातिबद्ध समाज की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक जाति का व्यवसाय पैतृक होता है। अपने जातीय व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति एक जाति के सदस्य को प्राप्त नहीं थी। पैतृक व्यवस्था अपनाने के पक्ष में तर्क यह दिया जाता था कि बच्चा बचपन से ही व्यावसायिक कौशल सीख कर छोटी आयु में ही व्यवसाय में हाथ बँटाने लगेगा। इसके अलावा उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बच्चे को अपने व्यवसाय के विषय में प्रशिक्षण अपने माता पिता से ही प्राप्त हो जायेगा और व्यवसाय के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनका भी पता उसे आसानी से लग जायेगा। औद्योगीकरण के फलस्वरूप नये नये उद्योग धन्धों का विकास हुआ। बड़े पैमाने के उद्योगों ने जातिगत पैतृक व्यवसायों पर प्रहार किया। उदाहरणार्थ सूती मिलों के विकास के कारण पीढ़ियों से कपड़ा बुनने का काम करने वाले जुलाहों का व्यवसाय ध्वस्त हो गया। सूती मिलों के बने कपड़े का मुकाबला न कर सकने के कारण जुलाहों ने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़ दिया और मिलों में नौकरी करने लगे। इससे पैतृक व्यवसाय अपनाने

का आदर्श हिल गया। अब व्यवसाय अपनाने में रुचि और रुझान को महत्त्व दिया जाता है। व्यक्ति का मन जिस व्यावसाय को करने में लगे वही व्यवसाय उसे करने दिया जाय। जाति व्यवस्था की व्यावसायिक मनोवृत्ति बदलने में सविधान का भी योग कम नहीं है। भारतवर्ष के आजाद हो जाने पर जब सविधान बना तो सविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी इच्छा का व्यवसाय चुनने के लिए स्वतन्त्र है। फलस्वरूप जाति का व्यावसायिक पहलू नष्ट हो गया। आज किसी भी जाति का पेशा परम्परा द्वारा निर्धारित नहीं है। किसी भी पेशे को अपना कर नीची जाति का व्यक्ति वैभवशाली बन सकता है। जीविका के सभी साधन उसे सुलभ हैं। किसी भी व्यवसाय पर किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं है। आज जातीय पेशेगत प्रतिबन्ध लगाकर आर्थिक समृद्धि पाने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। जूता बनाने का काम चमार ही करेगा यह सिद्धान्त अब नष्ट हो गया है। अगर ब्राह्मण जूता की दुकान खोलना चाहे तो शोक से खोल सकता है।

(3) **भोजन एवं जल सबधी निषेधों की समाप्ति** — भोजन और जल सबधी निषेधों को हटाने में जाति का अनूठा लक्षण (unique feature) माना है। वर्तमान समय में भोजन और जल सबधी निषेधों को पनपने देने का अनुकूल वातावरण समाप्त हो गया है। कनौजिया ब्राह्मणों में भी भोजन और जल सबधी निषेध उतने कठोर नहीं हैं। भोजन और जल सबधी निषेधों को लेकर शहरी और ग्रामीण समाज में वैभिन्न्य परिलक्षित होता है। शहरों में खान-पान प्रतिबन्ध बेधडक तोड़े जाते हैं। इस सबध में डा. राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है बाजार में कारखानों में चाय की दुकानों पर सब जातियों के लोग जाति व्यवस्था सबधी सभी प्राचीन नियमों को तोड़ते हुए एक साथ काम करते और खाते पीते हैं। भला औद्योगिक समाज में भोजन और जल प्रतिबन्धों के विषय में विचार करने की गुंजाइश कहाँ है। नगरीकरण और औद्योगीकरण ने जाति की मर्यादाओं को दिल खोलकर भंग किया है। ग्रामीण समाज में भी कुछ परिस्थितियों में भोजन सम्बन्धी नियमों की अवहेलना की जाती है। जैसे ग्रामीण समाज के मनुष्य जब किसी शादी में रेल द्वारा यात्रा करते हैं या अन्य किसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो जाति के भोजन सबधी नियमों का उल्लंघन करते हैं। बारात विदा होने पर वधू के साथ मिष्ठान्न और पकवान आदि भेजने का विधान हिन्दू समाज में है। यात्रा के दौरान रेल के डिब्बे में जब यह पकवान रखा जाता है तो सभी जाति के लोगों का स्पर्श हो सकता है। गाँव के बड़े बूढ़े लोगों से अगर पूछा जाता है कि क्या आप यह पकवान जो ट्रेन में निम्न जातियों द्वारा स्पर्श हुआ है फेंक देंगे? तो उत्तर मिलता है नहीं हम वृद्ध लोग इसे नहीं खायेगे बच्चे लोग इसे खा लेंगे। यह विचित्र आडम्बर है। बच्चे चमार का स्पर्श किया भोजन करें और बच्चों के साथ वे भोजन करें तो क्या ऐसे व्यक्तियों से

भोजन निषेधों का उल्लघन नहीं होता है ? प्रत्यक्ष रूप से न सही अप्रत्यक्ष रीति से तो वे भी भोजन सबधी नियमों को तोड़ते ही हैं। रेल अस्पताल आदि के प्रभाव से आज जाति के भोजन सबधी नियम टूट रहे हैं। औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण विकसित होटल व्यवस्था ने तो भोजन निषेधों के समापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के पास भोजन बनाने का समय बहुत कम होता है विवश होकर वे होटलों का आश्रय लेते हैं। होटल में जाति सम्बन्धी नियमों का चल पाना कई कारणों से मुश्किल है। सर्वप्रथम होटल का मालिक जाति के आधार पर भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता है क्योंकि यह कृत्य बहुत खर्चीला और अव्यावहारिक है। दूसरे जाति के आधार पर भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत सा स्थान चाहिए। शहरों में भोजनालय खोलने के लिए इतना स्थान भी नहीं प्राप्त हो सकता। तीसरे भोजनालय खोलने का उद्देश्य होता है धनावृद्धि अथवा लाभ। जाति के आधार पर होटल खोलने में लाभ के बजाय हानि होने की सम्भावना है। होटलों में प्रायः सभी जातियों के लिए पात्रों की अलग अलग व्यवस्था नहीं होती है। पात्र सबके लिए एक ही होते हैं। होटलों में इस बात की सम्भावना है कि जिस पात्र में विप्र जी भोजन कर रहे हो ठीक उसके पूर्व कोई मेहतर उसमें भोजन कर गया हो।

(4) **जाति भोज की प्रथा प्रभावित** — जातियों में सस्कारों के अवसर पर जाति भोज आदि दिये जाते थे। इन जाति भोजों में केवल अपनी जाति के लोग शामिल किए जाते थे। शहरी समाज में जातिभोज की प्रथा मिट सी गयी है। यहाँ बच्चे की वर्षगाँठ या मुण्डन के अवसर पर जाति के लोगों को आमन्त्रित करने के साथ हाकिमों और अफसरों को जरूर बुलाया जाता है (चाहे यह अफसर घोर नीची जाति के क्यों न हों) क्योंकि उनकी कृपा पाने से नौकरी में तरक्की हो सकती है। इस भोज में दूसरी जाति के अपने इष्ट-मित्रों को बुलाना भी स्वाभाविक ही है क्योंकि इष्ट-मित्र तो सुख दुःख में भाग लेने वाले होते हैं।

(5) **छुआछूत के विचार का अन्त** — सामाजिक स्पर्श और मिलन जुलन सबधी नियम जाति का अपरिहार्य अंग हैं। छुआछूत की भावना जाति का प्रबल तत्त्व है। औद्योगीकरण से छुआछूत के विचार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। कारखानों में जाति के आधार पर मजदूरों की नियुक्ति नहीं होती है। वहाँ तो रुचि और कार्य कुशलता के आधार पर मजदूर नियुक्त किये जाते हैं। फैक्ट्रियों का कार्य भी कुछ ऐसा है कि मजदूरों को अलग-बगल काम करना पड़ता है। इससे छुआछूत का भाव दूर हो जाता है। सविधान में भी छुआछूत के अन्त की घोषणा की गई है। 1955 में पार्लियामेंट ने छुआछूत उन्मूलन सबधी नियम बनाकर छुआछूत को समाप्त नहीं कर दिया बल्कि छुआछूत का विचार फैलाने वाले और छुआछूत का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड की व्यवस्था का भी प्राविधान कर दिया है। इस अधिनियम ने अछूतों की समस्त निर्योग्यताओं

और असुविधाओं को समाप्त कर दिया है। जीविका के समस्त साधन सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। किसी भी रोजगार को अपनाकर व्यक्ति जीवनयापन कर सकता है। किसी भी रोजगार पर अब जाति की बंधावटी नहीं है।

(6) **शहरी एवं औद्योगिक समाजों में जातियाँ प्रभावक नहीं हैं—** नगर और कारखानों का प्रभाव जाति के बन्धन समाप्त करने में बहुत सक्षम है। किंग्सले डेविस ने ठीक ही कहा है कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ की घनी आबादी धर्मनिरपेक्षता दिन प्रतिदिन की परिवर्तनशीलता गतिशीलता और व्यक्ति की अज्ञातनामिता के कारण जाति व्यवस्था कारगर नहीं हो पाती²। यह सही है कि जाति व्यवस्था के कुछ प्रतिबन्ध औद्योगिक समाज में टूट रहे हैं परन्तु इसका प्रभाव स्थायी नहीं रहता। मजदूर लोग काम से अवकाश पाकर अपने गाँवों को लौट आते हैं और वहाँ जाकर वे फिर से जाति व्यवस्था के नियमों का पालन करने लगते हैं। जाति के नियमों को मानने की प्रथा और भावना इतनी बलवती होती है कि वह लोगों के लिए जीवन के दोहरे मानदण्डों की सृष्टि कर देती है³।

(7) **अन्तर्विवाह की प्रथा अप्रभावित** — जातियों में विवाह के बारे में भी प्रतिबन्ध मिलते हैं। विवाह सबधी जातीय नियम बहुत कठोर हैं। परम्परागत व्यवसाय छुआ-छूत जल ग्रहण करने और खाने के नियम तथा मिलन-जुलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध वर्तमान परिस्थितियों में जातियों से बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे हैं परन्तु विवाह प्रतिबन्ध अभी भी ज्यों के त्यों हैं। अन्तर्विवाह जाति व्यवस्था की ऐसी विशेषता है जिसका उल्लंघन करने के लिए कुछ पढ़े लोग पारस्परिक प्रेम के आकर्षण की वजह से तैयार हो जाते हैं⁴। एक जाति के सदस्य अब भी अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। भिन्न जातीय विवाहों का प्रचलन अभी नाम मात्र को है। समाज में उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले कुछ लोग भिन्न जातीय विवाह कर लेते हैं परन्तु ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम है। घुर्ये ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एण्ड अकूपेशन में उल्लेख किया है कि बम्बई में उन्हें अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं जहाँ युवा पीढ़ी के लोगों ने भिन्न जातीय विवाह (inter caste marriages) किये हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे भिन्न

2 किंग्सले डेविस का यह विचार डा० नर्मदेश्वर प्रसाद की जाति व्यवस्था नामक पुस्तक से उद्धृत किया गया है।

3 Ghurye, G S Caste Class & Occupation Popular Book Depot, Bombay 7, October 1961, Page, 202-203

4 The endogamous nature of caste has remained almost the same with this difference that whereas formerly marriage outside one's caste was not to be even thought of, today many educated young men and women are prepared to break through the bonds of caste if mutual love or attraction demands it Ghurye, G S caste class & occupation Popular Book Depot, Bombay 7, October 1961, P 204

जातीय विवाह है जिनमे स्त्री पति से निम्न जाति की थी। जहाँ तक पुरानी पीढी के लोगो की बात है बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि उनमे सामाजिक सुधार की चर्चा के बावजूद भी भिन्न जातीय विवाह के विषय मे प्रगतिशील विचारो का विकास नही हो पाया है। इसलिए जब वृद्ध लोग विवाह तय करते है तो अपनी जाति से बाहर विवाह करने की बात कभी नही सोचते। विवाह के क्षेत्र मे जाति का प्रभाव इतना प्रबल है कि व्यक्ति जाति से बाहर विवाह करने का साहस ही नही करता। कुछ व्यक्ति जो भिन्न जातीय विवाहो को करना भी चाहते है वे ऐसे विवाहो के अप्रचलन के कारण ऐसा नही कर पाते क्योंकि वे इस क्षेत्र मे पहल कर अकेले नक्कू बनना पसंद नही करते। उनका तर्क है कि जब सब लोग भिन्न जातीय विवाह करने लगेंगे तो हम भी करने लगेंगे। भिन्न जातीय विवाहो के अप्रचलन के कारण ऐसा करने से लोग झिझकते है। बहुत सी उचित बातो का कार्यान्वयन अप्रचलन के कारण नही हो पाता है। और बहुत सी अनुचित रीतियाँ प्रचलन के बल पर चलती रहती है। उदाहरणार्थ बाल विवाह प्रथा मे औचित्य प्रचलन का पुट बहुत कम है फिर भी ऐसे विवाह समाज मे भिन्न जातीय विवाहो (intercaste marriages) की अपेक्षा कही अधिक मात्रा मे होते है। अगर जाति को खत्म करना है तो सरकार को चाहिए कि भिन्न जातीय विवाहो को प्रचलित करने के लिए कुछ कदम उठाये। इसके लिए उन लोगो को सरकारी नौकरी मे प्राथमिकता देने और आर्थिक सहायता देने के प्रलोभन की व्यवस्था करे जो अपनी जाति से भिन्न दूसरी जाति मे विवाह करे। जब तक कोई ऐसा ठोस कदम नही उठाया जाता तब तक भिन्न जातीय विवाहो की प्रथा नही पड सकती और यदि जाति का अन्तर्विवाही नियम भंग नही होता तो जातियाँ नष्ट नही हो सकती।

निष्कर्ष — उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जाति के सभी प्रमुख तत्त्व लगभग बदल गये है। केवल विवाह सम्बन्धी क्षेत्र मे जाति के नियम अब भी काफी कठोर और प्रभावशाली बने हुए हैं। यह सच है कि सुधार आन्दोलनो स्वतंत्रता समानता आदि के विचारो नागरीकरण औद्योगीकरण बढ़ते हुए यातायात के साधनो सवैधानिक व्यवस्थाओ और प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारण समय—समय पर जातियो के पारस्परिक सम्बन्धो मे परिवर्तन हुए है। जाति के लक्षणी मे परिवर्तन तो हुए है परन्तु जातियाँ तो अब भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दो मे जाति मे कोई अन्तर नही आया है। जातियाँ आज भी ज्यो की त्यो कायम हैं। इस जाति—भेद को राष्ट्रीयता भी न मिटा सकी।

जाति का भविष्य — जाति व्यवस्था मे व्याप्त ऊँच—नीच की भावना छुआछूत विशेषाधिकार और निर्योग्यताओ से प्रभावित होकर कुछ विद्वान इसे समूल नष्ट करने के पक्ष मे हैं। कुछ लोग जैसे महात्मा गाँधी वर्ण व्यवस्था के पुन लागू करने के पक्ष मे थे। कुछ लोग जैसे डी एन मजूमदार और मदन इस व्यवस्था के बने रहने देने के पक्ष मे है। इन तीनो मतो मे अन्तिम मत ही ठीक

और व्यावहारिक प्रतीत होता है। वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू करने में चार वर्णों के अन्तर्गत सभी जातियों को रखना होगा। किस आधार पर इन जातियों को चार कोटियों के अन्तर्गत रखा जाय इसका उल्लेख महात्मा गान्धी जी ने नहीं किया था। लेकिन महात्मा गान्धी जी चूँकि जन्म और वशानुक्रमण पर बल देते हुए *once born a Brahman always Brahman* के मत का समर्थन किया था। इसलिये आपने जातियों को उनके उच्च समूहों में जन्म के आधार पर रखने की बात की होगी। यदि जन्म के आधार पर सभी जातियों को चार वर्णों में रखा जायगा तो निस्सन्देह जातियों में महान् सघर्ष होगा। इस विषय को लेकर भी मतभेद होगा कि किन जातियों को तीन उच्च वर्णों में से किसी एक में रखा जाय। यदि इस विषय पर कोई सौहार्द्रपूर्ण समझौता हो भी जाय तो अछूत वर्णों के बारे में क्या होगा? गान्धी जी अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे और वे अछूत जातियों को कोई न कोई आदर सूचक पद अवश्य प्रस्तावित करते। उन्हें कहीं स्थान दिया जाता? जिस भी वर्ण में इन्हें रखा जाता वही वर्ण सख्त मुखालिफत करता। अतः वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करने का विचार असतोषजनक है।

अब जाति व्यवस्था के समूल नष्ट हो जाने के विषय पर विचार करना है। प्रश्न यह है कि क्या सुदूर भविष्य में जातियाँ समाप्त हो जायेगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना कोई आसान काम नहीं है। इस सम्बन्ध में यह तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि जनतांत्रिक समाज में जातियों का पनपना मुश्किल है। सरदार के एम पणिकर अपनी पुस्तक 'कारस्ट एण्ड डेमोक्रेसी' में भविष्य में जाति के स्थान पर जाति से भिन्न व्यवस्था बनने की आशा व्यक्त करते हैं। आपका कथन है 'एक बात निश्चित है हिन्दू समाज ऐसे पात्र में है जो पिघल रहा है। वह धातु जो सदियों की आज्ञापालकता के कारण कठोर हो गयी थी केवल किसी असाधारण ताप द्वारा पिघल सकती है। लेकिन यह तो पिघल रही है जब पिघली हुई धातु पुनः ठोस होगी तब जाति और प्रजातंत्र में विरोध नहीं होगा। सामाजिक प्रथकता (Social exclusion) और जन्म पर आश्रित असमानता (inequality based on birth) मिट जायेगी। कोई श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु इसका स्थान लेगी और उसी पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा'। मेरे विचार से सुदूर भविष्य में भी जातियाँ समाप्त नहीं होंगी। हाँ यह अवश्य है कि उनमें स्पर्श-वर्जन छुआछूत और विशेषाधिकार तथा निर्याग्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जाति तत्त्व भारतीय समाज में बहुत प्रबल है इसलिए जातियों के मिटाने का जितना अधिक प्रयास किया जाता है उतना ही अधिक जातियों के सगठन दृढ़ होते जाते हैं⁶। हिन्दू महासभा कायस्थ महासभा और दलित जाति संघ-आदि सगठन जाति को सबल बनाते हैं। जातीय-भावना

5- Panikkar, K M Caste & Democracy page 89,

6- 'One feature of Hindu Society during the last thirty or forty years has been the marked tendency for every caste to form its own association comprising all members of the caste speaking the same language'-Ghurye *Class and Occupation* page 206

लोगों की रंग-रंग में समाई हुई है। जाति के प्रति अटूट श्रद्धा जिसे जातिवाद (casteism) कहा जाता है जातियों को कैसे मिटने देगी। हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में जाति की जड़े घुसी पड़ी हैं। गाँव के नेतृत्व से लेकर केन्द्र सरकार तक का नेतृत्व जाति से अप्रभावित नहीं है। जाति के आधार पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों के चुनाव में जाति का ध्यान रखा जाता है⁷। इसके अलावा जब तक भिन्न-जातीय विवाह (intercaste marriages) बड़े पैमाने पर नहीं होने लगते जाति मिटाने की बात एक मिथ बनी रहेगी। जहाँ तक प्रजातंत्र और जाति के सैद्धांतिक विरोध के कारण दोनों में से एक रहने का प्रश्न है जाति रहेगी प्रजातंत्र चाहे रहे या न रहे। अगर प्रजातंत्र रहता है तो जातितंत्र बनकर रहेगा। जहाँ तक भोजन सम्बन्धी निषेधों का प्रश्न है सैद्धांतिक रूप से सभी इसके विरुद्ध है लेकिन अगर किसी को शूद्र या मेहतर के साथ खाने को कहा जाय तो नाक भौंह सिकोड़ने लगेगा और इसके लिए राजी नहीं होगा। कुछ लोग अवश्य इतने साहसी और दृढ़ हैं कि वे मेहतर के साथ भी खा सकते हैं लेकिन इनकी संख्या तो शायद अभी हजारों में एक होगी। फिर जातियाँ मिटे भी तो कैसे? इन परिस्थितियों के बावजूद भी भोजन और जल सम्बन्धी निषेध काफी प्रभावित हुए हैं और होंगे। भविष्य में इनके बराबर क्षीण होते रहने की आशा है। जातियों में से दोषों के निकल जाने से उनके रहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अगर हाथ की कोई उँगली विषाक्त हो जाती है तो उँगली का कटवा देना ही श्रेष्ठ होगा न कि इसके लिये पूरे हाथ को⁸।



7- "The principle of caste is so firmly entrenched in our political and social life that every one including the leaders have accepted tacitly the principle that, in the Provincial Cabinet at any rate, each major caste should have a minister,

In the first popular cabinet in Mysore State, headed by Sri K C Reddy, not only were the ministers chosen on a caste basis but each had a secretary from his own sub-sub-sub caste'-
Srinivas M N Caste in Modern India and other Essays Asia Publishing House, 1962 page 6

8- D N Majumdar & T N Madan, Social Anthropology (1967), page 238

अध्याय11

हिन्दू सस्कार

सस्कार शब्द का अर्थ—सस्कार का अर्थ है शुद्ध करना परिष्कार करना उज्ज्वल बनाना पवित्र करना योग्य बनाना उपयोगी बनाना आदि। हिन्दू ऋण के भार से बोझिल है ऐसी मान्यता है। ऋणी रहकर उसे मुक्ति नहीं मिल सकती अतः जीवन काल में ऋणों (ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण और मनुष्य ऋण) से उऋण होना आवश्यक है और ऋण निस्तार का साधन यज्ञ माना गया है। यज्ञों को सम्पन्न करके मनुष्य ऋण चुका सकता है। याज्ञिक क्रियायें सम्पन्न कराने के लिए मनुष्य की बाह्य और आभ्यन्तर शुचिता (पवित्रता) पर बल दिया गया। मनुष्य को अशौच से विरत करने और पवित्र बनाने के लिए सस्कारों का आयोजन किया गया। सस्कारों का सबंध बालक के गर्भ में स्थित होने से लेकर जीवन पर्यन्त तक जोड़ दिया गया। मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन के साथ सस्कार नत्थी करने का उद्देश्य यह है कि बालक पग-पग पर अनैतिक भावनाओं और अशुचि विचारों को त्यागता चले और सदाचार सद्गुणों और नैतिक विचारों का वरण करे। मनु ने सस्कार शब्द के स्थान पर शरीर सस्कार शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझा है। आपके विचार से प्रत्येक व्यक्ति गर्भाशय और बीज के दोषों से अशुद्ध रहता है अतः उसकी शुद्धि के लिए आप शरीर सस्कारों का विधान करते हैं।

कोई भी वस्तु अपने प्राकृतिक रूप में ग्राह्य नहीं होती इसलिए उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए उसे काटना छोटना छीलना तराशना सशोधित करना और परिष्कृत करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अन्न जिस रूप में खेतों में खड़ा होता है उसी रूप में वह खाने योग्य नहीं होता है। उसे खाने योग्य बनाने के लिए अन्न का सस्कार करना पड़ता है। अन्न को साफ करना कूटना, पीसना आदि ही अन्न सस्कार हैं। खान से निकाले गये खनिज पदार्थ जैसे खान से निकलते हैं शुद्ध नहीं होते उनमें अन्य अनेक तत्वों का समावेश रहता है इसलिए खान से निकले हुए पदार्थों को शुद्ध बनाने के लिए शोधक कारखाने हैं जिनमें इन पदार्थों को शुद्ध बनाया जाता है। सोने की ईंट जिस रूप में खान से निकलती है उसी रूप में आभूषण बनाने के योग्य नहीं होती। पहले इसका सस्कार होता है और सस्कृत (purified) हो जाने के बाद ही वह इस लायक बनती है कि उससे स्वर्णाभूषण जैसे कगन और कठहार आदि बनाये जा सकें। मनुष्य भी जन्म से सामाजिक प्राणी नहीं होता। उसमें

कुछ पाशविक प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन पाशविक प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए और उसे समाज के अनुरूप बनाने के लिए उसका सस्कार अति आवश्यक है। मनुष्य का सामाजीकरण करना भी सस्कार का उद्देश्य है। मानव की जन्मजात कमियों को दूर करना और उसे किसी अर्थ का बनाना ही सस्कार है (सस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य—जैमिनि पूर्वमीमासा सूत्र 3।3।)

तन्त्रवार्तिक में सस्कार को योग्यता प्रदान करने वाली क्रिया के अर्थ में परिभाषित किया गया है—यथा योग्यता चादधाना क्रिया सस्कारा इत्युच्यन्ते¹। सस्कार के उद्भूत व्याख्याता राजबलि पाण्डेय का सस्कार के अर्थ के विषय में निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है।

‘सस्कार शब्द के साथ विलक्षण अर्थों का योग हो गया है जो इसके दीर्घ इतिहास क्रम में इसके साथ मिल गये हैं। इसका अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किये जाने वाले अनुष्ठानों से है जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके। किन्तु हिन्दू सस्कारों में अनेक आरम्भिक विचार धार्मिक विधि विधान उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक वैदिक सस्कार ही न होकर व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार शुद्धि और पूर्णता भी है।

साधारणतया यह समझा जाता था कि विधिपूर्वक सस्कारों के अनुष्ठान से व्यक्ति में विलक्षण तथा अवर्णनीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। सस्कार शब्द का प्रयोग इस सामूहिक अर्थ में ही होता था²।

सस्कारों की सख्या—सख्या के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद नहीं है। कुछ विद्वान षोडश सस्कारों की बात करते हैं तो अन्य चालीस अथवा अड़तालीस। अतः यहाँ पर हम अपने को केवल हिन्दुओं के प्रमुख सस्कारों तक ही सीमित रखेंगे। कुछ सस्कार बालक के जन्म के पूर्व ही सम्पन्न किए जाते हैं इन्हें प्राग् जन्म सस्कार कहा जा सकता है। प्राग् जन्म सस्कारों में गर्भाधान पुरसवन (पुत्र सतान उत्पन्न हो इसके लिए आयोजित सस्कार) और सीमन्तोन्नयन (आसुरी शक्तियों कहीं गर्भ में स्थित बालक को खा न जावे इसके लिए आयोजित सस्कार) प्रमुख हैं। प्राग् जन्म सस्कारों का उद्देश्य आसुरी शक्तियों को प्रसन्न कर गर्भस्थ सतान को उनके अशुभ प्रभावों से बचाना और शुभ प्रभावों को उस पर पड़ने देना है। कुछ सस्कार ऐसे हैं जिन्हें हम बाल्यावस्था के सस्कार कह सकते हैं। बाल्यावस्था के सस्कारों में निम्नांकित प्रमुख हैं—

(1) जातकर्म (birth) (2) नामधेय (3) अन्नप्राशन (4) चौल अथवा चूड़ाकरण।

(1) **जातकर्म**—शिशु का जन्म होने पर अशौच लग जाती है। इसलिए

¹ तन्त्रवार्तिक पृष्ठ 1078 (हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र वाल्यूम 2 प्रथम भाग पृ 190 पर उद्धृत)

² पाण्डेय राजबली हिन्दू सस्कार पृ 10।

औपशान (यज्ञाग्नि) को घर से अलग कर सूतिकाग्नि जलायी जाती है। अशौचकाल तक सूतिकाग्नि ही प्रज्वलित की जाती है। जच्चा के पाक होने पर औपशान पुनः प्रज्वलित की जाती है। यह संस्कार प्रधानतः मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति के लिए आयोजित है। मानव के हृदय में शोक और हर्षोल्लास के भाव विद्यमान होते हैं। बालक का जन्म अत्यन्त हर्ष और आनन्द का विषय है। जातकर्म संस्कार नाभिच्छेदन के पूर्व सम्पन्न होता था। जातकर्म संस्कार के में धाजनन आयुष्य और बल क्रमशः प्रमुख कृत्य थे। मेधाजनन के कृत्य में पिता सोने की शलाका (छडी) से बालक को मधु और घी चटाता था और इस प्रकार उसके मेधावी होने की कामना करता था। आयुष्य के कृत्य में बालक दीर्घजीवी होने के लिए पिता उसके कानों में मंत्र फूँकता था। बल के कृत्य में पिता शिशु के वीरतापूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करता था। इन तीनों कृत्यों के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् नालच्छेदन का कार्य किया जाता था और इसके पश्चात् शिशु को नहलाकर पहली बार उसे माता का स्तन-पान कराया जाता था। संस्कार समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी।

(2) नामधेय—इस संस्कार में बालक का नाम रखा जाता था। बालक और बालिकाओं के नाम रखने में कतिपय सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता था। मनु के अनुसार बालक का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसके वर्ण का बोध हो जाय अर्थात् नाम वर्ण सूचक होना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शर्मान्त होना चाहिए। क्षत्रिय का बल सूचक और वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का नाम उसके परिचर्या के कर्तव्यों का सूचक होना चाहिए। बालिकाओं का नाम आकारान्त अथवा ईकारान्त होना चाहिए तथा उच्चारण में मधुर और कोमल होना चाहिए। नामकरण एक सामाजिक आवश्यकता थी। सम्बोधित करने के लिए तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच भेद करने के लिए बालक और बालिका का नाम रखना नितांत आवश्यक था। हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार बच्चे के दो नाम रखे जाने चाहिए। हिन्दू समाज में दो नाम रखने की प्रथा भी है। पहला नाम नक्षत्र सङ्गक होता है। इसे 'राशि' का नाम पर भी कहते हैं। दूसरा नाम घरेलू होता है जिसका प्रयोग बच्चे को सम्बोधित करने के लिए होता है। राशि का नाम गुप्त रखने की प्रथा है क्योंकि राशि के नाम जादू टोने का चमत्कार आसानी से दिखाया जा सकता है। जादू टोने का असर शिशु पर न पड़े इसलिए उसके राशि के नाम को छुपाये रखते थे और घरेलू नाम से उसे पुकारते थे। आज भी जब विज्ञान की वाञ्छित प्रगति से जादुई विश्वास में पर्याप्त कमी आ गयी है कुछ कट्टर और धार्मिक हिन्दू परिवारों में राशि का नाम गुप्त रखा जाता है।

यह संस्कार प्रायः बालक के जन्म के पश्चात् दसवें या बारहवें दिन सम्पन्न किया जाता था। नामकरण संस्कार की विधि का वर्णन गृह्य सूत्रों में नहीं है।

(3) **अन्नप्राशन**—इस संस्कार में बालक को पहली बार पका हुआ भोजन दिया जाता है। यह संस्कार बालक के जन्म के बाद छठे मास में किया जाता है। ज्यो-ज्यो बालक बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों उसकी सम्यक् वृद्धि के लिए माता के दूध की पर्याप्तता में कमी आती जाती है। अतः माता और शिशु दोनों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए माता का दूध छुड़ाना तथा दूध के स्थान पर अन्य खाद्य की व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत हुआ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभवतः इस संस्कार का आयोजन किया गया होगा। अन्नप्राशन में दिया जाने वाला अन्न चाहे जिस प्रकार का हो परन्तु लघु सुपाच्य तथा शिशु के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। आश्वलायन अन्न की जगह मास से अन्नप्राशन करने की आज्ञा देते हैं। आपका मत है कि बच्चे को पुष्ट बनाने हेतु बकरे का मास, दे और आत्म-तेज प्राप्ति के लिए तीतर का मास दे। पारस्कर प्रवाहमयी वाणी गति और दीर्घार्थु के लिए क्रमशः भारद्वाजी पक्षी का मास मछली और आति का मास देने का विधान करते हैं। बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व तक भले ही कुछ ऐसे परिवार रहे हों जहाँ अन्न के स्थान पर मास देने की रस्म रही हो लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव से अहिंसा का विचार अधिकाधिक दृढ़ प्रतीत होता गया और मासाहारी शाकाहारी सभी परिवारों में इस अवसर पर चावल का माद दिया जाने लगा जिससे इस संस्कार का लौकिक नाम 'मडचटना' भी पड़ गया। आजकल अधिकांशतः अन्नप्राशन में दिया जाने वाला भोजन 'खीर (क्षीरपाक)' होती है। ब्राह्मण भोजन कराने के साथ संस्कार की समाप्ति विहित है।

(4) **चौल अथवा चूड़ाकरण**—यह संस्कार उत्तर भारत की ग्रामीण जनता में मुंडन संस्कार के नाम से प्रचलित है। शिर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से बालच्छेदन अति आवश्यक था। चौल संस्कार से दीर्घार्थु प्राप्त होती है और उसके सम्पन्न न करने पर आयु क्षीण होती है ऐसा मत प्रचलित था। दीर्घार्थु और कण्याण की प्राप्ति इस संस्कार का उद्देश्य था। यह संस्कार जन्म के बाद प्रथम वर्ष के अन्त में या तीसरे वर्ष सम्पन्न करने का विधान गृह्यसूत्र (2।1।2) में उल्लिखित है। यह संस्कार उस समय सम्पन्न किया जाता था जब सूर्य उत्तरायण में हो।

चूड़ा रखना इस संस्कार का प्रमुख अंग है जैसा कि संस्कार के नाम से ही स्पष्ट है। शिखा या चाटी की संख्या कुल प्रथा पर निर्भर थी। यही शिखा या चोटी कालान्तर में हिन्दुओं का एक चिन्ह बन गयी। शिखा तथा यज्ञोपवीत द्विजों के अनिवार्य बाह्य चिन्ह हैं। इस संस्कार में नाई बालक के बालों को भिगोकर उन्हें मुलायम बनाकर सिर से उतारता है। इन उतारे हुए बालों को कुल की परम्परा के अनुसार गोबर या आटे के पिण्ड में लपेट कर या तो किसी मन्दिर के पीछे रख दिये जाने या तालाब में फेक दिए जाने अथवा गौशाले में गाड़ देने का विधान था। गम्भुआरे (गर्भ के) बालों पर जादू या टोना का बुरा प्रभाव न पड़े इसी से मुंडन संस्कार में बालक के उतारे हुए बालों की उक्त रीति से व्यवस्था

करने का चलन हुआ होगा।

इस अवसर पर इष्ट मित्रों तथा बन्धु बन्धुओं को भोज देने का रिवाज है। इस संस्कार का भोज अधिक उदारता से (दिल खोलकर) होता है क्योंकि तीन-चार वर्ष पूरे होने पर शिशु के जीवित रहने की आशा अधिक दृढ़ होने लगती है। जिससे माता-पिता की खुशी में वृद्धि होती है। भोज के माध्यम से अपनी इस खुशी में वे औरों को भी शामिल करते हैं। पाँच शताब्दी पूर्व मृत्यु दर अधिक थी। आज से पाँच सौ साल पहले दुनिया में दस बच्चे पैदा होते और नौ बच्चे मरते थे।³ फिर ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवित रहने की आशा कैसे दृढ़ हो सकती थी। तीन-चार वर्ष पूरे होने पर उसके जीवित रहने की आशा बँध जाती थी।

यौवन कालीन संस्कार—बाल्यावस्था के संस्कारों के अतिरिक्त कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनका संबंध बालक की यौवनावस्था से है। उपनयन और विवाह यौवनावस्था के संस्कार हैं।

उपनयन—भारतीय समाज में एक युवा को विशेष समारोह के द्वारा समाज में पदार्पण कराया जाता था। हिन्दू बालक का उपनयन के पूर्व का जीवन अनियमित अमर्यादित तथा उद्देश्य विहीन होता था क्योंकि खाने पीने और व्यवहार आदि करने के मामलों में वह इस समय अपनी इच्छा का अनुगमन करता था। उपनयन के बाद जीवन उत्तरदायित्व का जीवन था। बालक को गहरे आन्तरिक स्तर पर जीवित रहना पड़ता था। उपनयन हो जाने के बाद उसे मर्यादित और जिम्मेवारी का जीवन बिताना पड़ता था। इसीलिए उपनयन को बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उपनीत हुए बालक को 'द्विज' कहा जाता था। द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'दो बार जन्म लेने वाला'। अतः द्विज वह है जिसका जन्म दो बार हुआ है। यही कारण है कि पक्षियों तथा दोंतों को द्विज कहा जाता था ब्राह्मण " १ वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था क्योंकि ये तीनों उपनयन के अधिकारी थे और उपनयन द्वितीय जन्म के समान था।

उपनयन का अर्थ — उपनयन 'उप' और 'नयन' दो शब्दों के योग से बना है। 'उप' का अर्थ है समीप। 'नयन' का अर्थ है 'ले जाना'। अतः उपनयन का अर्थ हुआ पास (समीप) ले जाना। लेकिन प्रश्न है—किसके समीप ले जाना। इसका उत्तर है आचार्य के पास। अतः उपनयन का सीधा और सरल अर्थ हुआ अभिभावकों द्वारा बालक को शिक्षा दिलाने के लिए आचार्य के पास ले जाना। प्रारम्भ में उपनयन एक सीधा और सरल कृत्य था। कालान्तर में इसमें अन्य कृत्यों का भी समावेश हो गया जिससे उपनयन का अर्थ हो गया वह कृत्य जिसके द्वारा बालक आचार्य के समीप ले जाया जाय (उप समीपे आचार्या दीना वटोर्नीतिर्नयनम् प्रापणमुपनयनम्)।

उपनयन सम्पन्न करने की उचित आयु— बालक का उपनयन

३—भगवान् श्री रजनीश समाजवाद अर्थात् आत्मघात, पृष्ठ 43।

किस आयु में हा यह विषय विवादग्रस्त है। इस मसले पर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत मत यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बालकों का उपनयन क्रमशः आठ ग्यारह और बारह वर्ष की आयु में सम्पन्न होना चाहिए। यदि उपरोक्त उल्लिखित आयु में तीनों वर्णों के कुमारों का उपनयन सरकार न हो पावे तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बालकों के लिए क्रमशः सोलह बाइस और चौबीस वर्षों तक यह नहीं कहा जा सकता है कि इनके उपनयन का समय निकल गया है। अतः ब्राह्मण का उपनयन आठ वर्ष से सोलह वर्ष के बीच सम्पन्न हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का ग्यारह से बाइस वर्ष के अन्दर और वैश्य का बारह से चौबीस वर्ष के भीतर उपनयन सरकार सम्पन्न हो जाना चाहिए।

उचित समय— हर समय उपनयन सरकार के लिये उपयुक्त नहीं माना जाता था। उपनयन के लिये कोई शुभ समय नियत करना पड़ता था। साधारणतः उपनयन सरकार उस समय नहीं सम्पन्न किया जाता था जब शुक्र नक्षत्र सूर्य के इतना निकट होता है कि दिखाई नहीं पड़ता। अतः शुक्रास्त होने पर उपनयन सरकार नहीं हो सकता। वसत ग्रीष्म और शरद ऋतुएँ क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए निश्चित थीं। उपनयन के लिए उचित समय निर्धारित करने में तिथि दिन और नक्षत्रों का ध्यान रखा जाता था।

तिथि— तिथियों में प्रतिपदा चौथ सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णमासी को साधारणतः उपनयन सरकार न हो इस बात का प्रयत्न किया जाता है अर्थात् उपरोक्त तिथियों से बचने का प्रयास किया जाता है।

दिन—दिन सख्या में सात होते हैं। बुधवार वृहस्पतिवार और शुक्रवार दिनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। रविवार और सोमवार दर्जे का है। सोमवार सबसे कम उपयुक्त है। मंगलवार और शनिवार वर्जित हैं।

नक्षत्र—नक्षत्रों में हस्त चित्रा, स्वाति, पुष्य मृगशिरा पुनर्वसु श्रवण और रेवती उपनयन के लिए प्रशस्त माने जाते हैं।

उपनयन के कर्मकाण्ड अथवा विधि—मण्डप का निर्माण उपनयन का पहला कृत्य है। इस मण्डप का निर्माण सरकार सम्पन्न होने के पूर्व किया जाता था। उपनयन के पूर्व रात्रि को बालक के शरीर पर पीत लेप किया जाता था और उसे निशापर्यन्त मौन रहने की आज्ञा दी जाती थी। पीत लेप और मौन रहने के कार्य गर्भ के वातावरण को उपस्थित करते थे। उपनयन के दिन प्रातः काल उपनीत होने वाला बालक और उसकी माता साथ-साथ भोजन करते हैं। यह उपनयन का दूसरा कृत्य है। उपनयन के पश्चात् माता अपने पुत्र के साथ भोजन नहीं कर सकती थी ऐसा नियम था सम्भवतः इसीलिए उपनयन होने के पूर्व माता का पुत्र के साथ भोजन का विधान रहा होगा। माता पुत्र के प्रति अपने स्नेह को साथ भोजन करके इस अवसर पर प्रगट करती होगी क्योंकि उपनयन के बाद बालक दीर्घकाल के लिए माता से बिछुड़ जाता था और

गुरु क कुल में जाकर रहता था। डा(। राजवली पाण्डेय का कथन है कि प्रातः काल बालक को भोजन कराना इसलिये भी आवश्यक था कि उपनयन सस्कार अत्यन्त दीर्घ था। सरकार के समय बालक भूख से पीड़ित न हो इसलिए उसे सस्कार शुरू होने से पूर्व ही भोजन करा दिया जाता था। माता क साथ भोजन हो जाने के पश्चात् उपनीत होन वाले बालक के मित्रों को भोजन कराया जाता था।

मुण्डन और स्नान— भोजन के पश्चात् बालक के माता पिता उसे मण्डप में ले जाते थे। मण्डप के नीचे उसके बाल मूड़े जाते थे। मुण्डन के पश्चात् उसे स्नान कराया जाता था। इस स्नान से बालक का मन और देह दोनों शुद्ध हो जाते थे।

स्नान के पश्चात् बालक के शरीर का ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती थी। उपनयन क अवसर पर बालक को दो प्रकार के वस्त्र प्रदान किये जाते थे।

(1) शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए दिया जाने वाला वस्त्र।

(2) शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिये दिया जाने वाला वस्त्र।

प्रथम प्रकार के वस्त्रों को वासस और द्वितीय प्रकार के वस्त्रों को उत्तरीय की सजा दी जाती है।

कौपीन— स्नान समाप्त होने पर बालक का पहले वासस देने का प्रचलन था। कौपीन वासस का प्रसिद्ध रूप था। आचार्यों ने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुमारों के अलग-अलग वर्ण (रंग) और अलग-अलग पदार्थों से निर्मित वस्त्रों को देने का विधान किया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का वासस क्रमशः पटसन (hemp) सन (flax) और अजिन (मृगचर्म) का बना हुआ होना चाहिए जबकि गोतम धर्मसूत्र के अनुसार विकल्प रूप में सभी वर्णों के लिए सूत का वस्त्र विहित था। आश्वलायन गृह्यसूत्र (1। 19। 10) में रगे वस्त्र दिये जाने का विधान है। ब्राह्मण के वस्त्र काषाय (Reddish-yellow) क्षत्रिय के माञ्जिष्ठ (dyed with madder) तथा वैश्य के हारिद्र (dyed with turmeric) होने चाहिए। वर्तमान समय में सभी वर्ण के लोगों को हल्दी में रगे हुए वस्त्र दिये जाते हैं।

मेखला— कौपीन के पश्चात् आचार्य बालक की कमर में मेखला (girdle) बाँध देता था। मेखला का निर्माण पहले शायद कौपीन की सहायता के लिये हुआ था लेकिन बाद में इसके साथ ही धार्मिक प्रतीकात्मकता जुड़ गयी। मनु की आज्ञा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की मेखला क्रमशः मूँजघास, मूर्वाघास और पटसन की बनी होनी चाहिए। वौधायन गृह्यसूत्र में सभी के लिए मूँजीमेखला का विधान है। मेखला तिहरे सूत्र से बनायी जाती है।

उपवीत सूत्र— मेखला धारण करने के पश्चात् ब्रह्मचारी को उपवीत सूत्र अथवा यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ दिया जाता था। यह इस सस्कार का सबसे

प्रमुख कृत्य है। आजकल इसके महत्त्व का इसी स पता लगाया जा सकता है कि यह पूरे उपनयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसी नाम से सम्पूर्ण उपनयन जाना जाता है। मनु के अनुसार (मनुस्मृति 2/44) ब्राह्मण को कपास का क्षत्रिय को सन का तथा वैश्य को भड के ऊन का उपवीत पहनना चाहिए। आजकल सभी वर्णों के लिए कपास का उपवीत विकल्प रूप से विहित है। उपनयन में तीन सूत्र होते हैं जो उपवीत धारण करने वाले ब्रह्मचारी को ऋषिऋण देवऋण और पितृऋण से उऋण होने की याद दिलाते हैं। प्रत्येक सूत्र में तीन लरे होती हैं जिन्हें भाजकर एक सूत्र का रूप दिया जाता है और पूरे उपवीत सूत्र में नौ लरे होती हैं। इन लरों को तन्तु भी कहते हैं। ये नौ तन्तु अथवा लरे देवल के अनुसार नौ देवताओं— ओंकार अग्नि नाग सोम पितृ प्रजापति वायु, सूर्य और सर्व देवता— का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीनों सूत्र एक ग्रन्थि द्वारा परस्पर बाँध दिये जाते हैं। इस ग्रन्थि को ब्रह्मग्रन्थि कहते हैं। जब तक व्यक्ति सप्ताह में रहता है इस उपवीत सूत्र के माध्यम से अपन मूल (ब्रह्म) स सम्बद्ध रहता है।

आचार्य ब्रह्मचारी को उपवीत सूत्र जो बायें कन्धे से लटकता रहता है धारण कराते समय 'यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत् सहज पुरस्तात्। आयुष्यमग्र प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज ।।' नामक मंत्र पढता है। इस मंत्र में बालक के आयुष्य, बल तथा तेज के लिए प्रार्थना की गयी है।

ब्रह्मचारी एक उपवीत सूत्र धारण करता है और गृहस्थ दो—एक स्वयं के लिए दूसरा अपनी पत्नी के लिए।

अजिन— इसके बाद ब्रह्मचारी को अजिन दिया जाता है। पहले अजिन का उत्तरीय देने का विधान था। अजिन अरण्यवास का सूचक है। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि उपनयन के अवसर पर दिया जाने वाला उत्तरीय मृगचर्म होता था। जब आर्य वनवासी थे तब अजिन का वस्त्र दिये जाने का रिवाज होगा और जब वे कृषक हो गए तब ब्रह्मचारी को कपास का वस्त्र दिया जाने लगा। आजकल भी कान्यकुब्ज क्षेत्र में मृगचर्म⁴ जनेऊ के साथ पहनाया जाता है। ब्रह्मचारी जनेऊ तो धारण किये रहता है लेकिन अपना मृगचर्म आचार्य वापस ले लेता है।

दण्ड— उपनयन के अवसर पर ब्रह्मचारी को एक दण्ड धारण कराया जाता था। दण्ड यात्री का प्रतीक था। दण्ड प्रहरी का भी प्रतीक माना गया। ब्रह्मचारी को दण्ड देकर वेदों की रक्षा का कार्य उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। कतिपय विद्वानों के अनुसार दण्ड का विधान लकड़ी तोड़ने, अँधेरे में रास्ता तय करने अथवा गुरु की गायों की देख-रेख के लिए किया गया है। ब्रह्मचारी को अनुशासन में रहने की याद दिलाने के लिए शायद दण्ड का आयोजन किया गया हो।

दण्ड किस वृक्ष का होना चाहिए और उसकी लम्बाई कितनी होनी चाहिए इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आश्वलायन गृह्य सूत्र (1 19 10) का कथन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का दण्ड क्रमशः पलाश उदुम्बर (गूलर) तथा बिल्व (बेल) की लकड़ी का बना होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार बिना किसी वर्ण-भेद के उस वृक्ष का भी दण्ड बन सकता था जिसकी लकड़ी का प्रयोग यज्ञ में होता था।

बालक के वर्ण-भेद से दण्ड की लम्बाई भी भिन्न-भिन्न होती थी। मनु के अनुसार ब्राह्मण का दण्ड इतना लम्बा होना चाहिए कि सीधा खड़ा करने पर वह वटु के सर तक क्षत्रिय का उसके मस्तक तक और वैश्य का उसकी नाक की नोक (tip of the nose) तक पहुँच जाय।

वर्तमान समय में बालक को उपनयन के अवसर पर तो दण्ड धारण कराया जाता है परन्तु उपनयन के बाद वह दण्ड धारण नहीं करता है। जब तक कि किसी विशेष प्रयोजनवश उसका धारण करना आवश्यक न हो जाय।

सावित्री मंत्र— सर्वपल्ली डा राधाकृष्णन् ने अपनी धर्म और समाज नामक कृति में उपनयन संस्कार पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि इसका सार पवित्र गायत्री मंत्र सिखाने में है। मंत्र का अर्थ है हम दैवीय प्रकाश की देदीप्यमान महिमा का ध्यान करते हैं वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे ।² इसके बाद आचार्य ब्रह्मचारी के कान में गायत्री मंत्र फूँकता था। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है जो सविता (सूर्य) से की गयी है जो सृष्टि का मूल उदगम और प्रेरक माना जाता है। सावित्री मंत्र का उपदेश बालक के द्वितीय जन्म का सूचक था। सावित्री को नूतन माता और आचार्य को नूतन पिता माना गया। जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है वह गायत्री छंद में सावित्री मंत्र ही है। आचार्य इस सावित्री मंत्र का उपदेश ब्राह्मण को गायत्री छंद में क्षत्रिय को त्रिष्टुप छंद में और वैश्य को जगती छंद में अथवा तीनों वर्णों को गायत्री छंद में ही करता था।

हवन— इसके पश्चात् यज्ञिय अग्नि को प्रथम बार प्रदीप्त करने तथा उसमें आहुति डालने का कृत्य होम या हवन किया जाता था।

भिक्षा— हवन के बाद विद्यार्थी भिक्षा माँगता था। उपनयन के दिन वह अपने घर वालों से भिक्षा माँगता था। विद्या का अर्जन वटु की बुद्धि और जिज्ञासा पर निर्भर रहे न कि वित्तीय साधनों पर इसलिए राजा और रक सभी को भिक्षा माँगने की आज्ञा दी गयी।

त्रिरात्र-व्रत— उपनयन-कर्म समाप्त होने पर विद्यार्थी तीन दिन तक कठोर सयम का पालन करता था, इसे ही त्रिरात्र-व्रत कहते थे। इस व्रत की अवधि में खाट पर शयन, दिन में शयन मास और मद्य सेवन वर्जित है। आजकल त्रिरात्र-व्रत की प्रथा का अन्त हो गया है।

उपनयन का वर्तमान रूप— प्राचीन काल में हिन्दुओं के जीवन में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था। लोग उपनयन के नियमों का पालन करते थे और उपनयन इस बात का परिचायक था कि उपनीत बालक सयमित और कर्तव्यनिष्ठ जीवन बितायेगा। वर्तमान समय में उपनयन का महत्त्व उत्तरोत्तर घटता चला जा रहा है और लोग उसे प्रथावश करते तो हैं लेकिन उनकी इसमें श्रद्धा घट रही है। आजकल पढ़े-लिखे नवयुवक जब यज्ञोपवीत को धारण करना ही भार समझते हैं तो उपनयन के नियमों का पालन क्या करेंगे। प्रथा के भय से जब ये पढ़े-लिखे लोग शहर से अपने घर वापस जाते हैं तो जनेऊ धारण कर लेते हैं। कुछ विद्वान इस मत के समर्थक हैं कि समाज सुधारकों द्वारा इस प्रथा के उच्छेद का प्रयत्न किया जाना चाहिए और उपनयन में भोज आदि के रूप में जो ब्राह्मण व क्षत्रियों का खर्चा होता है उसके अतिरिक्त भार से उन्हें बचाया जाना चाहिए। मेरे मत से उपनयन का उच्छेद समाज के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा बल्कि उपनयन के नियमों को मनवाने के लिए उन पढ़े-लिखे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए जो इसके नियमों का पालन नहीं करते हैं। आजकल अनुशासनहीनता बढ़ रही है मनुष्य सयम का जीवन नहीं बिताना चाहता तो क्या उसे इस बात के लिए छूट दी जानी चाहिए कि वह अनुशासनहीन रहे और समाज सुधारकों द्वारा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उन्हें अनुशासनहीन रहने दिया जाय। उपनयन चूँकि बालक को सयम का जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है इसलिए इसका अन्त समाज के हित में नहीं होगा। सयम से रहना सामाजिक जीवन की पहली शर्त है। अतः उपनयन समाज के लिए वाछनीय है न कि अवाछनीय। मेरा विचार है कि उपनीत बालक अनुपनीत बालक से अधिक अनुशासित होता है भले ही वह उपनयन के नियमों का पालन न करता हो। हमारे समाज में उपनयन का महत्त्व घटने का कारण है पाश्चात्य मूल्यों और जीवन तरीकों का अन्धानुकरण। अन्धानुकरण एक बुरी चीज है। अनुकरण करना अच्छा है। अनुकरण दो प्रकार का होता है। 1. विवेकपूर्ण अनुकरण और 2. अन्धानुकरण। विवेकपूर्ण अनुकरण वह अनुकरण है जिसमें अनुकरण की जाने वाली वस्तु के लाभ व हानियों को विवेक की तुला पर तौला जाता है जबकि अन्धानुकरण आँख मूँद कर किया गया अनुकरण है। पाश्चात्य विचारों को आत्मसात कर लेने वाला एक व्यक्ति जब उपनयन के नियमों का पालन नहीं करता तो समाज के कुछ अविवेकी पुरुष उसका उदाहरण देकर स्वयं उपनयन के नियमों के पालन से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि सयम में रहना मनुष्य को पसंद नहीं उसे तो पसंद है निरकुशता। परन्तु जब सयम से विरत होने पर समाज उसे रोकता नहीं तो वह असयमित रहने में सफल होने लगता है। उपरोक्त विवेचन से मेरा यह प्रयोजन नहीं कि उपनयन के द्वारा ही सयम संभव है लेकिन इस तथ्य का तो संकेत करना ही चाहता हूँ कि उपनयन मनुष्य को सयम में रहना सिखाता है। अतः उपनयन का पुनः स्थापन ही श्रेष्ठ

हे न कि इसका उच्छेद।

समावर्तन— यह संस्कार विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर सम्पन्न किया जाता था। समावर्तन का शब्दार्थ है वापस लौटना पूर्व स्थिति पर पुन आना। यहाँ समावर्तन का अर्थ होगा पढाई का कार्य समाप्त कर गुरु के कुल से विद्यार्थी का अपने घर लौट आना। वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य में भी समावर्तन का उपरोक्त अर्थ बताया गया है।

तत्र समावर्तन नाम वेदाध्ययनान्तर गुरुकुलात् स्वगृहागमनम्।

इसे स्नान भी कहा जाता है क्योंकि स्नान इस संस्कार का मुख्य कृत्य है। कुछ मानवशास्त्रियों के अनुसार स्नान का उद्देश्य उसे दिव्य शक्ति से दूर करना था क्योंकि साधारण जीवन में लौटने के पूर्व दिव्य प्रभाव का दूर करना आवश्यक था नहीं तो वह दिव्य गुण भ्रष्ट हो जायेगा और ईश्वर के रोष को अवसर प्रदान करेगा। प्राचीन साहित्य में अध्ययन अथवा ज्ञान को सागर की उपमा दी गयी है अतः समावर्तन में किये जाने वाले स्नान को ज्ञानसागर के अवगाहन का भी प्रतीक माना जा सकता है। इसीलिए उसे विद्यास्नातक भी कहा जाता था। अतः ब्रह्मचर्य जीवन के अन्त में किये जाने वाला सांस्कारिक स्नान विद्यार्थी द्वारा ज्ञानसागर के पार करने का प्रतीक था। प्रश्न है कि क्या सभी ब्रह्मचारी समावर्तन करते थे? नहीं कुछ ब्रह्मचारी तो आश्रम में रहते थे और निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते थे ऐसे ब्रह्मचारी नैष्ठिक नाम से विदित थे। प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी समावर्तन करते थे और वे समावर्तन के द्वारा गुरु आश्रम का त्याग कर देते थे। इन्हें 'उपकुर्वाण' कहा जाता था। समावर्तन संस्कार विवाह का अनुमति पत्र था अर्थात् इसके द्वारा विवाह का अधिकार हो जाता था।

स्नान के पूर्व विद्यार्थी को दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना पड़ता था। विद्यार्थी—जीवन की समाप्ति की अनुमति गुरु से प्राप्त कर समावर्तन संस्कार करना चाहिए। गुरु से विदा लेते समय सामर्थ्यानुसार गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देने की आशा की जाती थी।

विधि—विधान— समावर्तन में ब्रह्मचारी को एक कमरे में बन्द कर दिया जाता था। मध्याह्न में ब्रह्मचारी कमरे के बाहर आकर गुरु को प्रणाम करता था और वैदिक अग्नि में अन्तिम आहुति डालता था। जल से भरे आठ कलश रखे जाते थे। मंत्र पाठ के साथ इस कामना से कि उसे समृद्धि ऐश्वर्य और पवित्रता की प्राप्ति हो इन छडों को जल से अभिषिक्त कराया जाता था। इस स्नान के पश्चात् मेखला अग्नि, दण्ड आदि ब्रह्मचारी के सारे चिह्न जल में विसर्जित कर दिये जाते थे। उसके दाढ़ी केश तथा नाखून कटवाये जाते थे और गूलर की दतून करने को दी जाती थी। संस्कार की समाप्ति पर गुरु द्वारा विद्यार्थी को आदरसूचक मधुपर्क प्रदान किया जाता था।

वर्तमान रूप— भारत में प्राचीन काल में शिक्षा समाप्त कर चुकने वाले

लोगो का उच्च सम्मान था। वर्तमान काल में ब्रह्मचारी से उपनयन समाप्त होने पर ही समावर्तन का स्वाग कराया जाता है। सरकार के रूप में अलग से अब समावर्तन का प्रचलन नहीं रह गया है। उपनयन के सभी कृत्य समाप्त होने पर पढ़ने हेतु इच्छा प्रगट करने का नाटक उससे करवाया जाता है परन्तु वास्तव में वह ब्रह्मचारी बन नहीं पाता। ब्रह्मचारी अपने कन्धे पर दण्ड रखकर जिसके पीछे पकवान की एक पोटली भी बँधी होती है एक कदम आगे बढ़ाता है। गुरु पूछता है 'कहाँ जाते हो?' उत्तर मिलता है 'विद्या प्राप्त करने'। इस पर गुरु कहता है 'लौट आओ यही पढा दूँगा। फिर वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। गुरु फिर प्रश्न करता है 'कहाँ जा रहे हो?' अबकी बार उत्तर मिलता है 'विवाह करने'। ऐसी स्थिति में बालक के बहनोई या मामा आदि उसे विवाह का आश्वासन देते हैं और वह लौट आता है। समय के चक्र ने वेदाध्ययन की कैसी दुर्गति कर डाली? बालक ब्रह्मचारी बनने ही नहीं पाता कि उसका समावर्तन हो जाता है।

विवाह सस्कार— इसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

अन्त्येष्टि सस्कार — कुछ सस्कार मानव हृदय में विद्यमान हर्ष और शोक के भावों की अभिव्यक्ति अथवा आत्माभिव्यक्ति के साधन हैं। अन्त्येष्टि सस्कार मनुष्य के जीवन के अन्त का सूचक है। मनुष्य की मृत्यु होने पर यह सस्कार सम्पन्न किया जाता है। मृत्यु करुणा और शोक का दृश्य उपस्थित करती है। इसे दाह सस्कार भी कहा जाता है। इस सस्कार में मृत व्यक्ति के सबंधी उसके शव को श्मशान तक ले जाते हैं। शव को नदी आदि में स्नान कराकर फिर चिता पर रखकर अग्नि द्वारा उसका दाह कर देते हैं। शव से छुटकारा पाने की उपरोक्त रीति (अग्नि में जलाने की प्रथा) हिन्दुओं में सर्वाधिक प्रचलित है। शव को भूमि में गाड़ देने या जल में प्रवाह करने की भी प्रथा हिन्दुओं में पायी जाती है। दाहकर्म प्रायः मृत व्यक्ति के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा अथवा अन्य किसी निकट सबंधी द्वारा किया जाता है। दाह करने से एक प्रकार का अशौच लग जाता है। तेरह दिन तक अशौच मनाया जाता है। तेरहवे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है।

मृत्यु के एक वर्ष बाद 'वर्षान्त श्राद्ध' का आयोजन किया जाता है। चार वर्ष पश्चात् 'चतुर्वर्षान्त' अथवा चौथपाटा श्राद्ध होता है। चौथपाटा के पश्चात् मृत व्यक्ति पितृलोक में पहुँच जाता है और प्रेतयोनि छोड़ देता है ऐसा विश्वास किया जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष की सजा दी गयी है। इस पखवारे में पितरगण अपने वंशजों के साथ रहते हैं ऐसा माना जाता है। इस पक्ष में हर व्यक्ति प्रति दिन अपने पूर्वजों को जल देता है और जिस दिन पूर्वज की मृत्यु हुई होती है उस दिन विशेष श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। इस पक्ष की अमावस्या को पितर लोग पितृलोक चले जाते हैं इसलिए इस तिथि को 'पितृ विसर्जिनी अमावस्या' कहा जाता है।



अध्याय12

विवाह—संस्कार

उत्पत्ति—विवाह एक सार्वभौमिक सस्था है। विवाह का कोई न कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इस सर्वव्यापक सस्था की उत्पत्ति कब हुई होगी इस ओर ध्यान खिंच जाना स्वाभाविक है। सभ्यता के आदिम छोर से मनुष्य ने यौन सबंधों को नियमित करने के लिए विवाह सस्था को विकसित किया होगा। जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का सबंध है मनुष्य की पूर्ववर्ती योनि में सम्भवतः इसका जन्म हुआ होगा। अनुमानतः मानव समाज में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जब परिवार और विवाह न रहे हो। ऐतिहासिक सामग्री से भी किसी ऐसे युग का पता नहीं चलता जब विवाह की पद्धति न रही हो। महाभारत में ऐसे दो स्थलों का उल्लेख मिलता है जहाँ मुक्त कामाचार प्रचलित था। महाभारत के अनुसार उत्तर कुरु¹ तथा माहिष्मती² नगरों में विवाहों की प्रथा नहीं थी। कहा जाता है कि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेकु ने स्वेच्छाचार के स्थान पर विवाह पद्धति की स्थापना की। यदि भारतीय विवाह प्रथा के विकास पर दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि स्वेच्छाचार वैदिकपूर्व युग में भले ही रहा हो महाभारत काल में इसका प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद के समय तक विवाह सस्था अपनी जड़ जमा चुकी थी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि विवाह संस्कार के बाद ही पवित्र जीवन शुरू होता है।³

विवाह का अर्थ—विवाह सभी संस्कारों में सबसे महत्त्वपूर्ण है। शास्त्रों में विवाह के अर्थ को प्रकट करने के लिए निम्नांकित शब्द प्रयोग किये गये हैं—

उद्वाह (taking the girl out of her parental home)

परिणयन (going round i e making a pradakshina to fire)

पाणिग्रहण (holding the hand of the girl)

ये शब्द विवाह संस्कार के कुछ कृत्यों के सूचक माने जा सकते हैं। सम्पूर्ण विवाह का तो ये प्रतिनिधित्व नहीं करते फिर भी चूँकि प्राचीनकाल से विवाह के लिए उद्वाह शब्द का प्रयोग होता आया है यह सम्पूर्ण विवाह का सूचक माना जाने लगा। मनुस्मृति में भी विवाह के लिए उद्वाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। उद्वाह का अर्थ घर द्वारा बधू को अपने घर ले जाना है⁴।

1 यत्र नार्य कामघारा भवन्ति। महाभारत12-102-26।

2- स्वैरिण्या तत्र नार्मि हि यथेष्ट विचरन्त्युत । महाभारत 2-32-40।

3 ऋतस्म योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्य त्वा सह पत्या दधामि। ऋग्वेद10-85-24।

विवाह स्त्री—पुरुष के ऐसे सम्बन्ध के रूप में समझा जा सकता है जिसमें दोनों को यौन सतुष्टि की समाज द्वारा स्वीकृति मिल गयी हो। अतः मर्यादित यौन तुष्टि विवाह की एक मुख्य विशेषता है। वेस्टरमार्क ने विवाह को मात्र मर्यादित यौन सम्बन्ध तक ही सीमित नहीं माना है। उनके अनुसार विवाह एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के बीच पाया जाने वाला ऐसा सम्बन्ध है जो प्रथा अथवा कानून द्वारा मान्य हो और जिसमें वैवाहिक सूत्र में बँधने वाले दम्पति और उनकी सन्तानों के प्रति कुछ अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश हो⁵।

बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार भी विवाह दो व्यक्तियों के परस्पर संयोग से अधिक गम्भीर है। यह एक सस्था है जो वास्तव में बच्चों को जन्म देकर समाज के ताने बाने का निर्माण करती है और जिसका स्त्री—पुरुष की व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक व्यापक महत्त्व है।

हिन्दू विवाह के उद्देश्य — शास्त्रों में हिन्दू विवाह के तीन प्रमुख उद्देश्य गिनाये गये हैं जिनका वरीयता क्रम इस प्रकार है—

- 1—धर्मपालन
- 2—सन्तानोत्पादन
- 3—रति (यौनिक आनन्द)

धर्म पालन—विवाह के उपयुक्त उद्देश्यों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दुओं का विवाह धर्म प्रधान है। धर्म पालन के लिए हिन्दुओं में विवाह की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी धार्मिक कृत्य पत्नी के अभाव में पूरा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पुरुष स्वयं में पूर्ण नहीं माना जाता। स्त्री और बच्चों के साथ वह पूर्ण माना जाता है⁶।

शायद पत्नी को शास्त्रों में अर्द्धांगिनी नाम इसीलिए दिया गया और यह नाम सार्थक भी लगता है। पत्नी कर्तव्य पालन में सहायक है। पुरुष गृहस्थ बनकर (वैवाहिक सूत्र में बंधकर) पत्नी के साथ अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करता है। ऋण चुकाना भी कर्तव्य है। पितृऋण की अदायगी में पत्नी का योगदान है। पितृऋण से छुटकारा पुत्र सन्तान उत्पन्न होने पर ही मिलता है जो पत्नी के अभाव में असम्भव ही है। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग सन्तानोत्पादन के कार्य को यौन क्रिया की सहउपज (by product) मानते हैं। शास्त्रों में पुत्रोत्पादन को यौन क्रिया की सहउपज नहीं माना गया बल्कि वहाँ तो यह आदेश है कि पुत्रकामना से ही पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी

5. Westermarck defines marriage as a relation of one or more men to one or more women which is recognized by custom or law, and involves certain rights and duties both in case of the parties entering the union and in the case of the children born of it. —Westermarck History of Human Marriage Page 26

से साहचर्य करे और जो ऐसा नहीं करता है वह पापी है। वह पुरुष जिसके पत्नी नहीं यज्ञ करने का अधिकारी नहीं (अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीक)

सन्तानोत्पादन — सन्तानोत्पादन का कार्य एक सामाजिक आवश्यकता है। समाज के सम्यक् संचालन व सातत्य के लिए वंश वृद्धि और प्रजाति सातत्य (perpetuation of human race) के लिए प्रजनन का कार्य महत्त्वपूर्ण है। परमात्मा ने पिता बनने के लिए पुरुष की सृष्टि की है तथा माता बनने के लिये स्त्री की अतः वेदो की आज्ञा है कि पुरुष पत्नी के साथ धर्म का पालन करे।⁷

परिवार सामाजिक शरीर का एक सेल है। यदि सेल (परिवार) में प्रजनन की इच्छा नष्ट हो जाय तो मानव प्रजाति का अन्त हो जाय। उपनिषदों का यह उपदेश है कि प्रजा सूत्र को न तोडा जाय। जिस घर में बालक नहीं है वह श्मशान की भाँति है (यन्न बालै परिवृत श्मशान इव तद्गृहम्)। पुत्र का हिन्दू सामाजिक जीवन में इतना महत्त्व है कि उसकी प्राप्ति के लिए हिन्दुओं को शास्त्रों में दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गयी है लेकिन इस अनुमति को कार्य रूप में तभी परिणित किया जा सकता है जब पत्नी बॉझ हो।

रति — विवाह का सहायक अथवा गौड उद्देश्य रति है। हिन्दुओं में विवाह केवल यौन इच्छाओं की सन्तुष्टि मात्र नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यौन सन्तुष्टि का विवाह के उद्देश्य में कोई स्थान नहीं है बल्कि इससे यह तात्पर्य है कि विवाह के उद्देश्यों में रति को प्राथमिकता नहीं दी गयी। अर्थ और काम सेवन पर हिन्दू धर्मग्रन्थों ने रोक नहीं लगायी बल्कि यह जरूर आदेश दिया कि अर्थ और काम का धर्मानुकूल सेवन हो। (हिन्दुओं ने कामवासना को अपवित्र या अशिष्ट भी नहीं समझा क्योंकि रति को अशिष्ट समझना एक नैतिक विकृति का चिन्ह है और यही कारण है कि इसे भी विवाह के उद्देश्यों में स्थान दिया।)

हिन्दू विवाह की विशेषताएँ — हिन्दू विवाह के आदर्श मुस्लिम और ईसाई विवाह के समान नहीं हैं। इसकी प्रकृति ईसाई और मुस्लिम विवाह से भिन्न है। हिन्दू विवाह की कुछ खास (विशेष) विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर यह अन्य धर्मों में पाये जाने वाले विवाहों से भिन्न है। हिन्दू विवाह की विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) **हिन्दू विवाह एक धार्मिक कृत्य है** — भारतीय जीवन में प्रत्येक क्रिया धर्म मानी गयी है क्योंकि उसके पीछे कर्तव्य तथा दायित्व का विचार सन्निहित है। विवाह धर्मपूर्ति का साधन है अतः विवाह करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि विवाह सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि विवाह एक धार्मिक आवश्यकता है। यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए धार्मिक जीवन साथी का चुनाव आवश्यक है क्योंकि उसके बिना याज्ञिक क्रिया पूरी नहीं हो सकती। विवाह के समय पवित्र अग्नि प्रदीप्त

⁷ प्रजनार्थ स्त्रिय सुष्टा सन्तानार्थ च मानवा ।

की जाती थी और गृहस्थ का यह कर्तव्य हो जाता था कि वह प्रति दिन पत्नी के साथ पचमहायज्ञों को पूरा करे। इन दायित्वों की समाप्ति गृहपति की मृत्यु से ही संभव थी। अतः विवाह कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होने के कारण धर्म प्रधान था।

(2) **हिन्दू विवाह अविच्छेद्य है** — हिन्दू विवाह एक स्थायी और अटूट संबन्ध है। मुसलमानों में अस्थायी विवाह (मूता विवाह) का भी प्रचलन है। हिन्दुओं में इस प्रकार के विवाह का कोई स्थान नहीं है। हिन्दुओं में विवाह तो जन्मजन्मान्तर का सम्बन्ध है। कम से कम एक जन्म तक तो जो परिणय सूत्र में बँध जाते हैं पति पत्नी बने रहते हैं यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति न उत्पन्न हो जाय जिसमें विवाह विच्छेद (तलाक) अनिवार्य हो। हिन्दू विवाह के अविच्छेद्य होने का आदर्श बहुत ही उच्च और महान् है क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि यदि पति पत्नी में मतभेद स्वभावगत भेद या अन्य किसी प्रकार का संघर्ष है तो वे अपनी स्वच्छा से विवाह विच्छेद नहीं करेंगे और विवाह सम्बन्ध को एक मूल्य (Value) समझकर उसकी रक्षा करेंगे। वर्तमान समय में यद्यपि हिन्दू विवाह का यह आदर्श अव्यावहारिक हो गया है फिर भी तलाक की वृद्धि को रोकने में काफी सहायक है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में स्त्रियों को कुछ खास परिस्थितियों में विवाह सम्बन्ध तोड़ने (तलाक) की अनुमति दे दी गयी है।

(3) **हिन्दू विवाह सस्कार है** — हिन्दू विवाह की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह एक पवित्र सस्कार है। प्रश्न है कि हिन्दू विवाह सस्कार कैसे? हिन्दू विवाह का सस्कारक अथवा विकारक होना इस पर निर्भर है कि क्या विवाह स्त्री-पुरुष का परिष्कार करता है उनका उन्नयन करता है अथवा उन्हें पतन की ओर ले जाता है? यदि उन्नयनकारी है पतनकारी अथवा विकारक नहीं, तो सस्कार है। गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि विवाह प्रकट में भले ही विकारक लगे जैसे कुछ दैनिक जीवन की क्रियाएँ लगती हैं परन्तु अप्रगट में विवाह से स्त्री-पुरुष का परिष्कार होता है। बर्तन मॉजने की क्रिया और कपड़ा धोने की क्रियाओं में हम देखते हैं कि पहले बर्तन अथवा कपड़े को और गन्दा कर दिया जाता है परन्तु यह सभी जानते हैं कि उससे कपड़ा साफ हो जाता है बर्तन उज्ज्वल हो जाते हैं। विवाह भी कुछ उपरोक्त क्रियाओं जैसा ही लगता है^४। प्रकट में ऐसा लगता है कि विवाह स्त्री-पुरुष को बन्धन में बँध देता है उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। प्रायः समाज में अनुभवी और योग्य बुद्धिमान उत्तरदायित्वहीन व्यक्ति को विवाह में बँधने की राय देते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी का लड़का अनैतिक कार्यों में लग जाता है परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, निरकुशता का जीवन व्यतीत करता है तो उसे उत्तरदायी बनाने के लिए और ठीक रास्ते पर लाने के लिए प्रायः उसका विवाह कर देने के लिए कहा जाता है। विवाह हो जाने पर सामान्यतौर से ऐसे व्यक्ति सुधर जाते हैं और समाज के अच्छे नागरिक बनकर समाज के

प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा भी करते हैं। कुछ बालबुद्धि वाले लोग विवाह को बन्धन कहते हैं और इसे अपनी उन्नति में बाधक मानते हैं यहाँ पर बन्धन शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्या बन्धन समाज व व्यक्ति के लिए अहितकर है? शायद नहीं। मनुष्य बन्धन से छूटना जरूर चाहता है पर सभी बन्धन दूर नहीं होते। मनुष्य को यदि बन्धन मुक्त कर दिया जाय तो समाज का सम्बन्ध संचालन नहीं हो पायेगा। समाज की व्यवस्था बन्धन अथवा अकुश स ही कायम रहती है। निरकुशता समाज के लिए वाछनीय नहीं। प्रस्तुत प्रसंग में प्रयोग किया गया बन्धन शब्द अकुश का समानार्थी है। विवाह से स्त्री—पुरुष दोनों की चंचलता और उच्छृंखलता पर प्रतिबंध लगा रहता है। विवाह स्त्री के चरित्र को भी उज्ज्वल करता है। विवाह द्वारा स्त्री को कामवासना पूर्ति का अवसर प्राप्त होता है। इतिहास में अनेक दृष्टान्त मिलते हैं जहाँ विवाहित रित्रियों के पथभ्रष्ट होने का उल्लेख है। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध इसीलिए किया कि वह पथभ्रष्ट हो गई थी। गौतम की पत्नी अहिल्या कपट वषधारी इन्द्र से उन्हे पहचान कर भी सहचर्य करने को उद्यत हो गयी। जब विवाहित रित्रियों का चित्त ठिकाने नहीं तो अविवाहिताओं को तो नियंत्रण में रखना और भी कठिन है। विवाह काफी सीमा तक स्त्री को नियंत्रित करता है और इस प्रकार उसके उत्थान में सहायक है।

विवाह परार्थमूलक होने का कारण भी सरकार है। स्वार्थ एक प्रकार का मल है। विवाह स्त्री—पुरुष को स्वार्थी नहीं बनाता, उन्हे परोपकार का पाठ पढ़ाता है उनके अपनेपन का विस्तार करता है। अपनी कमाई मिल बॉटकर भोगने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। वह व्यक्ति जो अपने लिए कमाता है अपने लिए ही भोजन पकाता है पाप करता है'। अपनी कमाई अकेले हडप कर जाने वाला व्यक्ति से अपनी स्त्री व बच्चे में अपनी कमाई बॉट देने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है।

विवाह व्यक्ति को अनेक अनुचित कार्यों को करने से रोकता है। बाल बच्चों के भावी जीवन के विषय में सोचकर अधिकांश व्यक्ति अपना अपराधी इरादा त्याग देते हैं अनुचित कार्यों से दूर हट जाते हैं। लौकिक जीवन में लोगों को कहते सुना जाता है कि 'बाल—बच्चे वाले होकर कहीं हम ऐसा कार्य करेंगे।'

के.एम. कपाडिया ने हिन्दू विवाह को इसलिए सरकार कहा है क्योंकि हिन्दू विवाह की पूर्णता पवित्र मंत्रों के साथ सम्पन्न किये जाने वाले कुछ पवित्र कृत्यों पर आधारित है। सप्तपदी, पाणिग्रहण और होम वे मुख्य पवित्र कृत्य हैं जो विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। इनमें से किसी भी एक के उचित रूप से सम्पादित न होने पर विवाह वैध नहीं माना जा सकता।

(4) हिन्दू विवाह समझौता नहीं (Hindu marriage is not contract) — हिन्दू विवाह एक प्राथमिक सम्बन्ध है न कि प्रसविदा। प्रसविदा

एक ऐसा समझौता है जिसमें समझौता करने वाले दोनों पक्ष भविष्य में निश्चित समय तक निश्चित ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं¹⁰। विवाह में भाग लेने वाले दो पक्ष (नर और नारी) भविष्य में कैसा व्यवहार करेंगे इसका निर्धारण विवाह के समय नहीं होता और न उनके पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों की कोई सूची ही बनाई जाती है। समझौता (contract) की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य पहले से ही निश्चित होते हैं और सीमित होते हैं जबकि विवाह सूत्र में आबद्ध स्त्री—पुरुष के दायित्वों की कोई सीमा नहीं होती है। समझौते में भाग लेने वाले दो पक्षों में से अगर कोई एक पक्ष उन दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरे पक्ष से कहता है जिनका उल्लेख समझौते में नहीं है तो वह पक्ष उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उनका उल्लेख समझौते में नहीं है। उदाहरण के लिए अगर दो व्यापारियों में किसी व्यापार के बारे में समझौता हुआ है और यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से यह कहे कि मेरे लडके को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेज दीजिए तो दूसरा व्यापारी फौरन यह कहेगा कि इसके बारे में तो हमारे और आप के बीच में समझौता नहीं हुआ। अगर कोई लडका अपने माता—पिता से यह इच्छा व्यक्त करे कि वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो माता—पिता उसे उपरोक्त जवाब नहीं दे सकते। वे या तो उसे भविष्य में कभी भेजने का वायदा करेंगे या वित्तीय असमर्थता के आधार पर उसे न भेज सकने की बात कहेंगे। अतः हिन्दू विवाह की प्रकृति समझौता से मेल नहीं खाती। इसके अलावा समझौते में भाग लेने वाले व्यक्तियों के स्वार्थों में भिन्नता¹¹ भी हो सकती है क्योंकि कभी—कभी एक पक्ष की हानि से दूसरे पक्ष को लाभ होता है। दुकानदार और ग्राहक महाजन और ऋणी के समझौते में एक पक्ष की हानि से दूसरे पक्ष को लाभ हो सकता है। परन्तु विवाह के दोनों पक्षों के उद्देश्यों में समानता पाई जाती है। यह नहीं है कि पति को हानि होने से पत्नी को लाभ हो और पत्नी की हानि से पति को लाभ बल्कि एक की हानि से दूसरे को भी हानि होगी। इससे भी यही सिद्ध होता है कि विवाह समझौता नहीं है। इसके अलावा समझौता हमेशा अवैयक्तिक (impersonal) होता है जबकि विवाह सबध वैयक्तिक (personal) होता है। यदि पति का अपनी पत्नी पर अवैयक्तिक प्रेम है तो यह पति का सबसे बड़ा अपराध है (No offence is greater in a husband than this that he should treat his love impersonally)। वैयक्तिक सबध का सबसे अनिवार्य गुण है कि यह Transferable नहीं है। इसका सम्बन्ध निश्चित व्यक्तियों (determinate individuals) से होता है जिनका स्थानापन्न किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। नया सम्बन्ध बन सकता है पुराना सम्बन्ध समाप्त हो

10- Davis Kingsley Human Society Page 470

11- "They may have unlike interests in the sense that a loss for one is a gain for the other" Davis, Kingsley "Human Society" - page 470

सकता है परन्तु एक ही सम्बन्ध में एक व्यक्ति की जगह दूसरे को रथा तापन्न नहीं बनाया जा सकता।¹¹ उपर्युक्त विशेषताएँ हिन्दू विवाह में पायी जाती हैं। अतः विवाह सम्बन्ध एक वैयक्तिक सम्बन्ध है न कि प्रसविदात्मक सम्बन्ध।

वैवाहिक कर्मकाण्ड (Ceremonies of Marriage) — कर्मकाण्डीय दृष्टि से हिन्दू विवाह मुस्लिम और ईसाई विवाह से कहीं अधिक जटिल है। वैवाहिक विधियाँ देश-विदेश और गाँव-गाँव में भिन्न हैं। कुल के आधार पर भी वैवाहिक कर्मकाण्डों में परिवर्तन मिलता है। इन वैवाहिक उत्सवों (Ceremonies) का ज्ञान प्रथा द्वारा अथवा कुल की किसी वृद्धा या वृद्ध पुरुष से प्राप्त होता है। लगभग समस्त गृह्य सूत्रों का अध्ययन करके पी. वी. कणे महोदय ने विवाह-संस्कार के कर्मकाण्डों की विस्तृत सूची का वर्णन निम्न प्रकार से किया है।¹³

(1) **वधू-वर-गुण परीक्षा** — वधू-वर की उपयुक्तता अथवा योग्यता की परीक्षा।

(2) **वर प्रेषण** — वधू के विवाह की बातचीत करने के लिए लोगों को भेजना। ऋग्वेद काल में यह प्रथा थी कि एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति कन्या के पिता के पास कन्या माँगने के लिए जाते थे।¹⁴ सूत्रकाल में भी यही रीति थी। मध्यकाल तक क्षत्रियों में इस प्रथा का प्रचलन था। वर्तमान समय में ब्राह्मण और अन्य अनेक जातियों में कन्या के पिता को वर की खोज के लिए जाना पड़ता है यद्यपि शूद्रों और कुछ अन्य जातियों में पुरानी प्रथा का ही चलन है।

(3) **वाग्दान** — वाग्दान का शाब्दिक अर्थ है 'वचन देना'। वर पक्ष के विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव को कन्या के पिता द्वारा स्वीकार करने को ही वाग्दान कहते हैं परन्तु आजकल जब वर की खोज कन्या पक्ष द्वारा की जाने लगी इस शब्द का प्रयोग कन्या पक्ष द्वारा प्रस्तुत विवाह-प्रस्ताव को वरपक्ष द्वारा स्वीकार करने के अर्थ में होने लगा। वाग्दान का कृत्य शादी पक्की होने का सूचक है।

(4) **मण्डपकरण** — उपनयन और मुंडन की ही भाँति सम्पूर्ण वैवाहिक कृत्य एक मण्डप के नीचे सम्पन्न होते हैं। मण्डप निर्माण-विधि देश और काल के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। फलरहित आम की डाल, हल पटेला हरे बास फूस और मूँज की सहायता से मण्डप निर्मित होता है।

(5) **नान्दीश्राद्ध** — इसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। यह आभ्युदयिक समस्त मांगलिक कार्यों (संस्कारों) के पूर्व की जाती है। इसमें विश्वदेवा का पूजन तथा पितर और माताओं और मातामह (नाना आदि) अर्थात् पितृकुल और मातृकुल के मृतपूर्वजों का पूजन होता है। इसका उद्देश्य वश वृद्धि की कामना होती है। इसका विधान केवल बौधायन गृह्य सूत्र में है। अधिकांश सूत्रकार इसके बारे में

मौन है।

(6) वधू-गृह गमन — यह बारात या वर-यात्रा का कृत्य है। बारात में वर के इष्ट मित्र वंशज और अन्य सगे सम्बन्धी वधू के घर जाते हैं।

(7) मधुपर्क — कन्या के घर में होने वाला वर के विशेष सत्कार को मधुपर्क कहते हैं। शाखायन गृह्य सूत्र (1-12-10) में दो मधुपर्कों का उल्लेख है। प्रथम मधुपर्क का आयोजन विवाह कृत्य के पूर्व और दूसरे मधुपर्क का आयोजन विवाह कृत्य के बाद उस समय ही जब वर अपने घर लौटने लगे ऐसा शाखायन का मत है।

(8) स्नापन, परिधापन और सन्नहन — विवाह के अवसर पर वधू को स्नान कराया जाता है, नये परिधान (वरत्र) पहनाये जाते हैं और दर्भ की मेखला पहनायी जाती है। विवाह के इन कृत्यों का उल्लेख पारस्कर और काठक गृह्य सूत्रों में मिलता है।

(9) समन्जन — वैदिक मन्त्रोच्चारण के साथ वर-वधू का एक दूसरे की ओर मुँह कराके (उन्हे) बैठाकर उनके हृदयों के एक सूत्र में आबद्ध (सयुक्त) हो जाने की कामना की जाती है। इस क्रिया को समन्जन कहा जाता है।

(10) प्रतिसर बध — वधू की कलाई में रोली से रगे सूत्र के साथ अभिमंत्रित अक्षतों की छोटी सी पोटली बाँधने की क्रिया प्रतिसर बध कहलाती है।

(11) वधू-वर निष्क्रमण — घर के आन्तरिक भाग से वर-वधू का पण्डाल के नीचे आना वधू-वर निष्क्रमण है। इसका विधान पारस्कर गृह्य सूत्र में है।

(12) परस्पर समीक्षण — परस्पर समीक्षण का अर्थ है वर-वधू द्वारा एक दूसरे को देखना। लघु आश्वलायन स्मृति (15 20) के अनुसार वधू-वर के बीच एक परदा पहले लटका दिया जाता है और शुभ मुहूर्त पर यह पर्दा हटा लिया जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह क्रिया आज भी प्रचलित है। ~~पिछले~~ समय वर-वधू के बीच परदा लटकाया जाता है ब्राह्मणों द्वारा मंगलाष्टक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।

(13) कन्यादान — कन्यादान विवाह का एक प्रमुख कृत्य है। इस कृत्य में कन्या का पिता वर से कहता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति धर्म अर्थ और काम में मिथ्या व्यवहार न करे। वर उत्तर में 'नातिचरामि' (ऐसा नहीं करूँगा) कहता है। यह अब भी होता है।

(14) अग्नि स्थापन और होम — अग्नि की स्थापना करना और अग्नि में आज्य आहुतियों डालना अग्नि स्थापन और होम कहलाता है। इसका उल्लेख कई गृह्य सूत्रों में है परन्तु मंत्रों और आहुतियों की संख्या के बारे में काफी मतभेद है।

(15) पाणिग्रहण — इस कृत्य में कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया

जाता है। यह कृत्य वर द्वारा वधू को पत्नी रूप में स्वीकार किये जाने का प्रतीक है। कर्म-काण्डीय दृष्टि से यह क्रिया बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(16) लाजा होम — इसमें वधू भुने हुए अन्न की तीन आहुतियाँ देती हैं जिनमें वर मंत्र पढ़ता है। चोथी आहुति मौन होकर दी जाती है।

(17) अग्नि परिणयन — इसमें वर वधू के साथ अग्नि और कलश की प्रदक्षिणा करतै हुए अमोहस्मि शब्द कहता है।

(18) अश्मारोहण — अश्मारोहण को कृत्य में वधू पत्थर की शिला पर पैर रखती है। पत्थर दृढता का प्रतीक है। यह कृत्य पति पत्नी से इसलिए करवाता था जिससे वह उसके प्रति सुदृढ भक्ति बनाये रखे।

(19) सप्तपदी — वर-वधू स्थापित अग्नि से उत्तर दिशा में चावल की सात राशियों पर साथ-साथ इस प्रकार चले कि वधू का दाहिना पैर हर बार एक चावल की राशि पर पड़े।

(20) मूर्धाभिषेक — यह वर या वर-वधू दोनों के सिर पर पवित्र जल छिड़कने का कार्य है।

(21) सूर्योदीक्षण — वधू तच्चक्षु मंत्र के साथ सूर्य का दर्शन करे।

(22) हृदयस्पर्श — मंत्र के साथ वर द्वारा वधू के हृदय का स्पर्श करना।

(23) प्रेक्षकानुमत्रण — इसमें दर्शको को विवाह का साक्षी होने के लिए संबोधित किया जाता है।

(24) दक्षिणादान — अन्त में संस्कार सम्पन्न कराने वाले पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है। पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार आचार्य को ब्राह्मण द्वारा एक गाय क्षत्रिय द्वारा एक गौव और वैश्य द्वारा एक अश्व दक्षिणा में दिया जाना चाहिए। आजकल यथाशक्ति द्रव्य तथा वस्त्र दिये जाने का रिवाज है।

(25) गृह प्रवेश — दक्षिणा के पश्चात् वधू का वर के घर में प्रवेश होता है।

(26) गृहप्रवेशणीय होम — वधू के वर-गृह में प्रवेश करने पर समन्त्र होम होता है।

(27) ध्रुवारुन्धतीदर्शन — इसमें ध्रुव और अरुन्धती नक्षत्र वधू को दिखाये जाते हैं। अरुन्धती के दर्शन का प्रयोजन वधू को सतीत्व और पति सेवा के आदर्श का स्मरण कराना है। ध्रुव तारा का दर्शन इसलिए कराया जाता है जिससे पत्नी पति के साथ ध्रुव (अटल) हो।

(28) आग्नेय स्थालीपाक — अग्नि को नैवेद्य चढाने की क्रिया है।

(29) तिरात्र-व्रत — पति पत्नी को चाहिए कि कम से कम तीन दिन तक लवण-क्षारयुक्त भोजन न ग्रहण करे भूमि पर सोये और सहवास से दूर रहे आज कल इसका प्रचलन छूट गया है।

(30) चतुर्थीकर्म — वैखानस सूत्र में इसे ऋतुसगमन की सज्ञा दी गई है। सूत्रकारों ने इस अवसर पर वैदिक मंत्रों के साथ गर्भस्थापन के लिए कहा

है।

(31) **सीमान्त पूजन** — गाँव के द्वार पर वर और उसकी पार्टी का सत्कार करना सीमान्त पूजन है। कणे का कहना है कि आजकल यह क्रिया वाग्निश्चय के समय होती है।

(32) **गौरी—हर पूजन** — पुण्याहवाचन के पश्चात् और कन्यादान के पूर्व शकर पार्वती की स्वर्ण प्रतिमाओं का कन्या द्वारा पूजन कराये जाने का विधान है।

(33) **इन्द्राणी पूजा** — पहले इन्द्र की पत्नी शची की पूजा की जाती होगी। आजकल पार्वती और लक्ष्मी की पूजा होती है। इन्द्राणी (शची) की पूजा का लोप हो गया है।

(34) **तैल—हरिद्रारोपण** — वधू के शरीर पर लगाने के बाद बचा हुआ हल्दी—लेप वर के शरीर में लगाने की क्रिया है।

(35) **आर्द्राक्षतारोपण** — (वर वधू द्वारा परस्पर एक दूसरे पर गीले साबुत चावल छोड़ना)। चाँदी जैसे धातु के किसी पात्र में थोड़ा दूध डाला जाता है और उसके ऊपर घी छिड़का जाता है और साबुत गीले चावल उसमें डाल दिये जाते हैं। वर कन्या की अजलि में दो बार दूध और घी स्पर्श कराता है और तीन बार उसमें चावल भरता है ताकि उसकी अजलि भर जाय और अजलि में फिर दो बार घी छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति वर की अजलि में उपरोक्त क्रिया करता है और कन्या का पिता दोनों की अजलि में स्वर्ण मुद्रा रखता है। फिर वर अपनी अजलि वधू की अजलि पर रखता है। कन्या का पिता मंत्र पढ़ता है। कन्या वर के शिर पर चावल छोड़ती है और फिर वर वधू के शिर पर। दोनों तीन बार यही क्रिया करते हैं। कन्या एक बार पुनः यही क्रिया करती है। दोनों एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं और ककण बधन करते हैं। कालिदास अपने रघुवश (VII) में आर्द्राक्षतारोपण का वर्णन विवाह के अन्तिम कर्मकाण्ड के रूप में करते हैं।

(36) **मगल सूत्र बधन** — वधू के गले में सोने और अन्य मूंगे से युक्त सूत्र पहनाना मगल—सूत्र बधन है। इसे मगल सूत्र नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्त्री के सौभाग्य का चिह्न है और इस आभूषण को पत्नी पति के जीवन काल में नहीं त्यागती है।

(37) **उत्तरीय प्रान्त बधन** — इसे ग्रन्थि बन्धन भी कहते हैं। उत्तरीय शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला वस्त्र होता है। प्रान्त छोर का सूचक है। वर वधू के उत्तरीय के छोर में हल्दी और सुपाड़ी बाँधकर दोनों वस्त्रों को एक गाँठ द्वारा जोड़ दिया जाता है।

(38) **ऐरिणी दान** — वर की माता को बॉस की पिटारी में कई उपहार रखकर इसलिए अर्पित करना जिससे वर वधू को अपना प्रेमभाजन बना ले ऐरिणी दान है। यह दान उस समय किया जाता है जब वधू विवाह कृत्य समाप्त

हान पर अपने पति क घर जाने लगती है अथवा विदा होने लगती है।

(39) **देवकोत्थापन और मण्डपोद्घासन** — यह विवाह का अन्तिम कृत्य है। इसमें आमन्त्रित देवताओं का विसर्जन हाता है और मण्डप उखाड़ डाला जाता है।

ऊपर कहे गये कृत्यों में कन्यादान पाणिग्रहण लाजाहोह अग्निपरिणयन अश्मारोहण सप्तपदी तिरान्नव्रत तथा चतुर्थीकर्म महत्ता रखते हैं।

शास्त्र वर्णित विवाह के अष्ट प्रकार — स्मृतियों में विवाह के आठ प्रकारों की चर्चा है। ये विवाह के आठ रूप इस प्रकार हैं - ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य आसुर गान्धर्व राक्षस और पैशाच। इनमें से चार प्रशस्त हैं और अन्तिम चार अप्रशस्त। पहले चार प्रकार प्रशसनीय माने जाते थे आसुर और गन्धर्व किसी प्रकार सद्द थे और अन्तिम दो प्रकार निषिद्ध (वर्जित) थे क्योंकि विवाह के ये प्रकार विवाह के रूप में न होकर समाज की समस्या थे जिन्हें शास्त्रकारों ने विवाह की कोटि में रखकर इन समस्याओं की शिखर कन्याओं और उसकी सन्तानों के प्रति विशेष उपकार किया। यदि स्मृतिकारों ने राक्षस और पैशाच ढग से कौमार्य भग को विवाह न घोषित किया होता तो इन कौमार्य भग कन्याओं की समाज में दुर्दशा हो जाती और समाज में ऐसी कन्याओं को ब्याहने के लिए कोई तैयार भी न होता क्योंकि हिन्दू समाज में अक्षत—योनि कन्याओं को ही विवाह में ग्रहण करने का आदर्श प्रतिष्ठित था। अतः हिन्दू शास्त्रकारों ने उदारता का परिचय देकर राक्षस और पैशाच को विवाह का प्रकार मान लिया और साथ ही इन विवाहों को निदनीय निकृष्ट (अधम) और वर्जित घोषित किया। इन विवाहों को हीन अथवा अधम घोषित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि समाज में विवाह के इन प्रकारों का प्रचलन न होने पाये।

(1) **ब्राह्म** — यह विवाह का सबसे अधिक प्रशस्त रूप था। विवाह की इस विधि में कन्या का पिता अथवा संरक्षक वेदपारगत और चरित्रवान वर को अपने घर आमन्त्रित कर उसका विधिवत आदर सत्कार करके वस्त्राभूषणों से अलकृत कन्या दान में देता था। इस विवाह का प्रचलन ब्राह्मणों में अधिक था इसलिए इसे ब्राह्म विवाह कहते थे। आजकल विवाह का सबसे अधिक प्रचलित रूप यही है यद्यपि वर्तमान समय में दहेज की कुप्रथा का इसमें समावेश हो गया है। यह विवाह शक्तिप्रयोग कामुकता और धनलोभ से मुक्त था इसलिए विवाह का श्रेष्ठ प्रकार था।

(2) **दैव** — यह ब्राह्म से कम प्रशस्त था। इस विवाह में कन्यादान दैवयज्ञ के अवसर पर होता था इसलिए इसे दैव विवाह कहते थे। यह विवाह का वह रूप है जिसमें कन्या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान में दी जाती थी। जिस समय समाज में यज्ञ की प्रधानता थी लोग यज्ञ कराने वाले ऋत्विज को कन्याये देना पुण्यकर समझते होंगे और वर के अन्य गुणों की परीक्षा पर ध्यान नहीं देते होंगे लेकिन यज्ञ का महत्त्व घट जाने के साथ ही लोगों ने वर के गुणों

की परीक्षा किये बगैर अपनी कन्या देना उचित नहीं समझा होगा जिससे ऐसे विवाहों की प्रथा लुप्त हो गयी। विवाह की इस पद्धति का कन्यादान पुरोहित की यज्ञ सेवा से प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। अतः यह एक विशुद्ध दान नहीं है जबकि ब्राह्मण विवाह में कन्यादान एक विशुद्ध दान है।

(3) आर्ष — आर्ष शब्द का सम्बन्ध ऋषि से है। लगता है इसमें कन्यादान किसी ऋषि को किया जाता होगा। आर्ष विवाह में कन्या का पिता उसके भावी पति से यज्ञादि धर्म विहित कार्य पूरा करने के लिए एक या दो गोमिथुन लेकर उसे कन्या दान में देता था। कुछ आचार्य इस गोमिथुन ग्रहण करने को कन्या शुल्क मानते हैं। वास्तव में यह कन्यामूल्य नहीं है क्योंकि गोमिथुन लेने का विधान मूल्य या धन लाभ की दृष्टि से नहीं था अपितु धर्म कार्य करने या कन्या को देने के लिए इसका विधान था। इसे कन्या के साथ वर को दे दिया जाता था। यद्यपि वर्तमान समय में आर्ष विवाह का प्रचलन नहीं है फिर भी आजकल कुछ गरीब माता पिता आर्ष विवाह की भाँति वर पक्ष वालों से विवाह के धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए कुछ रकम ले लेते हैं जिसे वे स्वयं अपने पास नहीं रखते बल्कि उसे विवाह की रस्म पूरा करने में खर्च कर देते हैं। अतः यह रकम कन्या मूल्य नहीं है। ठीक इसी तरह से आर्ष विवाह में लिया जाने वाला गोमिथुन भी कन्या शुल्क नहीं था क्योंकि कन्यार्थ द्रव्य लेना मनु के अनुसार शुल्क नहीं है¹⁵।

(4) प्रजापत्य — तुम दोनों (वधू और वर) साथ में धर्माचरण करो ऐसा वचन कहकर तथा पूजनकर कन्यादान करना मनु के अनुसार प्रजापत्य विवाह है¹⁶। यह विवाह स्त्री पुरुष को प्रजापति के प्रति ऋण चुकाने का स्मरण कराता है और स्त्री—पुरुष को समान दर्जा प्रदान करता है। कहा जाता है कि प्रजापति जगत् स्रष्टा हैं। जैसे प्रजापति ने जगत की सृष्टि की उसी प्रकार विवाह सूत्र में बँधने वाले वर और वधू भी सन्तानोत्पादन के कार्य में लगे ऐसा विचार इस विवाह से प्राप्त होता है। डा राजबली पाण्डेय का कथन है कि बाल विवाह के प्रचलन से इसका हास हो गया क्योंकि प्रौढ वर वधू ही इस विवाह की प्रतिज्ञा के अर्थ को समझ सकते थे। यह विवाह का सबसे कम प्रशस्त रूप था।

विवाह के उपरोक्त सभी प्रकार प्रशस्त हैं यद्यपि कोई अधिक प्रशस्त और कोई कम। मेरी समझ में इनके प्रशस्त होने का प्रमुख कारण है इन विवाहों में किया जाने वाला कन्यादान। तप, यज्ञ और स्वाध्याय के साथ दान को भी हिन्दुओं में प्रमुख क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। दान में भी कुछ महादान हैं जिनमें कन्यादान एक है। अतः इन विवाहों के साथ दान की क्रिया संयुक्त होने के कारण इन्हें प्रशस्त और शास्त्र स्वीकृत माना गया है।

(5) आसुर — आसुर विवाह में कन्या का दान नहीं होता है बल्कि इसमें कन्या का विक्रय होता है। कन्या के पिता अथवा अभिभावकों को यथेष्ट धन

15 यासा नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रया ।

अहण तत्कुमारीणामानृशस्य च केवलम ।

देकर कन्या ग्रहण करना आसुर विवाह है। ब्राह्म के बाद वर्तमान समय में आसुर का प्रचलन अधिक है। अकुलीन लोग जिनका विवाह आसानी से नहीं होता धन देकर अपना विवाह करते हैं। कुछ गिरे हुए दीन—हीन माता—पिता अपनी कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं। यह प्रथा बुरी है। कन्या बेचना एक अमानुषिक कृत्य है। यही कारण है कि न तो प्राचीन काल में ही विवाह का यह रूप प्रशंसित था और न आज ही आदृत और प्रशंसित है।

(6) गान्धर्व — इस विवाह के सम्पादन में कन्या के माता—पिता अथवा अभिभावक का कोई हाथ नहीं रहता। वर और वधू दोनों पारस्परिक प्रीति तथा इच्छा से विवाह सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। आधुनिक प्रगतिशील विचारक शायद इसे प्रगति का चिह्न मानकर इसकी मुक्तकठ से प्रशंसा करें परन्तु वास्तव में ऐसे विवाह सफल नहीं होते क्योंकि इस विवाह का मूल पारस्परिक आकर्षण है। यह आकर्षण सदा एक सा नहीं बना रहता। इसमें धीरे—धीरे घटने की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके अलावा जो आत्मसमर्पण की प्रबलता शुरू में वर और वधू में होती है। वह विवाह के बाद ज्यों की त्यों नहीं रह पाती। गान्धर्व विवाह वर्तमान समय के प्रेम विवाह के (Love Marriage) के सदृश है। कामुकता से उद्भूत होने के कारण यह हीन प्रकार का विवाह है। प्रेम विवाह या गान्धर्व विवाह तो विघटित समाज का एक लक्षण है। डा० राजबली पाण्डेय का कहना है कि विवाह के इस प्रकार को गान्धर्व कहा जाता था क्योंकि यह हिमालय की तराई में रहने वाले गन्धर्वों के जन में प्रचलित था।

(7) राक्षस — इस विवाह का प्रचलन सबसे अधिक क्षत्रियों में था इसलिए इसे क्षात्र विवाह भी कहा जाता था। विवाह के इस रूप में बल का प्रयोग होता था अतः इसे Marriage by Capture भी कहा जा सकता है। मनु के अनुसार कन्या के परिजन पुरजन बन्धु बान्धवों और ग्रामवासियों का हनन कर गृह या द्वारादि को तोड़कर रोती बिलखती हुई कन्या का बलपूर्वक हरण कर लाना 'राक्षस सज्ञक विवाह है'¹⁷। मनु की उपर्युक्त परिभाषा में युद्ध का चित्रण है। इससे सिद्ध होता है कि विवाह का यह रूप युद्ध प्रेमी जनो में प्रचलित था और इस प्रकार प्राप्त स्त्रियों का उपयोग युद्ध की लूट के रूप में किया जाता था। मनु के अनुसार यह विवाह क्षत्रियों के लिए प्रशस्त है। (मनुस्मृति 3/24)

(8) पैशाच — विवाहों में सबसे अधम पैशाच विवाह है। यह तो सीधे—सीधे बलात्कार है। मनु के अनुसार सोई हुई मद से व्याकुल कन्या के साथ जब कोई व्यक्ति मैथुन करता है तो यह प्रकार पैशाच कहलाता है। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, कि इसे विवाह की श्रेणी में इसलिए रखा गया ताकि इस परिस्थिति की शिंकार हुई निर्दोष कन्या को अविवाहित रहकर भीषणतम कष्ट न उठाना पड़े, जहाँ स्मृतिकारों ने इसे विवाह का रूप दिया वही वे ऐसे विवाहों की पुनरावृत्ति न होने पाये इसके बारे में भी जागरूक दिखाई देते

है। उन्होंने इसे निकृष्ट और निघनीय घोषित कर इसके प्रचलन पर रोक लगा दी। इसका प्रचलन बहुत ही असभ्य और बर्बर जनो में रहा होगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दुओं में विवाह की एकरूप (uniform) पद्धति का अभाव था। विवाह के उपरोक्त आठ प्रकार में से ही लोग किसी न किसी का सहारा लेते रहे होंगे। भारतीय आर्यों में यद्यपि विवाह के ये रूप साथ साथ जारी थे फिर भी विवाह बहुधा ब्राह्म विधि से ही किया जाता था।

विवाह की सीमाएँ — हिन्दू समाज में जीवन साथी का चुनाव भी अनियमित नहीं छोड़ा गया। अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए हिन्दू स्वतंत्र न था। वह या तो एक निश्चित क्षेत्र के अन्दर ही विवाह कर सकता था उसके बाहर नहीं अथवा किसी दिये हुए क्षेत्र की सीमा के बाहर ही विवाह कर सकता था उसके अन्दर नहीं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिकारों ने हिन्दू विवाह को जीवन—साथी—चयन की दृष्टि से नियमित करने के उद्देश्य से अन्तर्विवाही और बहिर्विवाही नियमों की व्यवस्था की।

अन्तर्विवाह — स्मृतियों की व्याख्या के अनुसार अन्तर्विवाह से तात्पर्य एक ही वर्ण के वर—वधू के बीच होने वाले विवाह सम्बन्ध से है। अन्तर्विवाह की उपरोक्त परिभाषा संकुचित है। इससे तो अन्तर्विवाह के एक प्रकार (वर्ण अन्तर्विवाह) पर प्रकाश पड़ता है। अन्तर्विवाह किसी सीमा या क्षेत्र के भीतर होने वाले विवाह को कहते हैं चाहे यह सीमा या क्षेत्र वर्ण का हो चाहे जाति अथवा उपजाति का हो। वर्ण अन्तर्विवाह जाति अन्तर्विवाह और उपजाति अन्तर्विवाह आदि अन्तर्विवाह के विभिन्न रूप हैं। मनु ने विवाह के लिए द्विजों के वारसे सवर्णा (अपने वर्ण की) स्त्री को ही प्रशस्त माना है। (सवर्णाग्रे द्विजातीना प्रशस्ता दारकर्मणि—मनु 3/12)।

बहिर्विवाह — हिन्दू विवाह के बहिर्विवाही नियम बहुत जटिल हैं। बहिर्विवाह से तात्पर्य अपने समूह के बाहर विवाह करने से है। जातियों अन्तर्विवाही समूह हैं लेकिन ये अन्तर्विवाही जातियाँ बहिर्विवाही समूहों में विभक्त हैं। एक ही जाति के सदस्य अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। प्रथक—प्रथक गोत्र के सदस्य एक जाति में पाये जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जातियों अन्तर्विवाही होती हैं और गोत्र बहिर्विवाही। हिन्दुओं में सगोत्र सप्रवर और सपिण्ड विवाह वर्जित हैं। बहिर्विवाह के तीन प्रमुख रूपों का प्रचलन हिन्दुओं में पाया जाता है। सगोत्र सप्रवर और सपिण्ड बहिर्विवाहों को समझने के लिए गोत्र प्रवर और सपिण्डता का अर्थ जान लेना अत्यन्त आवश्यक है।

गोत्र — गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोशाला है। ऋग्वेद में गोत्र से यही अर्थ लिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ बादलों के समूह दुर्ग अथवा किला पर्वत श्रेणी अथवा पर्वतमाला के अर्थ में भी इसका व्यवहार हुआ है। ऋग्वेद में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता जहाँ पर गोत्र शब्द का प्रयोग एक सामान्य पितृ

17 हत्वा छित्वा व भित्वा च क्रोशन्ती रुदती गृहात।

प्रसह्य कन्या हरणम् राक्षसो विधिरुच्यते ॥ मनुस्मृति 3/33

सत्ताक पूर्वज की सन्तानों के अर्थ में हुआ हो फिर भी गोत्र सबधी विचार ऋग्वेद काल में स्पष्ट रूप से विद्यमान था। अथर्ववेद में विश्वगोत्र शब्द आया है। यहाँ पर गोत्र शब्द स्पष्ट रूप से रक्त से सबधित पुरुषों के समूह का सूचक है। कालान्तर में गोत्र शब्द परिवार का सूचक बन गया। किसी भी परिवार का गोत्र उस परिवार के अति प्राचीन प्रवर्तक ऋषि के नाम से प्रगट किया जाने लगा। कहा जाता है कि पहले कुछ गोत्रों का ही अस्तित्व था। अन्य गोत्र कर्म के अनुसार बाद में उत्पन्न हुए हैं। वे गोत्र और उनके नाम उन गोत्र प्रवर्तक महर्षियों की तपस्या से ही समाज में विख्यात हैं¹⁸। पी वी कणे ने गोत्र का निम्नलिखित अर्थ किया है -

"The general conception about gotra is that it denotes all persons who trace descent in an unbroken male line from a common male ancestor. When a person says 'I am Jamadagni-Gotra' he means that he traces his descent from the ancient sage Jamadagni by unbroken male descent.¹⁹"

मिताक्षरा के अनुसार गोत्र वह है जिसे परिवार में मिली परम्परा से जाना जाता है (गोत्र वंश परंपरा प्रसिद्धम्) अर्थात् पूर्वज हमें बताते हैं कि हम किस गोत्र के हैं और हम अपने पुत्रों को वही सिखा देते हैं।

उत्तराधिकार और विवाह के मामलों में गोत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान था। विवाह के समय गोत्र का विचार किया जाता था और एक गोत्र के स्त्री-पुरुष पति-पत्नी नहीं बन सकते थे। इसलिए हिन्दुओं में असगोत्र विवाह का प्रचलन था। सगोत्र विवाह प्रतिबन्ध ससार व्यापी है। दुरखीम के अनुसार असगोत्र विवाह का कारण टोटेम में निहित है। अपने पवित्र रक्त की दिव्यता को सुरक्षित रखने के लिए जिनका समान टोटेम है उनमें आपस में विवाह सबध वर्जित था। निकट सबधियों में विवाह वर्जन की प्रथा हर समाज में पायी जाती है। निकट सबधियों में यौनाकर्षण को नियमित करने के लिए असगोत्र विवाहों का प्रचलन हुआ होगा। अब The Hindu Marriage Disabilities Removal Act 1944 द्वारा हिन्दुओं में सगोत्र विवाह को भी वैध घोषित कर दिया गया अर्थात् सगोत्र विवाहों का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया।

प्रवर — वेदों में प्रवर शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ प्रवर का समानार्थक आर्षेय शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रवर शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'वरण करना' अथवा चयन करना। प्राचीन काल में जिन प्रसिद्ध ऋषियों ने अग्नि प्रदीप्त की थी उनका नाम लेकर अपनी आहुतियों को देवताओं तक पहुँचाने के

लिए यज्ञकर्ता अग्नि प्रदीप्त करता था अतः प्रवर शब्द यज्ञकर्ता के लिए अथवा एक से अधिक प्रसिद्ध ऋषियों का सूचक बन गया। कुछ आचार्य प्रवर को ऐसे ऋषि-समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक गोत्र प्रवर्तक को दूसरे प्रवर्तक से पृथक् करता है। (प्रवर गोत्र प्रवर्तकस्य मुनेर्व्यावर्तको मुनिगण इत्यर्थः)। प्रवर में सबसे प्राचीन ऋषियों को शामिल किया जाता था। कणे के अनुसार प्रवर से तात्पर्य ऐसे ऋषि अथवा ऋषियों से होता है जो प्राचीन से प्राचीन काल में रहते थे जो बहुत प्रसिद्ध थे और जो सामान्यतः गोत्रऋषि के पूर्वज होते हैं²⁰।

जब यह कहा जाता है कि सप्रवर और सगोत्र विवाह वर्जित है तो प्रवर और गोत्र अलग-अलग विवाह के लिए एक व्यवधान होता है। इसलिए एक कन्या जो यद्यपि सप्रवर नहीं है फिर भी सगोत्र हो सकती है और इसलिए विवाह के लिए अनधिकारिणी हो सकती है अथवा यद्यपि सगोत्र नहीं है फिर भी सप्रवर हो सकती है इसलिए विवाह की अधिकारिणी नहीं होती। उदाहरणार्थ यास्क वाधूल मौन और मौक के गोत्र एक नहीं है फिर भी इन गोत्रों से संबंधित व्यक्तियों में विवाह संभव नहीं है क्योंकि इन सबका प्रवर (भार्गव-वैतहव्य-सावेतस-इति) एक है। प्रवर परम्परा में शामिल ऋषियों में से यदि वर और वधू के परिवारों में एक ऋषि भी उभयनिष्ठ (Common) है तो वे सप्रवर होंगे और उनमें विवाह संभव नहीं हो सकेगा।

सपिण्ड — हिन्दुओं में सपिण्डता के आधार पर भी विवाह-वर्जन का प्रचलन है²¹। सपिण्ड संबंध में आबद्ध लड़के और लड़कियाँ पति पत्नी नहीं बन सकते। विज्ञानेश्वर और जीमूत-वाहन ने सपिण्ड शब्द की व्याख्या अलग-अलग की है लेकिन सपिण्ड विवाह को दोनों वर्जित मानते हैं। मिताक्षराकार (विज्ञानेश्वर) के अनुसार असपिण्डा का अर्थ उस स्त्री से है जो सपिण्ड नहीं है और सपिण्ड से तात्पर्य उस स्त्री अथवा पुरुष से अथवा उन सभी से है जो समान (एक ही) पिण्ड से ताल्लुक रखते हैं²²। अतः मिताक्षरा प्रणाली में पिण्ड शब्द 'शरीर' अथवा 'देह' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। एक ही देह से संबंध होने के कारण सपिण्डता (सपिण्ड संबंध) का जन्म होता है। दो व्यक्तियों में सपिण्ड संबंध इस लिये होता है क्योंकि उनमें एक ही शरीर के अंश (रक्त कण) अथवा अवयव विद्यमान होते हैं। पिता और पुत्र सपिण्ड हैं क्योंकि पिता के शरीरांश (रक्त कण) पुत्र में पाये जाते हैं। पितामह और पौत्र सपिण्ड हैं क्योंकि पितामह के शरीरावयव पौत्र में पौत्र के पिता के जरिये पहुंच जाते हैं। माता और पुत्र सपिण्ड हैं क्योंकि माता के देहकण पुत्र में विद्यमान हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता का सपिण्ड होता है वैसे ही पितामह (नाना आदि) का सपिण्ड होता है। नाना का शरीरांश माता

के जरिये उस व्यक्ति में पहुँच जाते हैं। अतः स्पष्ट है जहाँ कहीं सपिण्ड शब्द का प्रयोग होगा उससे रक्त कण द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष (किरसी के माध्यम से) र.ज से एक ही शरीर से संबन्धित होने का बोध होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सपिण्डता का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इस अनन्त ससार में इस तरह से तो सभी व्यक्ति सपिण्ड होंगे। सपिण्डता के क्षेत्र को सीमित करने के लिए ही याज्ञवल्क्य ने यह निश्चित किया कि माता की तरफ से पाँच पीढ़ियों तक और पिता की तरफ से सात पीढ़ियों तक ही सपिण्ड संबंध रहेगा।

मिताक्षरा व्याख्या के अनुसार सपिण्ड संबंध की गणना में निम्नलिखित नियमों का अनुसरण होना चाहिए —

(1) सामान्य पूर्वज को मिलाकर पीढ़ियों की गणना होनी चाहिए।

(2) वर—वधू के माता—पिता का ध्यान रखकर पीढ़ियों की गणना की जानी चाहिए।

(3) यदि वर अथवा वधू की माता की तरफ से पीढ़ियों की गणना की जाये तो दोनों सामान्य पूर्वज से पाँच पीढ़ी के बाद (छठी पीढ़ी) या इससे आगे के होने चाहिए और यदि पिता पक्ष से गणना हो तो दोनों सामान्य पूर्वज से सात पीढ़ी दूर हो अर्थात् वे आठवीं अथवा इससे आगे की पीढ़ी में पड़ते हों।

दायभाग में पिण्ड का अर्थ श्राद्ध में पितरों को दिया जाने वाला चावल का गोलक (ball of rice) है और दायभाग के अनुसार पिण्डदान द्वारा पूर्वजों तथा वंशजों से संबंध होने वाला व्यक्ति सपिण्ड है। दायभाग प्रणाली में सपिण्ड का महत्त्व उत्तराधिकार निर्णय की दृष्टि से अधिक है।

सपिण्ड—संबंध—वर्जन के कारण— मानवशास्त्रियों ने सपिण्ड संबंध—वर्जन के आधारों (grounds) से संबंधित अनेक सिद्धान्तों को विकसित किया है।²³ कतिपय विद्वानों के अनुसार इनसेरस्ट निषेध के कारण सपिण्डय निषेध था। कर्ण का कहना है कि भारतवर्ष में सपिण्डता का निषेध दो कारणों से था प्रथम यदि निकट संबंधी विवाह करते हैं तो उनके दोष उनकी सन्तानों में अधिक वृद्धि के साथ हस्तान्तरित हो जाते हैं और दूसरे यदि निकट के रक्त संबंधियों में विवाह की अनुमति दी जाती है तो वहाँ गुप्त प्रेम घटनाएँ (Clandestine love affairs) हो सकती हैं जिसके फलस्वरूप नैतिकता की हानि होगी और ऐसी कन्याओं के लिए वर ढूँढना कठिन होगा जो एक ही घर में दूर अथवा समीप के ममेरे मौसरे फुफेरे अथवा चचेरे भाइयों (cousins) के साथ रह रही होंगी।²⁴

वर्तमान समय में सपिण्ड संबंध और उसकी गणना से संबंधित नियमों ने अनेक कठिनाइयों को उत्पन्न कर दिया है। आज बढ़ती हुई शिक्षा और लड़कियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि के कारण प्रेम विवाहों में वृद्धि हो रही है। प्रेमी और प्रेमिका सपिण्ड संबंध जैसे महत्त्वहीन (छोटे—छोटे) मामलों को नहीं

सोचते परन्तु सपिण्ड विवाह—वर्जन का नियम प्रायः अटल है। सप्रवर और सगोत्र विवाह तो हिन्दू मैरिज डिस्पॉजिबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट (1944) के अन्तर्गत वैध घोषित कर दिये गये परन्तु सपिण्ड विवाह तब तक वैध नहीं माने जाते जब तक प्रथा द्वारा ऐसा विवाहो को मान्यता न मिली हो। हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) में किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच विवाह होने के लिए इस शर्त का भी उल्लेख है कि कोई भी दो हिन्दू तब तक सपिण्ड संबंध होने पर विवाह सूत्र में नहीं बंधेंगे जब तक ऐसे विवाह की अनुमति देने वाली कोई प्रथा न हो।

अनुलोम एव प्रतिलोम विवाह — हिन्दुओं में जीवन—साथी के चुनाव के अन्तर्विवाही और बहिर्विवाही नियमों के साथ—साथ अनुलोम और प्रतिलोम नियमों का भी चलन रहा है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में परिवार जाति अथवा वर्ण की उच्चता एव निम्नता का ख्याल प्रधान है। स्तर (उच्चता—निम्नता) के आधार पर विवाह क अनुलोम और प्रतिलोम भेद किए गए हैं। समान अथवा एक ही स्तर के नर—नारियों में शादी होना एक अच्छी बात होने पर भी असमान स्तर के स्त्री—पुरुषों में विवाह का प्रचलन रहा है। मनु ने सवर्ण विवाहों को प्रशस्त मानकर भी असवर्ण विवाहों को मान्यता दे रखी है। ब्राह्मण को चारों वर्णों में विवाह करने की अनुमति थी। क्षत्रिय अपने वर्ण तथा अपने से निम्न दो वर्णों में विवाह कर सकता था। वैश्य स्वयं अपने वर्ण और शूद्र वर्ण में विवाह कर सकता था। शूद्र की पत्नी शूद्रा ही हो सकती थी। स्तरण की व्यवस्था होने के कारण वर्णों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के उदाहरण मिलते हैं।

अनुलोम विवाह विवाह की वह पद्धति है जिसमें उच्च स्तर का पुरुष अपने से निम्नस्तर की कन्या से विवाह करता है। उच्च स्तर के लोग अपनी कन्याएँ निम्न स्तर के लोगों को देना पसन्द नहीं करते जिससे प्रतिलोम विवाहों की निंदा की गई और इन विवाहों पर कुलीनो ने कठोर प्रतिबन्ध लगाए तथा इन्हें हीन घोषित किया। जब निम्न स्तर की वधू अपने से उच्च स्तर के वर के साथ विवाह करती है तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अमान्य घोषित होने पर भी प्रतिलोम विवाह हुए होंगे। मनु ने अनुलोम सतति की अपेक्षा प्रतिलोम सतति को अधिक हीन माना।

अनुलोम विवाह कुलीनता पर आधारित है। इसीलिए इन्हें कुलीन विवाह (Hypergamy) कहना अनुचित न होगा। प्रतिलोम विवाह अकुलीनता पर आधारित है अतः इन्हें अकुलीन विवाह (hypogamy) कहने में कोई आपत्ति न होगी। ब्राह्मण कायस्थो क्षत्रियो एव अन्य जातियों में कुलीनता का विचार मिलता है। ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा का मानदण्ड बिस्वा है। बिस्वा की अधिकतम सीमा 20 है और न्यूनतम सीमा शून्य है। शून्य अथवा बहुत ही कम बिस्वा के ब्राह्मण अकुलीन अथवा ढाकर कहलाते हैं। कुलीन लोग ढाकरो को अपनी कन्या देना नापसन्द करते हैं। ढाकर अपनी कन्याएँ कुलीनो को देने में गौरव का अनुभव करते हैं।

अनुलोम विवाह क्यों ?—अनुलोम विवाहों का आरम्भ क्यों हुआ ? हिन्दू

परम्परा में स्त्री क्षेत्र है और पुरुष क्षेत्रज्ञ। मान्यता यह है कि क्षेत्र चाहे कितना अच्छा क्यों न हो खराब बीज वांछित फल न दे सकेगा। उत्तम सतान हो इसके लिए अच्छे बीज की आवश्यकता है। उच्च कुल के पुरुष से जब निम्न कुल की कन्या का विवाह होगा तो उससे अच्छी सतान उत्पन्न होगी क्योंकि बीज और क्षेत्र में बीज अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही जब उच्च परिवारों में विवाह करने की परम्परा दृढ़ हो चली तब निम्न कुलों के लोग अविवाहित रहने लगे। आज भी ढाकरो का विवाह नहीं होता है। कन्या की भावी सतान अविवाहित न रहे इस हेतु लोगों ने कुलीनों के यहाँ उसका विवाह कर देना उत्तम समझा। रक्त शुद्धता, बीज श्रेष्ठता सतान के विवाह की सुगमता के कारण अनुलोम विवाहों को मान्यता मिली और प्रतिलोम विवाह अमान्य हुए।

अनुलोम विवाह के कुपरिणाम—उच्च कुल में विवाह करने का नियम उक्त कारणों से प्रतिष्ठित हो गया लेकिन इससे अनेक बुराइयों समाज में उत्पन्न हो गईं। नीचे इन बुराइयों का उल्लेख किया जा रहा है।

(1) **बहुपत्नीत्व प्रथा का जन्म**— बहुपत्नीत्व प्रथा अनुलोम विवाह पद्धति की एक बुरी देन है। यहाँ एक पत्नी व्रत का आदर्श रहा है। लेकिन जब उच्च कुलों में सभी ने अपनी-अपनी कन्याएँ व्याहना चाहा तो उच्च कुल वालों ने एक की जगह दो-दो तीन-तीन विवाह किये। यह जानते हुए भी कि अपनी कन्या का जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसके पहले से ही पत्नी है। लोगों ने वर की कुलीनता से प्रभावित होकर अपनी कन्याओं का विवाह उससे कर दिया।

(2) **दहेज का प्रचलन एवं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि**— अनुलोम विवाहों के कारण दहेज का प्रचलन हुआ होगा। कुलीन लोग अपने पुत्रों के विवाह में मनमानी रकम दहेज के रूप में वसूल करते हैं। अकुलीन लोग विवाह में दहेज नहीं माँगते हैं लेकिन कुलीन लोग दहेज के लालच में दो-दो तीन-तीन शायदियाँ करते हैं।

(3) **स्त्री-बध प्रथा का चलन**— दूसरी शादी हो इसलिए पहली पत्नी की हत्या कर देने की प्रथा का जन्म कुलीन लोगों में हुआ। दहेज में पूरी रकम न मिलने पर बहू को सताना जली कटी कहना उसे घर से भगा देना और यहाँ तक कि उसे मार डालने के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं।

(4) **स्त्रियों की हीन अवस्था**— अनुलोम रीति से विवाह प्रचलन का एक कुपरिणाम है स्त्रियों की दयनीय दशा। स्त्रियों को उचित सम्मान न मिलना उनके स्वास्थ्य का ध्यान न रखना तथा उनके प्रति लापरवाही तथा उपेक्षा का रवैया अपनाना आदि सब कुलीन विवाहजन्य बुराइयों हैं।

(5) **बाल विवाह**— कुलीनों के लड़के बहुत जल्द ही ब्याह दिये जाते हैं क्योंकि जब वे कम उम्र के होते हैं तो उनके लिए दहेज की कम रकम चुकानी पड़ती है और वे माता पिता के अधीन रहते हैं जिससे वे माता-पिता के कहने से विवाह कर लेते हैं।

जब वे बड़े हो जाते हैं और ऊँची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो दहेज की अधिक धनराशि लेकर विवाह करने की सोचते हैं।

(6) अनाचार में वृद्धि—अनुलोम विवाहों से व्यभिचार में वृद्धि होती है। जब एक पुरुष के तीन—चार स्त्रियों होगी तब अनाचार नहीं फैलेगा तो और होगा ही क्या ? बहुत से कुलीन घरानों की पत्नियों निर्दयतापूर्ण व्यवहार से ऊबकर भाग जाती हैं। बहुत सी पर—पुरुष—गामिनी बन जाती हैं।

(7) अविवाहित स्त्री पुरुषों की संख्या में वृद्धि—अनुलोम विवाह के कारण कुलीन परिवारों की कन्याएँ अविवाहित रहती हैं और ढाकरों के लड़के अविवाहित रहते हैं। ढाकर लोग तो कुलीनों को पैसा देकर उनकी लड़कियों ब्याह लेते हैं और इस प्रकार एक सीमा तक अविवाहित स्त्री पुरुषों की संख्या को कम करते हैं लेकिन फिर भी कुलीनता की बात दिमाग में भरी होने के कारण बहुत से लड़के व लड़कियाँ अविवाहित ही रह जाते हैं।

(8) बेमेल विवाह—उच्च घराने में ही अपनी कन्या ब्याहने के ख्याल से जब लोगों ने कुलीन परिवारों के युवकों के साथ दहेज न दे सकने के कारण अपनी कन्या का विवाह करने में अपने को असमर्थ पाया तो उन्हीं कुल के वृद्ध और विधुर लोगों के साथ विवाह सम्पन्न करना प्रारम्भ किया जिससे अनमेल विवाहों का चलन हुआ।

(9) विधवाओं की संख्या में वृद्धि—पति—पत्नी की उम्र में अत्यधिक अन्तर होने के कारण विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई। वृद्धजन जो नदी के किनारे के वृक्ष के समान होते हैं उनके साथ कन्याओं का विवाह करने से विधवाओं की संख्या अवश्य बढ़ेगी। जब एक पुरुष के कई पत्नियाँ होंगी तो उसके मरने पर एक साथ कई विधवाएँ हो जायेगी।



हिन्दू विवाह की समस्याएँ (Problems of Hindu-marriage)

वैवाहिक क्षेत्र की समस्याएँ— हिन्दू समाज के समस्त क्षेत्रों में कतिपय समस्याएँ और कुप्रथाएँ व्याप्त हैं। वैवाहिक क्षेत्र कोई इसका अपवाद नहीं है। बालविवाह विधवा पुनर्विवाह निषेध अनमेल विवाह विवाह विच्छेद पर प्रतिबन्ध बहुपत्नीत्व भिन्न-जातीय विवाहों पर रोक और दहेजप्रथा आदि कुछ वैवाहिक समस्याएँ हैं। प्रस्तुत अध्याय में दहेज प्रथा पर जो कि हिन्दू विवाह की प्रमुख समस्या है विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है।

दहेज समापन आवश्यक— हिन्दू विवाह की प्रकृति जहाँ एक ओर सरस्कारात्मक है वहीं दूसरी ओर इसमें दहेज का विषधर फुफकार रहा है। यदि इस विषधर पर नियंत्रण नहीं लगाया गया इसे नष्ट करने की दिशा में सरकार और मानव-सेवियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सारा समाज विषाक्त हुए बिना नहीं रहेगा। हिन्दू समाज कही दहेज रूपी अजगर की कुडली में फँसकर चूर-चूर न हो जाय इसके लिए त्यागी और साहसी पुरुषों को आगे बढ़कर इस कुप्रथा के निदान की व्यवस्था करनी होगी।

दहेज क्या है ?— दहेज वह धनराशि है जिसे कन्या का पिता या अभिभावक वर के माता-पिता या अन्य अभिभावक को अपनी कन्या के लिए वर प्राप्त करने के एवज में विवशतावश चुकाता है। कुछ लोग इसे (दहेज को) नकद या वस्तु के रूप में दिया गया उपहार (gift) समझते हैं। दहेज को उपहार समझने का विचार भ्रामक है क्योंकि उपहार में कुछ प्राप्त करने अथवा विवशता का तत्त्व सम्मिलित नहीं होता है। दहेज वर की कीमत स्वरूप लिया जाता है। अतः दहेज को वर मूल्य (Bride groom-price) की भी संज्ञा दी जा सकती है।

दहेज मान मर्यादा का प्रश्न — आजकल दहेज मान मर्यादा का प्रश्न बन गया है। जो जितना ही अधिक दहेज पाता है उसकी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। यह प्रतिष्ठा का अजीब मानदण्ड है। इस बुराई के लिए समाज नाना प्रकार के कष्ट व यातनायें सहन करता है परन्तु इस रोग को नष्ट नहीं करता। दहेज सामाजिक शरीर का कैंसर बन चुका है। कैंसर का उपचार कठिन होता है। दहेज प्रथा का समापन भी आसान कार्य नहीं है, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इसका उपचार अब है ही नहीं। आगे इसके उपचार पर प्रकाश डाला जायेगा।

दहेज विवाह का अनिवार्य अंग—दहेज अब विवाह का अनिवार्य भाग बन गया है। बिना दहेज के विवाह होता ही नहीं। दहेज की कोई अधिकतम या धूनतम सीमा निश्चित न होने के कारण लोग मनमाना दहेज माँगते हैं। लड़के का पिता अपने लड़के का विवाह निश्चिन्न करते समय दहेज के रूप में उन समस्त व्ययों जो कन्या के पिता से वसूलना चाहता है जिन्हें उसने अपने पुत्र के भोजन वस्त्र शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय किया है।

दहेज के विषय में विचित्र बात—दहेज के विषय में सबसे विचित्र और दम्भ की बात यह है कि दहेज लेते समय व्यक्ति अधिक से अधिक लेना चाहता है और यदि देना पड़े तो कम से कम देना चाहता है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह तो कुछ हसब ठठाव फुलाउब गालू। दोउ न होइ एक सग भुआलू।' जैसी बात है।

दहेज का कोई औचित्य नहीं—दहेज प्रथा के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि दहेज से वर के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा परन्तु इसमें सत्यता का पुट बहुत कम है। दहेज के धन से कोई व्यक्ति धनी होता है यह बात सन्देह जनक है। दहेज का रुपया—पैसा तो विवाह में ही खर्च हो जाता है। यह धन टिकाऊ नहीं होता है अल्पकाल में ही समाप्त होने वाला है। इसीलिए दहेज की उपमा आँधी के आमों से दी जाती है। आँधी के आम और दहेज के दाम टिकाऊ नहीं होते हैं। लड़की का पिता या अन्य अभिभावक तो दहेज देकर ऋणी हो जाता है और वर के पिता को कोई विशेष लाभ नहीं होता है क्योंकि जो कुछ उसे दहेज के रूप में मिलता है उसे नाई धोबी कहार लोहार बारी बाजे वाले आतिशबाजी वाले तथा अन्य नेगी लोग ले लेते हैं। तो फिर लोगों को दहेज से इतना प्रेम क्यों है कि वे इसका अन्त नहीं करते। जब दहेज का प्रभाव कन्या पक्ष के लिए घातक है और वरपक्ष के लिए लाभकारी नहीं तो फिर ऐसा काम क्यों किया जाय जिससे 'बकरी की तो जान जाय और भेड़िये को स्वाद न मिले' की कहावत चरितार्थ हो।

दहेज क्यों ?—किसी भी समस्या के उपचार के विषय में सोचने के पूर्व उस समस्या को जन्म देने वाले कारणों का पता लगाना अनिवार्य है। प्रश्न है कि हमारा भारतीय समाज दहेज का शिकार कैसे बन गया ? इसके कारण अधोलिखित हैं—

(1) **सीमित चयनक्षेत्र** — मेरी समझ में विवाह के चयन-क्षेत्र (area of selection) का अत्यधिक सीमित होना और इस सीमित दायरे के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से सम्यन् और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित परिवारों का कम पाया जाना आदि दहेज प्रथा की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रधान कारण है। जब एक सकुचित और छोटे दायरे से ही वर का चयन करना है और उसके बाहर नहीं तो फिर मनुष्य के लिए और कोई विकल्प रहता ही नहीं सिवाय इसके कि वह सीमित दायरे से वर का चुनाव करे। जब कन्याओं की संख्या पर्याप्त हो और

याग्य वरो की सख्या कम हो वर-चयन में प्रतियोगिता का प्रवेश आपरूप हो जायेगा। खात-पीते और कुलीन परिवारों में सभी अपनी कन्याएँ व्याहना परान्द करेगे। ऐसी स्थिति में ये सम्पन्न और कुलीन परिवार वाले अपने लडको का विवाह वही करेगे जहाँ से इन्हे दहेज के रूप में अधिकतम धनराशि प्राप्त होगी क्योंकि इन्हे अपने लडको को अविवाहित रहने का भय तो होता ही नहीं है। इसका फल यह होगा कि गरीब माता-पिता अपनी कन्या का विवाह करने में कठिनाई और निराशा का सामना करेगे। यौवन काल संवेगात्मक दृष्टि से उथल-पुथल और हलचल का समय होता है। जब ये गरीब अपनी यौवन को प्राप्त कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं तो वे पलायन कर जाती हैं।

(2) **द्रव्य महत्त्व**— भौतिक मूल्यों और दहेज में प्रगाढ़ सम्बन्ध है। रुपया-पैसा का बढ़ता हुआ महत्त्व दहेज प्रथा के उद्भव के लिए जिम्मेवार है। वर्तमान युग मुद्रा का युग है। आजकल जब सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में आँका जाता है तो ऐसे विवाह की प्रशंसा करना स्वाभाविक ही है जिसमें दहेज के रूप में अधिक से अधिक द्रव्य दिया गया हो।

(3) **बाल विवाह**— बाल विवाह दहेज का कारण और परिणाम दोनों हैं। मेरी समझ में बाल विवाहों का भी दहेज की उत्पत्ति में कम योगदान नहीं है। बाल-विवाहों में वर और वधू को विवाह निर्धारण में कोई महत्त्व नहीं प्रदान किया जाता। अभिभावक ही विवाह निश्चित करते हैं। ये अभिभावक दहेज के लालच में अन्धे होकर वधू के गुणों आदि की परीक्षा नहीं करते हैं जिससे वर-वधू का दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है। यदि प्रस्तावित वर-वधू युवा हो तो उनके लिए विवाह में दहेज का उतना अधिक महत्त्व नहीं होगा जितना एक दूसरे की चारित्रिक एवं वैयक्तिक विशेषताओं का। ऐसी हालत में फल यह होगा कि दहेज प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा।

(4) **लडकी ससुराल में प्रेम-भाजन बने**— एक बात यह भी है कि कुछ माता-पिता चाहते हैं कि उनकी कन्या जिस घर में बहू बनकर जाय उस घर में विद्यमान अन्य सभी बहूओं की अपेक्षा उसे अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिले। इसलिये वे अपनी कन्याओं को चोरी-छिपे बहुमूल्य जेवरात उपहार और नकद धनराशि दे देते हैं और अधिक धन दहेज के रूप में देने की चेष्टा करते हैं। जब तक यह प्रतियोगिता रहेगी दहेज मिटाना कठिन है।

दहेज के कुपरिणाम— दहेज समाज के लिए कलक है और इसके दुष्परिणाम सर्वविदित हैं। नीचे कुछ दहेज के दोषों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है—

(1) **विवाह जैसे पुण्य कृत्य सौदा बन गया**— दहेज-कुप्रथा ने विवाह जैसे पुण्य एवं संस्कारात्मक कृत्य को सौदा का विषय बना दिया है। जब कन्या पक्ष के लोग वर-पक्ष के यहाँ विवाह तय करने जाते हैं तो उनसे दहेज की एक निश्चित धनराशि माँगी जाती है। यदि कन्या पक्ष के लोगों को यह

धनराशि देना स्वीकार है तो विवाह पक्का हा जाता है अन्यथा नहीं।

(2) **विवाह को नरक बना देता है**—दहेज वैवाहिक सुख शान्ति छीनने में सहायक है। समाज में बहुत माता—पिता दहेज के लालच में पडकर कुरूप और दुश्चरित्र वधू प्राप्त कर लेते हैं जिससे वधू और वर में आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण की भावना जाग उठती है और तब विवाह नरक और दुःख का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे दम्पतियों में जीवन पर्यन्त या तो कलह और मार पीट की स्थिति बनी रहती है या विवाह सम्बन्ध ही नष्ट हो जाता है।

(3) **वधू—हत्या**—दहेज ने वधू—हत्या—प्रथा का जन्म दिया है। सीमित आर्थिक सामर्थ्य वाले माता—पिता दहेज की अधिक धनराशि वर पक्ष को चुका न सकने के कारण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और प्रतिष्ठित घरानों में कन्या का विवाह नहीं कर पाते हैं। कभी—कभी दहेज का झूठा वायदा करके अपनी कन्या का विवाह कर लेते हैं और विवाहोपरान्त वायदा की हुई दहेज राशि का भुगतान न कर पाने पर स्वयं तिरस्कृत होते हैं और अपनी कन्या को तिरस्कार का भाजन बना देते हैं। हमारे देश में ऐसे भी दृष्टांत हैं जहाँ दहेज का भुगतान न होने की स्थिति में वधू को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो माता—पिता दहेज धन का समस्त भुगतान नहीं करते हैं उनकी कन्याओं को अपार और दुःसह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं। अपने दाम्नाद और समर्थियों की निर्मम क्रियाओं से कन्या के माता—पिता को भी असह्य वेदना होती है।

(4) **स्त्री की हीन दशा के लिए उत्तरदायी**—हमारे समाज में स्त्रियों और कन्याओं को उनका उचित स्थान न मिलने देने में दहेज काफी सीमा तक सहायक है। दहेज के ही कारण पुत्री—जन्म दुःखदायी है।

(5) **बहुपत्नीत्व एवं अनमेल विवाह का सर्जक**—बहुपत्नी प्रथा तथा बेमेल विवाह दहेज के कुपरिणाम हैं। दहेज न दे सकने के कारण गरीब माता—पिता ऐसे पुरुष से भी अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं जिसके पहले से ही पत्नी होती है। कभी—कभी बहुत अधिक उम्र के वर के साथ अपनी कम उम्र की कन्या का विवाह कर देते हैं। दहेज के लालच में कुलीन लोग कई विवाह कर लेते हैं और अपनी पूर्व पत्नियों को त्याग देते हैं अथवा उनकी हत्या कर देते हैं।

(6) **आत्म हत्याओं में सहायक**—दहेज बालिकाओं एवं स्त्रियों की आत्महत्या के लिए वातावरण की सृष्टि करता है। जब गरीब माता—पिता दहेज न दे सकने के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते हैं तो कुछ कन्याएँ आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। विवाहोपरान्त भी दहेज की रकम का भुगतान न होने पर वधू को जब पीड़ित किया जाता है तो इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए या तो भाग जाती है या आत्महत्या का सहारा लेती है।

(7) **ऋणग्रस्तता**—दहेज बहुत से परिवारों को ऋणी बना देता है। दहेज

के कारण विवाह बहुत खर्चीला सरस्कार हा गया है। कमरतोड महँगायी के कारण यथेष्ट पेसा बचा पाना कठिन है। पैसे के अभाव मे दहेज के रूप मे धन देने के लिए कर्ज लेना पड जाता है जिसका भुगतान मय ब्याज करना पडता है और माता—पिता के लिए दहेज के कारण ही कन्या ऋणग्रस्तता का कारण बन जाती है।

(8) बाल विवाहो का प्रचलन—दहेज का एक दुष्परिणाम बाल विवाह है। जब तक वर कम उम्र का होता है वह कम शिक्षित होता है और नौकरी मे भी नही लगा होता है जिससे उसके लिए दहेज की कम धनराशि ही चुकानी पडती है। इसी से लोग कन्याओ का विवाह जल्दी ही कर देना उचित समझते है। देर से विवाह करने पर शिक्षित एव नौकरी मे लगे वर के लिए दहेज की अधिक रकम देनी पडती है।

दहेज—प्रथा का समापन कैसे हो ?— दहेज समापन के विषय मे जैसे ही कोई विचार करता है तो कई बाते दिमाग मे चक्कर काटने लगती है। सर्वप्रथम तो यही सन्देह मन मे उत्पन्न होता है कि क्या इसे मिटाया जा सकता है क्योंकि धन—लिप्सा और शक्ति—लिप्सा मनुष्य के मस्तिष्क मे इस तरह समायी हुई है कि इन्हे मस्तिष्क से निकालना एक कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी मस्तिष्क मे तू डाल—डाल मे पात—पात का अवगुण समाया हुआ है क्योंकि यहाँ अगर किसी काम को एक तरीके से मना किया जाता है तो दूसरे तरीके से वही काम होने लगता है। उदाहरणार्थ यदि कानून बनाकर दहेज को रोका जाय तो सम्भवत विवाह मे दहेज की सामग्री लेने के बजाय लोग बारात ले जाने के पहले ही वाछित धनराशि ले लेंगे और इस प्रकार वे दहेज लेंगे भले ही उसे दहेज का नाम न दिया जाय। लडकी ससुराल मे प्रेम भाजन बने इसलिए लोग चुपके से दहेज की धनराशि दे देते है। जब तक यह भावना रहेगी दहेज समापन कठिन है। हिन्दू समाज की कुछ बुरी मान्यताये दहेज समापन की दिशा मे बाधक है। उदाहरणार्थ लडकी को जब तक अभिशाप माना जायेगा और उसे पुत्र के समान दर्जा नही दिया जायेगा तब तक दहेज ऐसे ही बना रहेगा। यौन—अनैतिकता के क्षेत्र मे भी पुत्र और पुत्री को समान निगाह से न देखना हिन्दू समाज का एक दोष है। यदि लडकी यौन अनैतिकता की दोषी है अथवा शिकार हो गयी है तो उससे कुटुम्ब का अधिक नुकसान हुआ माना जाता है और यदि पुत्र इसका दोषी है तो कोई खास बात नही है क्योंकि यदि गँवो मे यौन दुराचार का कोई मामला आता है तो लडके वालो को यह कहते हुए मैने स्वय सुना है कि इसमे मेरा सिर नीचा क्यों होगा क्योंकि मेरा तो लडका था इज्जत तो लडकी वालो की गयी। मेरी समझ मे यह दोहरी यौन—नैतिकता भी दहेज की समाप्ति मे व्यवधान है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका तात्पर्य यह नही है कि दहेज का समापन नही किया जा सकता है। पहले दहेज को कम करने की दिशा मे

प्रयत्न किये जाये और फिर धीरे-धीरे इस प्रथा का उच्छेद ही कर डाला जाय क्योंकि इसी के उच्छेद से ही गरीब माता-पिता को शान्ति मिल सकेगी और रित्रयो का जीवन सुखमय बन सकेगा। दहेज-समाप्ति के कुछ उपायो का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(1) बहिष्कार—जब तक जनता दहेज का हृदय से बहिष्कार न करेगी दहेज समाप्ति के आन्दोलन को वाञ्छित सफलता न मिल सकेगी। दहेज का बहिष्कार कौन करे? दहेज का बहिष्कार वर और वधू दोनों करे। यदि युवतियाँ इस बात की प्रतिज्ञा कर ले कि जो दहेज माँगेगा उसके साथ विवाह नहीं करेगी और युवक यह व्रत ले ले कि यदि कोई चोरी छिपे या अन्य किसी भी तरीके से अपनी लडकी को दहेज देगा तो उसके यहाँ वह शादी नहीं करेगा तो काम चल सकता है। कभी-कभी अधिक दहेज लेकर आने वाली पत्नी अपने पति के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है और अपने मायके वालों के बडप्पन में चूर रहती है और युवको के माता पिता भी दहेज का धन लेकर उनके लिए अक्सर कुरूप भोडी गुणाहीन और शील-त्यक्ता पत्नी का चुनाव कर लेते हैं। इसलिये युवको को चाहिए कि वे अपने जीवन साथी के चयन का भार सौंपते हुए यह भी कह दे कि जहाँ से दहेज मिलेगा वहाँ विवाह नहीं होगा। आजकल युवको और युवतियो सभी में यह गुण देखने को मिलता है कि उन्हें दहेज से बहुत प्रेम है और दहेज से विनम्रता की चीजें खरीदना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आजकल दहेज का जो प्रचलन है वह वर-मूल्य (ब्राइडगूम प्राइस) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि आजकल माता-पिता अपने पुत्र की शादी वही करते हैं जो उनके पुत्र की सबसे ऊँची बोली लगाता है। यह सरासर अन्याय है अमानुषिक कृत्य है समाज विरोधी और घृणास्पद कार्य है। कहते हैं कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ दहेज की रकम में भी वृद्धि हुई है क्योंकि शिक्षित युवको में दहेज लेने की प्रबल इच्छा मिलती है और शिक्षितों को लोग दहेज देते भी अधिक हैं। आज शिक्षित और जागरूक युवतियो को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार अपने को युवको से हीन न समझे और विवाह को एक तरफा आवश्यक न समझे। वे युवको को अपने धैर्य द्वारा यह आभास करा दे कि विवाह केवल लडकी की ही गर्ज नहीं है युवक भी विवाह करना चाहता है। जब विवाह दोनों (युवक और युवती) के समान आग्रह से सम्पन्न होगा तो लडकी या युवती के माता पिता को दहेज देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। मेरा तो निश्चित मत है कि यदि सारी युवतियों धैर्य और साहस से काम ले ले और थोड़ा कड़ा रुख अपना ले तो युवक दहेज की बात करना तो भूल ही जायेंगे उल्टे खुद युवती और उसके माता-पिता की खुशामद करेंगे और अपने पास से धन खर्च करने के लिए तैयार हो जायेंगे। हर गाँव में कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी शादी नहीं होती है या तो अकुलीन होने के कारण या गरीब होने के कारण या अन्य किसी कारण से। ऐसे लोगों को मैंने स्वयं देखा है कि शादी का नाम सुनते ही उनके

मुँह में पानी आ जाता है और इनकी शादी कर देने को जो कहता है उसके समक्ष अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रायः ठगे जाते हैं। एक बार या दो बार ठग जाने पर भी विवाह करने का इनका हौसला परत नहीं होता है। युवतियों मेरा आप से निवेदन है कि जरा धैर्य साहस और दूरदर्शिता से काम लो तो युवको को झुकना ही पड़ेगा और दहेज मिटकर रहेगा। युवक भाइयो जरा नम्र हो जाओ अपनी कमायी का सहारा करो दहेज के सहारे अपनी शान बढ़ाने की बुरी इच्छा त्याग दो दहेज का सवाल छोड़ दो सभी को अपने बराबर दर्जा दो इसी में भलाई है नहीं तो दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। कही ऐसा न हो कि आप अविवाहित ही रह जाये।

(2) **विलम्ब विवाह**—महात्मा गॉंधी जी ने दहेज समापन के लिए विलम्ब विवाहो पर बल दिया है। उनका कहना है कि जब तक लडकियों अपने में यह सामर्थ्य विकसित नहीं कर लेती है कि वे अधिक समय तक क्वारी या अविवाहित रह सके तब तक दहेज प्रथा को जबर्दस्त चोट नहीं पहुँचाई जा सकती है। मेरा तो ख्याल है कि केवल विलम्ब विवाहो से ही काम न चलेगा। दहेज प्रथा को मिटाने के लिए युवतियों को अविवाहित रहकर जीवन बिताने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी भी युवतियाँ पडी हैं जिनका कहने को तो विवाह हो गया है लेकिन वास्तव में हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने अपने पति का मुख भी नहीं देखा और वैधव्य को प्राप्त हुयी। ऐसी युवतियों ने अपना जीवन अविवाहित रहकर ही बिता दिया तो क्या कारण है कि क्वारी लडकी अविवाहित जीवन न बिता सके। बाल विवाहो के प्रचलन के कारण कई दृष्टियों से दहेज देना पडता था। एक तो लडकी छोटी होती थी उसकी बुद्धि अविकसित रहती थी ऐसी स्थिति में सास उसे कुछ न कहे और अपना प्रेम पात्र बना ले इसलिये माता—पिता दहेज के रूप में धन या उपहार देते थे। जब लडकी काफी सयानी और समझदार होगी तो कोई दहेज क्यों देने लगेगा।

(3) **भिन्न जातीय विवाह**—कुछ विद्वान भिन्न—जातीय विवाह को दहेज प्रथा का एकमात्र हल स्वीकार करते हैं। वास्तव में अकेले भिन्न जातीय विवाहो के प्रचलन से दहेज प्रथा को मिटाना सम्भव नहीं है। यह जरूर सच है कि भिन्न जातीय विवाह दहेज प्रथा को मिटाने में सफल व कारगर उपाय है। भिन्न जातीय विवाह का तात्पर्य अपनी जाति में विवाह के नियम को तोड़कर अपने से भिन्न दूसरी जाति में विवाह करना है। अब अपने से भिन्न दूसरी जाति निम्न जाति भी हो सकती है। मेरा मत है कि अपने से भिन्न किसी दूसरी साफ सुथरी जाति में विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। जब लोग अपनी जाति के अटूट नियम को तोड़कर दूसरी जातियों में विवाह करने लगे तो इसका असर विवाह में जीवन साथी चुनने के क्षेत्र पर पड़ेगा। जब जीवन साथी का घयन क्षेत्र सीमित होगा तो सीमित दायरे से माता—पिता को अपनी सतान के लिये जीवन साथी चुनना पड़ेगा। उदाहरणार्थ यदि ब्राह्मण जाति से ही जीवन—साथी चुनने का अवसर सुलभ रहेगा लेकिन यदि वह अब्राह्मण जाति में विवाह करने को

स्वतंत्र हो तो वह उस ब्राह्मण के यहाँ विवाह नहीं करेगा जो दहेज माँगता है और ऐसे अब्राह्मण के यहाँ विवाह कर लेगा जो दहेज नहीं माँगता है और इस प्रकार दहेज लेने को हतोत्साहित किया जा सकता है। भिन्न-जातीय विवाहो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी चाहिए कि जो व्यक्ति भिन्न जातीय विवाह करे उसे कुछ सुविधायें प्रदान करे। उदाहरणार्थ जो किसी नौकरी में हो और वह भिन्न जातीय विवाह करे तो उसे एक अग्रिम इन्क्रीमेंट मिले और जो नौकरी में न हो उसे ऐसा विवाह करने पर पाँच सौ रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाये।

(4) **दहेज—विरोधी वातावरण की सृष्टि**—दहेज—विरोधी प्रचार भी दहेज—समापन की दिशा में एक ठोस कदम है। दहेज विरोधी पोस्टर लगाये जाये। दहेज से उत्पन्न हानियों व दोषों का ज्ञान जनता को कराया जाय। इसके लिए रेडियो, चलचित्र समाचार पत्र मंच आदि का आश्रय लिया जा सकता है। दहेज के खिलाफ जब हवा फैल जायेगी तो दहेज जरूर समाप्त होगा। दहेज लेने की मनोवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है। दहेज—विरोधी मनोवृत्ति पैदा करने में माता—पिता विशेषकर माता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सभी माताओं को चाहिए कि जब बच्चा पैदा होकर कुछ बड़ा हो तभी से बच्चे को सिखाना शुरू कर दे कि दहेज लेना पाप है दहेज एक अवाञ्छित वस्तु है और दहेज लेना व देना दोनों अनुचित है। जब सामाजीकरण के माध्यम से बच्चों में दहेज के प्रति घृणा का भाव जगा दिया जायेगा और वे दहेज को नफरत की निगाह से देखने लगेंगे तो दहेज अपने आप मिट जायेगा।

इन सब उपायों के साथ—साथ दहेज लेना कानून द्वारा भी वर्जित होना चाहिए। यह सच है कि अकेले कानून दहेज को नहीं मिटा सकता है लेकिन इसे मिटाने के लिए कानून की मदद आवश्यक है। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलता है। दहेज विरोधक जो कानून बने उसमें दहेज को कागनीजिबुल अफेन्स माना जाय। यदि दहेज को कागनीजिबुल अफेन्स करार दिया जाय और पुलिस स्वयं निगरानी करके दहेज लेने व देने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई करे तो कोई कारण नहीं कि दहेज न मिटे। दहेज मिटाने के लिए कार्रवाई बड़े पैमाने पर दहेज लेने व देने वालों का पता लगाकर उन्हें जेल भेजना व उन पर जुर्माना करना तथा दहेज की जो रकम हो उसे जब्त कर लेना आवश्यक है। जिस समय लगने (विवाह का शुभ समय) हो उस समय सरकार कुछ उड़न दस्ते तैयार करे जो दहेज लेने—देने का पता लगाये। इस सम्बन्ध में थोड़ा सा सी आई डी की सहायता लेना भी आवश्यक है। कुछ स्वयं सेवियों के भी दल गठित करके दहेज के लेने—देने पर रोक लगानी चाहिए। अखिल भारतीय दहेज वर्जन समिति की तरफ से कुछ स्वयं सेवियों के जत्थे तैयार किये जाने चाहिए जो दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के साथ नैतिक बल का आश्रय लेकर जनता को दहेज न लेने के लिये मजबूर कर सके।



अध्याय 14

हिन्दू परिवार

परिवार की समाज में केन्द्रीय स्थिति— परिवार समाज की आधारभूत जैविक और सामाजिक इकाई है। परिवार की इस केन्द्रीय स्थिति को ही लक्ष्य कर पार्सन्स और बेलस जैसे समाजशास्त्रियों ने इसे समाज की लघु व्यवस्था अथवा उपव्यवस्था (sub system) के रूप में स्वीकार किया है।¹ व्यक्ति को मानव स्वभाव (human nature) प्रदान करने में परिवार का अभूतपूर्व हाथ है। जन्म के समय कोई भी शिशु मानव नहीं होता है। वह एक अविभाज्य जैविक इकाई होता है लेकिन जन्म के बाद उसमें परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है। वह दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है और संचार की प्रक्रिया द्वारा दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को अन्तरीकृत करता है सामाजिक आदर्शों (social norms) को सीखता है। संक्षेप में व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसके पश्चात् ही वह वास्तविक अर्थ में मनुष्य (person) बनता है। परिवार नवजात व्यक्ति को समाज के सॉचे में ढालने का कार्य करता है। अपने मध्य में जन्म लेने वाले लोगों के आरम्भिक जीवन में यह परिवार सम्पूर्ण समुदाय के रूप में कार्य करता है परन्तु जैसे-जैसे शिशु यौवन और बाद में प्रौढता की ओर अग्रसर होने लगता है वैसे-वैसे इसका प्रभाव भी क्रमशः मन्द पड़ने लगता है।

प्रायः सरल समाजों और अधिक समुन्नत पितृमूलक समाजों में सम्पूर्ण सामाजिक संरचना पारिवारिक इकाइयों से बनी है। केवल अधिक विकसित सभ्यताओं में ही परिवार इस कार्य को नहीं पूरा करता है फिर भी इनमें विद्यमान स्थानीय समुदाय और सामाजिक वर्गों के विभाजन (डिवीजन) परिवारों से ही मिलकर बनते हैं। अरस्तू ने समुदाय की परिभाषा परिवार समूहों के रूप में की है। उनकी राय में समुदाय परिवारों का समूह है।²

समाज के सतत अस्तित्व के लिए भी परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था है। समाज का क्रम न टूटने पावे इसके लिए आवश्यक है कि कुल परम्परा भी नष्ट न हो। समाज की निरन्तरता और अटूट वंशक्रम के लिये सन्तानोत्पादन का कार्य अति महत्त्वपूर्ण है। सन्तानोत्पादन परिवार के मौलिक कार्यों में से एक है। परिवार बच्चों को उत्पन्न कर, उसका पालन-पोषण कर उसे समाज में एक स्थान देता है। सम्भवतः इसीलिए विद्वानों ने इसे पद प्रदान करने की एजेंसी (status giving agency) कहा है। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में एक

1 Talcott Parsons and Robert F Bales Family , Socialization and Interaction Process The Free Press, Glencoe, 1955, p 19

2 देखें वेदालकार हरिदत्त हिन्दू परिवार श्रीमती सरस्वती सदन मसूरी 1963 पृ० 1

निश्चित पद प्राप्त कर उससे सम्बन्धित कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करता है। इन अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ति में ही समाज का अस्तित्व निहित है। समाज एक functional whole है। Functional whole के रूप में समाज तभी बना रह सकता है जब उसके सदस्य अपनी निर्धारित भूमिकाओं को पूरा करते रहे और जो पद समाज के रिक्त होते जावे उन्हें परिवार और दूसरे व्यक्तियों द्वारा भरता रहे। यदि समाज के रिक्त पदों को भरा न जाय तो परिवार और समाज तथा मानव प्रजाति का अन्त हो जाय क्योंकि व्यक्तियों की मृत्यु से पर उत्तरोत्तर खाली हो जायेंगे और ऐ-ऐसी भी स्थिति आ जायगी जब सभी पद खाली हो जायेंगे और सभी पदों को रिक्त होने का अर्थ है मानव प्रजाति का नाश और स्वयं समाज का अन्त। अतः इस दृष्टि से भी परिवार समाज की मौलिक इकाई है।

सार्वभौम सस्था— परिवार ऐसा सगठन है जो सर्वव्यापक है। समाज में विकास के हर स्तर पर हमें परिवार का कोई न कोई रूप अवश्य मिलता है। वैवाहिक सूत्र में आबद्ध पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से बना हुआ परिवार सभी स्थानों और कालों में पाया जाता है। विकास वेत्ताओं का कहना है कि मानव संस्कृति के आदि काल में पारिवारिक सगठन नहीं था लेकिन यह दृष्टिकोण काल्पनिक मालूम होता है क्योंकि आज तक आदिवासी तथा अन्य प्रकार के जो भी समाज प्राप्त हुए हैं सबमें परिवार का कोई न कोई रूप अवश्य विद्यमान है।

सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता— पारिवारिक सगठन प्रत्येक संस्कृति में देखने को मिलता है लेकिन परिवार का रूप सभी संस्कृतियों में एक सा नहीं है। मानव समाज में परिवार के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। यह रूप की परिवर्तनशीलता कुछ तत्त्वों पर निर्भर करती है जो इस प्रकार हैं—

(1) **विवाह सम्बन्ध के रूप (Forms of Mating Relationship)**—विवाह सम्बन्ध ~~जन्म-मौलिक~~ का हो सकता है अथवा एक जन्म या जन्म के थोड़े काल तक का हो सकता है। किसी संस्कृति में एक विवाह प्रथा का आदर्श है तो दूसरी में बहु-विवाह प्रथा का। कुछ आदिम समाजों में यूथ विवाहों (group marriage) का प्रचलन भी पाया गया है। कोई समाज इनमें से एक से अधिक रूपों की स्वीकृत दे सकता है। उदाहरणार्थ तिब्बतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से अकिंचन लोगों में बहुपति विवाह और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उनमें एक विवाह प्रथा और जो धनी शासक हैं उनमें (एक से अधिक पत्नियों का रखना) बहु-पत्नी विवाह प्रचलित है।

(2) **वश गणना (Reckoning of descent)** — कुछ समाजों में वश गणना पुरुष पक्ष से होती है और कुछ में स्त्री पक्ष से। दोनों प्रकार की प्रणालियाँ मानव संस्कृति में सफलता पूर्वक व्यवहृत हुई हैं।

(3) **जीवन साथी का चुनाव—** जीवन साथी के चुनाव सम्बन्धी

नियम भी प्रत्येक समाज में पाये जाते हैं। कही किसी दिये हुए क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर ही विवाह करने का नियम है और कही उसे क्षेत्र से बाहर विवाह करने का नियम है।

उपरोक्त तत्त्वों की विविधता के कारण परिवार के भी विविध रूप हैं। चूँकि सभी सस्कृतियों में जीवन साथी के चुनाव वंश गणना और विवाह सम्बन्ध के रूपों में साम्य नहीं है अतः परिवार के रूप भी एक सस्कृति में दूसरी सस्कृति से भिन्न होते हैं। परिवार की परिवर्तनशीलता को ही लक्ष्य कर आगबर्न और निमकाफ ने परिवार के ढाँचे के स्थिर न होने की बात कही है¹।

परिवार की परिभाषा (De finition of Family)

पारिवारिक सगठनों के बदलते हुए रूपों के कारण परिवार की सार्वभौम परिभाषा करना कठिन है। यहाँ तक कि एक ही समाज में कई पारिवारिक स्थितियाँ मिलती हैं—जैसे (1) विवाह सूत्र में बंधे केवल स्त्री—पुरुष, (2) स्त्री—पुरुष और उनके बच्चे (3) अपने बच्चों सहित विधवा स्त्री और (4) बच्चों सहित विधुर पुरुष। उपरोक्त चार रूप (Individual family) में ही मिलते हैं। इण्डिविजुअल फैमिली को हम ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं जिसमें स्त्री—पुरुष और उनके बच्चों का ही समावेश हो। वैयक्तिक परिवार की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम उपरोक्त चारों रूपों का समावेश हो। आगबर्न और निमकाफ ने वर्तमान परिवार (माडर्न फैमिली) अथवा Individual Family की परिभाषा देने में उपरोक्त तत्त्वों को ध्यान में रखा है। इसलिये यहाँ पर उनकी परिभाषा का उल्लेख करना अधिक लाभप्रद होगा—

“When we think of a family, we picture it as a more or less durable association of husband and wife with or without children, or of a man or woman alone, with children”⁴

मैकाइवर और पेज परिवार के बनने में विवाह का अभूतपूर्व योग मानते हैं इसलिये वे परिवार को परिभाषित करने में यौन सम्बन्धों और उनसे जनित स्तनान के पालन—पोषण को ध्यान में रखते हैं। आपके मत से परिवार एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यौन सम्बन्धों द्वारा परिभाषित हो और इतना छोटा तथा स्थायी हो कि उसमें जन्म लेने वाले बच्चों की देखभाल सुगमता से हो सके²। इन विद्वानों की परिभाषा पर गौर से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि ये मानव शिशु के दीर्घ शैशवकाल से सुपरिचित

है। दीर्घ शैशवास्था के कारण ही वे परिवार के स्थायी (enduring) होने पर बल देते हैं।

परिवारों का वर्गीकरण— परिवार के भिन्न-भिन्न रूपों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है। पहला वह परिवार है जिसमें स्त्री पुरुष और बच्चे सम्मिलित हैं। यह परिवार का चिरस्थायी रूप है। समाजशास्त्रीय ग्रन्थों में इसके लिये अनेक नाम प्रयोग में लाये गये हैं जैसे Family of procreation Nuclear family, Natural Family, Individual Family Modern Family आदि। दूसरी कोटि के अन्तर्गत उन सभी प्रकारों का समावेश हो सकता है जो विस्तृत परिवारों की सजा पाये हुए हैं। इसमें बहुपति बहुपत्नी और सयुक्त परिवारों को स्थान दिया जाता है। हमारा प्रयोजन यहाँ हिन्दू परिवार की व्याख्या करना है। इसलिये हिन्दू परिवार की ही सविस्तार विवेचना की जायेगी।

हिन्दू परिवार— हिन्दुओं को सामाजिक संरचना को समझने के लिए जिस प्रकार वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था और धर्म के विचारों को समझना आवश्यक है उसी प्रकार हिन्दू परिवार प्रणाली का सम्यक ज्ञान भी हिन्दुओं की सामाजिक संरचना को समझने के लिये उपयोगी होगा। के.एम. पणिकर ने अपनी पुस्तक "हिन्दू सोसाइटी ऐट क्रास रोड्स" में वर्ण के साथ हिन्दू परिवार (सयुक्त परिवार) को हिन्दू समाज की आधारभूत संस्था माना जाता है। हिन्दुओं के परिवारिक संगठन ने भी यहाँ के निवासियों के जीवन को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। सयुक्त परिवार प्रणाली काफी पुरातन है।¹⁶ वैदिक काल में भी यह परिवार व्यवस्था थी। कई मत्र यह सिद्ध करते हैं कि वैदिक युग में पिता अपने पुत्र और पौत्रों के साथ रहता था और पुत्र वधू भी अपने पति के पिता (श्वसुर) के घर रहती थी। इहैव स्त मा विधौष्ट विश्वमायुर्व्यंशनुतम। क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे (ऋ 10/85/42) आदि श्रुतिवाक्यों से उपरोक्त तथ्य की ही तरफ संकेत मिलता है। इन श्रुति वाक्यों का अर्थ है —

पिता और पुत्र घर में रहो, वियुक्त मत होओ। अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ रहो, विद्वान्द मनोते हुए सारी आयु का उपभोग करो। यह मत्र प्रत्येक विवाह में पढ़ा जाता है। इस मत्र से यह विचार पुष्ट होता है कि वैदिक काल में भी सयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त भी एक अन्य मत्र है जिसे पुरोहित विवाह में उच्चारित करता है जो इस प्रकार है—सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रुवा भव। ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु (ऋ 10/85/46)। इस मत्र का अर्थ है कि 'तू सास, ससुर, नन्द और देवर पर शासन करने वाली रानी बन। यह मत्र भी इस बात की ओर संकेत करता है कि वैदिक युग में सयुक्त परिवार व्यवस्था थी।

हिन्दू परिवार का अर्थ — हिन्दू परिवार की परिभाषा करने में विद्वानों ने इसकी सयुक्त प्रकृति पर विशेष ध्यान रखा है। कुछ लोग सामान्य निवास

सामान्य पाकशाला और सदस्यों की संख्या को हिन्दू परिवार का आधार मान कर इसे परिभाषित करते हैं। आई पी देसाई को परिवार के आकार के आधार पर किसी भी परिवार को सयुक्त कहना पसन्द नहीं। उन्होंने पीढ़ियों की संख्या और सम्पत्ति आय पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही किसी परिवार को सयुक्त होने की सजा दी है। श्री आई०पी० देसाई के मत से ऐसा परिवार सयुक्त नहीं होगा जिसमें दो भाई एक साथ रहते हैं और भोजन तथा सम्पत्ति की दृष्टि से भी सयुक्त है। मेरे विचार से वे सभी परिवार सम्मिलित (सयुक्त) होंगे जिनमें कई दम्पति रहते हैं और वे एक रसोई में भोजन करते हैं जिनकी सामान्य सम्पत्ति है रहने का स्थान सामान्य है जो धर्म-कर्म की दृष्टि से समान है और रक्त सम्बन्ध से बँधे हैं। 'Kinship Organisation in India' नामक पुस्तक में श्रीमती इरावती कर्वे ने सयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी है— सयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो प्रायः एक ही घर में रहते हैं जो एक पाकशाला का बना भोजन खाते हैं जिनकी सम्मिलित सम्पत्ति होती है और जो सामान्य पूजा पद्धति में भाग लेते हैं और जो खास प्रकार के रक्त सम्बन्ध द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं।¹⁷

आई पी देसाई की राय में 'सयुक्त परिवार वह है जिसमें मूल परिवार की अपेक्षा अधिक (तीन या अधिक) पीढ़ियों के सदस्य पाये जाते हैं और ये सदस्य सम्पत्ति आय और पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों द्वारा आपस में आबद्ध होते हैं।'¹⁸

श्री आई पी देसाई की परिभाषा की अपेक्षा इरावती कर्वे की परिभाषा अधिक व्यापक है। जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है कि श्री देसाई की परिभाषा के अनुसार दो भाई अगर अपनी पत्नियों सहित एक ही घर में रहते हैं तो वे सयुक्त परिवार का निर्माण नहीं करेंगे क्योंकि उनमें generation-depth का अभाव है लेकिन इरावती कर्वे ने पीढ़ियों का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। अतः उनकी परिभाषा के अनुसार परिवार के उक्त उदाहरण का समावेश भी सयुक्त परिवार में हो जाता है।

हिन्दू परिवार का सयुक्त परिवार नाम क्यों ?— शास्त्रों में हिन्दू परिवार अथवा सयुक्त परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। एक कुल के लोग रक्त सम्बन्धों द्वारा परस्पर सम्बन्धित रहते थे। उनकी एक ही रसोई एक ही घर एक ही कुल देवता तथा सामान्य सम्पत्ति होती थी। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय परिवार प्रणाली को 'सयुक्त परिवार' की सजा दी है क्योंकि

पश्चिमी जगत में आधुनिक औद्योगीकरण के फलस्वरूप एकाकी परिवार का आविर्भाव आवश्यकता के अनुरोध से हो चुका है। परन्तु हमारे परिवार के लिए यह नाम बहुत अधिक उपयुक्त (ठीक) नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में तो परिवार की यही एक प्रणाली आदिकाल से चली आ रही है। इसलिए परिवार या कुल के पहले सयुक्त (ज्वाइण्ट) विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सयुक्त परिवार प्रणाली तो उन सभी भागों में पायी जाती है जहाँ जीविका का मुख्य साधन कृषि है।

सयुक्त परिवार समाजवाद का पोषक है — सयुक्त परिवार में संपत्ति का स्वामित्व उत्पादन और उपभोग सम्मिलित होता है। परिवार का प्रमुख ही सम्पत्ति का मालिक होता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी आय परिवार के ट्रस्टी के पास जमा करते हैं। वह सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध इसी सम्मिलित परिवारिक कोष (Common Family Fund) से करता है। इन सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में इस बात का भेद भाव नहीं रखा जाता है कि किसने अधिक कमाया है किसने कम और किसने बिलकुल नहीं। इस Common Fund से परिवार के उस सदस्य की भी समस्त आवश्यकताओं की तुष्टि होती है जिसने Common Fund में किंचित भी योगदान (contribution) नहीं किया है। इस सम्पत्ति का उपयोग आवश्यकतानुसार (to each according to his needs) होता है न कि 'to each according to his deeds' के आधार पर अथवा सम्पत्ति में contribution करने की योग्यता के आधार पर। इस अर्थ में सयुक्त परिवार समाजवाद के सिद्धान्त का पोषक है क्योंकि "to each according to his needs" समाजवाद का प्रमुख सिद्धान्त है। अतः सयुक्त परिवार में व्यक्ति योग्यतानुसार कमाता है और आवश्यकतानुसार प्राप्त करता है।

हिन्दू परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध

पति और पत्नी— परिवार की रचना में मूल स्थान पति और पत्नी का है और इनके सम्बन्धों पर ही परिवार की सफलता निर्भर है। हिन्दू परिवार में पति का स्थान शीर्षस्थ है। पति पत्नी का स्वामी है, भर्ता है। पति के लिए स्वामी और भर्ता आदि सम्बोधन पत्नी के ऊपर पति की प्रभुता के सूचक हैं। स्त्री रक्षणीय है। पति उसका रक्षक है इसीलिए तो उसे पति नाम दिया गया है। पति का अर्थ है वह जो किसी की रक्षा करे। पति पत्नी की रक्षा करता है। इसलिए पति का पत्नी पर अधिकार है और इस अधिकार की चर्चा हिन्दू समाज व्यवस्था में प्रायः की जाती है। स्त्री को अबला नाम दिया गया है जो उसके निर्बल होने की तरफ संकेत करता है। पुरुष प्रायः शारीरिक दृष्टि से नारी से अधिक शक्तिशाली होता है। स्त्री में समर्पण की भावना प्रबल होती है। इसी समर्पण के कारण पत्नी पर पति का प्रभुत्व रहता है। प्राचीन काल में स्त्री के लिए जीविका के द्वार

वर्तमान युग की भौति नही खुले थे इसलिए वह आर्थिक दृष्टि से पराधीन थी। यह भी पति के भर्ता बनने का एक कारण है। स्त्री का यही धर्म शास्त्रो मे वर्णित है कि मनसा वाचा और कर्मणा से पति की अनन्य भक्ति करे पतिपारायण बने। हर प्रकार से पति की सेवा करे। स्वप्न मे भी पर पुरुष को न देखे। ऐसी पत्नी को जो स्वप्न मे भी पर पुरुष का दर्शन नही करती उत्तम सती साध्वी कह कर तुलसीकृत रामायण मे पुकारा गया है। देखिये—उत्तम के अस बस मनमाही। सपनेहु आन पुरुष जग नाही ॥पत्नी की इस एकान्त भक्ति का पुरुषो ने गलत अर्थ मे इस्तेमाल किया यहाँ तक कि महाभारत काल मे उसके जुए पर लगा दिये जाने का भी दृष्टान्त मिलता हैं। महाभारत मे ऐसे अनेक स्थल आये हैं जहाँ पति द्वारा पत्नी का दान किये जाने का उल्लेख है।

पत्नी गृहस्थ का मूल है। उसे 'गृहिणी' और 'गृहस्वामिनी' नाम इसीलिए दिया जाता है। नीति मन्जरी मे गृह की परिभाषा मे यह बताया गया है कि काष्ठ पाषाण का बना हुआ घर गृह नही है बल्कि जहाँ घरवाली है वही घर है (न गृह काष्ठपाषाणै दयिता यत्र तद् गृहम्)। महाभारत मे भी "न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणीगृहमुच्यते। गृह तु गृहिणी हीन अरण्य सदृश मतम् कहकर गृह की परिभाषा घरवाली के रूप मे दी गई है।

वैदिक युग मे पत्नी का स्थान बहुत ऊँचा था। उसे सहधर्मिणी कहा गया। पत्नी की आवश्यकता व्यक्तिगत सुख और सामाजिक दृष्टि से उतनी नही थी जितनी धार्मिक साथी पाने की दृष्टि से। यज्ञ आदि कर्म मे पत्नी का उपस्थित होना आवश्यक समझा जाता था।⁹ शतपथ ब्राह्मण मे पत्नी विहीन पुरुष को अयज्ञिय कहा गया है (अयज्ञियो वा एष योडपत्नीक ।)। श्री रामचन्द्र जी को अपना अवशमेघ यज्ञ पूरा करने के लिए सीता जी की सोने की प्रतिमा बनानी पडी थी।

पत्नी के कर्तव्यो मे पातिव्रत्य और पति सेवा को ही धर्मशास्त्रो मे प्रमुख स्थान दिया गया है। तुलसीकृत रामायण मे भी स्त्रियो के लिए पातिव्रत्य धर्म की ही प्रशंसा की गयी है। हिन्दू परिवार मे सम्भवत पति सेवा का सर्वश्रेष्ठ आदर्श सीता ने रखा है। उन्होने पति की सेवा के लिए (श्वसुर की आज्ञा न होने पर भी) जगल जाना स्वीकार किया और पति पत्नी के सम्बन्ध की महानता को जीव और देह तथा वारि (जल) और नदी के रूपक द्वारा समझाया। पति के अभाव मे पत्नी की वही दशा होगी जैसी जीव के अभाव मे शरीर की और पानी के अभाव मे नदी की।¹⁰ रामचन्द्र जी उनकी सुकुमारिता की तरफ सकेत करके वन—दुखो को सहन न कर सकने के कारण उन्हें वन मे अपने साथ जाने से रोकते है। सीता जी मे पति, पतिपरिया की भावना प्रधान है इसीलिए तो वे कहती है— "मैं सुकुमारि—तुम जोगू—तुमहि उचित तप मो कह भोगू।" इस प्रकार हठ पूर्वक सीता जी पति सेवा के लिए अपने पति के साथ जगल मे जाती

है और वन में भीषणतम कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। अंधेरे में छाया तक व्यक्ति को छोड़ देती है लेकिन सीता जी ने राम का साथ नहीं छोड़ा। सती सावित्री सत्यवान के साथ यमलोक तक गयी इसे कौन नहीं जानता? पुराणों में ऐसी भी कथा आती है जिसमें कौशिक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री अपने कोड़ी और लँगड़े पति को उसकी कामना की पूर्ति के लिए अपने कन्धे पर बिठा कर ले जाती है और दूसरे दिन अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से सूर्योदय को रोक देती है। ऐसी कथाओं का अभिप्राय पातिव्रत्य का गौरव गान करना ही है। मनु ने मन वचन और काया से पर पुरुष के साथ व्यभिचार न करने वाली स्त्री को पति के साथ स्वर्ग में निवास करने वाली साध्वी स्त्री बताया है और पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली स्त्री की निन्दा की है। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री को रोगों से पीड़ित होने तथा सियार की योनि पाने का उल्लेख किया है (मनु 9/29-30)। तुलसीकृत रामायण में भी पति को ठगकर जारकर्म करने वाली स्त्री को शत कल्प तक नरक में पड़े रहने की बात कही गयी है और पति के प्रतिकूल जन्म लेने पर तरुणावस्था में विधवा होने का उल्लेख है।¹¹ धार्मिक ग्रन्थों में साध्वी नारियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सतीत्व का आदर्श एकांगी (one sided) है क्योंकि यह बन्धन पुरुषों पर लागू नहीं किया गया यद्यपि मनु इसके बारे में सचेष्ट मालूम पड़ते हैं। विवाह सूत्र में बंधने के बाद पत्नी का यह कर्तव्य है कि वे जीवन पर्यन्त एक दूसरे के प्रति आस्थावान बने रहे।¹²

पत्नी का एक नाम भार्या भी है क्योंकि पति उसका भरण—पोषण करता है। भृत्यभरण भी हिन्दू परिवार का एक आदर्श है। इस आदर्श को पूरा करने वाला परिवार का प्रमुख अथवा कर्ता होता है। परिवार का प्रमुख अथवा कर्ता पति ही होता है। महाभारत में कुछ सामान्य धर्म बताये गये हैं जिनमें अपने ऊपर निर्भर जनो का पालन पोषण भी एक है (अक्रोध सत्य वचन सविभाग क्षमा तथा प्रजन स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च। आर्जव भृत्यभरण नवैते सार्ववर्णिका)।

सारी का वर्तमान रूप अर्द्धांगिणी का है। अर्द्धांगिणी का अर्थ है आधा अंग। वह पुरुष का आधा अंग है। इसलिये मनु पुरुष को अपूर्ण मानते हैं। वे उसी पुरुष को पूर्ण मानते हैं जिसके पत्नी और बच्चे हों। स्त्री का अर्द्धांगिणी होना उसके अधिकार का द्योतक जान पड़ता है। वैदिक युग में भी स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की पुष्टि अर्द्धांगिणी कह कर ही की गयी है। अतः स्त्री पुरुष की समानता के बीज का रोपण वैदिक युग में ही हो गया था। लेकिन इस बीज के अकुरित पल्लवित और पुष्पित होने का अवसर French Revolution के बाद मिला जब Liberty, equality, Fraternity के विचार हिन्दू समाज के सामने आये। आज के परिवार में पत्नी का पति के समान दर्जा है। प्रभुता का स्थान अब समानता ने ले लिया है।

11—पति बचक पर पति रति करई। सौरव नरक कल्प सत परई।

पति प्रतिकूल जन्म जहँ लेई। विधवा होइ पाइ तरुणाई।—तुलसीदास

पुत्र—स्त्री और पुरुष परिणय सूत्र में इसलिए आबद्ध होते हैं क्योंकि इसके मूल में सतान प्राप्ति की भावना प्रधान है। हिन्दू समाज में इसीलिए स्त्री को जननी कहा गया है। वह अपने पति की पत्नी ही नहीं है बल्कि वह अपने बच्चों की माँ भी है। हिन्दू विवाह के तीन उद्देश्य माने जाते हैं—धर्म प्रजा और रति। इसका हम पहले ही सकते कर चुके हैं कि हिन्दू परिवार का एक प्रमुख आदर्श वंश परम्परा को अक्षुभी बनाये रखना भी है। व्यक्ति में जिजीविषा की प्रधानता होती है। वह मर कर भी अपना नाम छोड़ जाना चाहता है। वह दोहरी मृत्यु का इच्छुक नहीं शरीर से वह मरना चाहता है लेकिन नाम से नहीं। वह अपनी सन्तान पैदा कर अपने शरीर को अमर कर लेता है। सन्तान के द्वारा वह नाम से नहीं मरने पाता है उसका नाम और वंश सन्तान के द्वारा चलता रहता है और कुल परम्परा सतत् रूप से प्रवाहमान रहती है।

हिन्दू परिवार व्यवस्था में पुत्र प्राप्ति को दम्पति की प्रबल अभिलाषा की पूर्ति के रूप में स्थान दिया गया है। पुत्र का विशेष महत्त्व होने के कारण ही पुत्र प्राप्ति के लिए पुसवन सस्कार की व्यवस्था हिन्दुओं के सस्कारों में है। पुसवन सस्कार में होने वाली सतान पुरुष हो इसके लिए प्रार्थना की जाती है। प्रश्न है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र पाने की क्यों तीव्र कामना हिन्दू दम्पतियों में पाई जाती है? हमारी समझ में इसका प्रमुख कारण हिन्दू पुत्रियों का विवाह के बाद अपने पिता के घर से भिन्न पति के घर की सदस्या बनना है। हिन्दू शास्त्रों में जो विवाह के लिए उद्वाह शब्द प्रयोग में लाया गया है वह इसी बात का परिचायक है कि हिन्दुओं में पति द्वारा पत्नी को अपने घर ले जाने की प्रथा है। पुत्र पिता के घर ही रहता है और बुढ़ापे में अपने वृद्ध पिता का पालन पोषण करता है, उसकी मृत्यु के बाद परिवार को चलाता है और धार्मिक कार्यों का उत्तराधिकारी बनता है। दूसरा कारण यह है कि पुत्र पिता की “पु” नामक नरक से रक्षा करता है।¹³ यही कारण है कि उसे पुत्र कहा गया है। वैदिक साहित्य में पुत्र के लिए वीर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आक्रामक समूह आर्यों में युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए वीर पुत्र उत्पन्न होने की कामना की जाती थी।

पितृऋण की कल्पना द्वारा पुत्र प्राप्ति एक आवश्यक कर्तव्य बन गया। पितृऋण से उऋण होने का उपाय तर्पण है। तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार हिन्दू समाज में पुत्रों को ही है। यही कारण है कि हिन्दुओं में नपुंसकता के कारण पुत्र प्राप्त न होने पर नियोग का प्रचलन था और पत्नी के वध्या होने पर पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति मिली थी। पुत्र लौकिक सुखों का ही साधन नहीं बल्कि मोक्ष¹⁴ दिलाने वाला भी माना जाता था। नियोग और

दूसरे विवाह के अलावा पुत्र काम यज्ञ औषधि उपचार और देवपूजन द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश की जाती थी। अपुत्रता के कारण राजा दशरथ के दुखी होने का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं।

पुत्र का प्रधान कर्तव्य माता—पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। माता—पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार का नाम भारत की गैर पढ़ी—लिखी जनता की भी जुबान पर है।¹⁵ पिता की आज्ञा मानकर बन जाने वाले राम को कौन नहीं जानता है। अनुव्रत पुत्र पुत्री माता भवतु समन (अथर्व 3/30/2)—पुत्र के लिए माता—पिता की आज्ञा पालन का यह आदर्श वैदिक युग से प्रतिष्ठित है। नचिकेता से जब नचिकेता के पिता नाराज होकर यह कह देते हैं कि तुझे मृत्यु को देता हूँ तब वह कहता है कि उत्तम पुत्र वह है जो पिता के मुख से वचन निकलने के पहले पिता के सोचे हुए काम को करता है। पिता के कहने पर कार्य करने वाला मध्यम पुत्र है और पिता के वचन का अश्रद्धा से पूरा करने वाला अधम है। नचिकेता अपने को उत्तम कोटि वाला मानकर यमपुरी चला जाता है। भागवत में एक चौथे प्रकार के पुत्र का उल्लेख मिलता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ऐसे पुत्र को पिता की विष्टा मात्र (भाग 9/18/44) कहा गया है।

हिन्दू समाज में पुत्र द्वारा पिता और माता की आज्ञा मानने का कारण जन्मदाता और पालक होना है। माता—पिता के इस उपकार के वशीभूत होकर ही वह उनकी कठोर आज्ञा को मानने के लिए विवश है। दूसरे माता—पिता की आयु अधिक होती है जिससे वे पुत्र के मुकाबले में अधिक अनुभवी होते हैं। पिता और माता को आचार्य के साथ देव माना गया है (पितृ देवो भव। मातृ देवो भव आचार्य देवो भव) बचपन में माता—पिता का प्रभुत्व पुत्र पर रहता है और उस समय वह पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करता है। आज्ञा न मानने पर उसे दण्ड दिया जाता है और आज्ञा पालन पर पुरस्कार। बचपन में बच्चा सामाजिक दृष्टि से रिक्त (Socially Blank) और पर्याप्त लोचदार (elastic) होता है। उस समय उसे वाछित दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसीलिए उसे बचपन में ही आज्ञापालन का आदर्श सामाजीकरण द्वारा अन्तरीकृत करा दिया जाता है और जिसे बाद में वह जीवन में चरितार्थ करता रहता है क्योंकि बचपन की छाप अमिट होती है। इसके अलावा बचपन में आर्थिक दृष्टि से पिता पर निर्भर रहता

15—हिन्दू वह जो लघु भाई की भलाई हेतु

राज तज वन में समोद चला जाता है।

हिन्दू वह जो कि प्राप्त राज्य को भी त्याज्यमान

भाई की ही पादुका को मस्तक चढाता है।

हिन्दू वह जो कि सकल सुखों को त्याग,

सयम की आग में जवानी को जलाता है।

हिन्दू वह जो भावरी दे कावरी बिठाके तात

माता को भी साथ भर काध से उठाता है।

है क्योंकि पशु के मुकाबले मानव शिशु का शैशवकाल बहुत लम्बा होता है। पितृमूलक परिवार व्यवस्था होने के कारण घर का प्रमुख पिता ही होता है और गृहप्रमुख की आज्ञाओं का पालन सभी सदस्यों के साथ पुत्र को भी करना पड़ता है। हिन्दू परिवार में ज्येष्ठ पुत्र का विशिष्ट स्थान है। ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त पिता पितृ ऋण से उन्मत्त हो जाता है इसीलिए उसे धर्मज कहा जाता है। अन्य पुत्र मनु के अनुसार "कामज" कहलाते हैं।¹⁶ चूँकि बड़ा पुत्र ही धर्मज्ञ होता है। इसलिए धार्मिक कृत्यों की पूर्ति का प्रथम अधिकार उसे ही प्राप्त है। हिन्दू परिवार में रिक्थहरण (उत्तराधिकार) तथा महत्ता का प्रदर्शन "पिण्डदान" से माना जाता है। पिण्डदान और श्राद्ध का प्रथम अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त है। ज्येष्ठ पुत्र परिवार को समुन्नत बना सकता है अथवा नष्ट कर सकता है क्योंकि वह आदर का पात्र होता है और धर्म का पालन करने वाले उसे असम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं (मनु 9/109)। जब तक ज्येष्ठ पुत्र वैसे ही व्यवहार करता है जैसे बड़े भाई को व्यवहार करना चाहिए छोटे भाइयों को चाहिए कि वे उसकी माता-पिता के समान इज्जत करें और वह यदि जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करता तो उसका बन्धुवत उसका सम्मान करना चाहिए। हिन्दू शास्त्रों ने ज्येष्ठ पुत्र को जो अधिकार दिये हैं उनकी पृष्ठभूमि में उसकी शारीरिक और मानसिक प्रौढता है। अधिकार रूपी फलों की प्राप्ति कर्तव्य रूपी वृक्ष से हो सकती है। जहाँ ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार अधिक हैं वही उसके कर्तव्य भी गुरुत्तर है। यदि वह अपने भाइयों के प्रति कर्तव्यों से च्युत हो जाता है तो उसका केवल प्रभुत्व ही समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि पारिवारिक सम्पत्ति के अपने भाग से भी वह वंचित हो जाता है।

पुत्री (कन्या)—हिन्दू परिवार में पुत्र धन (asset) है और कन्या भार (liability)। पुत्र अपने पिता के वश की वृद्धि करता है जब कि कन्या दूसरे परिवार की सदस्या बनने के लिए वाध्य है। कन्या का पालन-पोषण बहुत कुछ "पड़ोसी के वृक्ष को सींचने के समान है"। पड़ोसी के वृक्ष को सींचने से सींचने वाले को लाभ नहीं होता क्योंकि वह उसे सींचने में चाहे जितना कष्ट उठाये और परिश्रम करे वृक्ष के फल पड़ोसी के होंगे न कि सींचने वाले के। हिन्दू परिवार में कन्या उत्पन्न होने की कामना उन परिवारों में की जाती है जहाँ पुत्र अधिक संख्या में होते हैं। इसके विपरीत वे परिवार दुखी रहते हैं जहाँ पुत्रियाँ अधिक हैं और पुत्र बिल्कुल नहीं हैं। जहाँ तक स्नेह और प्रेम की बात है हिन्दू परिवारों में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं पाया जाता। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो अपनी माता के अधिक निकट हो जाती है और गृहस्थी के कामों में अपने को लगाती है। पुत्री के बड़े हो जाने पर गम्भीर मामलों में पिता का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहता, पुत्री की माँ के ही माध्यम से ही वह उसे नियंत्रित करता है। हिन्दू परिवार में जब पुत्र और पुत्रियाँ वयस्क हो जाते हैं तो पुत्र पिता के अधिक निकट हो जाते हैं और पुत्रियाँ माता के अधिक निकट हो

जाती हैं।

वैदिककाल से लेकर वर्तमान समय तक पुत्री का जन्म चिन्ता और दुख का विषय रहा है। मध्य युग में तो कन्याओं के वध की कुप्रथा भी प्रचलित हो गयी थी। इस कुप्रथा के प्रचलन का मुख्य कारण दहेज था। दहेज प्रथा के अन्त न होने तक कन्याओं का जन्म चिन्ता और विषाद का विषय बना रहेगा।

मनुस्मृति में पुत्र और पुत्री को समान माना गया है। पुत्र पिता की आत्मा है। पुत्री भी पुत्र के समान पिता की आत्मा है। किसी व्यक्ति के पुत्रहीन मरने पर आत्मरूप कन्या के होते हुए उसकी सम्पत्ति में दूसरा व्यक्ति कैसे हिस्सा ले सकता है।¹⁷

भाई—बहिन—सामाजिक आदर्शों के अनुसार भाई—बहिन में (विशेष रूप से भाइयों में) एकता (solidarity) होनी चाहिए और उनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बड़े भाई और बहिन (विशेष रूप से बहनें) अपने छोटे की देखभाल में अपनी माता के उत्तरदायित्व में हाथ बटाये। व्यवहार में 6 या 7 वर्ष की आयु तक भाई—बहिन साथ—साथ खेलते हैं और बाद में बहिन घर के कामकाज में लग जाती हैं और भाई क्रीडा समूहों (play groups) में विशेष रुचि लेने लगते हैं अतः प्रारम्भिक जीवन में भाई—बहिन के सम्बन्ध घनिष्ठ होते हैं और बाद में उनका विकास अपनी—अपनी दिशा में होता है।

बड़े भाई—बहनो का नियंत्रण छोटे भाई बहनो पर रहता है। माता और पिता की अनुपस्थिति में बड़े भाई—बहिन छोटे के व्यवहार पर निगाह रखते हैं। बड़े भाई अथवा बहिन अपने से छोटे को कभी—कभी डाट—फटकार भी सकते हैं लेकिन वे ऐसा बहुत कम ही करते हैं। जब छोटा भाई किसी चीज के लिये चिल्लाना शुरू करता है तो बड़े भाई या बड़ी बहिन से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे सतुष्ट करने से लिये उन्हें अपना भाग त्याग देना चाहिये। जब भाइयों में झगडा होता है तो बड़े को ही समान्यतः डाटा जाता है। छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी चाहिये। पिता के मरने पर बड़ा भाई छोटे भाइयों के प्रति पुत्रवत् व्यवहार करे और छोटे भाई बड़े भाई को पिता तुल्य माने ऐसी मनु की आज्ञा है¹⁸। बहिन भाई का प्रेम और संरक्षण वैदिक युग से पाती रही है। भाई अपने भाग का चतुर्थांश अपनी बहिन के विवाह संस्कारार्थ दे। जो भाई अपने भाग का चतुर्थांश बहिन के विवाह के निमित्त नहीं देते हैं वे प्रतिष्ठित हैं।¹⁹ हिन्दू परिवार में भाई बहिनो का प्रेम राखी और भ्रातृद्वितीया (भइया दौज) नामक त्यौहारों द्वारा प्रति वर्ष पुष्ट होता है।

अन्य सम्बन्धी —सयुक्त परिवार के अन्य सम्बन्धियों में वधू सास, ननद और देवर आदि मुख्य हैं। हिन्दू परिवार में सास और बहू के बीच आधिपत्य और

17- मनुस्मृति 9/130

18- मनुस्मृति 9/108

19- मनुस्मृति 9/118

अधीनथा का सम्बन्ध है। सास आदेश और आज्ञाये जारी करती है और बहू के लिए ये शिरोधार्य हैं। बहू के लिये सास हर प्रकार से पूज्य है वदनीय है क्योंकि वह उसके पति की जननी है। लौकिक जीवन में सास की सेवा और परिचर्या करने वाली तथा उसे प्रसन्न करने वाली बहू ही प्रशसा के पात्र मानी जाती है। बाहू अपनी सास से माँ का स्नेह पाने की अधिकारिणी है। सास की प्रशसा तभी होती है जब तक सास और बहू को अपनी पुत्री के तुल्य माने, उसके दुख दर्द को समझे उसे सताये नहीं। जब तक सास बहू उपरोक्त मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करती उनमें मधुर सम्बन्ध बने रहते हैं। प्रायः सासारिक जीवन में बहू और सास के बीच इतने मधुर सम्बन्ध देखने को नहीं मिलते क्योंकि न तो सभी सासे आदर्श सासे होती हैं और न ही सभी बहुएँ। सास और बहू में झगड़े भी होते हैं। इन झगड़ों का प्रबल और मुख्य कारण है सास द्वारा अपने वधू काल के अत्याचार का बदला अपनी बहू से चुकाना। इसी प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर सास अपनी वधू के साथ अन्यायपूर्ण और निन्दनीय व्यवहार करती हैं। सास के क्रूर और निर्दय व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए बहुएँ सास से सघर्ष करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सास और बहू तनावपूर्ण सम्बन्धों का विकास हो जाता है। महाभारत काल तक सास और बहुओं के सघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ तक बहुएँ सास का असीम प्रेम पाती रही हैं। बौद्ध साहित्य में बहुओं और सासों के पारस्परिक कलह और सघर्ष की चर्चा मिलती है। वर्तमान समय में सास और बहुओं के बीच विद्यमान सघर्ष से सभी परिचित हैं। सास का बहुओं के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार संयुक्त परिवार के विघटन का एक प्रधान कारण है।

ननद और भाभी — ऋग्वेद में ननद शब्द का उल्लेख एक बार मिलता है और वहाँ पर वधू को ननद पर शासन करने वाली (ननान्दरि साम्राज्ञी भव) बताया गया है। यह स्थिति सम्भवतः बहुत थोड़े काल तक रही और बहू ननद द्वारा शासित होने लगी। संस्कृत में ननद के लिए 'ननन्द' शब्द व्यवहृत हुआ है जिसका अर्थ है 'सेवा करने पर भी प्रसन्न न होने वाली।' इसका यह प्रयोजन नहीं है कि समस्त ननदें ऐसी ही होती हैं लेकिन अधिकांश तो ऐसी ही हैं जिनका व्यवहार कलह कराने वाला होता है। लोकगीतों का भी समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन लोकगीतों में बहू के प्रति ननद का व्यवहार अत्याचारपूर्ण चित्रित किया गया है।

देवर और भाभी — देवर और भाभी का परस्पर सम्बन्ध पुत्र और माता जैसा रहा है। हिन्दू पारिवारिक संगठन में देवर भाभी के लिए पुत्र के समान और भाभी उसके लिए माता के समान है। देवर भाभी के उपरोक्त आदर्श सम्बन्ध का वर्णन रामायण में सीता और लक्ष्मण के उदाहरण में मिलता है। जिस समय सुग्रीव सीता जी द्वारा लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के सम्मुख रखता है, उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि मैं सीता के कैयूर

और कुण्डल नहीं पहचानता। हॉ नूपुरो को प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण अवश्य पहचानता हूँ।²⁰ इस दृष्टांत से सिद्ध होता है कि देवर भाभी का सम्बन्ध पवित्र प्रेम से ओत-प्रोत था।

सयुक्त परिवार में परिवर्तन और विघटन

वर्तमान समय में हिन्दू परिवार का प्राचीन रूप देखने को नहीं मिलता है वह अब बदल गया है। प्राचीन हिन्दू परिवार में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual independence) व्यक्तिगत प्रयत्न (individual effort) और विवेक (rationality) के लिये कोई स्थान नहीं था। पारिवारिक स्वार्थों से भिन्न व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कोई सोच ही नहीं सकता था। आधिपत्य और अधीनता के सम्बन्धों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवार में इतना घुला मिला दिया था कि परिवार से पृथक् उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। परिवार के सदस्य के रूप में उसकी सत्ता थी। परिवार के पृथक् उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके अलावा पारिवारिक सम्पत्ति के किसी अंश की तरफ व्यक्ति को उगली उठाने का भी अधिकार नहीं था। परिवार के सभी सदस्य अपनी सारी आय सामान्य पारिवारिक कोष में जमा करते थे। इस परिवार का ट्रस्टी घर का मुखिया होता था। परिवार की सभी आवश्यकताओं को घर का प्रमुख इसी कोष से पूरा करता था। सभी सदस्य एक ही घर में रहते थे, एक ही रसोई का भोजन खाते थे। पारिवारिक पूजा और उत्सवों में सभी सदस्य भाग लेते थे। वर्तमान समय में सयुक्त परिवार के उपरोक्त लक्षणों का लोप हो रहा है जिससे सयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, टूट रहा है।

(1) नये विचार, नवीन आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव— अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सयुक्त परिवार का प्राचीन रूप कमोवेश सुरक्षित था। भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के बाद सयुक्त परिवार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अंग्रेज अपने साथ नये विचार, नयी आर्थिक व्यवस्था और नवीन प्रशासनिक व्यवस्था लेकर आये जिसके परिणामस्वरूप सयुक्त परिवार को भी धक्का पहुँचा ठेस लगी। पूँजीवाद और उदारवाद ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत प्रयत्न पर बल दिया। उदारवाद ने जन्म पर आश्रित विशेषाधिकारों को निर्याग्यताओं पर प्रहार किया। सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति को आवाज उठाने के लिये प्रेरित किया। इसके अलावा उदारवाद (liberalism) उन्ही परम्पराओं और प्रथाओं को स्वीकार करता है जो तर्क या विवेक की कसौटी पर खरी उतरे। संक्षेप में उदारवाद ने व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया।

(2) औद्योगीकरण और शहरीकरण का प्रभाव— भारतवर्ष में बढ़ते हुए औद्योगीकरण का प्रभाव सयुक्त परिवार के लिए घातक सिद्ध हुआ। औद्योगीकरण

के कारण शहरो का जन्म हुआ परिवार से सम्बन्धित छोटे-छोटे उद्योग धन्धे नष्ट हो गये गाँव की जनसंख्या शहर की तरफ गतिशील हुई। इन सभी बातों का परिणाम यह हुआ कि परिवार जो पहले उत्पादन और उपभोग की इकाई था अब केवल उपभोग की इकाई रह गया। पहले वे परिवार जिनका खर्चा कृषि से पूरा नहीं पड़ता था कुटीर उद्योग धन्धों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा लेते थे और इस प्रकार परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। कुटीर उद्योग धन्धों के नष्ट हो जाने से जब परिवार की आय की कमी पूरा करने के लिये उनका दूसरा विकल्प ढूँढने के लिए विवश हो जाना पड़ा। बिजली और वाष्प से चालित मशीनों के बने माल का मुकाबला न कर सकने के कारण छोटे-छोटे गृह उद्योग धन्धों का विनाश हुआ। गृह उद्योग धन्धों के नष्ट होने से अब परिवार के सदस्यों को कल-कारखानों में नौकरी के लिये मजबूर हो जाना पड़ा और नौकरी की तलाश में शहरो में आकर बसना पड़ा।

हिन्दू परिवार के कुछ सदस्यों के शहरो में बस जाने से उनका परिवार एक साथ रहना भोजन करना आदि मुश्किल हो गया और सयुक्त परिवार विघटित होने लगा। शहरो में आवास की समस्या ने सभी भलीभाँति परिचित हैं। शहरी आवश्यकता के अनुकूल शहरो में मकान छोटे-छोटे होते हैं जिनमें एक साथ कई दम्पति नहीं रह सकते हैं। जो मकान बड़े हैं उनका किराया अधिक होता है जिससे वे साधारण परिवार के लोगों के बूते के बाहर होते हैं। इस आवासीय समस्या के कारण शहरो में सयुक्त परिवार बिना टूटे कैसे रह सकेगे।

शहरीकरण और औद्योगीकरण के फलस्वरूप स्त्रियों को भी नौकरी की सुविधायें प्राप्त हैं। नौकरी में लगी स्त्रियाँ सयुक्त परिवार में रहना कैसे पसन्द करेगी क्योंकि सयुक्त परिवार में रहकर उन्हें मनमानी आजादी कैसे मिल पायेगी। वहाँ तो उनका व्यक्तित्व दबा रहेगा। अपना अलग परिवार बसाने में उन्हें सहूलियतें मिलती हैं अतः वे सयुक्त परिवार से अलग रहना ही उपयुक्त समझती हैं।

शहरी वातावरण सयुक्त परिवार के लिये अनपयुक्त है। यहाँ परिवार के सभी सदस्यों का जीविका कमाने के लिये जाने का समय एक नहीं होता है। कोई कभी जाता है कोई कभी। ऐसी हालत में खाने पीने में सबकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रख मिलता है। स्त्रियाँ जब यह देखती हैं कि उनके पति को गर्म व ताज़ा भोजन नहीं मिल पाता तो वे अपने पतियों को सयुक्त परिवार से अलग रहने के लिये राजी करने लगती हैं और अक्सर सफल हो जाती हैं। शहर के स्वतंत्र वातावरण में स्त्रियाँ सास, ससुर जेठ एव जेठानी की दाब में रहना बिल्कुल नहीं पसन्द करतीं। फिर भला सयुक्त परिवार बिना टूटे कैसे रह सकते हैं।

(3) बढ़ती जनसंख्या— जनसंख्या में तेज वृद्धि सयुक्त परिवार के

परिवर्तन एव विघटन का एक कारण है। जब जनसंख्या सीमित थी तब तो एक साथ रहना खाना—पीना आदि सब कुछ संभव था और संयुक्त परिवारों के अनुकूल परिस्थिति थी लेकिन जब तेजी से आबादी बढ़ रही है तो सभी एक परिवार में कैसे समा सकते हैं और सबके खाने की व्यवस्था एक ही जगह कैसे हो सकती है। जनसंख्या के दबाव के कारण भुखमरी तथा बेकारी बढ़ी जिससे गांवों में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और जीविका की तलाश में लोग इधर—उधर जा रहे हैं।

(4) गमनागमन की सुविधा— भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहले गमनागमन (आने जाने) की सुविधा कम थी। आज यातायात के समुन्नत साधनों के फलस्वरूप देश के एक कोने से दूसरे कोने में आने जाने में खास कठिनाई नहीं है। आने जाने की सुविधाओं में वृद्धि के कारण उद्योगों में भी काफी विकास हुआ है और जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। आज व्यक्ति रोजगार की तलाश में घर छोड़ने को तैयार है। यातायात की सुविधा के कारण संयुक्त परिवारों पर व्यक्ति की निर्भरता में कमी आ गयी है।

(5) स्त्रियों की कलह— संयुक्त परिवार में असंगठन और विघटन का प्रबल कारण स्त्रियों की कलह है। स्त्रियाँ अपना अपने बच्चे अपने पति का अधिक ख्याल रखती हैं जिससे लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। स्त्रियाँ आपसी कलह द्वारा पुरुषों में फूट पैदा कर देती हैं। आज की स्वतंत्र नारी संयुक्त परिवार की पक्षपाती नहीं है। आज सास, बहू, देवरानी ननद जेठानी आदि साथ साथ नहीं रह सकती हैं और अगर रहती हैं तो परिवार में भीषण कलह एव अशान्ति की सृष्टि करेगी। इससे तो यही अच्छा है कि वे साथ साथ न रहे। स्त्रियों की कलह से बचने के लिये संयुक्त परिवार विखण्डित होते हैं।

(6) परिवार नियोजन— जब छोटे परिवार सुख का आधार है तो बड़े परिवारों में रहना लोगों को कहीं अच्छा लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए। बड़े एवं विखण्डित परिवारों में संसाधनों की बड़ी और अधिक होगी। अतः आज के सामाजिक परिवारों में परिवार नियोजन में संयुक्त परिवारों को प्रभावित कैसे रह सकते हैं अर्थात् उनमें विघटन आना स्वाभाविक है।

(7) परिवार के कार्यों में कमी— संयुक्त परिवारों के सामाजिक, धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं जिससे इनकी उपयोगिता व्यक्ति के लिये कम रह गई है। संयुक्त परिवार से अलग रहकर भी व्यक्ति जब अपना विकास कर लेता है तो उसके लिये इसकी महत्ता ही क्या है? आजकल अन्य संस्थाएँ संयुक्त परिवार के कार्यों को करने लगी हैं। ऐसी हालत में संयुक्त परिवार का महत्त्व घट जाना स्वाभाविक है।

(8) स्त्री शिक्षा का प्रभाव— औद्योगीकरण के अलावा स्त्री शिक्षा संयुक्त परिवार को रूपांतरित और विघटित करने का अन्य प्रबल कारक है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। उनके लिये इसके अलावा

कोई विकल्प नहीं था कि वे सयुक्त परिवार के तुफानी समुद्र में जितनी शांति से रह पाये रहे। हिन्दू समाज में सम्पूर्ण नारी वर्ग को जीवन की साधारण स्वतंत्रता साधारण अधिकारों एवं साधारण शिक्षा से वंचित रखा गया। पुरुष वर्ग ने अबला नारी को वर्जनाओं और निषेधों से बाँध दिया। प्राचीन परिवार की पत्नी एक ऐसी जीव की भाँति थी जो न दिल खोलकर हँस सकती थी और न अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। स्त्री शिक्षा ने महिलाओं को उनकी अधिकारविहीन स्थिति का ज्ञान कराया। शिक्षा की बदौलत आज स्त्रियाँ सर्वाधिकार सम्पन्न हैं। उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य है। अब वे भोजन और वस्त्र के लिये दूसरों का मुँह ताकने के लिये विवश नहीं हैं। आज उनकी कूप मडकता समाप्त हो गई है। वे उचित और अनुचित उपयोगी और अनुपयोगी नियमों को समझने लगी हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। उपरोक्त परिस्थितियाँ सयुक्त परिवार के लिये अनुकूल नहीं हैं।

(9) कानून का प्रभाव— शिक्षित नारी वर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिये कानूनी संरक्षण भी प्राप्त कर लिया है। परम्परागत हिन्दू परिवार में परिवारिक सम्पत्ति में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। सन् 1929 के हिन्दू उत्तराधिकार (सशोधित) अधिनियम में स्त्रियों को जैसे पुत्र को पुत्री कन्या की पुत्री आदि को साम्प्रतिक अधिकार मिले लेकिन विधवा स्त्री के साम्प्रतिक अधिकार के विषय में इस नियम में कोई व्यवस्था नहीं थी।

सन् 1937 में हिन्दू स्त्रियों को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार दिलाने हेतु अधिनियम बना जिसमें उन्हें साम्प्रतिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के पूर्व मृतक की विधवा का परिवार की सम्पत्ति में कोई हक नहीं था और मृतक का हिस्सा विधवा को न मिलकर survivorship के सिद्धांत द्वारा सहभागी सस्था (coparcenary) के दूसरे सदस्यों को प्राप्त हो जाता था। इस कानून के पारित हो जाने से अब मृत व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी विधवा के रूप में जीवित रहता है और विधवा अपने मृत पति के हिस्से की अधिकारिणी मानी जाने लगी है। अब वह परिवार के अन्य सदस्यों की भाँति पारिवारिक सम्पत्ति के बँटवारे की माँग कर सकती है। इस कानून ने सयुक्त परिवार के अति जीवन (survivorship) के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया। कानून एक कदम और आगे बढ़ जाता है जब पत्नी को पति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। 1946 के Bombay Hindu Married Women's Right to separate Residence and Maintenance Act ने हिन्दू विवाहित स्त्रियों को कुछ शर्तों के साथ पति से अलग रहने और निर्वाह (भरण—पोषण) करने की अनुमति दी। शर्तें निम्नलिखित हैं—

(1) पति का ऐसे ~~असुरक्षित~~ रोग से पीड़ित होना जो स्त्री से न लगा हो।

(2) क्रूरता अथवा निर्दयता जिससे स्त्री का पति के साथ रहना असुरक्षित

तथा अवॉछनीय हो।

- (3) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध परित्याग।
- (4) पति का दूसरा विवाह।
- (5) पति द्वारा धर्म परिवर्तन।
- (6) पति द्वारा रखैल रखना और प्रायः उसके साथ रहना। और
- (7) अन्य उचित कारण।

उपरोक्त उल्लिखित शक्तियों के सघात के फलस्वरूप सयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं।

सयुक्त परिवार का भविष्य

उक्त वर्णन से ऐसा लगता है कि सयुक्त परिवार का भविष्य अन्धकार में है। भविष्य में सयुक्त परिवार मिट जायेगा ऐसा ख्याल भ्रामक है। यह सच है कि सम्मिलित परिवार के लिये उपयुक्त और अनुकूल वातावरण नहीं है फिर भी लोगो की श्रद्धा इन परिवारो के प्रति है। उनकी निष्ठा जब तक इन परिवारो में रहेगी इनका मिटना सम्भव नहीं है। सयुक्त परिवार टूट कर एकाकी परिवार बनते हैं। ये एकाकी परिवार फिर सम्मिलित परिवार का रूप धारण कर लेते हैं। अतः सयुक्त परिवार बँनेने एवं बिगड़ने की प्रक्रिया में रहता है। अन्य शब्दों में सयुक्त परिवार के निर्माण (formation) और विखण्डन (fission) का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक यह सिलसिला जारी रहेगा सयुक्त परिवारो का अन्त न हो सकेगा। श्री कपाडिया डा श्यामाचरण दुबे आर पी देसाई आई पी देसाई आदि विद्वान सयुक्त परिवार की उपयोगिता को समझते हुए इसके अस्तित्व के पक्ष में हैं और इसके अस्तित्व को खतरे से बाहर समझते हैं। डा दुबे के मतानुसार घरेलू कलह के कारण अगर सयुक्त परिवार से कोई अलग भी हो जाता है तो वह उत्सवो सस्कारो आदि के समय फिर से पारिवारिक अनुशासन का अंग बन जाता है²¹। आर पी देसाई इसे सामाजिक सेवा की महत्त्वपूर्ण संस्था मानते हैं। बीमारी, बेकारी और बुढ़ापे में सहायता के लिये सभी इसकी ओर ताकते हैं। श्री कपाडिया लिखते हैं कि हिन्दू भावनाये आज भी सयुक्त परिवार के पक्ष में हैं²²। उक्त विद्वानो के मतों से स्पष्ट है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिये सयुक्त परिवार आज भी आकर्षण की वस्तु है।



21 Dubey, S C, Indian Village, p 134

22 "Hindu Sentiments are even today in favour of joint family K M Kapadia, Marriage and Family in India Oxford University Press, London, 1958, p 219"

वर्तमान सामाजिक विधान

(Modern Social Legislation)

सामाजिक विधानों की आवश्यकता— समाजों में सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आदिम और सरल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधन जैसे जन रीतियों और प्रथाएँ सामाजिक व्यवस्था और शांति कायम रखने में सक्षम होते हैं। जटिलता की वृद्धि के साथ समाज में अनेकानेक समस्याएँ उत्पन्न होती जाती हैं और समाज की रचना पेचीदा हो जाने के कारण नियंत्रण के ये प्राथमिक साधन विफल होते दिखाई देते हैं। औद्योगीकरण शहरीकरण और यातायात के विकसित साधनों ने आधुनिक समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद उत्पन्न कर दिया है अनेको भ्रम पैदा कर दिये हैं अन्याय, शोषण दरिद्रता अपराध और भिक्षावृत्ति को और अधिक गति प्रदान कर दी है। प्राथमिक सम्बन्धों की अपेक्षा गौण सम्बन्ध (Secondary Relations) अधिक विकसित हो रहे हैं। शहरों में गौण सम्बन्ध प्रचुर होते हैं। समाज द्रुत गति से बदल रहा है। अब व्यक्ति का जीवन सबसे अधिक असुरक्षित है। पुराने आदर्श बदली हुई परिस्थितियों में वास्तविकता से दूर हट जाने के कारण बेकार हो गए हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को अगर सँभाला न गया तो समाज विश्रुंखलित हुए बिना न रहेगा। अतः समाज सुधार व समाज कल्याण के हेतु वर्तमान समय में राज्य की सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव की जाती है क्योंकि अब राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति (Laissezfaire) अतीत का नारा बन चुकी है। वर्तमान समाज में शान्ति और सुव्यवस्था राज्य द्वारा ही स्थापित की जा सकती है क्योंकि राज्य के पास शक्ति है जिसका भय मनुष्य मानता है और इसलिए राज्य द्वारा पारित कानून के पालन के लिए वह विवश है। राज्य सामाजिक विधान (Social Legislation) के जरिए समाजोद्धार (समाज की बुराइयों दूर करने) का कार्य करता है। जटिल परिवर्तित समस्याग्रस्त और विषम समाज के अभ्युदय और कल्याण के लिये सामाजिक विधान के महत्त्व को आज कौन अस्वीकार कर सकता है ?

इसके अतिरिक्त प्रथाएँ और जनरीतियों प्रायः समाज में परिवर्तन का विरोध करती हैं। हमारा परम्परागत भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से आक्रान्त था। वर्षों से व्याप्त इन कुरीतियों को दूर करना आसान कार्य नहीं था। सामाजिक कानून के अभाव में इन कुप्रथाओं का निराकरण लगभग असम्भव ही

था। परम्परागत भारतीय समाज के उन पुराने आदर्शों का मोह छोड़ना ही पड़ेगा जिन्होंने सती प्रथा बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध की स्वीकृति दे रखी थी वैवाहिक क्षेत्र में पति-पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों में घोर-विषमता की सृष्टि कर दी थी। जब तक लोगों को इन आदर्शों के खोखलेपन का पता नहीं चला वे शोषित होते रहे अन्याय सहते रहे लेकिन नवजागरण (Renaissance) और फ्रान्स क्रांति के स्वतंत्रता संमानता और बन्धुत्व के विचारों ने उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध कराकर खोये हुए अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए बेचैन कर दिया जिससे उन्होंने कानूनी संरक्षण की माँग की और सरकार ने इस दिशा में सामाजिक विधान बनाया और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया। आज स्त्री को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई है विषम परिस्थितियों में पत्नी को तलाक की कानूनी अनुमति प्राप्त है। बाल विवाहों पर प्रतिबन्ध लग गया है। उपरोक्त विधान नवचेतना और नवजागरण का परिणाम है।

भारतवर्ष जब आजाद हो गया तो उसने नये आदर्शों को स्वीकार किया और संविधान (Constitution) बनाकर इन नवीन आदर्शों को उसमें शामिल कर लिया। आज सामाजिक विधानों की संख्या काफी बढ़ गई है। भारतवर्ष कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में कार्य कर रहा है और इस रूप में अपने नागरिकों की पॉंच दानवों (अभाव निर्धनता अज्ञान, बेकारी गन्दगी और बीमारी) के आक्रमण से रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। अतः वर्तमान समय में युग की पुकार (वर्तमान आवश्यकताओं) नए आदर्शों और परिवर्तन के कारण सामाजिक विधानों की संख्या में वृद्धि हुई जिसमें हिन्दू समाज और संस्थाएँ अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

सामाजिक विधान क्या है ? (What is Social Legislation)— सामाजिक विधान का अर्थ जानने के लिए विधान क्या है? इसकी जानकारी अपेक्षित है। विधान (Legislation) के अन्तर्गत उन राजकीय नियमों (body of laws) का समावेश है जिनका पालन करने के लिए नागरिक बाध्य है। यदि व्यक्ति उन राजकीय नियमों का पालन नहीं करता है तो राज्य उसे दण्ड देगा। इन राजकीय नियमों के द्वारा राज्य समाज की वर्तमान आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापित करता है। विधान के पूर्व 'सामाजिक' विशेषण लग जाने से समाज सुधार और समाज कल्याण से सम्बन्धित विधानों (Laws) का बोध होता है।

यह उचित कि कानून सामाजिक आवश्यकताओं से पीछे रह जाते हैं सत्य ही है। अतः आज का विधान काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। **Legislation of today is to meet social needs of yesterday**। अतः सामाजिक विधान का कार्य है कानूनी व्यवस्था का समाज से निरंतर सामंजस्य बनाये रखना क्योंकि समाज कानूनी व्यवस्था (Legal

System) से सदैव आगे रहता है और इसलिए सामाजिक विधान से आशय ऐसे विधान से है जो विद्यमान नियमों और तत्कालिक आवश्यकताओं के बीच का भेद मिटा सके।¹

Plans and Prospects of Social Welfare in India में सामाजिक विधान को कानूनों के उस समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान कानूनों को सविधान के अनुरूप बनाने तथा राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों में वर्णित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायता पहुँचाते हैं।²

सामाजिक विधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामाजिक विधान के अन्तर्गत श्रमकल्याण बालकल्याण महिलाकल्याण बाल-अपराध, अपराध और भिक्षावृत्ति निरोध अस्पृश्यता-निवारण परिवार और विवाह आदि को प्रभावित करने वाले कानून शामिल हैं। यहाँ केवल हिन्दू परिवार विवाह और जाति प्रथा को प्रभावित करने वाले कानूनों की विवेचना की जा रही है।

हिन्दू परिवार पर प्रभाव डालने वाले विधान

हिन्दू परिवार को प्रभावित करने वाले कुछ कानूनों का विवेचन 'हिन्दू परिवार' नामक अध्याय में किया गया है। यहाँ केवल हिन्दू उत्तराधिकार कानून (1956) का वर्णन किया जाएगा।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act)--यह कानून 17 जून 1956 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य पुराने हिन्दू कानून के दोषों को दूर करना था। हिन्दू कानून का यह दोष था कि नर और नारी के साम्प्रतिक अधिकारों में घोर असमानता (विषमता) थी। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकार की सर्वस्वीकृत व्यवस्था नहीं थी। उत्तराधिकार से सबधित मिताक्षरा और दायभाग प्रणालियों का प्रचलन था जिसमें मिताक्षरा जन्म स्वत्ववाद (Right by Birth) पर और दायभाग उपरम स्वत्ववाद (अर्थात् पिता की सम्पत्ति पर लडके का स्वत्व जन्म से नहीं बल्कि पिता की मृत्यु (उपरम) के बाद उत्पन्न होता है) पर आधारित है। उत्तराधिकारियों का क्रम निश्चित करने के प्रश्न पर भी दोनों सम्प्रदायों में मतभेद है। उपरोक्त कमियों को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तराधिकार कानून बनाया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं--

(1) वसीयतहीन उत्तराधिकार (Intestate³ Succession) की लगभग

1- 'Legislation calculated to bridge the gulf between existing laws and the current needs of society may be called social legislation'- Social Legislation, issued on behalf of, The planning Commission, Govt of India, 1956, page 1

2- 'For the present purpose social legislation may be defined as the body of laws calculated to bring the existing laws into conformity with the Constitution and help establish the social order envisaged by the Directive Principles of State Policy'- Plans & Prospects of Social Welfare in India, issued on behalf of, The Planning Commission, Govt of India, Page 108

3- Intestate Succession means succession to the property of a person who dies without leaving a valid-will

एक जैसी व्यवस्था सभी हिन्दुओं के लिए करना। यह कानून विशेष रूप से वसीयतहीन उत्तराधिकार के विषय में है क्योंकि वसीयत की गई सम्पत्ति के विषय में पहले से ही नियम बने हुए हैं।

(2) लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में स्वत्व देना और नर-नारियों के साम्पत्तिक अधिकारों की विषमता दूर करना इसका द्वितीय उद्देश्य है।

(3) बिना वसीयत किए मृत व्यक्ति की सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों (Heirs) का क्रम निश्चित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कानून में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयीं—

(1) **दायदों का नया क्रम**— इस कानून में दायदों को निम्नलिखित चार भागों में बाँट दिया गया है—

- (1) प्रथम श्रेणी (class) के दायद (heirs)।
- (2) द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी।
- (3) गोत्रज (Agnates)
- (4) बन्धु (Cognates)

वसीयतहीन मृत व्यक्ति की सम्पत्ति सबसे पहले प्रथम श्रेणी के दायदों को एक साथ प्राप्त होती है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के अभाव में द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति प्राप्त होगी इनके जीवित न होने पर तृतीय श्रेणी के दायदों को और इनके भी अभाव में चतुर्थ श्रेणी के दायद सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी (Heirs of Class 1)

- (1) पुत्र (son)
- (2) पूर्वमृत पुत्र का पुत्र (पौत्र) (son of a pre-deceased son)
- (3) पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) (son of a predeceased son of a predeceased son)
- (4) मृत व्यक्ति की विधवा (widow)
- (5) पूर्वमृत पुत्र की विधवा (widow of a pre-deceased son)
- (6) पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा (widow of a predeceased son of a pre-deceased son)
- (7) माता (mother)
- (8) लड़की (daughter)
- (9) पूर्वमृत लड़की की लड़की (Daughter of a predeceased daughter)
- (10) पूर्वमृत लड़की का लड़का (Son of a predeceased daughter)
- (11) पूर्वमृत लड़के की लड़की (daughter of a pre-deceased son)
- (12) पूर्वमृत लड़के के पूर्वमृत लड़के की लड़की (daughter of a pre-

deceased son of a predeceased son)

उपरोक्त दायादो में सम्पत्ति के बँटवारे के चार नियम हैं।

नियम 1 — मृत व्यक्ति की विधवा को एक हिस्सा मिलेगा और यदि विधवाएँ एक से अधिक हैं तो वही एक भाग उन सब में बँट जायेगा।

नियम 2 — मृत व्यक्ति के जीवित पुत्र और पुत्रियों तथा माता में से प्रत्येक को एक हिस्सा मिलेगा।

नियम 3 — मृत व्यक्ति के प्रत्येक पूर्वमृत अथवा प्रत्येक पूर्वमृत पुत्री की शाखा के उत्तराधिकारी आपस में एक भाग लेंगे।

नियम 4 — नियम 3 में referred भाग का वितरण—

(i) पूर्वमृत पुत्र की शाखा के दायादो में वितरण इस प्रकार किया जायगा कि उसकी विधवा (अथवा विधवाएँ एक साथ) और जीवित लड़के और लड़कियाँ बराबर हिस्सा लेंगे।


(ii) पूर्वमृत पुत्री की शाखा के दायादो में वितरण ऐसा होगा कि जीवित पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग मिलेगा।

वर्ग (1) के उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति वितरण की योजना

वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति का वितरण किस प्रकार हो इसका उल्लेख कानून के सेक्शन 10 में किया गया है। वितरण की योजना बहुत ही सरल है। विधवा (अथवा विधवाएँ एक साथ) एक हिस्सा पायेगी और माता तथा जीवित पुत्र और पुत्रियाँ एक-एक हिस्सा पायेगी। दूसरे शब्दों में माता पुत्र और पुत्री समान हिस्सा प्राप्त करेंगे और विधवा को एक मिलेगा परंतु यदि एक से अधिक विधवाएँ हैं तो वे सभी एक हिस्से को आपस में बाँट लेंगी। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्व मृत पुत्र अथवा प्रत्येक पूर्वमृत पुत्री की शाखा के दायाद अपने बीच एक हिस्सा लेंगे जिससे इस सिद्धान्त का निर्वाह हो सके कि प्रत्येक पुत्र और पुत्री को एक हिस्सा मिलना चाहिए। जहाँ किसी पूर्वमृत पुत्र अथवा पूर्वमृत पुत्री से संबंधित उत्तराधिकारी है प्रत्येक शाखा को एक हिस्सा इसलिए दिया जाता है कि मानो पूर्वमृत पुत्र जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी जिन्दा था और फिर ऐसे हिस्से को उस शाखा के सभी सदस्यों में नियम 2 में दिये विधान के अनुसार बाँट दिया जाता है।

निम्नलिखित उदाहरण पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति वितरण की सेक्शन 10 में दी गयी व्यवस्था को स्पष्ट करता है—

A की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति सात भागों में बँटेगी—एक भाग पुत्र B को मिलेगा एक भाग पूर्वमृत पुत्र C के उत्तराधिकारियों—विधवा W₁, पुत्र G और पुत्री H को मिलेगा एक भाग पौत्र D₁, पूर्वमृत पुत्र D के पूर्वमृत पुत्र D₁ के उत्तराधिकारियों— विधवा W₂, पुत्र K और पुत्री L को मिलेगा एक भाग पुत्री E को मिलेगा एक भाग पूर्वमृत पुत्री F के पुत्र I और पुत्री J को मिलेगा, एक भाग मृत व्यक्ति की माता M को मिलेगा और एक हिस्सा मृत व्यक्ति A



की विधवाओ W और W₁ को मिलेगा।

W₂, G और H का भाग अथवा हिस्सा उनमे बराबर-बराबर बँटेगा अर्थात् सभी को 1/21वाँ हिस्सा मिलेगा W₁, K और L का हिस्सा उनमे बराबर-बराबर बाँटा जायगा जिसमे उनमे से प्रत्येक को सम्पूर्ण स्वत्व मे 1/21 भाग मिलेगा, I और J का हिस्सा दो समान भागो मे बाँटा जायगा जिससे दोनो मे से प्रत्येक को सम्पूर्ण स्वत्व का 1/14 भाग प्राप्त होगा W और W₁ का एक भाग उनमे बराबर-बराबर बँट जायगा और प्रत्येक को सम्पूर्ण स्वत्व (Whole estate) मे 1/14 भाग मिलेगा।

उपरोक्त उदाहरण मे यदि D₁ ने अपने पीछे दो विधवाएँ एक पुत्र और एक पुत्री छोडा होता तो W₁ का 1/21 भाग पुन दो हिस्सो बाँटा गया होता जिससे W₁ को 1/42 भाग मिलता और दूसरी विधवा को 1/42 भाग मिलता।

द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी (Heirs of class II)

प्रथम वर्ग के दायदो के जीवित न होने पर बिना वसीयत किये हुए मृत व्यक्ति की सम्पत्ति द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियो को प्राप्त होती है। इस वर्ग के उत्तराधिकारियो का क्रम इस प्रकार है—

- (1) पिता—इसे समस्त सम्पत्ति मिलती है।
- (2) (1) पुत्र की लडकी का लडका (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री (3) भाई (4) बहिन। मृत व्यक्ति के पिता के जीवित न होने पर ये चारो एक साथ समान रूप से उत्तराधिकारी होते है।
- (3) (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री
- (4) (1) भाई का पुत्र (2) बहिन का पुत्र (3) भाई की पुत्री (4) बहिन की पुत्री
- (5) पिता का पिता, पिता की माता
- (6) पिता की विधवा भाई की विधवा
- (7) पिता का भाई पिता की बहिन
- (8) माता का पिता (नाना) माता की माता (नानी)
- (9) माता का भाई (मामा) माता की बहिन (मौसी)

उपरोक्त नौ वर्गों मे से प्रत्येक वर्ग अपने पहले का कोई भी दायद जीवित न होने पर ही उत्तराधिकारी बनता है।

तीसरे और चौथे वर्ग के दायदो का क्रम निश्चित करने के नियमो का उल्लेख इस कानून के खण्ड 12-13 मे है।

(2) सम्पत्ति पर स्त्रियो के पूर्ण स्वत्व की व्यवस्था— इस कानून के बनने के पूर्व हिन्दू समाज मे स्त्रियो को सम्पत्ति पर सीमित स्वत्व

(Limited Estate) प्राप्त था। अब स्त्री अपने लिए प्राप्त चल या अचल सम्पत्ति का विनियोग करने में पूर्णरूपेण स्वतंत्र है। इस अधिनियम के सेक्सन 14 के अनुसार इस कानून के पास होने के पूर्व अथवा बाद में हिन्दू नारी को मिली सम्पत्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा।¹

विवाह सस्था को प्रभावित करने वाले अधिनियम (कानून)

वर्तमान सामाजिक कानूनो ने हिन्दू विवाह सस्था में भी अनेक परिवर्तन ला दिये हैं। प्राचीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं प्राप्त थी और बाल विवाहों का प्रचलन था। विवाह की एकरूप पद्धति का अभाव था। पति पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों में काफी विषमता थी। विवाह के क्षेत्र में पति पत्नी के लिए दोहरे मानदण्ड थे। पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष को दूसरा विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी जबकि स्त्रियों का यही धर्म था कि स्वप्न में भी परपति के दर्शन न करे और पूर्णरूपेण पतिपरायण बनी रहे। इसके अलावा दुःखमय विवाहों से पत्नी को किसी भी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता था क्योंकि तलाक अथवा विवाह-विच्छेद के लिए परम्परागत हिन्दू समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी बल्कि उल्टे विवाह सबंध अटूट था जो विषम परिस्थिति में भी नहीं तोड़ा जा सकता था। हिन्दू विवाह की उपरोक्त कमियों को समाप्त करने के लिए कई कानून बनाये गए जो इस प्रकार हैं—

1—हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (Hindu Widows' Remarriage Act of 1856)- इस कानून के पारित होने के पूर्व विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1856 में पहली बार विधवाओं को दुबारा विवाह करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम इस बात की घोषणा करता है कि किसी भी ऐसी स्त्री का दूसरा विवाह जिसका पति विवाह के समय मृत था अवैध नहीं होगा और इस विवाह से उत्पन्न सतान भी अवैध नहीं होगी। यदि विधवा नाबालिग (अवयस्क) है और पहले पति से उसका यौन सबंध नहीं हुआ है तो उसके पिता पितामह माता अथवा अन्य किसी पुरुष संबंधी (Male Relative) की अनुमति लेना आवश्यक है अथवा विवाह Void होगा लेकिन विवाहोपरान्त यौन-सबंध स्थापित हो जाने पर ऐसा विवाह Void नहीं होगा। अगर विधवा वयस्क है अथवा पहले विवाह में पति से साहचर्य हो गया है तो दूसरे विवाह के समय उसके अभिभावक की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। विधवा विवाह के कारण पूर्व मृत पति से उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा परन्तु कोई सम्पत्ति यदि उसे वसीयत

द्वारा दी गई है तो उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। मृत पति के वसीयतनामे या परिवार के सदस्यों के समझौते द्वारा यदि उसे पुन विवाह का अधिकार नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति से विधवा को अधिकार छोड़ना होगा।

2-बाल विवाह निरोधक अधिनियम (Child Marriage Restraint Act of 1929) - इस अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाहों पर (जो कि समाज के लिए एक अभिशाप थे और जनसंख्या, यौन अनैतिकता तथा बाल विधवाओं की वृद्धि में सहायक थे) रोक लगा दी गई। यह अधिनियम समूचे भारतवर्ष में लागू है। विवाह के समय यदि वर की आयु अठारह वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष से कम है तो दोनों में विवाह नहीं हो सकता।

बाल विवाह में यदि वर की आयु 18 वर्ष से अधिक है लेकिन 21 वर्ष से कम है और कन्या की आयु 15 वर्ष से कम है तो उसे 15 दिन के कारावास अथवा एक हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। यदि 21 वर्ष से अधिक आयु का वर 15 साल से कम की कन्या से विवाह करे तो उसे तीन मास के कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।

कोई व्यक्ति यदि बाल विवाह करता है अथवा उसे बढ़ावा देता है तो उसे 3 मास का कारावास और एक हजार रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत यह विधान है कि किसी अपराधी महिला को जेल नहीं भेजा जायगा।

यह अधिनियम बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाता है परन्तु बाल विवाह को अवैध नहीं घोषित करता।

बाल विवाह हो जाने के बाद एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर ऐसे विवाह के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर कोई सुनवायी नहीं होगी। बाल विवाहों की सूचना मिलने पर कोर्ट उसे रोकने का आदेश देगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर तीन मास की कैद अथवा एक हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों का विधान है।

बाल विवाह का भविष्य

आधुनिक परिस्थितियों में बाल विवाह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारे देश में जब परिवार नियोजन को अधिकाधिक महत्त्व दिया जा रहा है और उस पर लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं तो बाल विवाहों का औचित्य समझ में नहीं आता। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में पश्चात्य मूल्यों के घर कर जाने से विवाह की आयु में पर्याप्त वृद्धि हो गई है, लड़कें और लड़कियाँ अधिक समय तक अविवाहित रह लेती हैं। बाल विवाह ऊँचे रहन-सहन के मार्ग में बाधक हैं। बाल विवाह के कारण बच्चे भी जल्दी होने लगते हैं और जब तक

मनुष्य कमाने वाला होता है उसके कई बच्चे हो जाते हैं जिससे वह ऊँचे रहन सहन से वंचित हो जाता है। मनुष्य में ऊँचे रहन—सहन की इच्छा बाल विवाहो को बिलकुल समाप्त कर देगी। आज की परिस्थितियों में छोटा परिवार ही सुखी परिवार बन सकता है। शिक्षा प्रसार रहन—सहन का ऊँचा स्तर लडके और लडकियों का अधिक काल तक अविवाहित रहना और छोटे परिवार के विचार ने बाल विवाहो के प्रतिकूल पर्यावरण की सृष्टि कर दी है इसलिए भारत में अब बाल विवाह का भविष्य अन्धकार में है।

3—हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम, 1946 (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act 28 of 1946)— यह अधिनियम पुराने हिन्दू कानून को प्रभावित करता है क्योंकि इसमें सप्रवर और सगोत्र विवाहो को वैध घोषित किया गया है जबकि हिन्दू कानून के अनुसार सगोत्र और सप्रवर विवाह वर्जित थे।

4— हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (The Hindu Marriage Act 28 of 1955) यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारतवर्ष में लागू है। इसमें हिन्दू विवाह से सम्बन्धित कानून का संहिताकरण किया गया है। 1946 के हिन्दू मैरिज डिसेम्बलिंग रिमूवल एक्ट और 1949 के हिन्दू मैरिज वैलिडिटी एक्ट इस अधिनियम के पास हो जाने से रद्द कर दिये गए और उनकी मान्यताओं को इस अधिनियम में मिला दिया गया। यह कानून उन सभी पर लागू है जो धर्म से हिन्दू हैं।

इस कानून के अनुसार किन्ही दो हिन्दुओं के बीच विवाह होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं—

- (1) दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवन साथी जिन्दा न हो।
- (2) दोनों पक्षों में से कोई भी मूर्ख अथवा पागल न हो।
- (3) वर ने 18 वर्ष की और वधू ने 15 की वर्ष आयु अवश्य पूरी कर ली हो।

(4) दोनों पक्षों को निषिद्ध पीढियों के सम्बन्ध की सीमा के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए यदि दोनों पक्षों को शासित करने वाली कोई प्रथा अथवा परम्परा (usage) दोनों के बीच ऐसे विवाह की अनुमति न देती हो।

(5) दोनों पक्षों को एक दूसरे का सपिण्ड नहीं होना चाहिए जब तक दोनों को शासित करने वाली कोई प्रथा अथवा परम्परा सपिण्ड विवाह की अनुमति न देती हो।

(6) जहाँ वधू की आयु 15 वर्ष से कम हो विवाह के लिए उसके सरक्षक की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करनी होगी। सरक्षक कौन है और हो सकता है इसका उल्लेख अधिनियम में किया गया है।

इस अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति का विधान भी है। प्रति पत्नी में से यदि कोई दूसरे को बिना उचित कारण के सहवास से वंचित

करता है तो सहवासाधिकार से वचित व्यक्ति न्यायालय जाकर अपने दाम्पत्य अधिकारो की पुन प्राप्ति की माँग कर सकता है।

न्यायिक प्रथक्करण इस नियम की अन्य विशेषता है। ऐसी परिस्थिति मे जब पति पत्नी का प्रथक रहना ही अभीष्ट हो तो दोनो मे से एक निम्नलिखित आधारो पर न्यायिक प्रथक्करण की आज्ञा प्राप्त करने का प्रर्थना-पत्र दे सकता है—

(1) प्रार्थना-पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से लगातार प्रार्थी के जीवन साथी ने उसे छोड रखा हो।

(2) प्रार्थी का जीवन साथी उसके प्रति अत्यधिक क्रूरता का व्यवहार करता हो।

(3) प्रार्थना पत्र देने के कम से कम एक वर्ष पूर्व से उसका जीवन साथी भयकर कोढ (Virulent form of leprosy) से पीडित हो।

(4) प्रार्थी का साथी व्यभिचार के दुष्कृत्य का दोषी हो।

न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था कर इस अधिनियम ने तलाक की सहसा माँग को रोकने का प्रयास किया है सामजस्यहीन पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहकर विवाह विच्छेद अथवा पुनर्मिलन के लिए सोचने का मौका दिया है।

इस कानून के लागू होने के पहले अथवा बाद मे सम्पन्न किया हुआ विवाह निम्नलिखित शर्तो मे से किसी एक के आधार पर voidable होता है और न्यायलय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(1) प्रतिवादी का नपुसक होना।

(2) विवाह के समय प्रतिवादी (respondent) का पागल होना।

(3) वादी अथवा वादी के अभिभावक से विवाह के लिए बल (force) अथवा छल से स्वीकृति प्राप्त करना।

(4) प्रतिवादी का वादी (Petitioner) के अलावा किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होना और वादी को विवाह के समय इस बात की जानकारी न होना।

विवाह-विच्छेद की व्यवस्था इस नियम की खास देन है। इस कानून मे विवाह-विच्छेद की कानूनी अनुमति मिली। विवाह-विच्छेद की व्यवस्था का दुरुपयोग न हो इसलिए दो प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गये। पहला प्रतिबन्ध यह है कि विवाह होने के बाद तीन वर्ष तक तलाक के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता है। परन्तु यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि प्रार्थी असाधारण कष्ट मे है तो तीन साल के पहले भी कोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकता है। दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिग्री मिल जाने पर पति-पत्नी दोनो को इस डिग्री मिलने के एक वर्ष बाद तक दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं प्राप्त है। इन दो प्रतिबन्धो को लगाकर तलाक व्यवस्था को कठोर और जटिल बना दिया गया और तलाक दर मे वृद्धि को नियमित किया गया।

पति पत्नी मे से कोई भी एक निम्नलिखित कारणो के आधार पर कोर्ट से तलाक की अनुमति प्राप्त कर सकते है—

- (1) यदि कोई एक पक्ष जारकर्म (Adultery) मे सलग्न है।
 - (2) यदि कोई एक पक्ष अपना रिलीजन बदलकर हिन्दू न रह गया हो।
 - (3) स्त्री या पुरुष प्रार्थना—पत्र देने के तीन वर्ष से लगातार भयकर और असाध्य कोढ से पीडित हो।
 - (4) यदि कोई पक्ष आवेदन पत्र देने के तीन वर्ष पूर्व से लगातार असाध्य पागलपन से पीडित रहा हो।
 - (5) यदि कोई एक पक्ष पिछले तीन वर्ष से सक्रामक यौन रोग से पीडित हो।
 - (6) यदि किसी एक पक्ष ने सन्यास लेकर ससार से नाता छोड दिया हो।
 - (7) यदि किसी एक पक्ष का पिछले सात वर्षों से कोई पता न हो और उसके जिन्दा होने की कोई खबर न सुनी गई हो।
 - (8) यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मिलने के बाद दो वर्षों से सहगमन न हुआ हो।
 - (9) यदि दाम्पत्य अधिकारो की पुन प्राप्ति की डिग्री का पालन दो वर्षों से न किया गया हो।
- उपरोक्त कारणो के अलावा पत्नी को निम्नलिखित दो अतिरिक्त आधारो पर विवाह—विच्छेद की अनुमति प्राप्त है—
- (1) यदि कानून लागू होने से पहले पति ने दूसरा विवाह किया हो और पहली पत्नी विवाह विच्छेद का प्रार्थनापत्र देते समय जीवित हो।
 - (2) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार (Sodomy) अथवा पशु गमन के दुष्कृत्य का दोषी हो।

जाति व्यवस्था मे व्याप्त छुआछूत उन्मूलन सम्बन्धी अधिनियम

अस्पृश्यता जाति—जन्य एक प्रमुख समस्या थी जो भारतीय समाज के लिए एक कलक है। जिन जातियो को कुलीन जातियो स्पर्श नही करती थी जिनकी छाया के भी पडने से वे अपवित्र हो सकती थी उन्हे 'अछूत' नाम दिया गया था। अछूतो का जीवन करुणा जनक था। गाँवो के छोर पर बसने की अनुमति उन्हे दी जाती थी। मनु ने शूद्रो को टूटे—फूटे बर्तनो (भिन्नभाण्डेषु भोजन) मे भोजन करने की अनुमति दी है। उच्च जातियो के कुओ से जल खींचने की आज्ञा इन्हे नही थी। छुआछूत की उपरोक्त स्थिति काफी समय तक रही। आखिर बाद मे समाज सुधारक और मानवता प्रेमी महापुरुष इस सामाजिक व्याधि को समाप्त करने की दिशा मे प्रयत्नशील हुये। कबीर नानक, महादेव गोविन्द राना डे और महात्मा गाँधी ने इस दिशा मे अनेक प्रयत्न किये। महात्मा गाँधी ने अछूतो को हरिजन नाम दिया और हरिजनोद्धार के कार्य में वे जीवन पर्यन्त

लगे रहे। सन् 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। सन् 1950 में भारत का संविधान बना। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए विशेष नियमों का समावेश किया गया। संविधान के Article 17 में उल्लेख कर दिया गया कि अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध घोषित किया जाता है।

1955 में पार्लियामेंट ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित कर दिया। यह समस्त भारतवर्ष पर लागू है। इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य अनुसूचित जातियों पर किसी भी निर्योग्यता का थोपना कानून-विरोधी घोषित करना है। इस कानून में इस बात का उल्लेख है कि जो कुछ आम जनता अथवा हिन्दुओं के लिए सुलभ है वही अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सभी को सुलभ होना चाहिए। उसमें ऐसे व्यवहार को अपराध घोषित किया गया जो Article 17 में मिले अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाता है। इस अस्पृश्यता उन्मूलन (अपराध) एक्ट के मुख्य प्राविधान निम्नलिखित हैं—

(1) धारा 3 में अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक पूँजी के स्थान में प्रवेश उसमें पूजा प्रार्थना या अन्य किसी धार्मिक कार्य करने घाट कुएँ तालाब या अन्य प्रकार के स्नान के स्थान का उपयोग करने से किसी को रोकने पर रोकने वाले व्यक्ति को 6 मास की कैद या 500 रुपया जुर्माना या दोनों ही दण्ड देने की व्यवस्था है।

(2) धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दुकानों सार्वजनिक जलपानगृहों होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है किसी होटल धर्मशाला सराय अथवा मुसाफिरखाना में रखी समस्त वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार है किसी प्रकार के व्यापार चुनने किसी भी नदी चश्मे (Stream) कुओं तालाब अथवा किसी स्नान-घाट शमशान भूमि अथवा कब्रिस्तान के उपयोग का अधिकार है, सार्वजनिक यातायात के प्रयोग करने का अधिकार है किसी भी स्थान में रहने या मकान बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकारों में रोकने वाले के लिए भी उक्त दण्ड की व्यवस्था है।

(3) धारा 5 के अनुसार आम जनता के लिए स्थापित या चलाया जाने वाला प्रत्येक अस्पताल दवाखाना शिक्षा संस्था अथवा छात्रावास सभी के लिए सुलभ होगा और इन संस्थाओं में भर्ती प्रत्येक व्यक्ति समान व्यवहार का अधिकारी होगा। इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए यदि कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर इन्कार करता है अथवा इन संस्थाओं में भर्ती व्यक्तियों के प्रति भेद-भाव की नीति अपनाता है तो वह 6 मास के कारावास अथवा 500 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दण्डों का भागी होगा।

(4) धारा 6 के अनुसार छुआछूत के आधार पर कोई भी दुकानदार सामान बेचने के लिए अथवा कोई भी व्यक्ति आम जनता को अर्पित की जाने वाली अपनी सेवा के लिए किसी को इन्कार नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति

अन्य लोगों के लिए सुलभ समान शर्तों पर इन सेवाओं को पाने का अधिकारी है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचने से या कोई व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान करने से किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर इन्कार करता है तो वह उक्त दण्ड का भागी होगा।

(5) धारा 7 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वालों और अस्पृश्यता न मानने वाले लोगों का अनादर करने वाले लोगों को उक्त दण्ड का भागी घोषित किया गया है।

(6) धारा 9 में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किन्हीं संस्थाओं के प्रबन्धक यदि इस कानून के अन्तर्गत अपराधी सिद्ध हो गये हो तो इन संस्थाओं की सहायता अथवा सहायता का कोई अंश निलम्बित करने की व्यवस्था है।

(7) धारा 11 में छुआछूत संबंधी अपराध दुबारा करने पर और अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

सामाजिक कानून और सामाजिक दोषों का निराकरण

किसी भी समाज और संस्थाओं के दोषों को दूर करने के लिए राज्य की स्वीकृति का होना आवश्यक है और राज्य की स्वीकृति का सबसे उपयोगी, कारगर और महत्त्वपूर्ण साधन कानून है। सामाजिक कानून समाज—सुधार की नींव तैयार करते हैं। हिन्दू परिवार विवाह और जाति जैसी संस्थाओं में व्याप्त कमियों के निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा सामाजिक कानून बना दिये गये हैं लेकिन इन कमियों का अभी भी अन्त नहीं हो पाया है जबकि इन कानूनों को बने काफ़ी समय हो गया है। उदाहरणार्थ बाल विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी गई है विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त है कुछ विषम परिस्थितियों में स्त्री—पुरुष को विवाह—विच्छेद की आज्ञा मिली हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में विधवाये अभी अविवाहित हैं और बाल—विवाह भी होते हैं। कितने ऐसे स्त्री—पुरुष हैं जिन्होंने तलाक का आश्रय लिया। विवाह विच्छेद करने वाले स्त्री—पुरुषों की संख्या कुछ बढ़ रही है। यह सब क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण यह है कि बाल विवाह निषेध विवाह—विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह के कानून समाज पर थोप तो दिये गए पर जनमत को इनके पक्ष में नहीं मोड़ा जा सका अथवा दूसरे शब्दों में जनमत का समर्थन इन्हे नहीं प्राप्त हुआ। यह सत्य है कि कानून सामाजिक बुराइयों को दूर करने में महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं फिर भी केवल कानून ही के जोर से सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं। कानून बना देने से ही समस्या हल नहीं हो जाती। सामाजिक समस्या का असली हल तो सामाजिक कानूनों के पालन पर निर्भर है। कानून के पक्ष में जब तक जनमत नहीं होगा कानूनों का सार्थक पालन भी नहीं हो सकता। अतः सामाजिक कानूनों की प्रभावितता में तब तक कमी रहेगी जब तक वे लोकमत को सार्थक नहीं होंगे।

अध्याय 16

मुस्लिम सामाजिक संस्थाएँ

(Muslim Social Institutions)

सहिष्णुता हिन्दू समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतवर्ष में सभी धर्म के लोगों को अपना बनाने की प्रवृत्ति भी आरम्भ से ही रही है। ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू समाज ने अपना अंग बनाकर पचाने की कोशिश की लेकिन इस क्रिया में हिन्दू सफल नहीं हुए। एक ओर जहाँ मुसलमानों ने कुछ हिन्दू बातों को ग्रहण किया जैसे वे हिन्दू देवताओं की भक्ति में कविताएँ रचने लगे वही दूसरी ओर उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया जिससे अनेक हिन्दू मुसलमान बन गए। जायसी आदि कवियों ने हिन्दू दार्शनिक परम्परा को अपनाया। मुसलमानों का केन्द्र भारतीय समाज न होकर अरब का जनजातीय समाज था जिससे इनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा हिन्दुओं से भिन्न बनी रही। अस्तु भारतीय समाज की सम्यक जानकारी करने के लिए मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था की जानकारी करने के लिए इस्लाम धर्म मुस्लिम विवाह और परिवार की चर्चा का विशेष महत्त्व है। इस्लाम धर्म की नीतियों व मूल्यों के आधार पर मुसलमानों ने अपने सामाजिक संगठन का निर्माण किया। यहाँ तक कि सम्पूर्ण मुस्लिम सामाजिक जीवन पर इस्लाम धर्म की अमिट छाप है। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है और कुरान की शिक्षाएँ मुसलमानों के लिए आदर्श हैं। अतः पहले इस्लाम धर्म की विवेचना करना ही प्रासांगिक और सगत है।

इस्लाम धर्म— मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने इस धर्म का आविष्कार अपने मन से नहीं किया बल्कि उन्हें इस धर्म का इलहाम हुआ था। इलहाम का अर्थ भगवत्प्रेरणा से लगाया जा सकता है। जिन सभी बातों को हजरत मोहम्मद साहब ने इलहाम की स्थिति में कहा था वे सभी बातें कुरान में संग्रहीत हैं। अन्य शब्दों में कुरान में मोहम्मद साहब को पैगम्बर कहा गया है। पैगम्बर का अर्थ होता है पैगाम (सन्देश) ले जाने वाला। मोहम्मद साहब ने ईश्वर के संदेशों को मुसलमान जनता के समक्ष रखा इसलिए पैगम्बर कहलाए। आपने ईश्वर और मनुष्य के बीच धर्मदूत का काम किया। इस्लाम धर्म में भ्रष्टाचार मुसलमान के लिए निम्नलिखित पाँच कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

1 **कलमा पढ़ना—** इस कृत्य में ला इलाह इल्लिलाह

मुहम्मदुरसूलिल्लाह नामक मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर एक है और मुहम्मद इसके रसूल हैं। कलमा पाठ की मुसलमानों ने बड़ी महिमा है।

2 नमाज पढ़ना— इस कृत्य में पाँच बार भगवान् से प्रार्थना की जाती है।

3 रोजा—रमजान के महीने में रोजा रखना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है। रमजान का महीना रोजा रखने के लिए सम्भवतः इसलिए चुना गया है क्योंकि इस महीने में पहले-पहल कुरान उतरा था। रमजान के महीने भर मुसलमान लोग सूर्यास्त के बाद एक शाम खाना खाते हैं। खजूर से रोजा खोलने का एक आम प्रचलन है। लगाता है खजूर से इस्लाम धर्म का निकट का और गहरा सम्बन्ध है।

4 जकात— वर्ष भर में जो आमदनी हो उसका चालीसवाँ हिस्सा दान दे देना चाहिए।

5 हज— जिसे हिन्दू लोग तीर्थ यात्रा कहते हैं उसे मुसलमानों में हज कहा जाता है अर्थात् तीर्थों का भ्रमण हज कहलाता है। मुसलमानों के तीर्थ मक्का और मदीना में हैं इसलिए मुसलमान लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। आजकल सतों की समाधियों को भी मुसलमान लोग तीर्थ मानने लगे हैं।

इस्लाम धर्म की अन्य प्रमुख बातें

इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने इस बात पर सर्वाधिक बल दिया कि ईश्वर एक है और इसलिए उसी की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब मोहम्मद साहब मरने लगे तब उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे खजूर के उस पेड़ को काट डालें जहाँ पर बैठकर मोहम्मद धर्म का उपदेश दिया करते थे। खजूर काट डालने की आज्ञा मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों को इसलिए दी जिससे इनके मरने के बाद मुसलमान लोग उस खजूर के पेड़ की पूजा न करने लगे जिसके नीचे बैठकर वे उपदेश दिया करते थे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद साहब ने अपने को मर्त्य भी घोषित किया।

मुसलमानों के धार्मिक व सामाजिक जीवन में कुरान के फातिहा नामक अध्याय का विशेष महत्त्व है। दिनकर जी अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखते हैं कि "मुस्लिम मानसिकता के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव इसी अध्याय का रहा है। यह कर्मफल की विवेचना का अध्याय है जिसकी ओर प्रत्येक मुसलमान का ध्यान हर रोज़ पाँच बार दिलाया जाता है। इस्लाम में स्वर्ग और नरक की भी कल्पना की गयी है। कुरान में अति भयानक और विकराल विभिन्न नरकों की कल्पना मिलती है। इस्लामी मान्यता के अनुसार 'स्वर्ग सातवें आकाश पर अवस्थित है। वहाँ एक सुन्दर पुष्पवाटिका है जिसके पास झरने व नदियाँ हैं। स्वर्ग में दूध व मधु की नदियाँ बहती हैं आदि—आदि"। इस्लाम धर्म

के मतानुसार मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जब तक कयामत (सृष्टि का अन्त) नहीं आयेगी जीव को कब्र में पड़ा रहना होगा। कब्र में पड़ी आत्मा को कयामत के दिन ईश्वर के समक्ष उठकर जाना पड़ता है। कुरान में कयामत का वर्णन हिन्दुओं के महाप्रलय के समान है। जब कयामत आयेगी तो सूर नामक शख से तीन बार आवाज उठेगी। सूर नामक शख की आवाज सुनकर सभी आत्माएँ भगवान् के सामने खड़ी होगी। प्रत्येक आत्मा के पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिया जाएगा। जिनके पाप अधिक होंगे वे नरकगामी होंगे और जिनके पुण्य अधिक होंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा।

इस्लाम धर्म के निषेध— इस्लाम धर्म के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का निषेध है।

- (1) ब्याज लेना पाप है। इसलिए ब्याज लेना वर्जित है।
- (2) एक साथ चार से अधिक पत्नियाँ रखना वर्जित है।
- (3) सुरापान वर्जित है।

मुस्लिम विवाह

चूँकि मुसलमानों के सामाजिक संगठन पर इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व के अरबी समाज की स्पष्ट छाप है, मुसलमानों की सामाजिक परम्पराएँ मूलतः अरबी हैं और अशत भारतीय, अतः इस्लाम धर्म के अभ्युदय के पूर्व अरबी समाज की विशिष्टताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। मैरिज एण्ड फ़ैमिली इन इण्डिया के लेखक श्री के.एम. कपाडिया ने अपनी उक्त पुस्तक में किनशिप एण्ड मैरिज इन अर्ली अरैबिया के लेखक डब्लू. राबर्टसन स्मिथ के आधार पर इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व के अरबी समाज की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है।

(1) अरब में कबीलाई समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। अरब समाज के कबीले आपस में लड़ा करते थे। मातृसत्तात्मकता इन कबीलों की विशेषता थी।

(2) नारी को यौन क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसे अपना पति चुनने की आजादी थी। वह पति को अपने तम्बू में बुलाती थी और जब चाहती थी निकाल बाहर कर देती थी।

(3) सन्तान पर पत्नी के संबन्धियों (बन्धु बान्धव) का अधिकार रहता था और उन्हीं की देखभाल में बच्चे पलते थे।

इस्लाम के पूर्ववर्ती समाज में अनेक प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तब कय और अपहरण विवाहों का प्रचलन था। अपहरण विवाहों का कारण कबीलाई सघर्ष हो सकता है। तत्कालीन अरबी समाज में नारी सम्पत्ति समझी जाती थी। नियोग जैसी प्रथा तत्कालीन अरबी समाज में विद्यमान थी। वीर व मेधावी पुत्र प्राप्त करने के लिए पत्नी को वीरता व मेधा के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति

के साथ सहवास के लिए भेज दिया जाता था और इस प्रकार उत्पन्न सन्तान पति की वैध सन्तान मानी जाती थी। अल्पकालीन विवाहो (मुता विवाह) का वर्णन भी मिलता है। अरब में थोड़े समय के लिए विवाह करने की एक साधारण प्रथा थी। इस्लाम में मुता विवाह का विकास अरब समाज के अल्पकालीन विवाहो के आधार पर हुआ होगा।

मुस्लिम विवाह अर्थ और प्रकृति— मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह पारस्परिक आनन्द प्रजनन और सतानो को वैध करने के लिए दो विषमलिङ्गी व्यक्तियों के बीच हुआ एक सविदा (contract) है। मुस्लिम विवाह को सविदा¹ कहने की एक सामान्य प्रवृत्ति चल पडी है। सविदा की कानूनी विशेषताओं में प्रस्ताव (Offer) स्वीकृति (Acceptance) और प्रतिदेय (Consideration) मुख्य हैं। ये तीनों बातें मुस्लिम विवाह में विद्यमान हैं। मुसलमानों में विवाह के लिए प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से कन्यापक्ष के सामने रखा जाता है और वर के इस प्रस्ताव को कन्या दो पुरुष गवाहों अथवा एक पुरुष और दो महिला गवाहों की उपस्थिति में स्वीकार करती है। जब वर और कन्या दोनों विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो दोनों अपनी लिखित सहमति प्रकट करते हैं। मुस्लिम विवाह में महर (Dower) का भी आयोजन है। महर प्रतिदेय का ही एक रूप है। महर वह धनराशि होती है जिसे वर से प्राप्त करती है। विवाह के बाद पत्नी महर की अधिकारिणी हो जाती है। अतः कानूनी दृष्टि से सविदा पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मुस्लिम विवाह एक सविदा है। परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से मुस्लिम विवाह सविदा नहीं है। मुस्लिम ही क्यों किसी भी धर्म के मानने वाले लड़कों और लड़कियों के बीच होने वाला विवाह समाजशास्त्रीय दृष्टि से सविदा नहीं है।

मुस्लिम विवाह हिन्दू विवाह की भाँति एक प्राथमिक सबध है न कि सविदा। सविदा एक ऐसा समझौता है जिसमें समझौता करने वाले दोनों पक्ष भविष्य में निश्चित समय तक निश्चित ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं।² विवाह में भाग लेने वाले दो पक्ष (नर और नारी) भविष्य में कैसा व्यवहार करेंगे इसका निर्धारण विवाह के समय नहीं हो सकता और न ही होता है और न उनके पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों की सूची ही बनाई जाती है। समझौते (सविदा) की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य पहले से ही निश्चित होते हैं और सीमित होते हैं। समझौते में भाग लेने वाले दो पक्षों में से अगर कोई एक पक्ष उन दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरे पक्ष से कहता है कि ~~जिनका~~ उल्लेख सविदा में नहीं है, तो वह पक्ष उन्हें पूरा

करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उनका उल्लेख सविदा में नहीं है। उदाहरण के लिए अगर दो व्यापारियों में किसी व्यापारी से यह कहे कि मेरे लड़के को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेज दीजिए तो दूसरा व्यापारी फौरन यह कहेगा कि इसके बारे में तो हमारे और आपके बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। अगर कोई लड़का अपने माता-पिता से यह इच्छा व्यक्त करे कि वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो माता-पिता उसे उपरोक्त जवाब नहीं दे सकते। वे या तो उसे भविष्य में कभी भेजने का वायदा करेंगे या वित्तीय असमर्थता के आधार पर उसे न भेज सकने की बात कहेंगे। अतः मुस्लिम विवाह की प्रकृति सविदा से मेल नहीं खाती। इसके अलावा सविदा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के स्वार्थों में भिन्नता भी हो सकती है। क्योंकि कभी-कभी एक पक्ष की हानि से दूसरे पक्ष को लाभ होता है। दुकानदार और ग्राहक महाजन और ऋणी के सविदा में एक पक्ष की हानि से दूसरे पक्ष को लाभ हो सकता है। परन्तु विवाह के दोनों पक्षों के उद्देश्यों में समानता पायी जाती है। यह नहीं है कि पति की हानि से पत्नी का लाभ हो और पत्नी की हानि से पति को लाभ। सच बात तो यह है कि एक की हानि से दूसरे को भी हानि होगी। इससे भी यही सिद्ध होता है कि विवाह समझौता नहीं है। इसके भी अलावा सविदा हमेशा अवैयक्तिक (impersonal) होता है जबकि विवाह सबंध वैयक्तिक होता है। यदि पति का अपनी पत्नी पर अवैयक्तिक प्रेम है तो यह पति का सबसे बड़ा अपराध है। (No offence is greater in a husband than this that he should treat his love impersonally) वैयक्तिक सबंध का सबसे अनिवार्य गुण है कि यह transferable नहीं है। इसका सम्बन्ध निश्चित व्यक्तियों (determinate individuals) से होता है जिनका स्थानापन्न किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। नया सबंध बन सकता है पुराना सबंध समाप्त हो सकता है परन्तु एक ही सबंध में एक व्यक्ति की जगह दूसरे को स्थानापन्न नहीं बनाया जा सकता।³ चूँकि मुस्लिम विवाह वैयक्तिक सबंध है इसलिए इसे सविदा नहीं कहा जा सकता है।

स्मरण रहे कि शुद्ध सविदात्मक सबंध तो समाज में पाया ही नहीं जाता क्योंकि हर सविदा में कुछ असविदात्मक (non-contractual) तत्त्व विद्यमान होते हैं। प्रत्येक सविदा में सविदा की शर्तों में अनुल्लिखित कुछ प्रतिबन्धों के आधार पर भग्न होने की प्रवृत्ति दिखती है। उदाहरणार्थ यदि सविदा नाबालिग के साथ हुआ है अथवा छल से किया गया है तो वह रद्द समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त विवाह एक प्राथमिक सबंध है न कि गौण (Secondary) अथवा सविदात्मक सम्बन्ध।

रिबेन लेवीकृत पुस्तक 'दि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ़ इस्लाम' में उल्लेख है कि मोहम्मद साहब के समय में और उनके पूर्ववर्ती समय में हरण विवाह के साथ-साथ कय विवाह का प्रचलन मुस्लिम समाज में था। इस कय विवाह की

प्रथा में वर को कन्या के पिता या अन्य निकट के रक्त संबंधी को कुछ मुद्रा राशि (जिसे महर कहते हैं) देनी पड़ती थी और कुछ धनराशि (सदाक) स्वयं कन्या को प्राप्त होती थी। महर और सदाक की कोई निश्चित मात्रा का निर्धारण नहीं था। मोहम्मद के समय में ही ऋय विवाह की व्यवस्था अपने मौलिक रूप से थोड़ा भिन्न हो गई थी। वर द्वारा धनराशि का भुगतान तो अब भी किया जाता था लेकिन यह भुगतान केवल वधू को ही किया जाता था, न कि उसके पिता या अन्य समीप के रक्त संबंधी को। इसका परिणाम यह हुआ कि महर और सदाक समानार्थक बन गये।

मुस्लिम विवाह में महर का विचार मुख्य है। अतः यहाँ महर की प्रकृति का विवेचन अति आवश्यक है। मुस्लिम कानून पुस्तकों में महर की अधिकतम राशि का उल्लेख नहीं है और सफ़ी लोगों के अनुसार कोई न्यूनतम धनराशि भी महर के लिए निर्धारित नहीं है। सफ़ी लोग ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देते हैं जहाँ महर की धनराशि एक दीनार (दस दिरहम^५) से कम हो। यह धनराशि इसलिए दी जाती है क्योंकि एक परम्परा के अनुसार मोहम्मद ने अपनी कई पत्नियों को दस दिरहम का महर और अनेक गृहस्थों की वस्तुएँ जैसे चक्की जलघट और अन्य लकड़ी का सामान दिया था।

महर की राशि वधू को तभी दी जायगी जब वह स्वतंत्र औरत हो। यदि वह दास है तो महर की राशि का भुगतान उसके स्वामी को किया जायेगा। कुमारी कन्या के लिए तलाक प्राप्त स्त्री और विधवा की अपेक्षा महर की धनराशि काफी अधिक होगी।

सामान्य तौर से महर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान विवाह के तत्काल बाद नहीं किया जाता है। महर की धनराशि का कितना अंश विवाह की पूर्णता (Consummation) के पूर्व अदा किया जायेगा इस विषय में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रथा भिन्न-भिन्न है। महर का आधा अंश अथवा दो तिहाई अंश Consummation के पूर्व चुकाया जा सकता है और शेष तब तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है जब तक कि पति, पत्नी से विवाह-विच्छेद न करे। मुस्लिम विवाह में महर का निर्धारण अनिवार्य है चाहे इसकी मात्रा बहुत कम ही क्यों न हो। परन्तु यदि महर का निर्धारण नहीं होता तो विवाह अवैध माना जायेगा। मुसलमानों में महर के चार रूप प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) निश्चित महर (Specified Dower) — यह महर का वह रूप है जिसमें स्त्री को मिलने वाले महर का निर्धारण वर वधू की पारस्परिक सहमति से होता है।

(2) उचित महर (Proper Dower)— कभी-कभी महर की राशि विवाह के समय निश्चित नहीं की जाती है और जब बाद में इसके भुगतान का प्रश्न उठता है तो पति को महर की जिस मात्रा का भुगतान कोई उचित समझता है, उसे उचित महर माना जाता है। उचित महर का निर्धारण करने में

न्यायालय पत्नी के पिता और उसके पति की स्थिति को ध्यान में रखता है और साथ ही उसके पिता के परिवार में अन्य विवाहित लड़कियों को कितना महर मिला है इसका भी ख्याल रखता है।

(3) **सत्त्वर महर (Prompt Dowry)**- स्त्री द्वारा माँग करने पर तुरन्त भुगतान किया जा सकने वाला महर सत्त्वर महर कहलाता है। इसका भुगतान विवाह के समय या विवाह के बाद तत्काल किया जाता है। इसका प्रचलन मुसलमानों में बहुत कम है।

(4) **स्थगित महर (Deferred Dowry)**- मुस्लिम समाज में महर के इस रूप का प्रचलन सबसे अधिक है। यह वह महर होता है जिसका भुगतान या तो विवाह—विच्छेद होने पर या अन्य किसी निश्चित घटना के घटित होने पर हो अर्थात् यह महर की राशि भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर देय होगी।

मुस्लिम विवाह की औपचारिकताएँ⁵

विवाह की औपचारिकताओं को मुसलमान लोग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। ये औपचारिकताएँ वास्तव में एक निर्धारित ढंग से सगाई (betrothal) के कुछ दिन पश्चात् आरम्भ होती हैं। उदाहरणार्थ बगदाद में प्रचलित परम्परा के अनुसार विवाह के एक दिन पहले वर उस घर की समस्त औरतों की सूचना प्राप्त करता है जहाँ से उसकी सगाई हुई है और उनमें से प्रत्येक को मिठाइयों और सिल्क के रुमालों के साथ जूतों की एक जोड़ी या अन्य कोई छोटा उपहार भेजता है। औरतें इन उपहारों को विवाह में आये अतिथियों को बाँटती हैं। यह उपहार कई व्यक्तियों के सिर पर रखे हुए trays में वर की स्थिति की सामर्थ्यानुसार धूम—धाम से भेजा जाता है। इस उपहार के पीछे अरब की तुरही और ढोल का एक बैंड चलता है। उसके पीछे आनन्द मनाता हुआ स्त्रियों का झुण्ड चलता है। विवाह के एक दिन पूर्व वर विवाह—सविदा पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों को आमन्त्रित करता है।

विवाह के दिन इमाम वर और वधू दोनों के परिवारों से एक—एक प्रतिनिधि बुलाता है। ये प्रतिनिधि ही दो गवाहों का कार्य करते हैं। मुस्लिम प्रथा के अनुसार साक्षी अथवा गवाहों की विवाह के समय उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया है। विवाह—सविदा पर इन्हीं गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। गवाहों का कार्य करने वाले पुरुष ही होने चाहिये। इन गवाहों का वयस्क स्वतंत्र और मुसलमान होना आवश्यक है। यदि दो पुरुष गवाह न मिल सकें तो एक पुरुष गवाह और दूसरे पुरुष की जगह दो स्त्रियों से काम चलाया जा सकता है।

विवाह सविदा पर हस्ताक्षर होने के समय इमाम वर और वधू के परिवारों के प्रतिनिधियों से विवाह की शर्तों की सहमति के बारे में औपचारिक ढंग से पूछता है और यदि उन्हें विवाह की शर्तें मान्य होती हैं तो इमाम वर और वधू का हाथ एक साथ इस प्रकार रखता है कि दोनों के अँगूठे स्पर्श करते रहे। इसी

5 रिबेव लेवीकृत पुस्तक दि सोशल स्ट्रक्चर आव् इस्लाम पर आधारित।

स्थिति में इमाम उन्हें प्रार्थना पढ़ते समय जुड़वाए रहता है। विवाह में उपस्थित सभी व्यक्ति फातिहा (कुरान का प्रथम अध्याय) पढ़ते हैं। फातिहा पाठ के साथ ही विवाह की औपचारिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद में विवाह भोज होता है। बिना किसी पर्याप्त उचित कारण के कोई भी आमंत्रित व्यक्ति इस भोज में अनुपस्थित नहीं हो सकता है।

मुस्लिम विवाह की कतिपय रस्में— हिन्दू आदि विवाहों की तरह मुस्लिम विवाह की भी कुछ अपनी रस्में हैं। ये रस्में जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है अशत अरबी है और अशत भारतीय। मुस्लिम विवाह की रस्में इस प्रकार हैं—

(1) **मँगनी**— इस रस्म से विवाह (निकाह) की शुरुआत होती है। मँगनी का सबंध मँगने से है। मँगनी की रस्म में वर पक्ष की ओर से कन्या मँगी जाती है। मँग रवीकार हो जाने पर कन्या को वर की तरफ से अँगूठी या कड़े भेंट किए जाते हैं।

(2) **इमाम जामन**— यह चॉदी या सोने का सिक्का होता है जिसे सिल्क के कपड़े में लपेट कर वर की मों द्वारा कन्या की बाँह में बाँध दिया जाता है।

(3) **माझा**— इस रस्म में कन्या पीला वस्त्र धारण करती है। यह कृत्य निकाह के कुछ दिन पूर्व होता है। इन दिनों में नाइन कन्या के घर जाकर उसके उबटन लगाती है और नाई वर के उबटन लगाता है। यह कृत्य निकाह के दिन तक होता रहता है।

(4) **साचिक**— इस रस्म में कन्या को मेहदी और अन्य उपहार दिये जाते हैं खासकर निकाह के समय कन्या के पहनने के हेतु कीमती वस्त्र और आभूषण वर के यहाँ से भेजे जाते हैं।

(5) **निकाह**— मुस्लिम विवाह का प्रमुख कृत्य है। निकाह का वर्णन मुस्लिम विवाह की औपचारिकताएँ नामक शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है।

6 **सलामी**— विवाहोपरान्त दूल्हा घर के बड़ों को सलाम करता है और इसके बदले में उपहार प्राप्त करता है। ये उपहार सलामी कहलाते हैं।

7 **हल्दी**— हल्दी मलने की रस्म को हल्दी कहते हैं। यह रस्म भारतीय है।

8 **चौथी**— यह भारतीय रस्म है और साथ ही मुस्लिम विवाह की अन्तिम रस्म है। इसे दुख्त (सुहागराज) की रस्म भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध सम्भोग से है।

निषेध— मुस्लिम विवाह में ~~सम्भोग~~ से मूर्तिपूजक स्त्री (idolatrix) से विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। कुछ अपवादों के साथ ओल्ड टेस्टामेंट की ~~मुस्लिम विवाह~~ में उल्लिखित किश्तियों की निषिद्ध पीढ़ियों के

अन्तर्गत आने वाले लडको और लडकियो मे भी विवाह मना है। एक औरत किसी ऐसे पुरुष से विवाह नही कर सकती है जो मुसलमान न हो। अर्थात औरत को मुसलमान पुरुष के ही साथ विवाह करने का अधिकार है। पुरुष किसी भी किताबिया^६ औरत से विवाह करने के लिए स्वतत्र है।

मुसलमानो मे तलाक (Divorce among Muslims)

मुसलमानो मे तलाक एक सामान्य और सरल घटना है। मुस्लिम समाज मे पुरुष जब चाहे तब अपनी इच्छानुसार बिना किसी कारण का उल्लेख किए हुए अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए स्वतत्र था। तलाक की घोषणा हो जाने पर भी पत्नी मुक्त नही हो पाती थी। उसे तीन मासिक धर्मों तक (इस बात का पता लगाने के लिए कि कही वह गर्भवती तो नही है।) इन्तजार करना पडता था। इस इन्तजारी के काल मे, जिसे इद्दत कहते है पति अपनी तलाक की हुई पत्नी से पुन सहवास करके उसे फिर पत्नी बना सकता था। पति तलाक दी हुई पत्नी से उसे पुन पत्नी बनाने के लिए काई सहमति माँगे इसकी कोई आवश्यकता न थी।

यद्यपि तलाक मुसलमानो मे एक सामान्य घटना थी फिर भी मोहम्मद साहब इसके पक्ष मे बहुत इसलिए नही थे क्योकि वे परिवार के स्थायित्व के पक्ष मे थे। अत तलाक की अनुमति तभी थी जब पति-पत्नी विवाह सबध बनाये रखने मे असमर्थ हो जाये। एक परम्परा के अनुसार तलाक वह वस्तु है जो वैध तो है परन्तु ईश्वर जिसे घृणा की दृष्टि से देखता है।

मुसलमानो मे तलाक देने के लिए तलाक की घोषणा करना ही पर्याप्त है। पत्नी की अनुपस्थिति मे भी उसे तलाक दिया जा सकता है। मुसलमान लोगो मे तलाक के दो रूप मिलते है—

(1) सामाजिक नियमो द्वारा तलाक और (2) न्यायालय द्वारा तलाक।

1- मुस्लिम जनता मे बिना कोर्ट की सहायता के अथवा सामाजिक नियमो द्वारा तलाक की व्यवस्था है। तलाक के कुछ प्रथागत रूप निम्नलिखित हैं—

तलाक— पति द्वारा सम्बन्ध विच्छेद करने को तलाक कहते है। मुस्लिम समाज मे पति को तलाक देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। कोई भी शुद्ध चित्त अथवा स्थिर बुद्धि वाला वयस्क पुरुष स्वय अथवा किसी मध्यस्थ द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता था। इस तलाक मे पत्नी अथवा किसी गवाह की उपस्थिति आवश्यक नही है।

इला— एकव्रत लेकर जब पति चार माह तक पत्नी से सहवास नही करता है तो चार माह की इस अवधि के पूरे हो जाने पर तलाक का कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि इस अवधि मे सहवास हो जाता है तो तलाक वापस समझ लिया जाता है।

६ किताबिया औरत से तात्पर्य उस औरत से है जिसका मजहब इस्लाम की भाँति किताबी है। अत यहूदी और ईसाई औरतो को किताबिया कहा जा सकता।

जिहर— अगर पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी स्त्री से करता है जो निषिद्ध राग्व धी वाली हो अर्थात् उसे निषिद्ध सम्बन्ध के अन्तर्गत आने वाली स्त्री मान लता है तो पत्नी पति से प्रायश्चित्त करने की माँग करती है। यदि पति प्रायश्चित्त नहीं करता है तो पत्नी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति को प्रायश्चित्त करवाने के लिए अथवा तलाक की घोषणा करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र दे।

खुला— जहाँ पति—पत्नी स्वस्थ मस्तष्क के हो और तरुणावस्था की सीमा पार कर गये हो तो वे सहमति लेकर एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं लेकिन तलाक के इस रूप में पत्नी के अनुरोध से प्रतिदेय लेकर पति विवाह—विच्छेद करता है अर्थात् विवाह सम्बन्ध से अलग हो जाने का अनुरोध करने के कारण पत्नी पति से भहर आदि न लेने का आश्वासन देती है अथवा अन्य किसी रूप में क्षतिपूर्ति करने का वायदा करती है।

मुबरअत— यह पति और पत्नी दोनों का इच्छा से किया गया तलाक है। खुला और मुबरअत में अन्तर यह है कि खुला में पत्नी तलाक देती है जबकि मुबरअत में दोनों की सहमति तलाक के लिए आवश्यक है। इसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता है।

न्यायालय द्वारा तलाक— स्त्री—पुरुष के अधिकारों में विषमता हिन्दू समाज की ही एक विशेषता नहीं मुस्लिम समाज में भी स्त्री और पुरुष के अधिकार समान नहीं थे। मुसलमानों में भी स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य था और वह पुरुष की सम्पत्ति समझी जाती थी। हिन्दू समाज सुधारकों की ही भाँति मुस्लिम—सत्ता और समाज सुधारकों द्वारा भी समय—समय पर स्त्री—पुरुष में व्याप्त इस असमानता के निराकरण के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं और इन्हीं सत् प्रयासों के फलस्वरूप 1939 में मुस्लिम विवाह—विच्छेद अधिनियम लागू हुआ जिसके अन्तर्गत स्त्रियों को भी कुछ परिस्थितियों में तलाक देने का अधिकार प्राप्त हुआ।

मुस्लिम विवाह—विच्छेद अधिनियम 1939

मुस्लिम कानून के अन्तर्गत विवाहित सभी स्त्रियों पर यह अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के सेक्सन दो के अनुसार कोई स्त्री निम्नलिखित दशाओं में न्यायालय द्वारा तलाक की आज्ञा प्राप्त कर सकती है।

- (1) पति का पता चार वर्ष की अवधि से न लगा हो।
- (2) पति जानबूझ कर अथवा अपनी असमर्थता के कारण दो वर्ष की अवधि से उसके भरण—पोषण की व्यवस्था करने में असफल रहा हो।
- (3) यदि पति को सात वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कारावास का दण्ड मिला हो।
- (4) यदि पति पिछले तीन वर्षों से अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न किया हो।

- (5) यदि पति विवाह क समय नपुसक हा ।
 (6) यदि पति पिछले दो वर्षों से पागल हो कोडी हो अथवा घातक योन रोग से पीडित हो ।
 (7) यदि सरक्षक ने विवाह 15 वर्ष से कम की आयु मे ही कर दिया हो और पत्नी ने सहवास न किया हो और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध घोषणा कर दी हो ।
 (8) यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अत्याचार करता है यदि पति व्यभिचारी है तो भी पत्नी तलाक दे सकती है । पत्नी की सम्पत्ति के प्रयोग मे बाधा डालना धार्मिक कृत्यों के पालन मे बाधा डालना उसे अपमानित करना आदि कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनके आधार पर भी पत्नी पति को तलाक दे सकती है ।
 (9) अन्य दूसरा कारण जिसे मुस्लिम कानून ने मान्यता दे रखी हो ।

मुस्लिम और हिन्दू विवाहो की तुलना

हिन्दू, मुसलमान और ईसाई समाजो मे अन्य समाजो की भाँति विवाह—सस्था अनिवार्य रूप से विद्यमान है लेकिन सभी समाजो मे विवाह की प्रकृति एक सी नही है और न ही विवाह के आदर्शों मे साम्य है । हिन्दू और मुस्लिम विवाहो मे साम्य नही है इसका यह तात्पर्य कदापि नही है कि हिन्दू और मुस्लिम विवाह मे कुछ भी समताएँ नही हैं । हिन्दू और मुस्लिम समाज मे पाये जाने वाले विवाहो की तुलना करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुछ बातो मे मुस्लिम और हिन्दू विवाह मे समता है जैसे (1) सन्तानोत्पादन दोनो प्रकार के विवाहो का उद्देश्य है और (2) यौनेच्छा की पूर्ति हिन्दू और मुस्लिम दोनो समाजो मे विवाह का प्रमुख आधार है । इन सम्मानताओं के अतिरिक्त जो भिन्नताएँ हैं वे निम्नलिखित हैं—

विवाह के प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष को समान रखा जाता है । हिन्दुओ मे कन्या के अभिभावक (पिता, चाचा, ताऊ भाई) वर के यहाँ जाकर कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और वर के माता—पिता या अन्य सगे सम्बन्धी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं । वर के अभिभावको द्वारा कन्या पक्ष के विवाह प्रस्ताव के स्वीकरण को 'वाग्दान' कहा जाता है ।

(2) मुस्लिम समाज मे प्रचलित विवाह पद्धति के अनुसार विवाह के लिए वर—वधू की लिखित सहमति अपेक्षित है और विवाह—पत्र पर दो पुरुष गवाहो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । इन गवाहो मे एक वधू के परिवार का प्रतिनिधि होता है और दूसरा वर के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है ।

(3) हिन्दू विवाह मे दहेज का चलन है जबकि मुस्लिम विवाह मे महर का । दहेज और महर दोनो एक नही हैं । दहेज कन्या के पिता द्वारा वर के माता—पिता को नगद या वस्तुओ के रूप मे दिया गया उपहार है । महर धन की

वह मात्रा है जिसे पति अपनी पत्नी का चुकाता है। मुस्लिम प्रथा के अनुसार महर का निर्धारण मुस्लिम विवाह का एक बहुत जरूरी अंग है यद्यपि महर की न्यूनतम या अधिकतम सीमा का निर्धारण मुसलमानों में नहीं किया गया है।

(4) हिन्दू और मुस्लिम विवाह में सम्बन्ध की अवधि के आधार पर अन्तर परिलक्षित होता है। विवाह की अविच्छेद्यता के महत्त्व को हिन्दू स्वीकार करते हैं। वे विवाह का अल्पकालीन सबंध न मानकर इसे अदृष्ट और जन्मजन्मान्तर का सबंध समझते हैं। मुसलमानों में विवाह के स्थायी और अस्थायी दो रूप पाये जाते हैं। स्थायी विवाह को निकाह और अस्थायी विवाह को मुता विवाह कहते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि मुता विवाह एक अल्पकालीन सबंध है। एक निश्चित अवधि के पश्चात् मुता विवाह को भंग किया जा सकता है। अरब समाज में क्रय विवाह के साथ ही साथ मुता विवाह का भी प्रचलन था। अरब समाज में प्रचलित एक प्रथा के अनुसार स्त्रियों पुरुषों को अपने कैम्प या तम्बू में बुलाती थी और जब चाहती थी उसे बाहर निकाल देती थी। इस प्रकार अरब समाज में स्त्रियों को यौन क्षेत्र में बहुत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। स्त्रियों की इस स्वतन्त्रता को कम करने के उद्देश्य से मुता विवाह का प्रचलन हुआ जिसमें कम से कम एक निश्चित अवधि तक स्त्री अपनी इच्छा से पुरुष को विवाह सम्बन्ध से अलग नहीं कर सकती थी। मुता विवाह कुरान के कष्टर अनुयायी शिया लोगों में प्रचलित है। पर्सिया निवासी और अन्य शिया लोगों में इस विवाह का प्रचलन रहा। प्रोफेट मुहम्मद इस मुता विवाह का अन्त तो नहीं कर सकें लेकिन उन्होंने इसकी भर्त्सना अवश्य की। उन्होंने इसे 'वेश्यावृत्ति की भगिनी' घोषित किया। अस्थायी होना मुता विवाह का प्रमुख लक्षण है⁷। मुता विवाह से उत्पन्न सतान पर स्त्री के बंधु बान्धवों का अधिकार होता है उसके पति का अधिकार नहीं होता। शास्त्रों में हिन्दू विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख मिलता है यद्यपि हिन्दू समाज में ब्राह्म और आसुर विवाहों का ही सर्वाधिक प्रचलन रहा। इस प्रकार के विवाह के आठ रूपों का मुस्लिम समाज में अभाव मिलता है।

(5) बहुपत्नीत्व मुस्लिम समाज का एक लक्षण है। हिन्दुओं ने एक पत्नी—व्रत के आदर्श को स्वीकार किया। कुछ कुलीन हिन्दू जातियों में अपवाद स्वरूप एक से अधिक पत्नियों रखने की प्रथा रही है लेकिन समाज ने इसे कभी भी अच्छा नहीं माना। मुसलमानों में तो चार तक पत्नियों रखने की छूट है परन्तु पाँचवाँ विवाह करना निषिद्ध समझा गया।

(6) हिन्दू विवाह किसी भी तरह से एक संविदा नहीं है जबकि मुस्लिम विवाह कानूनी दृष्टि से एक संविदा है। वर—वधु की एक निर्धारित फार्म पर विवाह के लिए स्वीकृति विवाह—पत्र पर दो पुरुष गवाहों के हस्ताक्षर और महर मुस्लिम विवाह के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे एक संविदा सिद्ध करते हैं परन्तु हिन्दू विवाह में ऐसा कोई तत्व विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर इसे एक संविदा घोषित किया जा सके। समाजशास्त्रीय दृष्टि से और गहराई से विचार

करने पर मुस्लिम विवाह भी सविदा नहीं प्रतीत हाता है। इसे सिद्ध भी किया जा चुका है कि मुस्लिम विवाह समाजशास्त्रीय दृष्टि से सविदा नहीं है।

(7) कर्मकाण्डो और वैवाहिक कृत्यो की दृष्टि से हिन्दू विवाह मुस्लिम विवाह से कहीं अधिक जटिल है। हिन्दू विवाह के कृत्यो की सूची लम्बी है। मुस्लिम विवाह बहुत ही औपचारिकताओ के साथ समाप्त हो जाता है।

(8) मुसलमानो मे विवाह को जैविक आवश्यकताओ की पूर्ति का एक साधन माना गया जबकि हिन्दू विवाह के जैविक आधार को गौण स्थान देकर धर्म-पालन को विवाह का प्रधान उद्देश्य मानता है।

मुस्लिम पारिवारिक जीवन

सामाजिक जीवन की झलक पारिवारिक जीवन में देखने को मिलती है क्योंकि पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन का लघु रूप है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति, विधवा पुनर्विवाह पर्दा प्रथा, भोजन ढंग (Table manners), शिष्टाचार के सामान्य नियमो घरों की सजावट उम्र सम्मान (Respect for age), सरकार आदि की दृष्टि से भारतीय मुस्लिम परिवार व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत है। अपने पड़ोसी हिन्दुओ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होने के कारण भारतीय मुस्लिम संस्कृति न तो पूरी तरह भारतीय है और न पूरी तरह विशुद्ध मुस्लिम, ईरानी अथवा तुर्की। इसे तो भारतीय इस्लामी संस्कृति कहना अधिक अच्छा रहेगा। जो बात संस्कृति के लिए सही है परिवार व्यवस्था के लिए भी सच है। हिन्दू परिवार से मिलता जुलता होने के बावजूद मुस्लिम परिवार की अपनी बातें हैं जिनमें वह हिन्दू परिवार से भिन्न है। मुस्लिम परिवार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(1) **पितृ सत्ताक परिवार प्रणाली**—मुसलमानो के परिवार पितृ-सत्ताक हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त हैं और पुरुषों का पालन-पोषण और शिक्षा अधिक होता है। परिवार का मुखिया पुरुष सदस्य ही होता है। विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर जाती है और वहीं रहती है।

(2) **विस्तृत परिवार प्रणाली**—सद्यपि आजकल एककी परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है फिर भी मुसलमानो में विस्तृत परिवार होते हैं। परिवार का आकार बड़ा होता है। कुरान में सम्मिलित परिवार को ही उत्तम परिवार माना गया है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और मुखिया के आदेशों का पालन सभी सदस्य करते हैं।

(3) **आयु सम्मान**— भारतीय मुस्लिम परिवारों में उम्र में बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है। उम्र में बढ़ा होना तिरस्कार पूर्ण अथवा असम्मानजनक नहीं है बल्कि उल्टे इसे उच्चतम सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बौद्धिक परिपक्वता आती है। उम्र में बड़े लोग परिवार के उम्र में छोटे सदस्यों का अधिक प्यार और अधिक ख्याल करते हैं। कोई भी नौकर, बड़ा

सदस्य या बच्चा घर के वृद्ध पुरुष के प्रति असम्मान नहीं प्रदर्शित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उसे भोजन देने में, सेवा करने में और उसके आदेशों का पालन करने में अपना सम्मान समझता है। घर की वृद्धा को भी वृद्ध जैसा सम्मान मिलता है। ये वृद्ध महिलाएँ प्रार्थना में अपना समय बिताती हैं।

(4) **बहुपत्नी विवाह**— मुस्लिम परिवार में बहु पत्नी प्रथा का रिवाज है। मुस्लिम कानून के अनुसार एक व्यक्ति चार पत्नियों रख सकता है। पत्नियों साथ-साथ रहती हैं। एक पुरुष के कई पत्नियों होना सघर्ष का कारण नहीं बन पाता क्योंकि ऐसी स्थिति के लिए वे पहले से तैयार रहती हैं।

(5) **स्त्रियों की स्थिति**— मुस्लिम समाज में स्त्रियों का स्थान दूसरे समाजों की स्त्रियों की अपेक्षा सम्मानजनक तथा आनन्द वर्द्धक रहा है। स्त्री घर की प्रबन्धक होती है। वह मुस्लिम धार्मिक कानून द्वारा दिये गये अनेक वैधानिक अधिकारों का उपयोग करती है। बच्चों का पालन-पोषण एवं उनकी शिक्षा का कार्य उसे देखना पड़ता है। कम आयु के बच्चों को कुरान की शिक्षा देने का कार्य वृद्ध महिलाएँ करती हैं।

(6) **विधवा पुनर्विवाह**— मुसलमानों में विधवाओं के पुनर्विवाह को निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता है और न ही वहाँ कोई ऐसी प्रथा या परम्परा ही है जो इसे तिरस्कार पूर्ण करार दे। स्वयं इस्लाम के पैगम्बर ने विधवाओं से विवाह किया था। इस विषय में कोई निषेधाज्ञा नहीं है। मोहम्मद साहब के शासनकाल (1719-48) में विधवा पुनर्विवाह का अनादर होना आरम्भ हुआ था। उस समय के शासकों ने इसे पारिवारिक असम्मान का चिन्ह माना। यदि विधवाएँ विवाह करती हैं तो वे अपने स्वर्गीय पतियों के प्रति निष्ठा के विरुद्ध कार्य करती हैं यह भावना भी विद्यमान थी। इसलिए अगर कोई अपनी विधवा लड़की या बहिन का दूसरा विवाह करता था तो उसे अपमानित किया जाता था तथा उसे बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। समाज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब इसे एक या दो शताब्दी पूर्व की भौति तिरस्कार पूर्ण नहीं माना जाता है।

(7) **पर्दा प्रथा**— असरफ लोगों में काफी हद तक पर्दे का अब भी चलन है। वर्तमान शिक्षा और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने पर्दा प्रथा के महत्त्व को कम कर दिया है। आधुनिक मुस्लिम परिवारों में इसका अन्त हो चुका है। पालकी व डोली में जाने वाली औरतें तौंगा, रिक्शा व बसों में आती जाती हैं। बधू द्वारा सास से पर्दा करने की प्रथा पूरी तरह से भारतीय प्रथा है। दूसरे देश के मुसलमानों में सास से पर्दा करने की प्रथा नहीं है।

(8) **भोजन ढंग**— परिवार के सभी लोग एक ही साथ भोजन करते हैं। शहरों में लोगों की जरूरतें ऐसी हैं कि सभी लोग भोजन एक साथ नहीं कर पाते हैं और न ही नियत समय पर सभी भोजन के लिए इकट्ठा हो पाते हैं। फिर भी जब तक हो सके पसन्द नहीं किया जाता है कि सभी साथ-साथ भोजन

करे। इस्लामी सिद्धान्तो मे छुआछूत का अभाव है इसलिए एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल पात्र निस्सकोच होकर दूसरे द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। एक ही पात्र मे दो-दो तीन-तीन लोग खा लेते हैं। मुस्लिम परिवारो मे चलने वाले पात्र साधारणतया चौड़े और बड़े होते हैं। दावतो मे अतिथियो द्वारा छोड़ी गई जूठन फेकी न जाकर नौकरो अथवा गरीबो या जरूरतमन्द लोगो को दे दी जाती है।

(9) **सस्कार**— इस्लामी समाज मे कुछ सस्कार हैं जिनसे होकर प्रत्येक मुसलमान गुजरता है। मुख्य सस्कार अधोलिखित है—

(1) **सतवाँ**— स्त्री के गर्भ धारण करने पर सातवे महीने मे इसका आयोजन किया जाता है। इसी से इसे सतवाँ सस्कार कहा जाता है। इस अवसर पर स्त्री को सजाकर गायन-वादन का कार्य होता है।

(2) **अकीका**— इसका सम्बन्ध पुत्र जन्म से है। सन्तान का जन्म उसका सिर मुडाने और जीव-बलि देने के रूप मे मनाया जाता है। अकीका अथवा मुण्डन सस्कार सन्तान जन्म के सातवे दिन आयोजित होता है। इसे चौदहवे दिन भी सम्पन्न किया जा सकता है। पुत्र जन्म पर दो बकरियो की बलि दी जाती है अन्यथा एक बकरी की बलि ही काफी है। गोश्त गरीबो और रिश्तेदारो मे बाँटा जाता है। यह सस्कार अनिवार्य नहीं है। साधनो की कमी होने पर कोई भी इसे न करने के लिए स्वतंत्र है। अकीका के दिन दोस्तो एव रिश्तेदारो को बुलाने का रिवाज भारतीय मुसलमानो मे है।

अकीका के अवसर पर शिशु को नाम दिया जाता है। नाम रखने का कार्य परिवार के बड़े बूढ़े सदस्य द्वारा सम्पन्न किया जाता है। भारतीय मुसलमान अपने बच्चो को अरबी नाम देना पसन्द करते हैं। नाम अधिकतर इस्लामी होते हैं।

(3) **खतना**— इब्राहीमी परम्परा का अनुसरण करते हुए एक बालक को अकीका के बाद खतना सस्कार से होकर गुजरना पडता है। इस सस्कार का अर्थ खतना है। इसे मुसलमानी भी कहते हैं। मुसलमान बनने के लिए यह सस्कार अनिवार्य है। जैसे हिन्दू की पहचान यज्ञोपवीत एव शिखा है वैसे ही मुसलमान की पहचान खतना है। इस सस्कार के अवसर पर नाई बालक के लिंग के अगले भाग की त्वचा को काट देता है। यही कार्य खतना कहलाता है। आजकल अस्पतालो मे जहाँ औषधि की उत्तम सुविधाएँ है खतना का कार्य कराया जाता है। सस्कार का अन्त दावत से होता है।

(4) **बिसमिल्ला**— जब बालक चीजो को समझने और बात चीत करने के योग्य हो जाता है तो एक बूढ़े और पवित्र व्यक्ति को आमंत्रित कर विद्यारम्भ का कार्य कराया जाता है। बिसमिल्ला नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि यह विद्या क प्रारम्भ का द्योतन करता है। सम्पन्न परिवारो मे इसे धूम-धाम से सम्पन्न किया जाता है। उत्सव की समाप्ति पर उपस्थित लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, मिठाइयाँ वितरित की जाती है और सूक्ष्म जलपान से

अतिथियों का स्वागत होता है।

(5) **निकाह**— शादी या विवाह को ही मुसलमानों में निकाह कहा जाता है। निकाह स्थायी विवाह है। मुस्लिम विवाह शीर्षक के अन्तर्गत निकाह पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

(6) **मृत्यु-संस्कार**— मृतक को ठिकाने लगाने की व्यवस्था मुस्लिम समाज में भी है। मृत्यु होने पर यह संस्कार सम्पन्न होता है। इसे मैयत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मृतक को नहला कर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। उसे चारपाई पर लेटा देने के बाद जनाजा का पाठ आत्मा की शान्ति के लिए किया जाता है। फिर मृतक को कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहाँ मुर्दे को दफना दिया जाता है और फातिहा पढ़ा जाता है।

मुसलमानों में जाति व्यवस्था

जाति प्रथा ने भारतीय मुसलमानों को अप्रभावित न छोड़ा। यह हो सकता है कि मुसलमानों में हिन्दुओं के समरूप जाति प्रणाली का विकास न हुआ हो लेकिन मुस्लिम सामाजिक संरचना के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि उनमें जातीय संस्तरण मिलता है। सिद्धान्तों में मुसलमान अब भी भाई-भाई हैं उनमें सामाजिक भेदभाव नहीं है। भारतीय मुसलमानों में जहाँ एक ओर समानता और विश्व बन्धुत्व के इस्लामी विश्वास मौजूद हैं वहीं दूसरी ओर व्यवहार में उन्होंने सामाजिक भेदभाव की अधिसंरचना को अपनाया है। भारत के मुसलमानों ने जन्म पर आधारित एक सामाजिक पद सोपानत्व की व्यवस्था (Social Hierarchy) का विकास जरूर कर लिया है लेकिन जाति व्यवस्था के विपरीत उनकी उक्त व्यवस्था पूर्ण सामाजिक पृथक्ता अथवा अस्पृश्यता पर न तो बल देती है और न समाज का सम्मान प्राप्त करने में किसी व्यक्ति के मार्ग में बाधक है। भारत के वे मुसलमान जो पहले हिन्दू थे और बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुसलमान बने थे अपनी जाति संरचना व्यवसाय और अन्य कुछ सामाजिक प्रथाओं को न छोड़ सके जिससे भारतीय इस्लाम की सामाजिक संरचना में हिन्दू जातियों के प्रतिरूप का समावेश हुआ। देश में बाहर से आए हुए मुसलमानों की सन्तानों ने तत्कालीन सामाजिक संरचना में सर्वोच्च स्थान का दावा करके उसमें अपने को फिट कर लिया क्योंकि वे सैयदों और शेखों की तरह मुस्लिम शासक वर्ग के वंश के होने का दावा करते थे। ये विभाग (Section) मुस्लिम युग के शासक वर्ग के निकट होने के कारण अपने को अशरफ (अन्य की तुलना में उच्च श्रेणी का होना) माना और उनका यह मानना स्वाभाविक भी था। सैयद लोग पैगम्बर से अपना वंश सिद्ध करते हैं जब कि शेख (प्रवित्र धार्मिक पण्डित) प्राचीन इस्लाम के शासक वर्ग का वंशज अपने को मानते हैं। मुस्लिम जाति संरचना में इन दो का स्थान सर्वोच्च है और शेष जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है Ethnic Groups हैं और इनका स्थान सैयद और

शेख के बाद आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च हिन्दू जाति से मुसलमान बने लोग धीरे-धीरे एक या दूसरी अशराफ जातियों द्वारा सम्मिलित कर लिए गए जैसे राजपूत मुसलमान अपने नाम के आगे खान लिखते हैं और सभी काश्मीरी ब्राह्मण शेख कहे जाते हैं। भारतीय मुसलमानों के दूसरे विभागों अर्थात् निम्न हिन्दू जातियों से मुसलमान बने लोगों ने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा जैसे धोबी जुलाहा गद्दी नाई आदि। इनमें से कुछ जैसे गद्दी जुलाहा भिश्ती अब पूर्णरूपेण मुसलमान हैं जबकि कुछ ऐसी जातियाँ हिन्दुओं में भी हैं। निम्न मुस्लिम जातियों में से कुछ में तो हिन्दुओं की ही तरह अन्तर्विवाही नियम (बिरादरी प्रणाली) का कड़ाई से पालन होता है। यह बिरादरी प्रणाली जातियों से बाहर विवाह निषिद्ध घोषित करती है और जाति निषेधो अथवा नैतिक सीमाओं को तोड़ने वाले लोगों के लिए बिरादरी से निकाल दिए जाने का भय दिखाकर सामाजिक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। भारतीय मुसलमानों में अन्तर्विवाहिकी और व्यवसाय के आधार पर जाति प्रणाली पाए जाने का उल्लेख डा आर एन सक्सेना ने किया है।

जातियों की दृष्टि से सम्पूर्ण मुस्लिम समाज के चार भाग किए जा सकते हैं।

(1) ऊँची जाति के अशराफ मुसलमान—इनमें शासक वर्ग अथवा राजवंश के मुसलमान सम्मिलित हैं। ये अपने को सबसे ऊँचा कहते हैं। सैयद शेख मुगल पठान आदि इसी कोटि में आते हैं। (2) उच्च हिन्दुओं से बने मुसलमान— ये उच्च जाति के हिन्दू थे। मुसलमान शासकों के दबाव व प्रभाव के अन्तर्गत इन्होंने हिन्दू धर्म छोड़ कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था। इनकी संख्या बहुत कम है। राजपूत जाट आदि इसी कोटि में आते हैं। (3) मुसलमान व्यावसायिक जातियाँ— इस कोटि के अधिकतर सदस्य हिन्दू ही थे लेकिन अपना धर्म छोड़ कर मुसलमान हो गए थे। इनकी संख्या सबसे अधिक है। जुलाहा, दर्जी, कसाई, हज्जाम, मनिहार, धोबी, धुनिया आदि इसी कोटि की जातियाँ हैं। (4) नीची समझी जाने वाली मुस्लिम जातियाँ— इनमें सबसे नीची समझी जाने वाली जातियों को स्थान प्राप्त है। हलाल खोर, लालबेगी, अब्दाल बेदीऊ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के साथ उच्च जातीय मुसलमान कोई सम्पर्क नहीं रखते। इन्हें मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। इनके मुँह सार्वजनिक कब्रिस्तान में नहीं गाड़े जाते हैं।



ईसाई सामाजिक संस्थायें (Christian Social Institutions)

ईसाई धर्म

ईसाइयो के जीवन-स्वरूप और उनके सामाजिक सगठन का विवेचन करने के लिए सर्वप्रथम ईसाई धर्म का विवेचन करना आवश्यक है। ईसाई धर्म की व्याख्या से उन तत्त्वों का बोध हो जायगा जिनका ईसाई समाज के निर्माण में हाथ था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा थे जो मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 'सस्कृति के चार अध्याय' नामक पुस्तक में श्री दिनकर ने ईसाई धर्म को यहूदी धर्म की कुक्षि से उत्पन्न हुआ माना है। यहूदी धर्म के पैगम्बर हजरत दाऊद (David) और हजरत मूसा (Moses) हुए। पुरानी बाइबिल (ओल्ड टेस्टामेंट) का कुछ भाग दाऊद का लेकिन अधिकांश भाग मूसा का लाया हुआ है। नई बाइबिल (न्यू टेस्टामेंट) ईसा ने कही। यहूदी लोग पुरानी बाइबिल मानते हैं जबकि ईसाई लोगों का विश्वास नई बाइबिल में है। यहूदी धर्म यज्ञमय तथा प्रवृत्ति प्रधान है। ईसाई धर्म पुरानी बाइबिल में प्रतिपादित यहूदी धर्म का सुधरा हुआ रूप है।¹ ईसाई धर्म हिसाकारक यज्ञ का विरोधी है, दया और प्रेम के सिद्धान्तों से ओत प्रोत है। यह सन्यास युक्त धर्म है। ईसा का उपदेश है कि 'जिसे अमृतत्व की प्राप्ति करनी हो उसे बाल बच्चे छोड़ कर मेरा भक्त होना चाहिए।' (मैथ्यू 19/21)

ईसाई धर्म बौद्ध धर्म के काफी निकट है। ईसा और बौद्ध के उपदेशों में भी काफी साम्य है।

था शिष्य ईसा हिन्दुओं का यह पता भी है चला।

ईसाइयो का धर्म भी है बौद्ध सौँचे में ढला।।

महात्मा बुद्ध की ही भाँति ईसा ने जन साधारण को त्यागमय जीवन बिताने की प्रेरणा दी। दिनकर जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि 'जिस भूभाग में ईसाई धर्म उठा वहाँ ईसा के बहुत पूर्व से ही बौद्ध साधुओं का आना जाना जारी था।' पहले ईसाई धर्म में त्याग, सन्यास और साधना का बड़ा महत्त्व था लेकिन जब ईसाइयत योरप पहुँची तो उसका आकार-प्रकार बदल गया। यही कारण है कि ईसाइयत के दो रूप देखने को मिलते हैं। इसका एक रूप एशियाई है और दूसरा रूप योरोपीय। भारत में ईसाइयत का एशियाई रूप

सीरिया से आया। ईसाइत का योरोपीय रूप पुर्तगालियो के आगमन के साथ भारत आया जिसे एशियाई ईसाइयत कहा जाता है वह है ईसा द्वारा प्रतिपादित अहिंसावादी सन्यासमय पारलौकिक और मनुष्य मे देवत्व का अनुभव करने वाली भक्तिमार्गी ईसाइयत। योरोपीय ईसाइयत मिशनरी और प्रसारवादी है।

ईसा के उपदेश ईश्वर और उनकी दिव्य आत्मा मे विश्वास ईसाई धर्म का मूल आधार है। ईसाई धर्म की मान्यताओ के अनुसार ईश्वर मनुष्य से परे है लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से वह स्वयं इस जगत मे आ सकता है। ईसा ने ईश्वरानुभूति पर बल दिया और अपनी शिक्षाओ को ईश्वर की शिक्षाएँ घोषित किया।

हिन्दुरस्तान मे ईसाई और मुसलमान धर्म को मानने वाले भी रहते हैं। हॉ यह जरूर है कि ईसाई धर्म को मानने वालो की सख्या कम है। भारतीय समाज ने मुसलमानो और ईसाइयो को अपने समाज का अग तो बना लिया लेकिन इनकी धार्मिक मान्यताओ मे कोई हेर फेर नही किया। उन्हे ज्यो की त्यो बनी रहने दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानो और ईसाइयो की सामाजिक सरचना हिन्दू सामाजिक सरचना से भिन्न ही रही।

ईसाई विवाह (Christian Marriage)

ईसाइयत और विशेष रूप से सेण्टपाल ने ईसाई विवाह का बिलकुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अत ईसाई विवाह को समझने के लिए सेण्टपाल के मुख्य विचारो को उद्धृत करना अनिवार्य है। आपके विचार से विवाह सन्तानोत्पादन के लिए आवश्यक नही था वरन् अनुचित यौन सबध के पाप को रोकने के लिए इसका विधान अत्यन्त आवश्यक था। आपके विचार अधोलिखित है²—

(1) मनुष्य के लिए यह बेहतर है कि वह स्त्री का स्पर्श न करे।

(2) 'फिर भी अनुचित यौन सम्बन्ध रोकने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी प्रत्नी होनी चाहिए और प्रत्येक स्त्री का अपना पति होना चाहिए।'

(3) 'मैं अविवाहित और विधवाओ से कहता हूँ कि यह उनके लिए अच्छा है कि वे मेरे समान अविवाहित जीवन व्यतीत करे।

(4) लेकिन अगर वे अविवाहित नही रह सकते तो अन्तर्दाह की अपेक्षा विवाह करना ही सबसे अच्छा उपाय है।

सेण्टपाल के उपरोक्त विचारो से सुस्पष्ट है कि आपके लिए विवाह का जैविक उद्देश्य बिलकुल महत्त्वपूर्ण नही था। आप किसी भी प्रकार के सहवास को (यहाँ तक कि वैवाहिक सहवास को भी) मुक्ति प्राप्ति के प्रयास मे बाधक मानते थे। इससे सिद्ध होता है कि ईसाई धर्म नैतिकता प्रधान था और सभी जारकर्मों की भर्त्सना करना इस धर्म की एक नवीनता थी।

'यूनाइटेड चर्च आफ नार्दर्न इण्डिया' ने ईसाई विवाह को निम्न रीति से

परिभाषित किया है—

“ईसाई विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के ऐसे सविदे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सामान्यतया जीवन भर के लिए किया गया हो और जिसका उद्देश्य यौन सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग और एक परिवार की स्थापना करना हो।”

उद्देश्य— व्यभिचार से बचत सन्तानोत्पादन और रति ईसाई विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं।

व्यभिचार से बचत— पाप से बचत ईसाई विवाह का प्रमुख उद्देश्य है। अनुचित यौन सम्बन्ध को नियमित करने के लिए विवाह का विकल्प ही ईसाइयों में वरेण्य है।

सन्तानोत्पादन— यद्यपि सेण्टपाल की दृष्टि से सन्तानोत्पादन विवाह का उद्देश्य नहीं है फिर भी कैथोलिक चर्च विवाह के इस उद्देश्य पर बल देता है और इस अर्थ में ईसाई विवाह हिन्दू विवाह से मिलता जुलता है। जिस प्रकार हिन्दुओं में सन्तानोत्पादन के विचार से किये गये सहवास की प्रशंसा की गई है उसी तरह कैथोलिक चर्च के अनुसार सन्तान प्राप्ति की इच्छा ही यौन सम्बन्धों के औचित्य को सिद्ध कर सकती है। कैथोलिक चर्च की विचार धारा के अनुसार सन्तान प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित न होकर स्थापित किया गया यौन सम्बन्ध पाप है।

रति—हिन्दू और मुस्लिम विवाहों की ही भाँति रति ईसाई विवाह का भी उद्देश्य है। ईसाइयत में ब्रह्मचर्य व्रत (सेलीबेसी) की प्रशंसा की गई है लेकिन इसकी प्रोटेस्टैण्ट शाखा ने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रशंसा को अस्वीकार करते हुए विवाह के विचार को स्थापित किया क्योंकि यह शाखा वासनाओं के वेग और प्रबलता से परिचित थी। यह प्रबल काम वासना अगर सन्तुष्ट नहीं हो पाती तो मनुष्य के लिए पाप का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

ईसाई विवाह की प्रकृति— कैथोलिक चर्च के मतानुसार ईसाई विवाह एक संस्कार है। व्यावहारिक दृष्टि से इसकी सांस्कारिकता का तात्पर्य यह है कि विवाह अविच्छेद्य है। प्रोटेस्टैण्ट चर्च का मत इससे भिन्न है। विवाह एक संस्कार है इस मत का खण्डन प्रोटेस्टैण्ट लोगों ने किया और कुछ खास परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दे दी। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यौन अनैतिकता के प्रति प्रोटेस्टैण्ट बहुत अधिक जागरूक हैं। वर्तमान अमेरिका में जहाँ तलाक एक आसान घटना है, अनुचित यौन सम्बन्धों की भर्त्सना कैथोलिक देशों की अपेक्षा अधिक कठोरता के साथ की जाती है।

ईसाई विवाह-विधि— ईसाइयों में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और सामान्य रूप से सभी ईसाई धार्मिक विवाह ही करते हैं। विवाह पर चर्च का नियंत्रण रहता है। विवाह के लिए इच्छुक वर और वधू अथवा दोनों में से कोई एक चर्च के अधिकारी को एक दरखास्त देता है जिसमें वह अपना और अपने

परिवार तथा दूसरे पक्ष व उसके परिवार का परिचयात्मक विवरण अंकित करता है। चर्च का अधिकारी प्रार्थना पत्र की सूचना को तीन रविवारो तक प्रकाशित करता है। इस काल में अगर विवाह का कोई विरोधी नहीं होता तो चर्च अधिकारी विवाह करने के लिए एक प्रमाण पत्र देता है। इस प्रमाण पत्र के मिल जाने के बाद ही विवाह होता है। विवाह के दिन वरपक्ष व कन्यापक्ष के लोग चर्च में एकत्रित होते हैं। पादरी वर और वधू से एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा कराता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों को यह घोषणा करनी पड़ती है कि उनके विवाह में कोई बाधाएँ नहीं हैं। विवाह सम्पन्न कराने वाला अधिकारी यह घोषणा करता है कि ये दोनों अब पति पत्नी हो गए हैं।

वर द्वारा वधू की उँगली में अँगूठी पहनाई जाती है। अन्त में चर्चाधिकारी प्रार्थना करता है और दोनों को आशिर्वाद देता है।

ईसाइयो में विवाह-विच्छेद— भारत के ईसाइयो का विवाह विच्छेद 1869 के भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम द्वारा नियन्त्रित है। इस अधिनियम के अनुसार पत्नी के अनुचित यौन सबधों के आधार पर पति उसे तलाक देने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। पत्नी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक के आधार पर विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र दे सकती है।

(1) पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो और किसी दूसरी स्त्री के साथ उसका विवाह हो गया हो।

(2) पति ने वर्जित व्यक्तियों से यौन सबध स्थापित किया हो।

(3) पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो और दूसरी पत्नी से यौन सबध स्थापित कर लिया हो।

(4) पति बलात्कार अप्राकृतिक व्यभिचार अथवा पशु-गमन का दोषी हो।

(5) पति ने किसी दूसरी स्त्री के साथ अनुचित मैथुन किया हो और पत्नी के साथ निर्द्वेष व्यवहार किया हो।

(6) पति ने किसी स्त्री के साथ अनुचित यौन सबध स्थापित किया हो और कम से कम दो वर्ष से पत्नी का परित्याग कर दिया हो।

विवाह विच्छेद के उपरोक्त आधारों पर गौर से विचार करने पर यह विदित होता है कि इन आधारों में केवल दो बातें मुख्य हैं—(1) पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह और (2) अनुचित यौन सबध। बाकी सभी बातें इन्हीं दो बातों के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि केवल निर्दयता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना विवाह विच्छेद का सबसे प्रधान कारण है क्योंकि ईसाइयो में किसी प्रकार का भी बहुविवाह संभव नहीं है।

ईसाई परिवार (Christian Family)

ईसाइयो की धार्मिक व सामाजिक मान्यताएँ हिन्दू और मुसलमानों से

भिन्न है अस्तु परिवार की सरचना और प्रकृति भी हिन्दू और मुस्लिम परिवारो से भिन्न हैं। ईसाई परिवार की विशेषताये निम्नलिखित हैं—

(1) ईसाई समाज मे अधिकतर मूल परिवार पाये जाते हैं। परिवार का आकार सक्षिप्त होता है। परिवारो मे सम्मिलित सम्पत्ति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही पीढी के लोग परिवार मे पाये जाते हैं। स्त्री, पुरुष और उनके बच्चों से परिवार का निर्माण होता है। एक विवाह पद्धति की मान्यता वैयक्तिक स्वतंत्रता और शिक्षा तथा प्रगतिशील विचार आदि ईसाई समाज के कुछ ऐसे तत्त्व है जिनके कारण ईसाइयो में परिवार का आकार छोटा है। शिक्षा और प्रगतिशील विचारो के कारण बच्चो की सख्या कम से कम रखने की कोशिश की जाती है।

(2) ईसाई परिवारो मे वश पिता के नाम पर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति के नाम मे उसके पिता के नाम का पहला अक्षर अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। सत्ता पुरुष के हाथ मे रहने के कारण पितृ सत्ताक परिवार प्रणाली ईसाइयो मे मिलती है। परिवार की सम्पत्ति पर पति का नियंत्रण रहता है।

(3) ईसाई परिवार की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लड़कियाँ विवाह के पूर्व ही आर्थिक क्रियाओ मे भाग लेने लगती हैं और विवाह के बाद भी आर्थिक क्रियाओ मे हिस्सा लेना बन्द नहीं करती। किसी ऐसी रूढि का यहाँ अभाव है जो पत्नी की नौकरी मे बाधक हो। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन मे स्त्रियो की नौकरी अडचन नहीं मानी जाती।

(4) ईसाई परिवार की स्त्रियो पर पर्दा आदि का बन्धन नहीं है। दहेज और महर जैसे बन्धनो से ईसाई परिवार मुक्त हैं।

(5) स्त्री और पुरुष का दर्जा समान है। व्यावहारिक रूप से परिवार के प्रत्येक कार्य मे स्त्री की स्थिति पुरुष के समान है। बच्चो की पढाई लिखाई उनके पालन—पोषण और पारिवारिक कर्तव्यो के पालन मे स्त्री और पुरुष का सयुक्त (सम्मिलित) दायित्व है।

ईसाई त्योहार (Christian Festivals)

ईसाई समाज में भी त्योहार मनाने की व्यवस्था है। इस समाज मे उत्सवो की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ उत्सव श्रृंखलाबद्ध हैं अर्थात् एक उत्सव दूसरे से जुड़ा है। हिन्दुओं का प्रत्येक उत्सव अपना अलग अस्तित्व रखता है पर ईसाइयों मे ऐसा नहीं है। ईसाइयो के मुख्य उत्सव तीन हैं (1) क्रिसमस (2) गुड—फ्राइडे और (3) ईस्टर। इनके त्योहारो का क्रम क्रिसमस से प्रारम्भ होता है और ईस्टर से समाप्त होता है। तीनों उत्सवों का सम्बन्ध ईसा मसीह से है।

(1) क्रिसमस— 25 दिसम्बर को यह उत्सव पडता है। ईसाइयो में 25 दिसम्बर क्रिसमस दिवस कहलाता है। कहते हैं कि इसी दिन प्रभु यीशु का जन्म

हुआ था। अतः यीशु की यादगार मे यह उत्सव मनाया जाता है। समस्त विश्व के ईसाई इसे मनाते हैं। इस दिन किसमस ट्री सजाया जाता है। किसमस ट्री खिलौनों, गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजाने पर अधिक सुन्दर प्रतीत होता है। चर्च मे इस रोज पादरी का विशेष भाषण होता है। सभी ईसाई चर्च मे अवश्य जाते हैं। चर्च में रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है। मेलो का भी आयोजन किया जाता है। किसमस की बधाइयों भेजने का प्रचलन ईसाई समाज मे मिलता है। यह ईसाइयों का महत्त्वपूर्ण त्यौहार है।

(2) गुड—फ्राइडे— यह प्रभु यीशु की पार्थिव मृत्यु का दिन है। इसी दिन उन्हें शूली पर चढ़ाया गया था। ईसा की यादगार मे लोग चर्च मे जाते हैं और उनका जीवन चरित्र सुनते हैं।

(3) ईस्टर— यह ईसाइयों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। यह रविवार के दिन मनाया जाता है। ओल्ड टेस्टामेण्ट मे यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि ईसा मसीह कुमारी कन्या के गर्भ से पैदा होंगे और बाद में उन्हें फासी के तख्ते पर लटका दिया जायेगा और तीन दिन बाद उनका फिर पुनरुत्थान (पुनर्जन्म) होगा। फ्राइडे के बाद पडने वाले रविवार को प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ माना जाता है और यही कारण है कि इतवार को यह उत्सव मनाया जाता है। ईस्टर का सबध ईसा मसीह के पुनर्जागरण अथवा पुनरुत्थान से है। ईस्टर का अर्थ है ईसा मसीह का पुनरुत्थान ('Resurrection of Christ')।

ईस्टर के दिन सुबह 5 बजे ईसाइयत के हर सम्प्रदाय (Denominations) के लोग अपने मोहल्ले से जुलूस बनाकर निकलते हैं और सभी लोग एक मीटिंग ग्राउण्ड पर मिलते हैं। वहाँ ईसा मसीह के पुनर्जागरण और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद ये लोग अपने अपने गिरजाघरों मे जाते हैं। इस अवसर पर लोग सफेद और सादे कपडे पहनकर जाते हैं। मासाहारी लोग पौखार या मांस पकाकर खाते हैं। शाकाहारी लोग पूड़ी व खीर का सेवन करते हैं। यह ईसाइयों के लिए सर्वाधिक आनन्द और उल्लास का पर्व है इसलिए कहीं कहीं मेलो आदि का आयोजन किया जाता है।

हिन्दू समाज और ईसाइयत

भारत देश सदैव से अनेक प्रकार के धर्मों और सस्कृतियों का सगम स्थल रहा है। मुसलमान पुर्तगाली, डच और ईसाई आदि यहाँ आये हैं और उन्होंने अपनी सस्कृति तथा धार्मिक विचारों से हिन्दू सामाजिक जीवन को प्रभावित भी किया है और स्वयं भी हिन्दू सस्कृति तथा धार्मिक विचारों से प्रभावित हुए हैं। पुर्तगालियों और अग्रेजों के शासन काल मे ईसाइयत व उसके सिद्धान्तों और शिक्षाओं का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। हिन्दू समाज ईसाइयत के सम्पर्क मे आकर ईसाइयत की शिक्षाओं और उसके सिद्धान्तों से अप्रभावित कैसे रह सकता था। कहते हैं कि ईसाइयत ने जितना हिन्दुत्व को प्रभावित किया उतना

अन्य किसी धर्म को नहीं। मुसलमानों ने ईसा की शिक्षाओं की उतनी प्रशंसा नहीं की जितना हिन्दुओं ने उन्हें सराहा।¹ फलतः ईसाइयत के सिद्धान्तों का जितना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रवेश हिन्दुत्व में हुआ उतना अन्यत्र (अन्य धर्मों में) नहीं हुआ। ईसाइयत योरोप की सभ्यता तथा सस्कृति का अग्रदूत रही है। अतः योरोपीय सस्कृति और ईसाइयत के सम्मिलित सघात के फलस्वरूप हिन्दू सामाजिक व सास्कृतिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं।

- (1) स्त्री—शिक्षा पर जोर दिया गया।
- (2) जाति प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गए।
- (3) समाज में समतावादी और युक्ति—युक्त विचार धारा फैली।
- (4) अस्पृश्यों और आदिवासियों की सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मानजनक बनाने के लिए प्रयास किये गये।

(5) निराकारी एकेश्वरवाद को फिर प्रोत्साहन मिला।

(6) ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दू कर्मकाण्ड (Rituals), अवतारवाद और ब्राह्मणवाद की आलोचना की गयी जिससे कर्मकाण्डों को सरल बनाने पर जोर दिया गया। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज में कर्मकाण्डों को सरल और सक्षिप्त बनाने के प्रयास किये गये और इसमें सफलता भी हासिल हुई।

(7) ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन हुए।

ईसाइयत का सबसे अधिक प्रसार और प्रचार आदिवासियों और जन—जातियों में हुआ। भारत में जहाँ—जहाँ आदिवासियों और नीची जातियों की संख्या अधिक थी वही ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। इसका प्रमाण यह है कि आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और केरल में ईसाई अधिक हैं।

ईसाइयत भारत के योरोपीयकरण का माध्यम रही है। शिक्षा के माध्यम से योरोपीय ज्ञान विज्ञान और अस्पतालों के माध्यम से योरोपीय चिकित्सा पद्धति का विकास ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया।

ईसाइयत की व्यक्ति स्वातन्त्र्य समतावादी और बुद्धिवादी विचारधाराओं ने तथा दया और प्रेम से ओतप्रोत⁴ सिद्धान्तों ने हिन्दू समाज को अधिक प्रभावित किया। हिन्दू सामाजिक जीवन के जिन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(1) संयुक्त परिवार पर प्रभाव— ईसाइयत के सघात से संयुक्त परिवारों के विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। व्यक्ति स्वातन्त्र्य ने संयुक्त परिवार की नींव को ही हिला दिया। संयुक्त परिवार समाजवाद के आदर्श का पोषक था जबकि व्यक्तिवाद संयुक्त परिवार की मान्यताओं के विपरीत है। अतः व्यक्तिवादी पर्यावरण में संयुक्त परिवार का टूट—टूट कर मूल अथवा एकाकी परिवारों में बदलना स्वाभाविक था। परिवार में स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय थी। संयुक्त परिवार के तूफानी समुद्र में उसे बिल खोल कर हँसने नहीं दिया जाता था वह

चुपचाप सास सरसुर और पति की झिडकियो को सहन करते हुए जीवन व्यतीत करती थी। ईसाइयत और योरोपीय सभ्यता के समतावादी विचारो ने पत्नी के लिए पति के बराबर दर्जा प्राप्त करने के दरवाजे खोल दिये। यही नही रत्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। शिक्षित स्त्रियो ने नौकरी करना प्रारम्भ किया जिससे परिवार की परम्परागत सामाजिक सरचना आमूल चूल बदल गयी। सामान्य पाठशाला, सामान्य पारिवारिक कोष और सामान्य निवास स्थान की बाते व्यक्तिवादिता के प्रसार के साथ लुप्त हो चली और सयुक्त परिवार विघटित होने लगे।

(2) विवाह पर प्रभाव—ईसाइयत के प्रभाव से हिन्दू वैवाहिक मान्यताओ और नियमों को ठेस पहुँची। विवाह की आयु मे वृद्धि हुई। विलम्ब विवाहो ने बाल विवाह का स्थान ले लिया। विवाह के क्षेत्र में माता पिता के नियत्रण में हास हुआ। अन्तर्विवाही और बहिर्विवाही नियमों मे शैथिल्य दृष्टिगोचर होने लगा। सह शिक्षा और रोमान्स के कारण भिन्न जातीय विवाह भी होने लगे। गोत्र और प्रवर के बन्धन भी उतने महत्त्वपूर्ण नही रहे।

(3) जाति व्यवस्था पर प्रभाव— समतावादी विचारो और बुद्धिवाद ने जाति के सिद्धान्तो और नियमो को झकझोरा। ईसाइयत के मानवतावादी मूल्यों से जातिगत बन्धन और जातियों में व्याप्त ऊँच नीच की भावना आदि प्रभावित हुए। निम्न जाति के लोग सामाजिक सुविधा प्राप्त करने के प्रलोभन से ईसाई बनने लगे। जातियों में फैले छुआ-छूत के विचार अपना अस्तित्व खोने लगे। ब्राह्मणो की स्थिति में हास हुआ। ऊँची जातियो ने पश्चिमी विचारो को ग्रहण किया और निम्न जातियों ने ऊँची जातियो की आचार पद्धति को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊँचा उठने का प्रयास किया। जाति के अन्दर शादी करने का अटूट नियम भी अप्रभावित नहीं रह सका। ईसाई धर्म से आशा तो बहुत थी कि इससे जातियों की निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार मिटाने में बड़ी सहायता मिलेगी लेकिन याद रहे बिना ईसाई बनाये ईसाइयत के सिद्धान्तों से भारतीय जाति व्यवस्था के कवच में एक भी छेद न किया जा सका। हाँ, यह जरूर है कि ईसाई बनाकर नीची जातियों के सदस्यों को ऊँची जाति के लोगों के अत्याचारो से सुरक्षित करने मे दया और प्रेम से ओत-प्रोत ईसाइयत ने सफलता प्राप्त की।

(4) सामाजिक कृप्रथाओं का अन्त—ईसाई धर्म के प्रवेश के पूर्व हिन्दू समाज मे भ्रूण हत्या, कन्या बध, देवदासी प्रथा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। पाखण्ड और अन्ध विश्वासों से समाज घिरा हुआ था। बाल विवाह तो होते थे पर विधवा पुनर्विवाहो की मनाही थी। इन सभी कुरीतियों को रोकने वाला कोई नहीं था। ईसाइयो ने हिन्दुओ को आत्मावलोकन और धार्मिक तथा सामाजिक विचारों के पुनर्परीक्षण की प्रेरणा दी। सक्षेप में ईसाइयत ने इन कृप्रथाओं को मिटाने के लिए हिन्दुओ को सचेष्ट किया। परिणामस्वरूप

राजा राम मोहनराय गोविन्द रानाडे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा अन्य समाज सुधारको ने प्रयत्न करके इन कुप्रथाओ का अन्त करने में सफलता प्राप्त की।

(5) आचरण—प्रतिमानो और वेश भूषा में परिवर्तन— ईसाइयों के सम्पर्क में आने से हमारा सम्पर्क योरोपीय सभ्यता और सरस्कृति से हुआ (हम पहले ही सकेत कर चुके हैं कि ईसाइयत योरोपीय सभ्यता और सरस्कृति का वाहक भी है) जिससे हमारे व्यवहार प्रतिमान बदले। पहनावे में भी अन्तर आया। कोट पैण्ट और नेकटाई का भारतीय पहनावे में कोई स्थान नहीं था। ईसाइयत और पश्चिम के सम्पर्क से हमारी वेश भूषा बदली और कोट पैण्ट तथा नेकटाई का समावेश हमारे पहनावे में हो गया। खाने में टेबुल और छुरी काँटे का प्रयोग शुरू हुआ। माता के लिए मन्मी और पिता के लिए 'डैडी' सम्बोधनों का श्रीगणेश हुआ। नमस्कार की जगह 'हेलो' ने ली तो स्नेह प्रदर्शन के लिए 'टा-टा' शब्द व्यवहार में आने लगा।

(6) धर्म पर प्रभाव— ईसाइयत के आगमन के पहले के हिन्दू धर्म में इसाइयत के सघात से सशोधन हुए। ईसाइयों के आने के पूर्व हिन्दुत्व सिमटकर पौराणिक हो गया था और अन्ध विश्वास को छोड़कर उसका कोई रूप दिखायी न देता था। हिन्दू धर्म का नेता पंडा और पुरोहित वर्ग था जिसकी सबसे बड़ी पूँजी रूढियों और अन्ध विश्वास थी।⁶ अनेकों देवी देवताओ (बहुदेववाद) में विश्वास बढ़ने के कारण धर्म साधारण आदमी की समझ से परे था। ईसाइयत ने एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और तार्किकता का प्रसार किया। ईसाई मिशनरियो ने हिन्दू धर्म पर आलोचना के वाण बरसाना शुरू किया और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। ईसाइयत ने हिन्दू धर्म के रूढिवादी तत्त्वों में सुधार करने की प्रेरणा पैदा की। परिणामस्वरूप भारत में अनेक सुधारवादी धार्मिक सम्प्रदायो का उदय हुआ। हिन्दू धर्म संशोधित कर उसे नया रूप देने के उद्देश्य से अथवा हिन्दुत्व को रूढियों से मुक्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मसमाज और आर्य समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज के सस्थापक राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में अटल विश्वास रखते थे, मूर्ति—पूजा के विरोधी थे। ब्रह्म समाज ने लोगो का ध्यान वेदान्त में निरूपित निर्विकार एक ब्रह्म की ओर आकृष्ट किया। ईसाइयत के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दुत्व में निराकार ईश्वर की धारणा प्रबल हुयी। आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने हिन्दू धर्म को रूढियों से मुक्त करके उसे निर्मल रूप दिया, वैज्ञानिकता के साथ हिन्दू धर्म को ससार के सामने रखा।

जनजातीय सस्कृति

(Tribal Culture)

भारतवर्ष में कई तरह के सामाजिक समूह पाये जाते हैं। इनमें जाति, प्रजातीय समूह, वर्ण और जनजाति मुख्य हैं। जहाँ वर्ण और जाति हिन्दू समाज की विशेषताएँ हैं वही जन-जातियाँ आदिवासी समाज की विशेषता हैं। जनजातीय समाज के कुछ कतिपय रोचक और विचित्र रीतिरिवाजों, आदर्शों और मूल्यों ने समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। जाति और जनजाति को अधिकांश लोग एक दूसरे का पर्यायवाची समझते थे, जिससे इन शब्दों के विषय में अत्यधिक भ्रान्ति फैली हुयी थी। अतीत में अनेक जन जातियों को जाति के रूप में परिभाषित किया गया और कई जातियों ने जनजातीय सजा प्राप्त की।¹ जाति और जनजाति का भेद स्पष्ट करने के पूर्व जनजाति की परिभाषा करना आवश्यक है।

जनजाति की परिभाषा— एक जनजाति क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए गिलिन और गिलिन समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि—“एक जनजाति आदिम स्थानीय समूहों का ऐसा कोई भी सकलन है जिसका सामान्य निवास स्थान हो सामान्य भाषा हो और जिसकी सामान्य सस्कृति हो।”² डा रिचर्स सामान्य भूभाग को जनजातियों का प्रमुख लक्षण स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप की राय में “जनजाति एक सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक ही भाषा बोलते हैं और युद्ध जैसे विषयों में सामूहिक रूप में भाग लेते हैं।” प्रसिद्ध मानवशास्त्री मजूमदार डा रिचर्स के दृष्टिकोण से असहमत हैं और आपका कहना है कि भारतीय जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है। गिलिन और गिलिन तथा समाजशास्त्री मैक्सबेबर तो जनजाति की क्षेत्रीय विशेषता को इतना महत्त्व देते हैं कि यदि एक जनजाति क्षेत्रीय महत्त्व को खो बैठे तो आपके अनुसार वह जनजाति जाति का रूप ग्रहण कर लेती है। मदन और मजूमदार ने अपनी पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि “आसाम के चाय-बागानों में काम करने वाले सन्थाल बिहार अथवा बंगाल के क्षेत्र विशेष को अपना निवास स्थान बतलाते हैं।” अतः सिद्ध होता है कि सामान्य भूभाग जनजाति का एक प्रमुख लक्षण है।

एक जनजाति के समस्त आवश्यक लक्षणों का उल्लेख करने वाली डा मजूमदार की परिभाषा इस प्रकार है—“एक जनजाति परिवार अथवा परिवार

1-डी एन मजूमदार और टी एन मदन ऐन इन्ट्रोडक्शन टु सोशल एन्थ्रोपोलोजी पृ 240।

2 गिलिन और गिलिन कल्चरल सोशियोलोजी पृ 282।

समूहों का सकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक ही स्थान पर बसते हैं एक ही भाषा बोलते हैं और विवाह व व्यवसाय के सबंध में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और जिन्होंने पारस्परिकता और पारस्परिक दायित्वों की एक सुमूल्यव्यवस्था को विकसित किया है।"

जाति और जनजाति में अन्तर— कुछ विशेषताये जाति और जनजाति में ऐसी पायी जाती हैं जिनके आधार पर जाति और जनजाति में भेद किया जा सकता है। जनजातियों में जन्म विवाह और मृत्यु के सम्बन्ध में प्रचलित परम्पराये जातियों में प्रचलित परम्पराओं से भिन्न हैं। जनजातियों में युवागृह नामक सामाजिक संस्था पायी जाती है जिसका जातियों में पूर्णतया अभाव है। यही नहीं जनजातियों की नैतिक संहिता हिन्दू और मुसलमानों से भिन्न है। जनजातियों में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न है। अन्तरो के साथ-साथ जाति और जनजाति में काफी समताये भी हैं, जो इस प्रकार हैं—

- 1 जाति और जनजाति दोनों परिवार समूहों का सकलन हैं।
- 2 सामान्य भाषा और सामान्य निवास—स्थान के लक्षण दोनों में विद्यमान हैं लेकिन स्मरण रहे सामान्य भाषा और सामान्य निवास जातियों के अनिवार्य लक्षण नहीं हैं।
- 3 दोनों अन्तर्विवाही हैं।
- 4 दोनों में पचायते ही राजनैतिक संगठन का प्रमुख रूप हैं।
- 5 जनजाति की सदस्यता जन्मजात होती है और जाति की भी।
- 6 जनजातियों में क्लाने पाई जाती हैं और जातियों में गोत्र। क्लान और गोत्र दोनों बहिर्विवाही समूह हैं।

इन समताओं के अलावा दोनों में कुछ मौलिक भिन्नताये भी पायी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं—

- 1 सामान्य भाषा और सामान्य निवास—स्थान जनजातियों के प्रमुख लक्षण हैं। एक क्षेत्र विशेष में फैला होना जाति की एक आम विशेषता नहीं है।
- 2 जातियाँ गोत्रों में विभक्त हैं जबकि जनजातियाँ क्लानों में विभक्त रहती हैं। जिस प्रकार जाति को जनजाति नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार क्लान को गोत्र नहीं कहा जा सकता है। गोत्र का नामकरण वैदिक ऋषियों के आधार पर किया गया है, जबकि क्लान का नामकरण पशुओं पैड़ों अथवा पौधों के आधार पर किया गया है। उस पैड़ पशु और पौधे को मानवशास्त्र में 'टोटेम' कहा जाता है जिसके आधार पर क्लान का नामकरण किया जाता है।
- 3 जनजातियाँ आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयाँ हैं, जबकि जातियाँ विस्तृत आर्थिक संरचना की उप-इकाइयाँ हैं। जाति हिन्दू समाज का एक खण्ड होती है और अपने-अपने ही अन्य खण्डों पर निर्भर करती है।
- 4 एक जनजाति के अन्तर्गत श्रेणी और पद के अन्तर हो सकते हैं जबकि जाति के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एक सी होती है।

5 जनजातियो मे युवागृह पाये जाते है जबकि जातियो मे इनका पूर्णरूपेण अभाव है। इन युवागृहो मे अविवाहित युवक और युवतियाँ रात्रि बिताते है। गाँव के सभी अविवाहित लडके और लडकियाँ युवागृह के सदस्य होते हैं। विवाहोपरान्त युवागृह की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

जनजातीय सामाजिक सगठन को समझने के लिए जनजातीय परिवार धर्म और विवाह का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहाँ जनजातीय परिवार व विवाह का विवरण करना ही पर्याप्त होगा।

जनजातीय परिवार — जनजातियो मे परिवार का जो रूप मिलता है उसमे सरस्था के तत्त्व अधिक होते है। अत आदिवासी परिवार को सस्थागत प्रकार का परिवार कहा जा सकता है। सस्थागत प्रकार के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उत्पादन और उपभोग की इकाई है यह एकविवाही परिवार से बडा होता है और इसमे कई पीढियो के लोग एक साथ रहते है। आदिवासी परिवार को हम विस्तृत परिवार की सजा दे सकते हैं। जनजातियो मे एकविवाही परिवार बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व पर आधारित परिवार भी पाये जाते है। पितृसत्ताक और मातृसत्ताक परिवार प्रणालियाँ भी प्रचलित है। खरिया और हो परिवार पितृसत्ताक परिवार के उदाहरण है। पितृसत्ताक परिवार प्रणाली मे कर्ता पुरुष होता है वश पिता के नाम पर चलता है पारिवारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी लडके होते है और विवाह के बाद वधू अपने पति के घर जाकर रहती है। मातृसत्ताक परिवार मे कर्ता स्त्री होती है वश माँ के नाम से चलता है विवाह के बाद वधू अपनी माँ के ही घर रहती है और सम्पत्ति का उत्तराधिकार माँ से पुत्री को मिलता है। सक्षेप मे भारतीय जनजातियो मे पितृसत्ताक सयुक्त परिवार पाये जाते है और इनमे कही कही मातृसत्ताक के भी तत्त्व पाये जाते हैं जो साधारणतया गौण है। जनजातीय समाज मे मूल परिवार भी पाये जाते है।

जनजातीय विवाह— विवाह की प्रकृति, रीति-रिवाज और आदर्शों की दृष्टि से भी जनजातियो और जातियो मे भेद है। एक हिन्दू विवाह मे ऐसी कन्या को स्वीकार किया जाता है जिसका कौमार्य नष्ट न हुआ हो। जनजातियो मे कौमार्य (वरजिनिटी) को महत्त्व नहीं दिया जाता है और न ही इसे एक मूल्य के रूप मे स्वीकार किया जाता है क्योकि जनजातियो के सामाजिक जीवन मे विवाह के पूर्व यौन-संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता है। मध्यभारत मे उस समय तक विवाह के पूर्व यौन-संबंधो पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है यदि इनसे कन्या गर्भवती न हो क्योकि कन्या का गर्भवती होना कन्या के माता-पिता के लिए लज्जा का विषय है। यदि कन्या विवाह के पूर्व गर्भवती हो जाती है तो कन्या से सतान के पिता का नाम पूछा जाता है अर्थात् जिसने कन्या को गर्भवती किया है उसका नाम पूछा जाता है। तत्पश्चात् ऐसे पुरुष को जिसने कन्या को गर्भवती किया हो, कन्या के साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया

जाता है। विवाहेतर यौन—संबंधों को जनजातियों में सरलतापूर्वक सहन नहीं किया जाता है फिर भी भारतीय आदिम जातियों में विवाहेतर यौन संबंध स्थापित करने की स्वतन्त्रता है। कुछ महत्त्वपूर्ण अवसरों पर जैसे माघे परब पर हो और खाददी तथा ओराव जनजातियों के स्त्री—पुरुष स्वच्छन्दता पूर्वक यौन—संबंध स्थापित करते हैं।

जनजातीय विवाह की प्रकृति— हिन्दू विवाह की भाँति जनजातीय विवाह एक धार्मिक कृत्य नहीं है। जनजातीय—विवाह एक सिविल कान्ट्रैक्ट है। इसलिए सभी जनजातियों में विवाह धार्मिक तरीके से सम्पन्न नहीं किया जाता है। हिन्दू—संस्कृति के सम्पर्क के फलस्वरूप धार्मिक रीति से विवाह सम्पन्न करना जनजातियों में प्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाने लगा है। मध्यभारत की जनजातियों में अनेक ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं जहाँ जनजातीय लोक में परम्परागत विवाह विधि के साथ हिन्दू धार्मिक विवाह की भी कुछ नकल दिखाई पड़ती है।

जनजातियों में विवाह की आयु— वयस्क हो जाने पर जनजातियों में लड़के और लड़कियों में विवाह होता है और इस अर्थ में जनजातियों सभ्य और प्रगतिशील कहे जाने वाले लोगों से बहुत आगे हैं। अवयस्कता की स्थिति में विवाह उन्हीं जनजातियों में होता है जहाँ हिन्दू—संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ चुका है। श्री तारक चन्द दास ने अपने सामाजिक संगठन नामक लेख में वैवाहिक आयु के विषय में उल्लेख करते हुए लिखा है कि “छोटा नागपुर में रहने वाले अधिक समृद्ध सथाल, मुण्डा और ओराव परिवार हिन्दुओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आ चुके हैं। इन लोगों में 9 या 10 साल की लड़की और 12 या 13 साल के लड़के का विवाह हो जाता है। परन्तु असम की नागा और कूकी जनजातियों की लड़कियाँ 15 से 20 वर्ष की आयु में और लड़के 18 से 25 वर्ष की आयु में विवाह करते हैं।”

जनजातियों में जीवन—साथी का चुनाव— आदिवासियों में जीवन साथी का चुनाव एक अति महत्त्वपूर्ण विषय है और चुनाव के तरीके विचित्र तथा विविध हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के आठ मनोरंजक तरीके अपनाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं—

1 प्रोबेशन विवाह 2 परीक्षा विवाह, 3 बलपूर्वक विवाह करने की प्रथा, 4 सेवा विवाह, 5 कय विवाह, 6 विनिमय विवाह, 7 पलायन विवाह, 8 पैदू विवाह।

(1) **प्रोबेशन विवाह—** जीवन साथी चुनने का यह तरीका कूकियों में पाया जाता है। कूकी लोगों में एक युवा व्यक्ति एक युवती के घर कुछ सप्ताह रहता है। इसके बाद यदि वे चाहें तो विवाह कर सकते हैं। यदि दोनों का स्वभावगत मेल नहीं बैठता है तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युवा पुरुष, युवती के माता—पिता की क्षतिपूर्ति के रूप में नकद धनराशि देता है।

(2) **परीक्षा विवाह—** जीवन साथी प्राप्त करने की यह पद्धति भीलों में

प्रचलित है। इस विवाह में विवाह से पहले वर को अपनी शक्ति और साहस का परिचय देना पड़ता है। इस विवाह को गोल गेधादो विवाह भी कहा जाता है। गोल गेधादो प्रथा में होली के अवसर पर किसी पेड़ या जमीन पर गड़े खम्भे के आसपास अविवाहित युवक और युवतियाँ नाचते हैं। इस नृत्य में पहले पोल के आस पास युवतियाँ अपना घेरा बना लेती हैं और युवक युवतियों के घेरे के बाहर घेरा बनाकर नाचते हैं। पोल पर गुड़ और नारियल बँधा रहता है। नाचते-नाचते जब कोई युवक लडकियों का घेरा तोड़कर पोल पर चढ़ने में सफल हो जाता है तो वह नृत्य करने वाली युवतियों में से किसी को अपनी पत्नी के रूप में चुन सकता है उसे तत्काल वहाँ से ले जा सकता है। याद रहे पोल पर चढ़ना निर्विघ्न नहीं है। पोल या पेड़ पर चढ़ते समय युवतियाँ युवक को रोकती हैं और रोकने के लिए वे उसके कपड़े नोच सकती हैं उसे चुटकी काट सकती हैं, या झाड़ू से मार सकती हैं।

3 बलपूर्वक विवाह करने की प्रथा — भारतीय दण्ड संहिता के लागू होने से ऐसे विवाहों का प्रचलन कम हो गया है। नागाओ में भी अब भी जीवन साथी प्राप्त करने का यह एक तरीका है। हो गोड और भील लोगों में विवाह करने का यह तरीका प्रचलन में है। कन्या मूल्य अधिक होने के कारण 'हो' लोगों में विवाह करने का यह तरीका अपनाया जाता है। गोड लोगों में कन्या को बलपूर्वक ले जाने के लिए कन्या के माता-पिता प्रार्थना करते हैं। गोड लोगों में जब कन्या बल पूर्वक ले जायी जा रही होती है तो कन्यापक्ष के लोग विरोध का झूठा बहाना करते हैं। इस अवसर पर वधु से यह आशा की जाती है कि वह रोये और विलाप करे।

सशरीर बलपूर्वक कन्या को ले जाने के अलावा खरिया और बिरहोर लोगों में बलपूर्वक सास्कृतिक हरण भी चलन में है। खरिया और बिरहोर जनजातियों में यदि एक व्यक्ति अपनी चाहने वाली को सीधे तरीके से नहीं प्राप्त कर सकता है तो किसी सार्वजनिक स्थान पर रुका रहता है और जब वह युवती जिसे वह चाहता है वहाँ आती है तो उसके मस्तक पर सिदूर लगा देता है। यह सिदूर लगाने की क्रिया विवाह के तुल्य मानी जाती है।

4 सेवा-विवाह— गोड, बैगा और बिरहोर जनजातियों में यदि कोई व्यक्ति कन्या-मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे भावी ससुर के घर जाकर कुछ काल तक रहना पड़ता है। वहाँ रहकर वह घर का काम काज करता है और उसके बाद विवाह करके अपने घर वापस आ जाता है। चूँकि इस पद्धति में वर कन्या मूल्य चुका न सकने के कारण ससुर के घर रहकर उसकी सेवा करता है इसीलिए ऐसे विवाहों को सेवा-विवाह की श्रेणी में रखा गया है। खस जनजाति में भावी दामाद को पहले अपने ससुर के यहाँ रहकर कुछ समय तक कृषि-कार्य में सहायता करनी पड़ती है और फिर वह उसकी कन्या से विवाह करने का अधिकारी होता है।

5 **क्रय—विवाह**— वधू—मूल्य देकर पत्नी चुनने का तरीका भी जनजातियों में प्रचलित है। मुद्रायी आर्थिक—व्यवस्था के प्रभाव से वधू—मूल्य शनै शनै नकद रकम का रूप लेता जा रहा है। उपर्युक्त वर्णित सेवा विवाह भी वास्तव में क्रय विवाह का ही एक रूप है जिसमें वर को नकद रकम चुका न सकने के कारण अपने भावी ससुर की सेवा करनी पड़ती है। मुण्डा जनजातियों में वधू—मूल्य की धनराशि लड़की की सुन्दरता उम्र और उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहती है। क्रय विवाह आदिवासी समाज की ही एक मात्र विशेषता नहीं है हिन्दू समाज में भी इसका प्रचलन रहा है और आज भी चोरी छिपे क्रय विवाह होते हैं। ऐसे विवाह चाहे आदिवासी समाज में हो या हिन्दू समाज में निश्चित रूप से निन्दनीय हैं क्योंकि कन्या बेचना एक अमानुषिक कृत्य है और इस अर्थ में एक अपराध है।

6 **विनिमय विवाह**— विवाह का यह तरीका भी वधू—मूल्य समस्या के फलस्वरूप ही प्रचलित हुआ होगा। जब दो परिवार कन्याओं का विनिमय कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को विनिमय विवाह कहते हैं। जहाँ मामा—फूफी की सन्तानों में विवाह (कास कजिन मैरिज) की परम्परा है वहाँ विनिमय विवाह आसानी से हो जाता है। केवल असम की खासी जनजाति में ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं है। विनिमय विवाह में पत्नी प्राप्त करने के लिए युवक अपनी बहिन अपनी पत्नी के पिता के गृह में भेज देता है। ऐसे विवाहों में दो परिवारों के युवक एक दूसरे के बहनोई और साले दोनों हो जाते हैं।

7 **पलायन विवाह**—जनजातियों में ऐसे विवाहों का आश्रय उस परिस्थिति में लिया जाता है जब युवक और युवती विवाह करने के लिए पूर्णरूपेण राजी हो लेकिन जनजातीय नियमों की बाधा के कारण अथवा उनके माता—पिता की अनिच्छा के कारण उन्हें विवाह करने की अनुमति न मिल रही हो। ऐसी स्थिति में विवाह के लिए राजी युवक और युवती गाँव से दूर किसी जंगल में या बस्ती में पलायन कर जाते हैं और वहाँ तब तक रहते हैं जब तक उनके माता—पिता ऐसे विवाह के लिए राजी न हो जाएँ या वे एक सन्तान को जन्म न दे ले। सन्तान का जन्म हो जाने के बाद ऐसे युवक और युवती पति—पत्नी बन जाते हैं, भले ही उन्हें कुछ यातनाओं का सामना क्यों न करना पड़े। इसे प्रेम—विवाह भी कहा जा सकता है। यह विवाह का एक अनियमित और समाज असम्मत तरीका है।

8 **पैतृ विवाह**— यह विवाह एक तरफा प्रेम का परिचायक है। इस विवाह में लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है उस लड़के के घर चली जाती है और कुछ समय की भर्त्सना और अपमान के बाद स्वीकृत हो जाती है। यह पद्धति ही, विरहोर, ओरांव कमार संथाल तथा कुछ संशोधित रूप से थारू जनजाति में भी प्रचलित है। विरहोर और थारू जनजाति में ऐसे विवाहों को सजा दी जाती है।

विवाह के अन्य रूप

एक विवाह और बहु विवाह प्रथा जनजातीय जीवन में प्रचलित है। आदिवासी और सभ्य समाजों में एक विवाह की ही प्रथा का आदर्श रहा है। विवाह की इस पद्धति में एक समय में एक पुरुष की एक पत्नी होती है और एक पत्नी का एक पति होता है। सभ्य समाजों से सम्पर्क बढ़ने के कारण जनजातियों में एक विवाह प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथाएँ भी जनजातीय-जीवन में व्याप्त रही हैं। बहुविवाह में एक पुरुष एक समय में कई नारियों से और एक नारी कई पुरुषों से विवाह करती है। पहली पत्नी के सन्तान न होने पर, परिवार में काम करने वालों की अधिक आवश्यकता होने पर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुपत्नीत्व का प्रचलन रहा है। सौतिया डाह और भरण-पोषण की समस्या के कारण इन विवाहों का प्रचलन सीमित रहा है। भारत में नागा बैगा गोड और लुसाई जनजातियों में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह आदिवासी जीवन की निजी विशेषता है। देहरादून जिले के जौनसार-बाबर परगनों की खस जनजाति और नीलगिरि पर्वत की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। खस जनजाति में सगे भाई एक या कई पत्नियों से सम्मिलित विवाह करते हैं। अतः खस जनजाति में भ्रातृबहुपति विवाह पाया जाता है। टोडाओं में भी भ्रातृबहुपति विवाह का ही प्रचलन है। अन्तर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम भी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। जनजातियाँ अन्तर्विवाही होती हैं लेकिन जनजातियों में पायी जाने वाली कलाने बहिर्विवाही होती है।



पर-संस्कृति-ग्रहण की अवधारणा (Concept of Acculturation)

पर-संस्कृति-ग्रहण का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि आज विश्व की कोई भी संस्कृति विशुद्ध नहीं है। विश्व की हर संस्कृति में दूसरी किसी संस्कृति के कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य शामिल हो गये हैं। सम्पर्क विस्तार के साधनों में द्रुत विस्तार के साथ-साथ यह उत्तरोत्तर और भी कठिन होता जा रहा है कि कोई संस्कृति अपने तत्त्वों को अन्य बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से बिलकुल सुरक्षित रख सके। पर-संस्कृति-ग्रहण वहाँ बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है जहाँ पर एक समाज ने दूसरे समाज पर आक्रमण किया हो। विजेता अपना जीवन-तरीका (way of life) विजित लोगों पर थोपने का प्रयत्न करता है और यह थोपने का कार्य कितना ही सरल क्यों न हो विजेता भी विजितों के रीति-रिवाजों को अपनाने लगते हैं।¹

इतिहास हमें बताता है कि विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आती रही हैं और परस्पर प्रभावित होकर एक दूसरे के तत्त्वों को ग्रहण करती रही हैं और ग्रहण करके उन्हें अपनी संस्कृति में स्थान देती रही हैं। सामान्य रूप से जब कभी दो विभिन्न संस्कृतियों वाले समूह एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से प्रभावित जरूर होते हैं और उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रिया अवश्य होती है। यदि दो संस्कृतियों में सबंध आमने-सामने का है और दीर्घकाल तक बना रहता है तो ऐसी स्थिति में पर-संस्कृति-ग्रहण की अधिक संभावना होगी और हो सकता है कि एक संस्कृति-समूह का सम्पूर्ण सांस्कृतिक जीवन दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिमानों को कम ग्रहण करे या अधिक, चाहे एक संस्कृति का सम्पूर्ण जीवन दूसरी संस्कृति के प्रभाव के अन्तर्गत बदले अथवा उसमें आंशिक परिवर्तन आये, दोनों ही स्थितियाँ पर-संस्कृति-ग्रहण का द्योतन करती हैं।

पर-संस्कृति-ग्रहण का अर्थ—अंग्रेजी के शब्द एकल्चरेशन का हिन्दी रूपान्तर पर-संस्कृति-ग्रहण है। कुछ लोग एकल्चरेशन के लिए हिन्दी में संस्कृति-संकमन कहना पसन्द करते हैं लेकिन संस्कृति-संकमन का प्रयोग अंग्रेजी के Cultural Transmission की जगह करना अधिक उपयुक्त है। पर-संस्कृति-ग्रहण संस्कृति-प्रसारण अधिक निकट है लेकिन पर-संस्कृति-ग्रहण संस्कृति-प्रसारण नहीं है। हाँ, यह सच है कि संस्कृति-प्रसारण पर-संस्कृति-ग्रहण

की प्रक्रिया का एक अंश है। सस्कृति-प्रसरण और पर-सस्कृति-ग्रहण दोनों में सस्कृति-सकमण निहित है।

पर-सस्कृति-ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सस्कृति दूसरी (बाह्य) सस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों (विचारों भावनाओं और व्यवहार-प्रतिमानों आदि) को ग्रहण करती है और उन्हें अपनी सस्कृति में स्थान देती है। हम दूसरे की सस्कृति की बहुत सी बातों का अनुकरण कर उन्हें अपना लेते हैं। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में जब अंग्रेज लोग आये तब उनकी सस्कृति की बहुत सी बातों का अनुकरण भारतीयों ने किया। कोट पैण्ट और नेकटाई का प्रयोग यहाँ शुरू हुआ। खाते समय छुरी काटे और मेज-कुर्सी का प्रयोग किया जाने लगा। यह सही है कि हम अंग्रेजों के चारित्रिक गुणों का अनुकरण न कर सकें लेकिन उनकी वेश-भूषा को अपना लिया। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि चारित्रिक गुणों की अपेक्षा किसी की बाह्य क्रियाओं को अपनाना अपेक्षाकृत सरल होता है। पर-सस्कृति ग्रहण का अर्थ सुस्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएँ उद्धृत करना उचित है। नीचे राबर्ट वीरस्टेड गिलिन और गिलिन तथा डॉ श्यामाचरण दुबे की परिभाषाएँ दी जा रही हैं।

1 Acculturation is the process by which we acquire the culture of a contemporary society other than our own²

2 We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long continued contact, but without a complete blending of the two cultures³

3 दो सस्कृतियों के सम्पर्क की स्थिति में यदि एक सस्कृति दूसरी सस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर-सस्कृति-ग्रहण कहेंगे।⁴

1 पर-सस्कृति-ग्रहण एक प्रवर्णात्मक (Selective) प्रक्रिया है - इसका अर्थ यह है कि आवश्यक नहीं है कि सम्पर्क में आये हुए दो सस्कृति समूहों में से एक समूह का सम्पूर्ण सांस्कृतिक जीवन दूसरे समूह की सस्कृति द्वारा बदल दिया जाता हो। एक सस्कृति-समूह सम्पर्क में आए हुए दूसरे सस्कृति-समूह के कुछ विशिष्ट तत्वों को ही ग्रहण करता है।

2 पर-सस्कृति-ग्रहण की प्रक्रिया द्विपक्षीय है - इसका अभिप्राय यह है कि पर-सस्कृति-ग्रहण का कार्य एक तरफ नहीं होता है। जब दो भिन्न सस्कृति वाले समूह एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एक सस्कृति-समूह दूसरे सस्कृति-समूह के सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता हो

2- वीरस्टेड वही पृष्ठ 177

3- गिलिन और गिलिन कल्चरल सोशियोलोजी पृष्ठ 536

4- दुबे, श्यामाचरण मानव और सस्कृति पृष्ठ 237

5- गिलिन और गिलिन कल्चरल सोशियोलोजी पृष्ठ- 536

वरन दूसरा सस्कृति—समूह भी पहले सस्कृति—समूह से कुछ ग्रहण करता है। अत दो सस्कृतियों में होने वाले सास्कृतिक प्रतिमानों अथवा तत्त्वों के परस्पर आदान—प्रदान की प्रक्रिया के रूप में पर—सस्कृति—ग्रहण को समझा जा सकता है।

पर—सस्कृति—ग्रहण की प्रक्रिया दो बातों पर निर्भर करती है। (1) सम्पर्क में आए हुए सस्कृति—समूहों के सदस्यों की सामाजिक मानसिक पृष्ठभूमि (मनोवृत्ति) और (2) सम्पर्क का स्वरूप। क्या चीज ग्रहण की जाय और क्या न ग्रहण की जाय यह बहुत कुछ निर्भर करता है ग्रहण करने वाले की मनोवृत्ति पर। दूसरे शब्दों में ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय ग्रहीता की मनोवृत्ति पर आधारित है। सम्पर्क कैसा है इस पर भी पर—सस्कृति—ग्रहण की प्रक्रिया निर्भर करती है। सम्पर्क प्रत्यक्ष (आमने—सामन का) है अथवा परोक्ष दीर्घकाल तक बना रहता है अथवा अल्पकाल में ही समाप्त हो जाता है आदि बातें पर—सस्कृति—ग्रहण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

हमारा भारत देश अनेक सस्कृतियों का सगम स्थल रहा है। मुसलमान ईसाई और योरोपवासियों आदि की सस्कृतियों से भारतीयों का सम्पर्क हुआ है। यहाँ पर—सस्कृति—ग्रहण की प्रक्रिया द्विपक्षीय रही है। आर्यों ने द्रविड़ों की सस्कृति को प्रभावित किया तथा द्रविड़ों ने आर्य सस्कृति को। हिन्दू सस्कृति ने मुस्लिम सस्कृति को प्रभावित किया और मुस्लिम सास्कृतिक तत्वों ने हिन्दू सस्कृति को रूपान्तरित किया। ईसाइयों ने हिन्दू सस्कृति को प्रभावित किया और हिन्दुओं ने ईसाई सस्कृति को। पर—सस्कृति—ग्रहण की द्विपक्षीय प्रक्रिया में यह हो सकता है कि एक सस्कृति ने दूसरी सस्कृति के अपेक्षाकृत अधिक तत्त्व ग्रहण कर लिया हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक सस्कृति तो दूसरी सस्कृति के सास्कृतिक प्रतिमानों को अपना ले और दूसरी पहली सस्कृति के सास्कृतिक प्रतिमानों से अछूती रहे। यहाँ हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों के उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पर—सस्कृति—ग्रहण की प्रक्रिया द्विपक्षीय (Two Way Traffic) है। जब हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों का सम्पर्क हुआ तो मुस्लिम सस्कृति का हिन्दूकरण हुआ और हिन्दू सस्कृति में मुस्लिम तत्वों का प्रवेश हुआ।

मुस्लिम सस्कृति का हिन्दूकरण— हिन्दुओं के सपर्क में आने से हिन्दू सस्कृति के तत्त्व मुस्लिम समाज में प्रवेश करने लगे। सस्कृत ग्रन्थों के अरबी और फारसी में अनुवाद से हिन्दू विचारों और प्रभावों का मुस्लिम सस्कृति में प्रवेश प्रारम्भ होता है। अकबर व दाराशिकोह की प्रेरणा से वेदों उपनिषदों, महाभारत रामायण और गीता आदि के फारसी में अनुवाद हुए। 'तुहफातुलहिन्द' नाम की पुस्तक में औरंगजेब ने हिन्दू विद्याओं का फारसी में संग्रह करवाया था। अबुल फजल (1551—1602) द्वारा लिखित, आइन—ए—अकबरी, पुस्तक संस्कृत में लिखे गये हिन्दू नीतिशास्त्रों का फारसी संस्करण प्रतीत होती है अबुल फजल राजनैतिक सगठन के स्थायी रहने के लिए ठीक—ठीक श्रेणी विभाजन को

आवश्यक समझते थे। उनके मतानुसार योद्धा व्यापारी विद्वान और श्रमिक समाज की चार श्रेणियाँ हैं जिनका ठीक-ठीक समन्वय करना राजा का कर्तव्य है। अबुल फजल का समाज का उक्त चार श्रेणियों में विभाजन वर्ण व्यवस्था का ही प्रभाव है।

अरबी और फारसी में अनूदित सस्कृत ग्रन्थों द्वारा हिन्दू सस्कृति का प्रभाव तो पडा ही साथ ही साथ मुस्लिम सस्कृति को उन हिन्दुओं ने भी प्रभावित किया जिन्होंने इस्लाम में दीक्षा ली थी। भारत के मुसलमानों ने काफी हद तक हिन्दू प्रथाओं और मान्यताओं को अपना कर उन्हें अपने समाज में जगह दी। मुस्लिम विवाह की हल्दी और चौथी की रस्में भारतीय हैं।

हिन्दू प्रभाव के फलस्वरूप मुसलमानों में जाति व्यवस्था का विकास हुआ। अन्तर्विवाह और ऊँच-नीच का भेदभाव आदि हिन्दू जाति व्यवस्था की विशेषताएँ मुस्लिम जाति व्यवस्था में विद्यमान हैं। हिन्दुओं की देखा-देखी मुसलमानों में ऊँच-नीच की प्रथा प्रचलित हुई और यह नियम प्रतिष्ठित हुआ कि सैयद शेख की कन्या से विवाह कर सकता है लेकिन शेख सैयद की बेटी को नहीं ब्याह सकता।

मुसलमानों में स्नान करने की आदत का विकास और पगड़ी का प्रयोग हिन्दू प्रभाव के द्योतक हैं। हिन्दू समाज में प्रचलित अन्ध-विश्वास और रूढ़ियों के प्रभाव से इस्लाम में भी कुछ रूढ़ियाँ पैदा हो गयीं। यथा-सगुन में विश्वास हिन्दू श्राद्ध की ही भँति मृत व्यक्तियों के नाम पर भोज करना और खैरात बॉटना सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा माँग में सिन्दूर का प्रयोग विवाह के अवसर पर सोहाग पूरा का प्रयोग दरगाह पर माथा टेकना शीतला माता में विश्वास और छठ का व्रत (सूर्य पूजा) रखना आदि बातें मुसलमानों ने हिन्दुओं से अपनायीं। दिनकर जी का मत है कि मुसलमान का शबे-बरात पर्व शिवरात्रि से प्रभावित है।

ए सोशल हिस्ट्री आव् इस्लामिक इण्डिया' के लेखक यासीन का मत है कि भारत में ताजियों का गाडना और उन पर नाटकीय आक्रमण करना हिन्दुओं की रामलीला की इस्लामी नकल है। बाल विवाह और स्त्री पर पुरुष के आधिपत्य के विचार मुसलमानों ने हिन्दुओं से अपनाए।

हिन्दू समाज एवं सस्कृति पर मुस्लिम सस्कृति का प्रभाव (Impact of Muslim Culture on Indian society and Culture)—जहाँ एक ओर मुस्लिम संस्कृति का हिन्दूकरण हुआ वही दूसरी ओर मुस्लिम सस्कृति ने हिन्दू समाज तथा संस्कृति को प्रभावित भी किया। हिन्दू सस्थाओं व हिन्दुओं के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर मुस्लिम सस्कृति का जो प्रभाव पडा वह निम्नलिखित है—

(1) परिवार पर प्रभाव — हिन्दू परिवारों में यर्दा प्रथा का प्रवेश इस्लाम की देन है। मुसलमानों में पर्दे का रिवाज था। पर्दा प्रणाली से स्त्रियों की

स्वतंत्रता को गहरा अघात लगा। उन्हें परिवार के अन्दर भी पर्दा करने के लिए विवश किया जाने लगा। मुसलमानों की देखा देखी सम्पन्न हिन्दू परिवारों की स्त्रियों इधर उधर जाने के लिए पालकी व डोली का प्रयोग करने लगीं। पर्दा के कारण स्त्रियों को घुटन के वातावरण में रहना पड़ा। अपनी बहु बेटियों की रक्षा करने के उद्देश्य से भी हो सकता है कि हिन्दुओं ने पर्दा प्रथा को अपना लिया हो।

(2) **विवाह पर प्रभाव** — मुसलमान शासक रूपवती हिन्दू लड़कियों को अपनी पत्निया बनाने का शौक रखते थे। इस भय के कारण कि कहीं हिन्दू लड़कियों को मुसलमान न ब्याह ले हिन्दुओं ने छोटी उम्र में उनका विवाह करना आरम्भ किया जिससे बाल विवाहों को प्रोत्साहन मिला। मुसलमान हिन्दू विधवाओं को न ब्याह सके इसलिए विधवा पुनर्विवाह पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये और सती प्रथा के आदर्श को प्रतिष्ठित किया गया। सती प्रथा के कारण पति की मृत्यु होने पर विधवा को उसके पति के साथ जबर्दस्ती जला दिया जाता था।

(3) **जाति व्यवस्था पर प्रभाव** — इस्लाम के प्रभावों से हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए जाति के नियमों को और कठोर बनाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जातियों में रूढ़िवादिता तथा सकीर्णता का विकास हुआ। निम्न जाति के लोग अपनी स्थिति के विचार से इस्लाम धर्म अंगीकार करने लगे जिसके फलस्वरूप निम्न जाति के सदस्यों की संख्या में कुछ कमी आ गई।

(4) **पहनावे तथा भोजन पर प्रभाव** — उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हिन्दुओं ने मुसलमानी पोशाक को खुशी खुशी अपना लिया। मुस्लिम अचकन और पैजामे का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। भोजन में मांस व अण्डे का प्रयोग किया जाने लगा। हिन्दू व्यंजनों में मध्य एशिया के पोलाव और बिरियानी पकाने के रिवाज का समावेश हुआ।

(5) **धर्म पर प्रभाव** — मुसलमानों के आगमन के पहले हिन्दू धार्मिक जीवन में बहुदेववाद का बोल-बाला था। हिन्दू अनेक देवी देवताओं को मानते थे और उन्हें पूजते थे। बहु देववाद की जगह अद्वैतवाद (एकेश्वरवाद) का विकास इस्लामी देन है। इस्लाम से प्रभावित होकर नानक आदि ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।

(6) **अन्य प्रभाव** — उक्त प्रभावों के अलावा संस्कृति के अन्य क्षेत्रों तथा साहित्य पर भी इस्लामी संस्कृति का व्यापक असर पड़ा। भवन निर्माण कला चित्रकला संगीत कला आदि क्षेत्र में मुसलमानों का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। कागज बनाना, कलाई करना, पत्थर, चादी और सोने पर मीनाकारी का काम आदि मुसलमानों की हिन्दू समाज के लिए प्रमुख देन हैं। देशान्तर तथा अक्षांश गिनने की प्रणाली और जन्म पत्री बनाने की साजक पद्धति हमने मुसलमानों से अपनाया है।

अध्याय—20

जाति और प्रजातंत्र

जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं फिर भी भारत जाति व्यवस्था पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।

जाति एव प्रजातंत्र की भिन्नता दोनों के तालमेल में सहायक—ऐसा विश्वास किया जाता है कि जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रजातंत्र समानता स्वतंत्रता एव सुविधाओं पर जोर देने वाली शासन व्यवस्था है। जाति असमानता पर आधारित है इसमें कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो कुछ को निर्याग्यताओं एव वर्जनाओं का शिकार बनाया गया है। सामाजिक सम्पर्क विषयक नियमों में भी असमानता है। कुछ जातियाँ अछूत हैं तो कुछ स्पर्श्य एव पवित्र हैं। अतः जाति व्यवस्था भेदभाव पर आधारित है। जाति में आवास के विषय में भी समान नियम नहीं थे। कुछ जातियों को गाँव में बस्ती से दूर गाँव के छोर पर बसने की इजाजत थी। वे सवर्णों की बस्ती के बीच अपना घर नहीं बना सकती थी। घरों की बनावट गहनो वस्त्रों एव बर्तनों के रूप की इजाजत या रोक जाति व्यवस्था में थी। अस्पृश्य जातियों का प्रवेश मंदिरों में वर्जित था। शारीरिक दूरी और छुआछूत संबंधी नियम दक्षिण भारत में विशेष महत्त्व रखते थे। पुरतैनी व्यवसाय अपनाने की इजाजत थी। जाति के नियम और सिद्धान्त प्रजातंत्र के नियमों और सिद्धान्तों से भिन्न हैं लेकिन यह भिन्नता जाति और प्रजातंत्र के सह-अस्तित्व के लिए बाधक नहीं है। यह भिन्नता प्रजातंत्र और जाति को पास-पास लाने और साथ-साथ चलने में कोई अडचन नहीं डालती है क्योंकि व्यवहार में दोनों की विपरीत प्रकृति दोनों के तालमेल में सहायक है। यदि प्रजातंत्र सिद्धान्त और नियमों की दृष्टि से जाति के विपरीत न होता तो जाति पर विजय न प्राप्त कर सकता।

जाति की असमानता पर प्रजातंत्र की विजय— प्रजातंत्र ने अपनी समानता की नीति द्वारा जाति की असमानताओं पर जीत हासिल की है। असत्य पर सत्य द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। अन्याय पर

न्याय द्वारा जीत हासिल की जाती है। शोषण को शोषणमुक्त बनकर समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार असमानता पर समानता द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। विशेषाधिकारो एव वर्जनाओ पर समान अधिकारो द्वारा या बराबरी का दर्जा देकर विजय हो सकती है। अधिकार प्रकाश को देखते ही दूर भागता है। दुष्टता पर प्रेम एव सज्जनता द्वारा विजय होती है। इसी प्रकार प्रजातंत्र जो समानता पर आधारित है की विजय जाति पर जो असमानता पर आधारित है निश्चित है। प्रजातंत्र जाति पर हावी है और जाति प्रजातंत्र के सामने कई बातों में घुटने टेक चुकी है।

प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र का अर्थ खोलने के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा सर्वमान्य एव सर्वविदित है।

“लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। अन्य शब्दों में प्रजातंत्र का आधार जनता है।

वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र में नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सुविधाएँ एव स्वतंत्रताएँ प्रदान की जाती हैं। इन्हीं स्वतंत्रताओं एव सुविधाओं को मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। लार्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समस्त जनसमूह में निहित होती है। डॉ. बेनी प्रसाद प्रजातंत्र पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं “प्रजातंत्र जीवन का एक ढग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्त्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता।

आक्सफोर्ड एडवॉन्सड लर्नर्स डिक्सनरी ऑफ करेन्ट इंग्लिश के अनुसार प्रजातंत्र का अर्थ इस प्रकार है।

प्रजातंत्र वह सरकार है जिसमें सभी प्रौढ नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी भागीदारी बनाये रखते हैं।

भाषण धर्म, मत और ससर्ग जैसे नागरिकता के अधिकारों, रूल ऑफ लॉ पर जोर और बहुसंख्यक शासन जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों

के लिए सम्मान हो को प्रजातंत्र उत्साहित और अनुमति प्रदान करता है।

प्रजातंत्र वह समाज है जिसमें नागरिकों को एक दूसरे के बराबर समझकर व्यवहार किया जाता है और वर्ग भावना अनुपस्थित रहती है।

जाति का प्रजातंत्रीकरण — प्रजातंत्र का कार्य जातियों को प्रजातांत्रिक बनाना है। जातियों या तो कुछ अर्थों में प्रजातंत्र की तरह हो जाती है या प्रजातंत्र का समर्थन करती है। इसे ही जातियों का प्रजातंत्रीकरण करना कहा जाता है।

प्रजातंत्र की मान्यताएँ — प्रजातंत्र के अर्थ विवेचन के पश्चात् प्रजातंत्र की उन मान्यताओं की ओर संकेत करना आवश्यक है जिन्होंने जातियों को अविभूत कर रखा है। लोकतंत्र की मान्यताएँ निम्न हैं—

- 1 जागरूकता
- 2 सजग एवं समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिकों का समूह
- 3 जनमत का निर्माण
- 4 सहनशीलता एवं समझौते की भावना
- 5 नेतृत्व की भावना

1 जागरूकता — जनतंत्र की सफलता देश के नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि नागरिक शिक्षित बुद्धिमान लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं, उन्हें अधिकारों एवं कर्तव्यों का उचित ज्ञान है वे अपने चारों ओर की परिस्थितियों से भली-भाँति परिचित हैं उनमें लोकतंत्र की सफलता के प्रति रुचि है, वे लोकतंत्र के शत्रुओं से सतर्क हैं और अपने प्रतिनिधियों, विशेषकर सरकार के सदस्यों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखते हैं तो ऐसे देश में लोकतंत्र अवश्य विकसित एवं सफल होगा। इस सबंध में गाँधी को उद्धृत करना अधिक अच्छा होगा। वे कहते थे कि लोकतंत्र राज्य ऐसा नहीं होता जिसमें लोग भीड़ की तरह कार्य करें, इसमें जनता को जागरूक रहना पड़ता है।

2 सजग एवं समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिकों का समूह — यदि देश के नागरिक लापरवाह एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण हैं तो प्रजातंत्र के लिए घातक है। सजग एवं समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिकों का समूह प्रजातंत्र को शक्ति प्रदान करता है तथा प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होता है।

3 जनमत का निर्माण — स्वस्थ जनमत का निर्माण और उसका समर्थन प्रजातंत्र की रीढ़ है। यदि जनमत किसी कानून व सरकार के पक्ष में नहीं है तो कानून अप्रभावी रहेगा और सरकार गिर जायेगी। अतः प्रजातंत्र सरकार अपने पक्ष में जनमत से आगे की ओर बढ़ती है तथा अपने विपरीत जनमत से निष्प्राण हो जाती है।

4 सहनशीलता एवं समझौते की भावना — प्रजातंत्र नागरिकों में सहनशीलता एवं समझौते की भावना को उत्पन्न करके उसे मजबूत बनाता है। लगभग प्रत्येक देश में विभिन्न वर्गों, धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं जिनके आचार-विचारों में भिन्नता होती है। यदि सहनशीलता की भावना हो तो भिन्नता होते हुए भी उनमें पारस्परिक सहयोग हो सकता है। आज के युग में चाहे व्यक्ति हो या देश अकेले रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। आज के युग में जिओ और जीने दो के सिद्धान्त पर चलकर ही हम अपने पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यह तभी संभव है जब हममें सहिष्णुता एवं समझौते की भावना हो। यदि विचार एवं सिद्धान्त उचित है तो उन्हें सम्मान दे अन्यथा प्रजातांत्रिक उपायों से उनका विरोध करें।

प्रजातंत्ररूपी इमारत समझौते की नींव पर खड़ी हुई है चाहे वह समझौता जनता व सरकार के बीच का हो या विरोधी दल और शासक दल का हो। जिद्दी प्रवृत्ति असफलता की ओर ले जाती है। हमें दूसरों की बात को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि वे उपयोगी तथा लाभदायक हैं तो उनके मान लेने में कोई अपमान नहीं होता। आपसी वैमनस्य एवं संघर्ष से समाज और देश विभाजित हो जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। अतः आपसी मतभेदों को पचायत द्वारा निपटाना प्रजातंत्र की सफलता की कुंजी है।

5 नेतृत्व की भावना — राजनीतिक दल प्रजातंत्र की जान होते हैं। सही नेतृत्व एवं कार्यक्रम ही राजनीतिक दलों का विकास कर उन्हें प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। प्रजातंत्र में शासन इन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जाता है यदि इन दलों का नेतृत्व सही है, साहसी ईमानदार और जागरूक लोगों के हाथ में है तो देश प्रगति करेगा अन्यथा अवनति की ओर चला जायेगा। बुद्धिमान और चरित्रवान नेता जनता का सही मार्गदर्शन कर सकता है जिससे अयोग्य, अक्षम एवं

स्वार्थी लोग जनता को भ्रमित नहीं कर सकेंगे। अतः यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सुयोग्य और ईमानदार नेतृत्व दे। उक्त मान्यताओं पर आधारित लोकतंत्र की सफलता असंदिग्ध है। ऐसे ही लोकतंत्र ने जाति को अपने वश में कर लिया है और जाति आधारित भारत जैसे देश में अपना डका बजा रहा है।

प्रजातंत्र का जादुई चमत्कार — भारत में प्रजातंत्र सफल है इसकी जादुई शक्ति जग जाहिर है इसके जादू का असर जातियों पर हुआ है जातियों में व्याप्त असमानता दूरी भेदभाव वर्जनाओं एवं प्रतिबंधों को प्रजातंत्र ने करारी चोट दी है और इसी कारण प्रजातंत्र प्रशंसित वाछनीय एवं वरेण्य है।

प्रजातंत्र में जनजीवन का विकास ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसका आशय यह है कि समस्त देशवासियों को उनकी योग्यतानुसार कार्य उनकी आवश्यकतानुसार सुख—सुविधाएँ विकास के समान अवसर सम्मानजनक सामाजिक स्तर तथा सुरक्षा एवं न्याय प्राप्त होने चाहिए।

लोकतंत्र की सफलता सविधान के अनुरूप शासन चलाने में निहित है। संविधान में मूल अधिकारों मूल कर्तव्यों अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जन्म वंश व्यवसाय धर्म प्रजाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने के प्राविधान हैं। कमजोर लोगों के लिए आरक्षण नीति का उल्लेख है।

सविधान के प्राविधानों का उल्लेख कीजिए।

नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो इस हेतु मौलिक अधिकारों का विशेष महत्त्व है।

मूल का अर्थ होता है जड़। वृक्ष के लिए जो महत्त्व जड़ का है वही महत्त्व नागरिकों के लिए इन अधिकारों का है। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष का जीवन असंभव है उसी तरह मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों का शारीरिक मानसिक नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव नहीं। इसी कारण प्रजातंत्र राज्यों में इनका उल्लेख सविधान में कर दिया जाता है।

समानता के अधिकार— इसमें विधि के समक्ष समानता भेदभाव समापन, अवसर की समानता—शिक्षा और नौकरी के समान अवसर समान

कार्य के लिए समान वेतन समान नागरिक संहिता अस्पृश्यता का अन्त आदि सम्मिलित है।

प्रजातंत्र एव जाति में सबंध — प्रजातंत्र एव जाति में गहरा सबंध है। जातियों को प्रजातंत्र से कोई परहेज और विरोध नहीं है। प्रजातंत्र को सफल बनाने में जातियों का वाञ्छित सहयोग रहा है। निर्योग्यताओं और वर्जनाओं की शिकार जातियों के लिए प्रजातंत्र शरण—स्थली है।

जाति का बदलता स्वरूप — आज जाति का जो स्वरूप है यह उतना कठोर नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जातियाँ नमनशील बन गई हैं। बहुत सी कठोरताओं को त्याग दिया गया है।

जाति में हुए और हो रहे परिवर्तनों और उनके कारकों का उल्लेख पिछले पृष्ठों में हो चुका है।

1 प्रजातंत्र ने जाति में व्याप्त बुराइयों एव दोषों पर कुठाराघात किया है।

2 प्रजातंत्र ने ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें दबी हुई एव कुचली हुई जातियाँ राहत की सोंस ले रही हैं और वे ऐसे प्रजातंत्र से अपना मोह नहीं तोड़ पा रही हैं। इस माहौल में जाति की दादागिरी ढेर हो गयी है। औद्योगीकरण शहरीकरण, नई शिक्षा व्यवस्था, मानववाद विवेकवाद वैज्ञानिक तकनीकी एव शिक्षा संस्थानों की स्थापना, नई राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व का देश में उदय आदि इसी माहौल की देन हैं। इन सबने जातियों को सजा शून्य कर दिया है।

3 जातियों को प्रतिस्पर्धी समूहों में बदल दिया है। व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी जाति के माध्यम से अभिव्यक्ति का सुअवसर प्रदान किया है।

4. प्रजातंत्र के कारण जाति की पकड़ समाज पर ढीली हुई।

5 जैसे जजमानी व्यवस्था असमान समूहों को संगठित रखती है उसी तरह प्रजातंत्र असमान जातियों को संगठित रखने में सफल रहा।

6 अदालत के माध्यम से नए विचारों को लागू किया गया जिससे जाति पचायत के क्रियाकलापों का क्षेत्र सीमित हो गया और मामलों

पर उनके अधिकार को अमान्य करार दिया गया।

7 प्रजातंत्र के अन्तर्गत ऐसे सहायता प्राप्त स्कूलों/कालेजों की ग्रांट रोक ली जाती है जहाँ जाति अथवा नस्ल के आधार पर किसी छात्र को सुविधा देने से मना किया जाता है।

रुडोल्फ और रुडोल्फ के अनुसार जातियों ने प्रजातंत्र को एक प्लेटफार्म प्रदान किया है। जातियों प्रजातंत्र की सफलता में सहायक रही है। जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जातियों लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है और जातियों के कारण मताधिकार का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार प्रजातंत्र में जान डालने और उसे आगे बढ़ाने में जातियों का योगदान कम नहीं है। आजकल सभी जातियों में राजनैतिक चेतना है जिससे प्रजातंत्र को बल मिल रहा है। सरकार में मंत्रियों का चुनाव करते समय जाति के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है। जातियों वोट बैंक हैं। जातियों चुनाव में अपना अभ्यर्थी खड़ा करती हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या अधिक होती है उसी जाति के अभ्यर्थी के विजय की संभावना अधिक रहती है और प्रायः उसकी विजय होती भी है। अतः जातियों भी प्रजातंत्र को खुराक देने का कार्य करती है।

जाति एवं प्रजातंत्र पर विद्वानों की राय— के एम पणिकर के अनुसार प्रजातंत्र एवं जाति पूर्णतया विरोधी है, एक समानता पर आधारित है तो दूसरा जन्म की विषमता पर, एक सामाजिक सम्मिलन के सिद्धान्त से प्रेरित है तो दूसरा सामाजिक बहिष्कार से। प्रजातंत्र वर्ग भेद की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रयासरत है पर जाति उनको बनाये रखने के पक्ष में है। वर्ग—चेतना लुप्त हो जाय इस हेतु प्रजातंत्र सार्वभौमिक शिक्षा पर बल देता है पर जाति शासक वर्ग को छोड़कर अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मना करती है। सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण विषयों में जाति और प्रजातंत्र में आधारभूत भेद दिखता है।

Democracy and caste are totally opposed as we have tried to show. The one is based on equality and the other on inequality of birth. The one is actuated by the principle of social inclusion, the other is by the principle of exclusion. Democracy tries to break

down the barriers of class, caste seeks to perpetuate them Democracy imparts universal education in order that class consciousness might vanish, caste refuses education except to the governing class In all matters that are of importance caste and democracy are fundamentally opposed

Panikkar, K M "Caste and Democracy," P-37

डॉ राधाकृष्णन् के विचार — अपनी पुस्तक दि हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ मे उन्होंने जाति एव प्रजातंत्र पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार प्रजातंत्र सबका इस प्रकार से मानकीकरण नहीं है कि उनकी विशिष्टता का ही लोप हो जाय। हम सभी को एक ही ज़ेस मे नही रखा सकते हैं क्योंकि यह तो तानाशाही होगी। प्रजातंत्र इस आवश्यकता पर बल देता है कि सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छाई के विकास का समान अधिकार मिलना चाहिए। यदि हम यह विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक प्ररूप एक विशिष्ट सम्भावना को रूपायित करता है तो इस प्ररूप को नष्ट करने का अर्थ विश्व की योजना मे एक शून्य उत्पन्न करना होगा। मस्तिष्क द्वारा सृजित सभी मूल्यों को प्रोन्नत करना प्रजातंत्र का कार्य है। समग्र के लिए हर प्रकार की सेवा का समान महत्त्व है। समाज एक जीवित सावयव है जो उद्गम और उद्देश्य की दृष्टि से तो एक है परन्तु जिसकी क्रियाएँ विविध हैं। समाज के किसी खण्ड या वर्ग मे तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नही होगी जब तक दूसरे लोग बन्धन मे हैं। निम्न शब्दो मे जो बात कही गई है वह प्रजातंत्र का वास्तविक आदर्श है "ईश्वर करे सभी लोग जीवन के कठिन स्थानो को सुरक्षित पार कर ले सभी खुशी को प्राप्त हो सभी उपयुक्त ज्ञान को प्राप्त करे सभी हर जगह आनन्दित हो।" जाति व्यवस्था धन अथवा सुख को प्राप्त करने मे प्रजातंत्र नही है परन्तु आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से यह एक प्रजातंत्र है क्योंकि जाति की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रत्येक व्यक्ति मे कुछ लोकोत्तर अवश्य है और ऊँच नीच क्रम के लिए अयोग्य है। श्रेणी और पद के भेदभाव के बिना जाति व्यवस्था सभी लोगो को समान स्तर पर रखती है और इस बात पर जोर देती है कि सभी लोगो को अपनी-अपनी विशिष्टता को व्यक्त करने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हम एक सहकारी सस्था है जहाँ प्रत्येक योग्यतानुसार काम करता है और आवश्यकतानुसार

प्राप्त करता है। राजनीतिक दृष्टि से कानूनो के समक्ष समान अधिकारों का उपयोग होता है। इन दोनों से वास्तविक आध्यात्मिक स्वतंत्रता की उपलब्धि होती है। समाज का एक उचित संगठन आध्यात्मिक स्वतंत्रता राजनैतिक समता और आर्थिक भाईचारे पर आधारित होगा।

इस प्रकार उक्त विद्वान ने जाति और प्रजातंत्र को आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से एक माना है और दोनों में मधुर संबन्ध देखा है। उनके ख्याल से जाति और प्रजातंत्र का सह-अस्तित्व संभव है। जाति का समर्थन करते हुए वे कहते हैं कि सभी को अपनी विशिष्टता व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

Democracy is not the standardizing of everyone so as to obliterate all peculiarity while the system of caste is not a democracy in the pursuit of wealth or happiness, it is a democracy so far as the spiritual values are concerned

Radhakrishnan, S, "The Hindu View of Life" P-83

क्या प्रजातंत्र का सैद्धान्तिक रूप व्यवहार में है? — प्रजातंत्र अपने आदर्शों के अनुरूप व्यवहार में नहीं है। प्रजातंत्र देशों में अयोग्य व्यक्ति शासन कर रहे हैं और योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जा रही है। जातिभेद को वर्ग संघर्ष के लिए दोषी बताया जाता है परन्तु प्रजातंत्र के राजनीतिक दल इससे कहीं अधिक भयंकर होते हैं। आज विभिन्न राजनीतिक दल अपना-अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अपने स्वार्थ से परे उन्हें समाज और राष्ट्र के हित की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं वे आपस में झगड़ते हैं। प्रजातंत्र में जहाँ टिकाऊ सरकारें नहीं हैं वहाँ झूठ फरेब और जालसाजी का बोल बाला है। अनुचित उपायों से और जाति की मदद से दल विजयी होते हैं और विजयोपरान्त अपनी जाति तथा अपने दल के लोगों को अधिकाधिक सुविधाएँ देते हैं उन्हें तरह-तरह से प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार अगले चुनावों में जीत सुनिश्चित करने की भूमिका तैयार करते हैं। इस प्रकार जातियाँ प्रजातंत्र को मजबूत बनाती हैं और उसमें प्राणवायु फूँकने का प्रयास करती हैं।

लार्ड ब्राइस द्वारा बताये गये दोषों से प्रजातंत्र अपने आदर्शों के विरुद्ध दिखता है। उनके द्वारा इंगित दोष इस प्रकार हैं 1 प्रजातंत्र

धन के कुप्रभाव को नहीं रोक सका है। लोग राजनीति को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करते हैं। 2 इसमें समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग होता है और शासन में योग्यता को महत्त्वहीन समझा जाता है। 3 कानून निर्मायक कानून बनाते समय जनहित को भुला देते हैं। उनके सामने जनहित जैसी कोई चीज नहीं होती। 4 राजनीतिक दलों की शक्ति में अनावश्यक वृद्धि होती है जिससे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती है।

निष्कर्ष— प्रजातंत्र तथा जाति के सिद्धान्त और विशेषताएँ व्यवहार में एक दूसरे के अनुरूप हैं उनमें तालमेल है उनमें किसी भी प्रकार का विरोध परिलक्षित नहीं होता है। हों जाति के बजाय जातिवाद प्रजातंत्र का विरोधी हो सकता है। आज बहुमत इस पक्ष में है कि जातिवाद का प्रभाव भी घट रहा है। जनतांत्रिक प्रक्रिया ने जातिवाद की भावना को निश्चय ही कम किया है परन्तु उसके मूलाधार को नहीं बदल पाई है। अब जाति एक नागरिक संगठन के रूप में उभर रही है। जातियों ने हित-समूहों का रूप धारण कर लिया है। संक्षेप में जाति का राजनीतिकरण हो रहा है।



हमारे अन्य श्रेष्ठ उपन्यास

कौरव-पाण्डव	परमात्मा राय शर्मा	100.00
देवव्रत भीष्म	"	100.00
बूंद-बूंद अमृत	क्रान्ति त्रिवेदी	175.00
आठवां जन्म	"	125.00
भूमिजा	"	100.00
अगम	"	75.00
गगादत्त	"	150.00
अनकही	राजीव कुमार	75.00
हाकिम इलाका	"	75.00
सघर्ष	"	40.00
अमर-तारा	चौदनी	100.00
नई दिशा	सलिल कुमार मिश्र	40.00
दक्षिण मे सूर्योदय	शालिग्राम मिश्र	180.00
एक और सावित्री	शालिग्राम मिश्र	150.00
फिर चूके चौहान	"	175.00
वीरवर लक्ष्मण	शिवसिंह "सरोज"	70.00
सभवामि युगे-युगे	नसीम साकेती	50.00
प्रियम्	डॉ. जे.पी. शर्मा	80.00
एक और अहल्या	ऊषा यादव	70.00
श्रीपति	भूपेन्द्र नाथ शुक्ल	60.00
धनपति	भूपेन्द्र नाथ शुक्ल	70.00
चींटे के पर	सुधाकर अदीब	80.00
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे	गोविन्द प्रसाद शर्मा	100.00
धरोहर	पी.एस. आनन्द	125.00
हारे-जीते लोग	शकर दयाल पाण्डेय	—
युवराज	राम गोपाल	60.00
पहली-निकरण	शूलपाणि	50.00
स्मृतियों के खण्डहर	शकर दयाल पाण्डेय	25.00

भारत प्रकाशन, लखनऊ